लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th S

LOK SABHA DEBATE

[सातवां सत्र
Seventh Session]

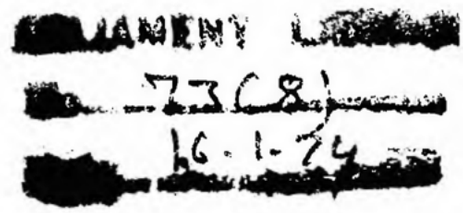

[खंड 28 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 53, बुद्धवार, 9 मई 1973/19 वैशाख, 1895 (शक)
No. 53 *Wednesday, May* 9,1973/*Vaisakha* 19, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q .Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1021.	दिल्ली की दुकानों में बिना लाइसेंस विदेशी शराब की बिक्री।	Sale of Foreign Liquor in Delhi Shops without licences	1-3
1024.	नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलों के लिए आधुनिकीकरण योजनाएं।	Modernisation plans for Cotton Mills run by National Textile Corporation.	3-5
1026.	कागज तथा कागज उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भरता।	Self-Sufficiency in Paper and Paper Products	5-7
1027.	दिल्ली से तारों के सम्प्रेषण में विलम्ब।	Delay in Transmission of Telegrams from Delhi	7-9
1029.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में युवकों की सेवाओं को संगठित करने और उनका उपयोग करने के लिए प्रायोगिक परियोजना।	Pilot projects for Orgarnisation and Utilisation of Services of Youth in drought affected areas . .	9-11
1030.	जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं।	Special Plans for development of Tribal areas	11-16
1031.	योजना आयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए उसमें विशेषज्ञों और व्यवसायियों को शामिल किया जाना।	Inclusion of Specialists and Professionalsin Planning Commission to strengthen the organisations .	16-17
	प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
1022.	पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु एक विशेष सैल की व्यवस्था।	Special Cell for Implementation of Devoplements Programmes in Backward Regions	17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1023.	नागा विद्रोहियों से चीन में बने हथियारों का पकड़ा जाना।	Seizure of Chinese Made Arms from Naga Rebels	18
1025.	पटना में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी।	Arrest of Pakistanis in Patna .	18
1028.	चाय को सुगन्धित और सुगमता से घुलनशील बनाने संबंधी अनुसंधान।	Research on making Tea Perfumed and easily soluble . . .	18-19
1032.	पांचवीं योजनावधि के अन्त में देश में निकल धातु की मांग को पूरा करने के लिए कार्यवाही ।	Steps to meet the demand of Nickel Metal in the country at the end of Fifth Plan Period	19
1033.	ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं।	Projects under Rural Industries Project programme . . .	19-20
1034.	दिल्ली में टेलीफोन के दोषपूर्ण तार ।	Defective Telephone wires in Delhi	20
1035..	बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश।	Investment in Joint Sector Enterprises by Large Industrial Houses	20-21
1036.	उन लिपिकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन जिनके मामले संघ लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिये थे ।	Amendment in Recruitment Rules for Regularisation of Clerks whose cases are rejected by U.P.S.C . .	21
1037.	बिहार में ट्रंक बुकिंग संबंधी अनियमितताएं ।	Irregularities in Trunk Booking in Bihar	21
1038.	दिल्ली के लिए नया प्रशासनिक ढांचा ।	Administrative set-up for Delhi.	21-22
1039.	अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों की स्थापना करने हेतु प्रौद्योगिकी. के आयातकों को प्रोत्साहन।	Incentive to Importers of Technology to set up Research and Development Establishments	22
1040.	बड़ौदा नगर में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता ।	Capacity of Telephone Exchange in Baroda City	22-23
अता० प्र० संख्या **U.S.Q. Nos.**			
9657.	आकाशवाणी द्वारा भारतीय संगीत की अपेक्षा विदेशी संगीत को प्राथमिकता देना।	A.I.R. preference to foreign music over Indian music . . .	23
9658.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन।	Advertisement for Posts in K.V.I.C.	23-24
9659.	शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के दल द्वारा तैयार की गई योजना।	Plan prepared by N.C.S.T. group on Education and Scientific Research	24

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9660.	मध्य प्रदेश में रेशम उद्योग का उत्थान करना ।	Upliftment of the Silk Industry in M.P.	24-25
9661.	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा गुजरात में अम्बर चरखों के लिए प्रायोगिक योजना।	Plot projects for Ambar Charhas in Gujarat by Khadi and Village Industries Board	25
9662.	भारत में रह रहे विदेशी ।	Foreigners residing in India .	25
9663.	राजधानी में पुलिस दल का आधुनिकीकरण ।	Modernisation of Police Force in the Capital	25-26
9664.	बंजारों का उत्थान ।	Upliftment of Nomadic Tribes	26
9665.	उप-सचिवों की चयन सूची बनाने के लिए चयन समिति या बोर्ड में सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति के एक अधिकारी का शामिल किया जाना ।	Inclusion of a Scheduled Caste Officer as a member in the Selection Committee of Board for preparing select list of deputy Secretaries . .	26-27
9666.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलैक्शन ग्रेड के लिए चयन सूची।	Select list for Selection Grade of Central Secretariat Service . .	28
9667.	मैसूर में लघु उद्योगों के लिए इस्पात का कोटा।	Steel quota for Small Industries Mysore	28-29
9668.	ईसाई धर्मप्रचारकों द्वारा चलाये जा रहे होस्टल ।	Hostels run by Christian Missionaries	29
9669.	मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में रेडियो स्टेशनों का स्थापित किया जाना ।	Setting up of Radio Stations in Tribal Areas of Madhya Pradesh	29-30
9670.	मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और पूर्व निमाड़ जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र ।	Application for Telephone connections in Hoshangabad and East Nimad Districts of Madhya Pradesh .	30
9671.	योजना मंत्रालय के कार्यकरण संबंधी मोनोग्राफ ।	Monographs on the working of the Ministry of Planning . . .	30-31
9672.	औद्योगिक विकास मंत्रालय के कार्यकरण संबंधी मोनोग्राफ ।	Monographs on the working of the Ministry of Industrial Development	31
9673.	गत तीन वर्षों में संचार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ ।	Monographs brought out by Ministry of Communications in p st three years	31
9674	आन्ध्र प्रदेश के तहसीलदार।	Tehsildars of Andhra Pradesh .	31-32

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9675.	आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में डिप्टी कलेक्टर के पद का सलैक्शन पद के रूप में घोषित किया जाना।	Declaration of Post of Dupty Collector in Telengana Region of A.P. as Selection Post . .	32
9676.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक पेश करने में विलम्ब ।	Delay in introduction of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill . . .	33
9677.	फिरोजपुर के निकट भारतीय सीमा में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ।	Infiltration of Pakistanis into Indian Borders near Ferozepur . .	33
9678.	भारत-नेपाल सीमा की रक्सौल चौकी पर पाकिस्तानियों का गिरफ्तार किया जाना ।	Arrest of Pakistanis at Raxual Checking Post on Indo-Nepal Border	33-34
9679.	आयु-सीमा लांघने वाले शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी सेवा में रोजगार।	Employment for Educated Unemployed who have crossed age limit for Government Service .	34
9680.	फालतू घोषित किये गये और बाद में अन्य कार्यालयों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए पिछली सेवा का लाभ देना ।	Benefit of Past Service for the purpose of seniority to the staff declared surplus and provided with Employment in other offices . .	34-35
9681.	आदिवासी विकास खण्ड खोलने का मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव।	Proposal of M. P. Government for Setting up Tribal Development Blocks	35
9682.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना और टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना ।	Opening of P.C.O.s and Telephone Exchange in Arunachal Pradesh during Fifth Five Year Plan . .	35
9683.	संचार और दूर-संचार सेवाओं की व्यवस्था संबंधी राष्ट्रीय नीति।	National Policy as Provision of Communication and Telecommunication Service	36-39
9684.	जयसिंहपुर, हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज ।	Telephone Exchange at Jai Singhpur, Himachal Pradesh . . .	39
9685.	क्षेत्रीय भाषाओं में तार प्राप्त किये जाने की सुविधा।	Facilities of Receiving Telegrams in Regional Languages . .	39-40
9686.	भद्रावती रिले स्टेशन पर दिन में प्रसारण ।	Mid-day Transmission on Bhadravati Relay Station . . .	40
9687.	जोरहाट प्रयोगशाला द्वारा सीमेंट का उत्पादन ।	Production of Cement by Jorhat Laboratory	40
9688.	मध्य प्रदेश में कोसा उद्योग।	Kosa Industry in Madhya Pradesh	40-41

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9689.	हंगरी के व्यापार दल का भारत-दौरा ।	Visit by Trade Team from Hungary	41
9690.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम के निदेशकों के विरुद्ध जाँच ।	Enquiry against Directors of National Textile Corporation . .	42
9691.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करने की योजना ।	Plan for expansion of Public Sector Undertaking	42
9692.	नई दिल्ली में एक एशिया एसेम्बली की बैठक ।	Meeting of one-Asia Assembly in New Delhi	43
9693.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में औद्योगिक प्रबन्ध पूल के अधिकारी ।	Officers of Industrial Management Pool in N.S.I.C. . . .	43-45
9694.	"ये गुलिस्ताँ हमारा" नामक चलचित्र के प्रति नागाओं द्वारा विरोध ।	Protest by Nagas against Film Entitled "Yeh Gulistan Hamara"	45-46
9695.	म्युनिसिपल टाउनों में हरिजनों और भंगियों के लिए मकानों का निर्माण ।	Construction of Houses for Harijans and Sweepers in Municipal Towns.	46
9696.	गुना जिले (मध्य प्रदेश) कोन्या कला ग्राम में एक हरिजन दूल्हे पर सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हमला ।	Assault on a Harijan Bridegroom by Caste Hindus in Koniya Kala Village, Guna District (M.P.) . . .	46
9697.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूची में शामिल करने की कसौटी ।	Criterion for Scheduling of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	46-47
9698.	जोधपुर डिवीजन में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता ।	Financial Assistance for providing infrastructural facilities in Jodhpur Division	47
9699.	राजनीतिक साहित्य के आयात और वितरण को नियमित करने संबंधी प्रस्ताव ।	Proposal to regulate Import and Distribution of Political Literature	47-48
9700.	वनस्पति तेल के नए कारखाने लगाने के लिए लाइसेंसों के लिए आवेदन ।	Applications for Issue of Licence for Setting up New Vegetable Oil Units	48
9701.	हरिजन कर्मचारियों के साथ अस्पृश्यता बरतना ।	Practice of Untouchability with Harijan Employees	48
9702.	जीवन बीमा निगम आदि द्वारा वित्त घोषित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए मकानों के निर्माण-कार्य में हुई प्रगति ।	Progress achieved in construction of houses for S.C./S.T., Backward Classes under Schemes financed by L.I.C. etc	49

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9703.	स्कूल में प्रविष्ट अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या।	Level of Enrolment of Scheduled Tribes	49
9704.	राज्यों के प्रत्येक जिले के प्रति व्यक्ति आय ।	Per Capita Income of each District in States	50
9705.	श्रीराम इन्स्टीट्यूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली ।	Shri Ram Institute for Industrial Research, Delhi	51
9706.	महाराष्ट्र के थाना क्षेत्र में बेमाग एण्ड कम्पनी का कार्यकरण।	Working of Bemag & Co. in Thana Area, Maharashtra . . .	51
9707.	जे० स्टोन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेमाग एण्ड कम्पनी को दे देना और उसका कर्मचारियों पर प्रभाव।	Transfer of Items manufactured by J. Stone & Co., Calcutta to Bemag and Co. and their effect on Employees in Calcutta	52
9708.	योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा दो पदों का भार संभालना ।	Dual Charge held by a Member of the Planning Commission . . .	52-53
9709.	आकाशवाणी के कर्मचारियों की माँगें पूरी न किए जाने के कारण उनके द्वारा असंतोष व्यक्त किया जाना।	Expression of Resentment by Akashvani Employees on Non-fulfilment of their Demands . . .	53-54
9710.	स्टाफ आर्टिस्टों की टेलीविजन केन्द्रों में निर्माताओं के रूप में पदोन्नति।	Promotion of Staff Artistes as Producers in T. V. Centres . .	54
9711.	आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में साम्यवादियों की घुसपैठ।	Communist Infiltration into A.I.R. as Staff Artistes	54
9712.	बाह्य एजेंसियों के लिए प्राइवेट कार्य कर रहे आकाशवाणी के कर्मचारी ।	A.I.R. Employees etc. doing Private work for outside Agencies . .	54-55
9713.	पाँचवीं योजना में पिछड़े जिलों के समेकित विकास के लिए जिला योजनाएं ।	District Plans for Integrated Devleopment of Backward Districts in Fifth Plan	55-56
9714.	बिहार में प्रतापगंज, गनपतगंज, करजाइन बाजार, दौलतपुर और हरिराहा म तार घरों का खोला जाना ।	Opening of Telegraph Offices in Pratapganj Ganpatganj, Karjain Bazar, Danlatpur and Hariraha in Bihar	56
9715.	श्री कानु सान्याल की बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका ।	Habeas Corpus Petition of Shri Kanu Sanyal	56
9716.	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग अनुसंधान तथा विकास निगम तथा उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम में उद्योग लगाने के लिए करार।	Agreement between S.I.R.D.C. (U.P.) and U. P. Hill Development Corporation for Setting up of Industries	56-57

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9717.	उपग्रह छोड़ने के बारे में भारत और रूस के बीच विचार का अगला दौर।	Next round of discussion between India and U.S.S.R. on Launching of Satellite	57
9718.	मध्य प्रदेश में बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार प्रदान किया जाना।	Employment Provided to Unemployed Engineers in Madhya Pradesh	57-58
9719.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा खोली गई कपड़े की उचित दर की दुकानें।	Fair Price Cloth Shops by National Textile Corporation	58-59
9720.	आदिवासियों के जीवन पर औद्योगिकरण का प्रभाव।	Effects of Industrialisation on the life of Tribal People	59
9721.	सी० ए० एस० ए० (सामाजिक कार्य, राहत तथा विकास के लिए क्रिश्चियन एजेंसी) की गतिविधियाँ।	Activities of C.A.S.A. (Christian Agency for Social Action, Relief and Development)	59
9722.	फरवरी, 1972 को हुए कैपीटल सेमिनार से रिपोर्ट।	"Reporting from Capital" Seminar held on 12th February 1972	60
9723.	मध्य प्रदेश में संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग।	Big Industries under Joint Sector in M.P.	60-61
9724.	देश में प्रति व्यक्ति औसत आय तथा एक साधारण व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अपेक्षित न्यूनतम राशि।	Per Capita average Income in the Country and the Minimum Amount required for a Common Man's livelihood	61
9725.	1970 से 1972 के बीच सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी।	Central Government Employees retired during 1970 to 1972	61
9726.	"बीयर वेन्डिग रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार।	News Report entitled "Bear Vending Racket"	61
9727.	राष्ट्रीय आय में घटाव-बढ़ाव।	Fluctuations in National Income	61-62
9728.	1971-72 में आर्थिक विकास की दर।	Rate of Economic Growth in 1971-72	62
9729.	1971-72 में राष्ट्रीय आय में कमी।	Decrease in Growth of National Income during 1971-72	62-63
9730.	1972-73 में राष्ट्रीय आय में कमी।	Decrease in National Income during 1972-73	63
9731.	कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के विकास के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा तैयार की गई योजना।	Plan prepared by Bhabha Atomic Research Centre to develop Kutch-Saurashtra Area and Western Parts of U.P.	63-64
9732.	उत्तर प्रदेश के काँति नामक गाँव में एक हरिजन की हत्या।	Murder of a Harijan in Kanti Village, U. P.	64
9733.	विदेशी छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के चयन की कसौटी।	Criteria for Selection of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates for Foreign Scholarship	64

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9734.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ ।	Post-matric Scholarship to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students	65
9735.	केन्द्रीय भवन शोध संस्थान, रुड़की की सहायता से सस्ते मूल्य पर मकानों का निर्माण ।	Construction of Houses at Cheap Cost with the help of Central Building Research Institute, Roorkee	66
9736.	राजस्थान परमाणु बिजली घर के यूनिट में विदेशी सहयोग ।	Foreign Collaboration in Second Unit of Rajasthan Atomic Power Station.	66
9737.	इंडियन नेशनल सीमेंट वर्कर्स फेडरेशन द्वारा हड़ताल की धमकी ।	Strike Threat by Indian National Cement Workers Federation .	66-67
9738.	कालीकट में ट्रक टायरों के वितरण में दोष ।	Defects in distribution of Trucks tyres in Calicut	67
9739.	ग्रामीण कृषकों के लिए उनके परंम्परागत कौशलों में रोजगार ।	Employment for Rural Cultivators in their Traditional Skills . .	68-69
9740.	इण्डस्ट्रियल एस्टेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, पाँडिचेरी की ओर से ज्ञापन ।	Memorandum from Industrial Estate Manufacturers' Association, Pondicherry	69
9741.	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में विदेशी कम्पनियाँ ।	Foreign Companies in Non-Priority Sector	69
9742.	भारतीय वृत्त चित्रों का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कार्यकरण ।	Performance of Indian Documentary Films in International Film Festivals	69
9743.	फीरोजपुर, पंजाब में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी ।	Arrest of Pakistanis in Ferozepur, Punjab	70
9744.	परमावश्यक क्षेत्र में उद्योग ।	Industries in the Core Sector	70
9745.	दुग्ध आहार, माल्टीकृत आहार और तेल पिराई आदि उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध ।	Restriction on Issue of Licences for Milk, Food, Malted Food, Crushing of Oilseeds	70-71
9746.	लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन आरम्भ कर सकने योग्य फर्मों के औद्योगिक लाइसेंसों के लिए दिये गये आवेदन-पत्रों का रद्द किया जाना ।	Rejection of Applications for Industrial licences of the Partners which could start Production in Small Sector .	71
9747.	भारतीय आर्थिक विकास सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के पदोन्नति कोटे में विषमता ।	Disparity in Promotion Quota of Indian Economic Service and other Central Services . .	72
9748.	भोपाल में ड्राई सैल बनाने का कारखाना ।	Dry Cell Unit in Bhopal . .	72
9749.	देश के आन्तरिक खपत तथा निर्यात के लिये लौह अयस्क की माँग ।	Demand for Iron Ore for Internal Consumption and Export . .	72-73

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9750.	पाँचवीं योजना में पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों की स्थापना ।	Small Scale Units in Backward Districts in Fifth Plan . . .	73-74
9751.	पाँचवीं योजना में पिछड़े जिलों में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं ।	Rural Industrial Projects in Backward Districts in Fifth Plan . . .	74
9752.	गया में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र ।	Applications for Telephone Connections in Gaya	74-75
9753.	प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ।	Increase in Per Capita Income .	75
9754.	आकाशवाणी के पुनर्गठन के बारे में आकाशवाणी संघों द्वारा रोष प्रकट करना ।	Resentment by A.I.R. Associations against Reorganisation of A.I.R. .	75
9755.	टेलीग्राफ प्लेस के निवासियों को फ्लैट खाली करने के लिए नोटिस देना ।	Notices Served on Residents of Telegraph Place New Delhi to vacate their Flats	75-76
9756.	बाल चलचित्र समिति, बम्बई के बारे में जाँच रिपोर्ट ।	Enquiry Report about Children's Film Society. Bombay . . .	76
9757.	चलचित्र वित्त निगम द्वारा चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी को अपने हाथ में लेना ।	F.F.C. take-over of Children's Film Society	76
9758.	रोजगार योजनाओं के लिए राज्यों को किया गया धन का नियतन ।	Allocations made to States for Employment Schemes	76-77
9759.	प्रतिवर्ष सर्वाधिक लोकप्रिय सिने-अभिनेता, अभिनेत्री, गायक तथा निर्देशक का चयन ।	Selection of most popular film actor, actress, singer and director every year	77
9760.	चण्डीगढ़ पंजाब को और अबोहर हरियाणा को सौंपने के बारे में मंत्री का वक्तव्य ।	Statement of Minister on handing over of Chandigarh to Punjab and Abohar to Haryana . . .	77
9761.	डा० ओ० पी० बहल को वैज्ञानिक पूल में सम्मिलित करना ।	Inclusion of Dr. O. P. Behl in the Scientists' Pool	77-78
9762.	पाँचवीं योजना में अहमदाबाद में टेलीविज़ सेवा ।	T. V. in Ahmedabad in Fifth Plan	78
9763.	संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रश्नों का उत्तर देने के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी का प्रयोग ।	Use of Hindi or English as Medium of Answering Questions in U.P.S.C Examinations , ,	78-79
9764.	सरकार को प्राप्त होने वाले हिन्दी में लिखे पत्रों का हिन्दी में उत्तर देना ।	Reply in Hindi to letters Received by Government in Hindi	79
9765.	सीमेंट व्यापार का राष्ट्रीयकरण ।	Nationalisation of Cement Trade	80
9766.	मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की गृह मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति ।	Madhya Pradesh Government Employees on Deputation to the of Home Affairs Ministry . .	80
9767.	दिल्ली के नया बाजार में दिन दहाड़े लूटपाट ।	Daylight Robbery in Naya Bazar Delhi	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9768.	पुलिस भर्ती प्रणाली के नवीकरण के सम्बन्ध में राज्य मंत्री का वक्तव्य ।	Statement of Minister of State in the Ministry of Home Affairs on Reorienting the Police Recruitment System.	81
9769.	उड़ीसा भूमि विधेयक ।	Orissa Land Bill . . .	81
9770.	भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन और रूसी ऐकेडमी आफ साइंसिज़ के बीच हुए करार की क्रियान्विति ।	Implementation of agreement reached between Indian Space Research Organisation and U.S.S.R. Academy of Sciences	81-82
9771.	योजना के कार्यान्वयन के लिये एक अलग विभाग खोलना ।	Creation of a Cell for Plan Implementation	82
9772.	भारत में 1971-72 और 1972-73 में देवनागरी लिपि में बुक किये गये तार ।	Telegrams booked in India in Devnagari during 1971-72 and 1972-73.	82
9773.	मध्य प्रदेश में चम्बल घाटी को खेती योग्य बनाना ।	Reclamation of Chambal Valley in M.P.	82
9774.	डाक विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति ।	Appointment of S. C. and S.T. Candidates in Postal Department . .	83
9775.	"इवैल्यूएशन सैल इन प्लानिंग बाडी" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार ।	News-item entitled "Evaluation Cell in Planning Body" . . .	83
9776.	मनीपुर में चावल मिलों के लिए लाइसेंस ।	Issue of licences for rice mills in Manipur	83-84
9777.	मनीपुर सरकार द्वारा उद्योगपतियों को दिया गया औद्योगिक ऋण तथा अनुदान ।	Industrial Loans and Grants given by Manipur Government to Industrialists	84-85
9778.	मनीपुर में पुलिस कॉंस्टेबिलों और कार्यालय चपरासियों की नियुक्ति ।	Appointment of Police Constables and office Peons in Manipur .	85-86
9779.	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र पर मनीपुरी में बुलेटिन ।	Manipuri Bulletin over A.I.R., Delhi.	86
9780.	मैसूर में कोकून बीजों की आवश्यकता ।	Requirement of Cocoon Seeds in Mysore	86
9781.	वर्ष 1973-74 के दौरान जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना तथा उनके लिए न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करने का आश्वासन ।	Generation of Additional Employment opportunities and assuring minimum facilities to the Bulk of the Population during 1973-74.	86-87
9782.	श्रेणी तीन के कर्मचारियों द्वारा अपनी परिसम्पत्ति तथा दायित्वों की घोषणा ।	Declaration of Assets and liabilities by Class III Employees.	87-88
9783.	विदेशी शक्तियों द्वारा किये जाने वाले षड़यन्त्र के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य ।	Statement of West Bangal Chief Minister on Role played by Foreign powers	88

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9784.	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े जिलों का विकास।	Development of Backward Areas in West Bengal, Orissa and North Eastern States . .	88-89
9785.	सुन्दरबन, छोटा नागपुर और सन्थाल परगना जिलों का औद्योगिक सर्वेक्षण।	Industrial surveys of Sunderban, Chotanagpurand Santhal Parganas.	89
9786.	सरकारी कर्मचारियों को सरकारी उपक्रमों में स्थानान्तरित करने पर लाभ।	Benefits to Government Employees on transfer to Public Undertaking. .	89
9787.	फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा अनुमोदित "फाइव पास्ट फाइव" कथा चित्र।	Feature Film 'Five Past Five' approved by Film Censor Board.	90
9788.	राज्यों में योजना बोर्डों को सुदृढ़ बनाना।	Strengthening of Planning Boards in States	90
9789.	केन्द्र में योजना व्यवस्था पर होने वाले व्यय में वृद्धि।	Increase in Expenditure on Planning Machiney at the Centre . .	90-91
9790.	जामनगर में टेलीफोनों का लगाया जाना	Installation of Telephones in Jamnagar.	91
9791.	दिल्ली में पैनल कालस फार इण्डस्ट्रियल लैंड डेवेलपमेन्ट बाडी।	Panel calls for Industrial Land Development Body in Delhi . . .	91
9792.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समुहों के निवासियों से उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के बारे में अभ्यावेदन।	Representation from the Residents of Andaman and Nicobar Islands for their inclusion in the list of Scheduled Castes.	92
9793.	आविष्कार संवर्धन बोर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को हस्तान्तरण।	Transfer of Invention Promotion Board to Research Development Corporation	92
9794.	कूच-बिहार में खोले गये विभिन्न श्रेणियों के डाकघर।	Post Offices of various categories opened in Cooch-Behar . .	92-93
9795.	भारतीय सीमेंट निगम के कारखानों में उत्पादित सीमेंट का वितरण।	Distribution of Cement Produced by Factories of Cement Corporation of India	93-94
9796.	पिछड़े क्षेत्रों में डाक तथा तार घर।	Post Offices in Backward Areas.	94
9797.	अनुसंधान तथा विकास पर व्यय की गई कुल राष्ट्रीय उत्पादन की प्रतिशतता।	Percentage of Gross National Product spent on Research and Development	94-95
9798.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा अपानीगाडा आंध्र प्रदेश में महिला सत्याग्रहियों पर लाठी चलाना।	Lathi-charge on Women Satyagrahis at Apanigada, Andhra Pradesh by Central Reserve Police . .	96
9799.	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना।	Grant of Pension to Freedom Fighters.	96-97
9800	गौरीपुर कैनटेर एण्ड क्लोजर, नयाहाटी (पश्चिम बंगाल की) क्षमता का उपयोग।	Utilisation of Capacity of Goripur Container and Closure, Naihati (West Bengal)	97-98

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9801.	आकाशवाणी के रांची केन्द्र के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष ।	Discontentment among employees of Ranchi, A.I. R. . . .	98
9802.	संसद्-सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना ।	Grant of pension to Freedom Fighters amongst Members of Parliament and State Legislatures	98-99
9803.	सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ।	Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in B.S.F. and C.R.P.	99
9804.	मालवीयनगर में अनधिकृत रूप से बनी झुग्गियों को गिराना ।	Demolition of Unauthorised Jhuggis in Malviya Nagar . . .	99
9805.	फिरोजाबाद और वाराणासी के दंगों के बारे में प्रतिवेदन ।	Report on Ferozabad and Varanasi Riots	99-100
9806.	उत्तर प्रदेश के गौंडा जिले में आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार ।	Rapet of Tribal girls in Gonda, Uittar Pradesh	100
9807.	गैर-सरकारी क्षेत्र को कागज और सीमेंट परियोजनाओं के लिए लाइसेंस जारी करना ।	Issue of licences to Private Sector for Paper and Cement Projects .	100-101
9808.	आदि वासी क्षेत्रों का विकास ।	Developlment of Adivasi Areas .	101
9809.	राज्यों का दौरा करने वाले केन्द्रीय मंत्रियों के लिए सुरक्षा प्रबन्ध ।	Security arrangements for Central Ministers visiting States . .	101
9810.	बिड़ला, टाटा और गोयनका के एकाधिकार गृहों को लाइसेंस जारी करना ।	Issue of licences to Monopoly Houses of Birla, Tata and Goenka	101-102
9811.	दिल्ली प्रशासन में स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ ।	Benefit provided to Freedom Fighters in Delhi Administration . .	102-103
9812.	पांचवीं योजना में योजना का आधार गांव को इकाई मानना ।	Village Unit Level as Basis of Planing during Fifth Plan . .	103
9813.	पिछड़े वर्ग के कल्याण पर व्यय की गई धनराशि ।	Amount spent on welfare of Backward Classes . . .	103
9814.	स्मृति डाक टिकटें जारी करने की कसौटी ।	Criteria to issue commemorative Postal Stamps	103-104
9815.	सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार ।	Employment for all Educated unemployed	104-105
9816.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का विकेन्द्रीकरण करने की दृष्टि से इसका पुनर्गठन ।	Restructuring of C.S.I.R. with a view to decentralisation . .	105-106

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9817.	कार्यक्रम पुनर्विलोकन नीति सम्बन्धी बैठकों में प्रतिनिधित्व के लिए आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांग ।	A.I.R. Staff Artistes Demands for Representation in Programme Review Policy Meetings	106
9818.	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के मुख्यालय को कलकत्ता से नई दिल्ली ले जाना ।	Shifting of Headquarters of Indian Statistical Institute from Calcutta to New Delhi.	107
9819.	चण्डीगढ़ में पुलिस द्वारा कथित अश्लील पुस्तकों का जब्त किया जाना ।	Confiscation of Alleged Obscene Books by Police in Chandigarh .	107
9820.	नये उपभोक्ताओं को दिल्ली के टेलीफोनों की डायरेक्टरी सप्लाई न किया जाना ।	Non-supply of Delhi Telephone Directory to New Subscribers .	107-108
9821.	नये उपभोक्ताओं को नये टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई ।	Supply of New Telephone Equipment to New Subscribers . . .	108
9822.	बिड़ला समूह की कम्पनियों पर मुकदमा चलाया जाना ।	Prosecution of Birla Group of Companies	108
9823.	आकाशवाणी को स्वायत्तशासी निकाय बनाने की घोषणा ।	Declaration of A.I.R. as an Autonomus Body	108-109
9824.	गुजरात के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना ।	Grant of pension to Freedom Fighters from Gujrat . .	109-110
9825.	दिल्ली केन्द्र के टेलीविजन कार्यक्रमों में सुधार करने हेतु कार्यवाही ।	Step for improvement of T.V. Programmes of Delhi Station . .	110
9826.	स्वतंत्र तामिलनाडु राज्य की मांग ।	Demand for Independent Tamilnadu State	110
9827.	दरियागंज दिल्ली के घरेलु कर्मचारियों द्वारा हिन्दी पार्क के एक व्यापारी के निवास के बाहर प्रदर्शन ।	Demonstration by Domestic Servants of Daryaganj, Delhi outside the residence of a Businessman in Hindi park	111
9828.	गांधी नगर दिल्ली में डेयरी के मालिक की हत्या ।	Murder of Dairy Owner in Gandhi Nagar, Delhi	111-112
9829.	जनकपुरी में टेलीफोन/तार सुविधाओं का उपलब्ध न होना ।	Non-availabilitty of Telephone/ Telgraps facilities in Janakpuri .	112-113
9830.	केरल में पिछड़े क्षेत्रों का विकास ।	Development of Backward Areas in Kerala	113
9831.	वर्ष 1973-74 में केरल और तमिलनाडु में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार ।	Employment for Educated Unemployed in Kerala and Tamilnadu in 1973-74	113
9832.	केरल में उप-डाकघर और शाखा-डाकघर ।	Sub-Post Office and Branch Post Office in Kerala . . .	113-114
9833.	केरल में पुनालार स्थित कागज का कारखाना ।	Paper Mill at Punalar in Kerala	114
9834.	केरल के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना ।	Grant of Pension to Freedom Fighters from Kerala . .	115

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9835.	"ट्विन बम्बई प्रोजेक्ट" के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता।	Central Assistance sanctioned for "Twin Bombay Project"	116
9836.	सहकारी समाचार पत्रों के प्रकाशन पर समाचार पत्रों में सुधार के लिए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा रखी गई मांगें।	Demands put forward by Indian Federation of Working Journalists for Press Reforms in publication of Co-operative Newspapers.	116-117
9837.	आयुध कारखानों में जासूसी करने के आरोप पर श्री राजेश बसु की गिरफ्तारी।	Arrest of Rajesh Basu for spying in the Ordnance Factories	117
9838.	कुओं के निर्माण के लिए गुजरात को सीमेंट का आवंटन।	Allocation of Cement to Gujarat for construction of Wells	117-118
9839.	गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्नातकों, शिक्षित सफाई कर्मचारियों और विकलांग स्नातकों को रोजगार।	Employment for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Graduates, Educated Scavangers and Handicapped Graduates Gujarat	118-119
9840.	भारत में हिप्पियों की संख्या।	Hippies in India.	120
9841.	बेरोजगारी की समस्या को हल करने संबंधी योजनाओं के लिए राज्यों को राज सहायता की अदायगी।	Payment of Subsidy to States for Schemes to solve Unemployment	120
9843.	सरकारी कर्मचारियों के मामले में हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रवर्तन।	Enforcement of Hindu Marriage Act in the case of Government Employees	120-121
9844.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियरों को केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिवों के रूप में नियुक्त करना।	Chief Engineers of C.P.W.D. appointed as Joint Secretaries in Central Secretariat	121
9845.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य की योजनाओं के लिए धन दिया जाना।	Financing of Andhra Pradash State Plans by Centre	121-122
9846.	बेरोजगारी की समस्या हल करने की अवधि।	Period for solving the Unemployment Problem	122
9847.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की मेगनेटो-हाइड्रोडाईनेमिक्स की परियोजना।	Magneto-Hydrodyanmics Proljects of Bhaba Atomic Research Centre	122-123
9848.	राज्यों में कार्य कर रहे डाकघर।	Post Offices working in States	123-124
9849.	"इंटरपोल" को दी गई वित्तीय सहायता।	Financial assistance given to Interpol	124—126
9850.	बिहार में संकटग्रस्त कारखानों का फिर से खोला जाना।	Reopening of Sick Factories in Bihar	126

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9851.	राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया प्रति व्यक्ति धन ।	Per Capita Outlay of Central Allotment to States · · ·	126-127
9852.	पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए धन का आवंटन ।	Allocation of Funds for Scheduled Castes and Scheduled Tribes during Five Year Plans · ·	127-128
9853.	उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन ।	Implementation of Development Schemes in Backward Areas of Orissa	128
9854.	श्री कल्याण बसु द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन किये जाने की जांच ।	Enquiry into violation of Foreign Exchange Regulations by Shri Kalyan Basu · · · · ·	128
9855.	भारत के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने संबंधी शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य ।	Statement by Sheikh Abdullah *Re*: use of Force against India · · ·	129
9856.	ब्रिटेन में श्री मूंधड़ा द्वारा किये गये पूंजीनिवेश के सम्बन्ध में प्रतिवेदन ।	Report on the Investment by Shri Mundhra in U. K. · · ·	129
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance · · ·	130-136
	इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बंगालियों की गिरफ्तारी का समाचार ।	Reported arrest of Bengalees in Islamabad by Pakistan authorities ·	
	श्री इन्द्रजीत गुप्त ।	Shri Inderjit Gupta	130
	श्री स्वर्ण सिंह ।	Shri Swaran Singh · ·	130-136
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	136-137
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति		Committee on Private Member's Bills and Resolutions · · ·	137
	27वां प्रतिवेदन	Twentry-seventh Report	137
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित ।		Taxation Laws (Amendment) Bill—*Introduced*	137
नियम 377 के अन्तर्गत मामले :		Matters under Rule 377 · ·	138-140
(एक)	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में एक सदस्य के प्रति डाक्टरों की उपेक्षा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी एक आंख की ज्योति चली गई, के बारे में ।	(*i*) *Re* : Negligence of Doctors in A.I.I.M.S. towards a Member causing loss of vision in an eye	138-140
(दो)	भारत सरकार, सिक्किम के चोग्याल और सिक्किम के राजनीतिक दलों के बीच हुए समझौते के बारे में ।	(*ii*) *Re*:Agreement between Government of India, the Chogyal of Sikkim and Political Parties of Sikkim · · ·	140

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	(तीन) कपाडिया के नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड को अपने नियन्त्रण में लेने के प्रयास के बारे में।	*(iii) Re* : Kapadia's attempt to get control over National Rayon Corporation Ltd.	140
	पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव।	North-Eastern Hill University Bill Motion to consider	140—154
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	141
	श्री सुधाकर पाण्डे	Shri Sudhakar Pandey	141-142
	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav	142
	श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	142-143
	श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	143
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha	143—145
	श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	145
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	145-146
	प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	146—152
	खंड 2 से 42 और 1—	Clauses 2 to 42 and 1	149—152
	पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में।	Motion to pass, as amended	153
	श्री सांगलियाना	Shri Sangliana	153
	श्री मधु लिमये	Shri Manhdu Limaye	153
	श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	154
	प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	154
	दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक।	Code of Criminal Procedure Bill	154—162
	विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	155
	श्री रामनिवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	155-156
	श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Jorder	156—158
	श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	158-159
	श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	160—162
	भारत सरकार, सिक्किम के चोग्याल और सिक्किम के राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच हुआ करार।	Agreement between Government of India, the Chogyal of Sikkim and Leaders of Political Parties of Sikkim	162
	भूमी सुधारों का कार्यान्वयन	Implementation of Land Reforms	162—165
	आधे घन्टे की चर्चा।	Half-an-Hour Discussion	162
	श्री समर गह	Shri Samar Guha	162-163
	श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	164-165

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 9 मई, 1973/19 वैशाख, 1895 (शक)

Wednesday, May 9, 1973/Vaisakha 19, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली की दुकानों में बिना लाइसेंस विदेशी शराब की बिक्री

*1021. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री यमुना प्रसाद मंडल } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1973 के समाचारपत्र "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "शाप्स सेलिंग फारेन लिकर विदाउट लाइसेंस" "(दुकानों में बिना लाइसेंस विदेशी शराब की बिक्री)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने उक्त समाचार देखा है।

(ख) समाचार में कही गई विदेशी शराब अथवा भारत में बनी विदेशी शराब की दिल्ली में बिक्री से सम्बन्धित एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

विदेशी शराब अथवा भारत में बनी विदेशी शराब बेचने के लिए सभी 28 दुकानों को 30 जून, 1973 तक लाइसेंस दिये हुए हैं और दिल्ली में कोई बिना लाइसेंस की दुकान नहीं है ।

1972-73 में और 30 जून, 1973 तक की अवधि के लिये दिल्ली प्रशासन एक महीने से तीन महीने की अवधि के लिए इन दुकानों के लाइसेंसों का नवीकरण करता रहा है। दिल्ली प्रशासन के अनुसार यह इस लिए करना पड़ा क्योंकि विदेशी शराब और भारत में बनी विदेशी शराब की दुकानों को लाइसेंस देने से सम्बन्धित नीति का पुनरीक्षण किया जा रहा था ।

सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि दिल्ली में शराब की दुकानों के मालिकों से अनुचित लाभ उठाया गया है अथवा कार्यकारी पार्षदों ने शराब विक्रेताओं से कोई निजी लाभ उठाया है। आरोप निराधार है।

सरकार ने मई, 1972 में कुल मिलाकर हानिकारक शराब की खपत और नशे के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए कुछ संशोधनों के साथ दिल्ली में नशा बन्दी की विद्यमान योजना जारी रखने का निश्चय किया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु: वक्तव्य में कहा गया है कि ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि दिल्ली में शराब की दुकानों के मालिक से अनुचित लाभ उठाया जा रहा है या कार्यकारी पार्षद उनसे निजी तौर पर लाभ उठा रहें हैं। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया कि दिल्ली में शराब के लिए लाइसेंस मासिक अथवा त्रिमासिक आधार पर क्यों दिये जा रहे हैं जबकि ये सामान्यत: वार्षिक आधार पर दिये जाते हैं। क्या ये शराब की दुकानों के मालिकों से धन ऐंठना चाहते हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: सभा को यह याद होगा कि जनवरी 1972 में मिलावटी शराब से कुछ मौतें हो गई थीं। इसके बाद बावेजा आयोग नियुक्त किया गया जिसने इस दुर्घटना के कारणों की जांच की थी। उस आयोग की सिफारिशों में से एक यह भी थी कि पहले से जारी किये गये लाइसेंसों से की ध्यानपूर्वक जांच की जाये और उन्हें सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नवीकृत न किया जाये। ऐसी जांच कराई गई और दिल्ली प्रशासन ने हमें बताया कि जांच हाल ही में पूरी हुई है। इस जांच के दौरान ये लाइसेंस अल्प अवधि के लिए नवीकृत किये गये थे जैसा कि सामान्यत: नहीं किया जाता है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि शराब की नयी दुकानें खोली जायें या उनकी वर्तमान संख्या 28 या 27 तक ही सीमित रखा जाये, यह नीति का मामला है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय को पता है कि दिल्ली में विदेशी शराब कई गुणा अधिक मूल्य पर बेची जा रही है। यह तस्करी की शराब है और ऐसी शराब का मूल्य बम्बई अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसके क्या कारण हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इसका पता नहीं है। मैं अपने मित्र बसु को जानकारी देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, न केवल कुछ दुकानें बिना लाइसेंस के विदेशी शराब बेच रही हैं बल्कि कुछ गुप्त संगठन भी विदेशी शराब में मिलावट करने का काम करते हैं जिसका जन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या सरकार को इसका पता है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्रीमान्, मैं ने बताया है कि कोई भी दुकान बिना लाइसेंस के नहीं चल रही है। यदि मिलावट करने वाले संगठनों को ठीक जानकारी माननीय सदस्य दें, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

Dr. Kailash : May I know whether it is a fact that no licence will be given to private parties and the Delhi Administration will itself run the liquor shops ; and the time by which all the liquor shops will be taken over by the Delhi Administration ?

Shri K. C. Pant : As regards the country liquor shops, they are run by the Delhi Administration. But the shops of foreign liquor or Indian made foreign liquor are run by private parties and licences are issued to them for the purpose.

श्री ए० के० एम० इसहाक : मंत्री महोदय ने बताया कि दिल्ली में अल्प अवधि के लिए लाइसेंस दिये जा रहे हैं। इससे लाइसेंसधारियों को परेशानी होती है, क्या यह नीति दिल्ली में चलती रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

Shri Nawal Kishore Sharma : I would like to know whether the sale of liquor without licence is increasing in Delhi while in other States it is increasing with liceuce; and if so whether it if a definite change in Governments policy of prohibitien.

Mr. Speaker : It does not arise out of the original question.

नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलों के लिए आधुनिकीकरण योजनाएं

*1024. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलों की आधुनिकीकरण योजनाओं पर वित्तीय परिव्यय की राशि कितनी है;

(ख) आधुनिकीकरण योजनाओं का इन मिलों के उत्पादन और लाभ पर अनुमानित प्रभाव क्या है; और

(ग) इन मिलों को चलाने के लिए सरकार ने इस समय कितनी धनराशि खर्च की है तथा इन मिलों के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने कितनी धनराशि नियत की है;

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) से (ख) : मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

(क) 103 टैक्सटाइल मिलों, जिनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, की आधुनिकीकरण योजना पर आने वाला अनुमानित व्यय 41·32 करोड रु० है।

(ख) आधुनिकीकरण के बाद इन मिलों के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है लेकिन इस स्थिति में उसकी मात्रा बता सकना सम्भव नहीं है।

(ग) 31 मार्च, 1973 तक केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इन मिलो को चलाने के लिए 20·53 करोड रु०का ऋण दिया गया है। उनकी ठीक-ठीक भावी आवश्यकता इस समय नही बताई जा सकती। किन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को इन मिलों की अग्रेतर आवश्यकता पूरी करने के लिए करीब 22 करोड रु० की आवश्यकता होगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : विवरण से ऐसा पता लगता है कि सरकार मिलों के आधुनिकीकरण के लिये कार्यवाही कर रही है। क्या सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है और क्या इससे उत्पादन बढ़ेगा ? क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मिलों के प्रबन्ध-ग्रहण के बाद उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है ? क्या सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे भविष्य में ये मिल पुन: रुग्ण न बनें।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इन संकटग्रस्त मिलों को चलाने और उन्हें लाभ की स्थिति में लाने का सरकार का एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। सरकार ने उद्योग विकास और विनियम अधिनियम (इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन एक्ट) के अन्तर्गत जिन 47 मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ मे लिया था उनमे आधुनिकीकरण की योजना कुछ हद तक लागू हो गई है और उनके उत्पादन में 15 प्रतिशत वृद्धि होगी। उनमें कुल लाभ 6.25 करोड़ रुपये का होगा। संकटग्रस्त मिल प्रबन्ध अधिनियम (सिक मिल्स मेनेजमेंट एक्ट) 1972 के अन्तर्गत जो 46 मिल लिये गये हैं, उसके सम्बन्ध में योजना तैयार कर ली गई है।

श्री नवल किशोर शर्मा रुग्ण मिलों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में आ जाने के बाद उनका लाभ बढ़ा है। इससे अनुमान होता है कि कुप्रबन्ध के कारण ये मिल रुग्ण हुए थे। यदि यह सच है तो ऐसे क्या उपाय किये जा रहे हैं जिससे ये मिल पुनः रुग्ण न बन जायें ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी जिससे इन मिलों पर पुनः आर्थिक संकट न आये।

श्री नवल किशोर शर्मा : न केवल इन मिलों के बारे में, बल्कि सभी मिलों के सम्बन्ध में।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जो मिल रुग्ण नहीं है वे इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं।

श्री रघुतन्दन लाल भाटिया : जिन 103 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने परिव्यय रखा है क्या उनमें दयालबाग स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, अमतसर और हेमला एमब्रायडरी मिल्स, अमृतसर भी सम्मिलित है ; यदि हां, तो उनके लिए कितनी-कितनी राशि निर्धारित की गई है और उनमें उत्पादन कब तक आरम्भ होगा।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा लिये गये मिलों के बारे में है। सभी मिलों से उसका सम्बन्ध नहीं है। किन्तु उनका दूसरा प्रश्न ठीक है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैंने पूछा था कि इन मिलों मे उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जिन मिलों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया है उनमें से कुछ अगले वर्ष चल जायेंगे।

प्रो० मधु दंडवते: आधुनिकीकरण की योजनाओं के साथ-साथ क्या सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कार्यक्रम को व्यापक बनायेगी जिससे वह रुई खरीद सके, सूत उत्पादन कर सके और उसका समुचित वितरण कर सके ताकि कृत्रिम आमद और कृत्रिम संकट दूर किये जा सकें।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस बात पर ध्यान दिया जायेगा और इस दिशा में कुछ उपाय किये भी जा चुके हैं।

Shri Ram Singh Bhai Verma : According to your modernisation programme what will be the spindle capacity and does this modernisation programme include the provision for automatic looms ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : विद्यमान मिलों की तकुओं की क्षमता 29.3 लाख है और करघा-क्षमता 47,725 है।

श्री एस० आर० दामाणी : चूंकि सभी उद्योगों और विशेषकर कपड़ा उद्योग जैसे उपभोक्ता उद्योगों के लिए आधुनिकीकरण बहुत ही आवश्यक है, इसलिए, क्या मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री से

सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए उचित और रियायती दरों पर पर्याप्त वित्त प्रदान कर का अनुरोध किया है, जिसे भी वित्त की आवश्यकता हो ?

श्री प्रणव कुमार मुखजी : मैं कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण की बात कर रहा हूं ।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं न केवल उन मिलों की बात कर रहा हूं जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नियंत्रण में हैं बल्कि मैं सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग की बात कर रहा हूं ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : वस्त्र उद्योग वाणिज्य मंत्रालय का विषय है ।

श्री एस० बी० गिरि : रुग्ण मिलों के सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण के बाद कितने मिलों में लाभ हो रहा है और क्या उनके श्रमिकों को न्यूनतम बोनस दे दिया गया है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, श्रम को युक्तियुक्त बनाने की 95 लाख रुपये की योजना है । इसमें से 16 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं । पहले प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं । उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत कुल 47 मिल सरकारी नियंत्रण में लिये गये हैं । उनके लिए राशि नियत की जा चुकी है । इनमें से कुछ लाभ कमा रहे है ।

श्री जगन्नाथ राव : क्या रुग्ण मिलों का आधुनिकीकरण इस बात को ध्यान में रखकर किया जायेगा कि वे निर्धन और मध्य वर्ग के लोगों के लिए मोटा और मध्यम दर्जे का कपडा तैयार करें ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री जगन्नाथ राव : निर्धन लोगों के लिए हमें अधिक कपड़ा निश्चित रूप से बनाना चाहिए ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : चनसाधारण के उपभोग की आवश्यकता पर हम ध्यान देंगे और हम इस प्रकार के कपड़े के उत्पादन को बढ़ायेंगे ।

कागज तथा कागज उत्पादों के मामलों में आत्म निर्भरता

***1026. श्री आर० के० सिन्हा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश को कागज तथा कागज उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

विवरण

कागज और कागज उत्पादों के वर्तमान उत्पादन से देश की बहुत काफी मांग पूरी हो जाती है ।

पांचवीं योजना के अन्त तक मांग 13.5 लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशा है जिसके लिये 5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ेगी । इस सम्बन्ध में उठाए गये कुछ महत्वपूर्ण कदम ये हैं :—

(क) एक द्रुत-प्रभावी कार्यक्रम बनाया गया है जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन होने की उम्मीद है ।

(ख) निम्नलिखित लुग्दी और कागज परियोजनाएं स्थापित करने के लिये दि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की स्थापना की गई है :—

	क्षमता
1. नागालैंड कागज और लुग्दी परियोजना	30,000 मी० टन प्रतिवर्ष
2. नौगांव कागज और लुग्दी परियोजना	80,000 —वही—
3. कछार कागज और लुग्दी परियोजना	50,000 —वही— जिसको पुनरीक्षित करके 80,000 मी० टन तक किए जाने की संभावना है ।

(ग) लुग्दी और कागज के लिए 10 लाख टन से ऊपर क्षमता उत्पन्न करने हेतु लाइसेंस/आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

उपर्युक्त से यह दिखाई देगा कि कागज और कागज उत्पादों की मांग पूरी करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्री आर० के० सिन्हा : वक्तव्य में कागज और कागज के उत्पा का वर्तमान उत्पादन तथा देश की मांग को पूरा करने के बारे में जानकारी दी गई है । सप्लाई या निर्माण की कमी को देखते हुए क्या और अधिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हमने पांचवीं योजना में 5 लाख टन के उत्पादन की योजना बनाई है और कुछ प्राइवेट पार्टियों को लाइसेंस दिए हैं । हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन जो एक सरकारी निगम है, देश के विभिन्न भागों में कागज और लुग्दी के कारखाने स्थापित कर रहा है ।

श्री आर० के० सिन्हा : निगम इन कारखानों की स्थापना नागालैण्ड, नवगोंग और कछार में कर रहा है । पर इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, कुमाऊं और अन्य क्षेत्रों में भी कागज के उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है । फिर उत्तर प्रदश में गोंडा और बहराइच जैसे स्थान हैं जो जंगल के पास है तथा वहां कागज के कारखाने स्थापित करने की मांग भी की जा रही है । क्या मंत्रालय देश में कागज की कमी को ध्यान में रख कर इस पर विचार करेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हम निजी फर्मों को 68 लाइसेंस और आशय पत्र जारी कर चुके हैं जिन्होंने अभी उत्पादन शुरू नहीं किया है । यदि ये उत्पादन शुरू कर दें तो वह बढ़ कर 10 लाख टन हो जायेगा इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन देश के पूर्वी भाग में तीन कारखाने लगा रहा है जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1.90 लाख टन होगी । अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री आर० के० सिन्हा : विवरण में अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है । जारी किए गये 68 लाइसेंसों के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों में कारखाने लगाए जायेंगे इसका विवरण नहीं दिया गया है ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सभी क्षेत्रों को एक साथ नहीं लिया जा सकता । उनका कच्चे माल की उपलब्धता के सम्बन्ध में उचित सर्वेक्षण किया जायेगा तथा उसके बाद उसके उपयोग के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया जायेगा ।

श्री एस० ए० कादर : देश में लघु उद्योगों के रूप में हाथ से कागज बनाने वाली अनेकों फैक्टरियां हैं। कागज की वर्तमान कमी को देखते हुए क्या सरकार का विचार इन फैक्टरियों को संगठित करने और मदद देने का है, जिससे एक सीमा तक देश में कागज की कमी को पूरा किया जा सके ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस समय कागज की बहुत अधिक कमी नहीं है तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निजी फर्मों और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा स्थापित किए जाने वाले कारखानों की क्षमता से हमारी आवश्यकता पांचवीं योजना में पूरी हो जायेगी।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न कागज का उत्पादन घरेलू उद्योगों में करने का था। वहाँ कागज के उत्पादन में अत्यधिक लागत आती है अत: वे केवल कुछ विशेष प्रकार का कागज ही बना सकते हैं, पुस्तकों आदि के लिए आवश्यक सामान्य कागज नहीं। अत: उन्हें उसी क्षेत्र तक सीमित रहना पड़ेगा तथा केवल बड़े कारखानों में ही इस किस्म का कागज बना सकता है।

Shri Jagannath Mishra : There is shortage of paper in the country and, beside that, certain sick mills are there. Certain factories are under construction but they are not being completed. For example, there is a factory in Darbhanga which still under construction even after the lapse of a number of years. Is there any scheme before the Government to start these factories ? If so, when it will be implemented ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जिन निजी फर्मों को लाइसेंस दिए गयें हैं उनमें से कुछ ने उनका उपयोग इसलिए नहीं किया है क्योंकि कागज उद्योग में बहुत कम लाभ है।

श्री विक्रम महाजन : कागज के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश में काफी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कागज का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी? माननीय मंत्री ने अभी-अभी बताया कि कुछ लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया गया। क्या सरकार इन लाइसेंसों को रद्द कर सरकारी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा स्थापित किए जाने वाले कारखानों के सम्बन्ध में मैं बता चुका हूं। यह स्वाभाविक है कि अप्रयुक्त लाइसंसों को रद्द कर दिया जायेगा। कच्चे माल की उपलब्धि के बारे में, जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी ने बताया, इसका पूरा सर्वेक्षण किया जाता है।

दिल्ली से तारों के सम्प्रेषण में विलम्ब

*1027. **श्री शशि भूषण**
श्री एम० एम० जोजफ } क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार कर्मचारियों की "धीरे काम करो" नीति के कारण अप्रैल, 1973 के दौरान राजधानी में तार सम्प्रेषण में गम्भीर रूप से विलम्ब हुआ था, और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). दिल्ली सहित कुछ सर्किलों में टेलीग्राफिस्टों के एक वर्ग ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में अपना तथाकथित

असन्तोष व्यक्त करने के लिए करीब दो हफ्तों तक धीमे काम करो का आक्रामक रवैया अख्तियार किया। उन्होंने अब सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप कुछ शहरों में तारों के परिणाम में विलम्ब होने के मामले जानकारी में आए हैं। तथापि स्थिति अब सामान्य है। जनता को अनावश्यक रूप से असुविधा न हो, इस बारे में उनकी जानकारी के लिए समाचार पत्रों में इस आशय की सूचनाएं प्रकाशित करवा दी गई थीं कि "तारों के पारेषण में विलम्ब हो सकती है"।

Shri Shashi Bhushan : How much loss has been sustained by the government due to the call of 'work to rule' by the class three workers of All India Telegraph Trunk Union and whether some of their demands have been accepted ? Are they now working normally ?

Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : The Union never gave this call but the associate workers and members started 'go slow' campaign. The Union advised them to stop this and this took about two weeks.

So far as the loss is concerned, in those days 40 percent of the telegrams were going from Delhi, they were not sent and no profit and loss was caused due to non-sending of service telegrams, which were 20 per cents.

So far as their demands are concerned, they were angry because the Pay Commission has recommended that their pay scales should be equal to those of the clerks and not more. On this it was not justified to stop work and it was also not accepted. Government did not have any negotiations with them and I am happy that they themselves realised the mistake and started working properly.

Shri Shashi Bhushan : Sir, you have also received the memoranda a regarding the demands of the Union. In British times also they were getting more. In those days, generally Anglo-Indians were working in this department. Their resentment is justified if they get less than or even equal to clerks. I want to know whether this is the reason why the employees responsible for the delivery of telegrams in Gwalior and other areas refuse to work ?

Shri H. N. Bahuguna : Telegram messengers did not create any trouble. Person who has informed the hon. members has not given the full information. Only the telegraphists created the trouble.

Shri Ramavatar Shastri : Why there is discontentment among the telegraph workers ? The main trouble was about pay scales. I want to know whether the pay scale of an overseas telegraphist is more than an internal telegraphist ? Have in protest of the same, the ordinary telegraphists demanded the pay equal to them ? Memorandum were also submitted to the Minister and the Prime Minister. What action is being taken on that ? On this very factor rests the question of contentment and discontentment. Why all the persons are not given the same pay scale ? What is the reason for this difference in pay ? Is this way to bring about socialism ?

Shri H. N. Bahuguna : Socialism requires hard labour. Being a socialist, I think the hon. member would ask the members to work hard.

So far as pay scales are concerned, his information is correct. All these facts were before the Pay Commission. Government is going into the recommendations of the Commission and in due course a final decision would be taken.

श्री पी० एम० मेहता : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में कर्मचारियों ने धीमे काम करने की नीति नहीं अपनाई थी बल्कि उनके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार काम करना शुरू किया था और क्या सरकार इसे किसी नियम के अन्तर्गत अपराध मानती है या नहीं? यदि हां, तो नियमानुसार काम करने की नीति अपनाने के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इस बात को सर्वथा अस्वीकार करता हूं कि कर्मचारी नियमानुसार कार्य कर रहे थे। सरकार नीति के रूप में कम से कम कार्यभार निर्धारित करती है। इसका यह अर्थ

नहीं कि इससे किसी सरकारी कर्मचारी पर अधिक से अधिक काम करने पर किसी प्रकार की रोक लग जाती है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में युवकों की सेवाओं की संगठित करने और उनका उपयोग करने के लिए प्रायोगिक परियोजना

*1029. **श्री बसन्त साठे :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखाग्रस्त अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाने के लिए देश में युवकों की सेवाओं को संगठित करने और उनका उपयोग करने के लिए कोई प्रायोगिक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस कार्य हेतु महाराष्ट्र के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) "अकाल राहत में युवकों का सहयोग" (यूथ अगेंस्ट फेमिन) के नाम से सरकार ने एक विकास-उन्मुख शैक्षिक कार्यक्रम मंजर किया है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) कार्य शिविरों महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों को 14,70,195 रुपये की राशि मंजूर की गई है । इन शिविरों में 8250 विद्यार्थी तथा 2720 विद्यार्थी इतर व्यक्ति काम करेंगे ।

विवरण

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में युवकों की सेवाओं को संगठित करने और उनका उपयोग करने के लिए पायोगिक परियोजना

मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों तथा ऐच्छिक संगठनों के सहयोग से अकाल राहत में युवकों का योगदान (यूथ अगेंस्ट फैमिन) स्कीम का आयोजन किया जा रहा है । कार्यान्वियन अभिकरण विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा एकक होंगे ।

उद्देश्य :

स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

—विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ग्रामीण स्थिति की वास्तविकताओं से प्रत्यक्षरूप से अवगत कराकर, उनकी शैक्षिक शिक्षा में वृद्धि करना ।

—राष्ट्रीय निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए युवकों को सुविधाएं प्रदान करना ।

—विद्यार्थी तथा अध्यापक वर्ग अपनी कुशलता तथा जानकारी को अपने आसपास के जन-समुदाय की सेवा में उपयोग में ला सकें, इसके लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान कराना ।

निर्माण परियोजनाएं :

विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को जिन निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने का काम हाथ में लिया जायेगा वे इस प्रकार की होनी चाहिएं कि निर्धारित अवधि में पूरी की जा सकें । परियोजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह भागीदारों की क्षमता, सामर्थय और संसाधनों से पूरी हो सकें । इस प्रकार की परियोजनाएं जब पूरी हो जायें तो उन्हें सामुहिक परिसम्पत्ति बना दिया जायें ।

सरकार से जब यह आश्वासन मिल जाये कि परियोजनाएं पूरी होने पर उनके रखरखाव की जिम्मेदारी वह निभायेगी, तभी इस प्रकार के निर्माण कार्य आरम्भ किए जायें ।

1973 की गरमी की ऋतु में इस स्कीम के अन्तर्गत एक लाख विद्यार्थियों काम करेंगे । इनमें से 75000 विश्वविद्यालयों व कालेजों से लिए जायेंग और बाकी विद्यार्थी-इतर युवावर्ग से । एक हजार शिविर आयोजित किए जायेंगे और प्रत्येक शिविर में 100 युवक होंगे । ये शिवर अप्रैल से जुलाई, के बीच आयोजित किए जाएंगे । प्रत्येक शिविर की अवधि 25 दिन होगी । यदि किसी स्थान पर बड़ी निर्माण परियोजना आरम्भ की जाये तो उक्त स्थान पर क्रमिक शिविरों का आयोजन किया जाय ।

प्रत्येक शिविर में पहले दो दिन तथा आखिरी दो दिन क्रमश: विवरण देने तथा अभिनवीकरण तथा मूल्यांकन और समापन के लिए रखे जायेंगे । बाकी दिन वास्तविक रूप से कार्य दिवस होंगे जब कि सदस्य दिन के समय निर्माण परियोजनाओं में कार्य करेंगे । अवकाश के समय विद्यार्थी तथा अध्यापक ग्राम समुदाय से परामर्श कर कार्य करेंगे और उन कार्यों को आरम्भ करेंगे जिनमें वे अपनी कुशलता तथा जानकारी का उपयोग कर सकें । उदाहरण के रूप में इस प्रकार के कार्यक्रमों में हैं अनौपचारिक शिक्षा, ग्राम सफाई कार्य, भूमि सुधारों का अध्ययन, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर बैंक राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव और अनाज व्यापार आदि के राष्ट्रीयकरण के बाद अनाजों के वितरण तथा बिक्री से संबंधित समस्याएं ।

वित्त

इस स्कीम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है । धन सीधा विश्वविद्यालयों को दिया जायेगा और वे कालेजों को धन देंगे ।

श्री बसन्त साठे : मेरा प्रश्न देश के सभी युवावर्ग के सम्बन्ध में था, न कि केवल छात्रों के सम्बन्ध में । इस तथ्य को देखते हुए कि युवक देश की बड़ी शक्ति है, उन्हें अधिकाधिक रोजगार देने के उद्देश्य से तथा सरकार का विचार उनकी शक्ति का उपयोग देश की बड़े समय से अपूर्ण पड़ी परियोजनाओं, जैसें राजस्थान नहर आदि, को पूर्ण करने के लिए करने का है ? क्या सरकार एक लाख युवकों के लिए केवल 25 दिन के लिए शिविर आदि लगाने जैसी योजनाओं के बजाय इस प्रकार की योजना पर विचार करेगी ? हमें भारत सेवक समाज के शिविरों का पूर्व अनुभव है । क्या इन बड़ी परियोजनाओं पर एकाग्रचित से काम किया जा जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि युवकों का ऐसी योजनाओं के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाये । पर क्योंकि यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है और क्योंकि महाराष्ट्र के परिव्यय के सम्बन्ध में पूछा गया था, मैंने ये आंकड़े दिए थे ।

श्री बसन्त साठे : मैंने पूछा था कि क्या सरकार ने सूखाग्रस्त अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में कार्यक्रम चालू करने के लिए युवकों की सेवाओं का उपयोग करने के कोई मार्गदर्शित परियोजना गठित कर रही है । राजस्थान तथा अन्य भागों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अक्सर सूखाग्रस्त और अकाल ग्रस्त रहते हैं । प्रश्न देश भर में युवकों की शक्ति का उपयोग करने का था । महाराष्ट्र का नाम तो अनायास आ गया था । मैंने योजना मंत्री को लिखा है कि हम (राजस्थान नहर के कार्य को, जिसमें लाखों युवकों को खपाया जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाये । इस प्रकार की परियोजना के बनने में अभी कितना समय और लगेगा ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : हमें प्रश्न को दो भागों में बांटना चाहिए । जहां तक देश के विकास सम्बन्धी कार्यों में युवकों के उपयोग का प्रश्न है, हम इस उद्देश्य को प्राप्त करने में उनके साथ हैं । योजना आयोग इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय से चर्चा कर रहा है । इस प्रश्न पर मैं माननीय सदस्य से व्यौरेवार चर्चा करना चाहता हूं ।

जहां तक प्रश्न के अन्य भाग का सम्बन्ध है, उस कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय अपने हाथ में ले रहा है।

इसलिए उत्तर में प्रश्न के केवल उस भाग का ही उत्तर दिया गया है। लेकिन, जैसे कि मैंने कहा, उपयोगिता के महान, प्रश्न, युवावर्ग को देश के निर्माण और विकास कार्यों में लगने, का बड़ा महत्व है और योजना आयोग में इस पर अच्छी तरह प्रकार ध्यान दिया जा रहा है।

श्री पी० जां० मावलंकर : श्री साठे ने सामान्य युवावर्ग के विषय में प्रश्न पूछा था, न कि विशेषत: विद्यार्थियों के विषय में, लेकिन मंत्री महोदय ने मुख्यत: विद्यार्थियों के सन्दर्भ में ही उत्तर देना उचित समझा। क्या सरकार इस तथ्य से अवगत नहीं है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में राष्ट्रीय सेना छात्र दल (N.C.C) और राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) विद्यमान हैं ? क्या कारण है कि सरकार ने नये संगठन बनाने की अपेक्षा इस राष्ट्रीय सेवा योजना को अतिरिक्त सहायता नहीं दी ? दूसरे युवक विद्यार्थियों के अतिरिक्त अनेक युवा संगठन हैं। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अभाव की समस्याओं से झूझने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को तुरन्त अतिरिक्त सहायता देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जिससे कि वे अकालग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं को समय पर प्रभावशाली ढ़ंग से पूरा कर सकें ?

श्री मोहन धारिया : सदस्य महोदय को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ये सभी योजनायें राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं हैं और इसके लिए विश्वविद्यालयों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है और ये योजनायें विश्वविद्यालयों द्वारा (N.S.S) के माध्यम से संचालित की जा रहीं हैं।

जहां तक युवा संगठनों का प्रश्न है, देश में अनेक युवा संगठन हैं और उनमें से किसी का भी पता लगाना कठिन है। कदाचित विश्वविद्यालय सम्भवत: सर्वश्रेष्ठ अभिकर्ता हैं और हम संभवत: देश के उस सर्वश्रेष्ठ अभिकरण को उपयोग में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री भगवत झा झा आजाद : क्या सरकार के लिए पिकनिक योग्य और प्रदर्शनात्मक योजनों में अन्तर कर पाना सम्भव है। जहां दल के चले जाने के बाद कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और वे योजनायें जिन्हें समाज के सम्मुख रखने के बाद कुछ ठोस कार्य करके दिखाया जा सके ? आजकल जिन योजनाओं को हाथ में लिया जाता है, दल के स्थान छोड़ने के तुरन्त बाद उनका पता भी नहीं लगता। क्या सरकार ऐसी योजना लागू करने का प्रस्ताव कर रही है जहां युवा वर्ग को संचालित किया जा सके और कार्य समाप्त होने पर उन्हें उस स्थान पर देखा जा सके ?

श्री मोहन धारिया : शिक्षा मंत्रालय ने, यह योजना बनाते समय भूतकाल में होने वाली त्रुटियों को ध्यान में रखा है। केवल उन्हीं योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है जिनके रख-रखाव के लिए राज्य सरकार राजी हुई हैं। राज्य सरकारों और इन आगे आने वाले युवा संगठनों में समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं

1030. **श्री जगन्नाथ मिश्र**
श्री एम० एस० पुरती } **: क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष योजनाएं बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). पांजवीं योजना जनजाति क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए इन क्षेत्रों के समेकित विकास पर बल देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी योजनाएं तैयार करें जो पांजवीं योजना की अग हों। इस प्रयोजन से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित सहायक क्षेत्र से धन उपलब्ध होगा। जनजाति क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए हैं अतएव शिक्षा, पेय जल सम्भरण, पोषाहार, स्वास्थ्य परिचर्या आदि से सम्बन्धित न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रमों से काफी धन-राशि सुनिश्चित की जायेगी। प्रशासनिक ढांचे तथा कार्मिक-नीति को ऐसी दिशा प्रदान की जायेगी कि वे जनजाति क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी कर सके।

Shri Jagannath Mishra : Sir, it appears from the government reply that the govt. clearly takes interest in the development of tribal areas. Then I want to know whether the targets fixed for their development in the Fourth Five year Plan would be possible to achieve and if not, then the reasons there for.

श्री मोहन धारिया : प्राप्त सूचना के अनुसार, चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों में से अधिकांश की पूर्ति हो जायगी।

Shri Jagannath Mishra : Mr. Speaker Sir, the Govt. have requested the State Govts. that they should propose a Plan for the proper development of tribal areas and submit then to the Central Govt. On this basis I would like to know from the govt. whether the govt. have received such plans from the state govts and if so which these states are plans which have been prepared or are being prepared, govt. are considering what workable changes in the administrative set-up and personal policy for their implementation.

श्री मोहन धारिया : पांचवीं पंच वर्षीय योजना के कार्यक्रमों में संशोधन किया जा रहा है। कुछ राज्यों के अपने कार्यक्रम निर्धारित कर लिए हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार को दे दिया है। योजना मत्रालय में उनका परीक्षण हो रहा है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : वे राज्य कौन कौन से हैं ?

श्री मोहन धारिया : अभी मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। हमने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि जन-जाति के विकास के लिए सामूहिक क्षेत्रीय-विकास परियोजनाओं का होना बहुत आवश्यक है। हमने अपने मार्ग-दर्शक निदेशों में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है और हम उस बात में पूरी सावधानी बरत रहें हैं कि ये जन-जाति क्षेत्र और इन जन-जाति समुदाय के लोगों के साथ पांजवीं योजना में उचित न्याय हो।

Shri M. S. Purty : May I know the plans at present being carried out for the development of tribal Communits and future the plans that will be formulated by the Government for the future I would also like to know whether the central govt. have advised the state govts. specially the state govts. of Bihar, Bengal, Orissa and M.P. to formulate special plans and if so, the details thereof.

श्री मोहनधारिया : आजकल करीब 484 प्रखंड हैं जहां ये योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स योजना के अतिरिक्त, अनेक अन्य योजनाएं यथा, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, बालिका छात्रावास और जनजाति के लोगों के विकास के लिए अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं। जहां तक पांचवीं पंच वर्षीय योजना का सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकारों को दिये गये मार्ग दर्शक निदशों में इस बात का विशेष आग्रह और बल दिया है कि जन-जाति के लोगों और देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों का भी विशेष ध्यान रखा जाये।

श्री दिनेन भट्टाचार्या : यह समस्या केवल कुछ छात्रावास बनाने या पिछड़े हुए वर्गों के लिए यत्र-तत्र कुछ प्रबन्ध कर देने से हल नहीं हो सकती। मुख्य समस्या पिछड़े हुए वर्गों और जन-जाति के लोगों में भूमि वितरण की है। जन-जाति और पिछड़े हुए लोगों के पास आजकल जो भूमि है उसे बड़े जमीनदार और निहित स्वार्थ वाले लोग उनसे न छीन लें, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मोहन धारिया : केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि वे ऐसे लोगों की, जिनके पास भूमि है' रक्षा करें और यह ध्यान रखें कि उन्हें उनकी जमीन से वंचित न किया जाये। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार, जिसमें भूमि की चकबन्दी भी सम्मिलित है, अनेक राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जा रहे हैं। कुछ राज्यों ने अपने निजी कानून बनाये हैं यह सच है कि केन्द्रीय सरकार उनके लागू करने के तरीकों से प्रसन्न नहीं है। हमने बार-बार इस बात को दोहराया है और बल दिया है कि जब तक ऐसे लोगों कों भूमि नहीं दी जायेगी तब तक उनको उनकी भूमि पर पुनस्थापित करना हमारे लिए सम्भव न होगा।

श्री डी० बसुमतारी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उद्योगों और परियोजनाओं को स्थापित करने से जिन जन-जाति के लोगों को उनके घर और पारिवारिक जीवन से वंचित कर दिया गया था, उनको भूमि के एवज में भूमि दिलाने के लिए जो समिति नियुक्त की जा रही है क्या उसको कोई निर्देश निये गये हैं ? उनके रहने के भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पर विचार किया जायगा और योजना में उन विस्थापितों को गृह-निर्माण के भूमि दिलाने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम इन समस्याओं से भली भांति अभिज्ञ हैं। हम राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि देश में जन-जाति के लोगों को भली भांति सामाजिक न्याय दिलाने में हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे।

श्री डी० बसुमतारी : मैं विशेषत: विस्थापितों के बारे में कह रहा हूं।

श्री मोहन धारिया : सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार जब कोई उद्योग स्थापित किया जाता है, तब उद्योगपति से उन विस्थापित लोगों का ख्याल रखने के लिए भी कहा जाता है।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has said about giving of land and employment to forest-dwellers and tribals. That is correct. But, will the hon. Minister issue from earlier any circular or direction to the State Govts to the effect that the traditional rights of forest dwellers and tribes as regards the wood of Harkhaiada, Gharkhauda and Jalawan because at present they have been debarred of these rights and foresters harres ; them ? Hon. Minister is aware of the condition of Mahwa. They have nothing to eat. Please make arrangements for it also.

श्री मोहन धारिया : हम माननीय सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

Shri Madhu Limeye : Will the Minister reply to the question or not that the govt. wil safeguard the traditional rights of these people or not ?

श्री मोहन धारिया : हम इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे । मैं प्रस्ताव का परीक्षण किये बिना तुरन्त कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Madhu Limye : I am not giving proposal, I am asking a questicn. Tradional rights of these people have been recognised. It is a question only of the implementaticn. Will the hcn. Minister take action in the matter ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : महोदय, ये विषय मुख्यत: राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । पूर्ण सम्मान के साथ, मैं यह कहूंगा कि तथ्यों को जाने बिना हमारे लिए कुछ कहना असंगत होगा । माननीय सदस्य ने आदिवासियों की प्राप्त परम्परागत अधिकारों को पुन: दिलाने और उन्हें बनाये रखने के बारे में प्रश्न उठाया है, जोकि उनके पास है और वे निरन्तर उनके पास बने रहने चाहिए । मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहुंगा कि उनके द्वारा उठाये गये प्रश्न के सन्दर्भ में स्थिति का परीक्षण करने के पश्चात् हम इस विषय में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे ।

Shri E. V. Vekhe Patil : State govts. are not giving attention to the development of tribal areas. They have not prepared any plan to this effect, and if they have made any they have not implemented them. In such, a situation what will be the policy of the govt. of India ? I would like to know whether the Planning Commission has considered to create an independent eall for the full development of the tribal areas in the country, or not ?

श्री मोहन धारिया : राज्य सरकारों से आने वाले पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों का परिनिरीक्षण करते समय हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों और वहां के लोगों को वांछनीय सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

श्री पी० एम० सैयद : आदिवासी क्षेत्रों के विकास का प्रश्न अकसर उठाया जाता है, लेकिन जहां तक संचार अथवा यातायात सुविधाओं का सम्बन्ध है, वे निम्न स्तर की भी प्रदान नहीं की जातीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री पी० एस० सैयद : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार सदन को यह विश्वास दिलायेगी कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से यह आग्रह करेगी कि निर्माण कार्यों के प्रवधानों पर अधिकाधिक ध्यान दिया गया है ।

श्री मोहन धारिया : हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री महानराज कलिंगरायर : दक्षिण में अनेक आदिवासी क्षेत्र हैं, मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उनके लिए क्या कार्यक्रम और आर्थिक मदद की व्यवस्था है और वे इन आदिवासियों क्षेत्रों का किस प्रकार विकास करेंगे, विशेषत: तमिल नाडू में ।

श्री डी० पी० धर : पांजवीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण करते समय हमने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख कर दिया है कि देश के किन्हीं भागों में आदिवासियों की आबादी की उन्नति और संगठन के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा और इसके लिए हमने राज्य सरकारों से निश्चित योजना बनाने के लिए निवेदन किया है । हम आशा करते हैं कि हमारा यह निश्चित प्रयास रहेगा कि वे

योजनाएं पूरी तरह से लागू हों और आदिवासी लोगों के विकास और उन्नति के लिए व्यय का जो विशिष्ट प्रयोजन रखा गया है वह वास्तव में उन्हीं पर खर्च किया जाये और उससे उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हो। इसमें तमिलनाडु के आदिवासियों की समस्याएं भी स्वभावत: सम्मिलित होंगी।

श्री पी० वेंकटासुबैया : उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आदिवासियों के विस्तृत भूभाग हैं जो शताब्दियों से कुछ शहरी लोगों द्वारा आर्थिक शोषण किये जाने के कारण नक्सलवादियों की गतिविधियों का आखेट स्थल बन गये हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग ने इस पर सुनिश्चित विचार किया है और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के निकट वर्ती भूभाग में रहने वाले आदिवासी लोगों के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है।

श्री डी० पी० धर : जहां तक नक्सली बुराईयों का सम्बन्ध है, वे केवल आदिवासियों को ही कष्ट नहीं पहुंचाती, दूसरे लोग भी इसके शिकार हुए हैं। लेकिन मैं इस माननीय सदन को यह विश्वास दिलाऊंगा कि पांजवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए एक पूर्ण और समुचित कार्यक्रम गठित करने का हमारा सुप्रयास होगा।

Shri Phool Chand Verma : Hon Minister has just now stated that position about different states out of M. P., Bihar, Orisa, which have been discribed, so far in M. P. every third person is either a scheduled caste or a tribal out of the whole population of M. P. one third is that of tribals. People of Baster area do not know what is rail. There are no means of Communication. It has just now been stated that the govt. is taking advise of the state govts for the Fifth Five Year Plan. Taking advise of state govts. is very good, but keeping in view the backwardness of M. P., what ever amount is being allotted in the Fifth five year plan, is the maximum part of that being considered on M. P., or not ?

श्री डी० पी० धर : जिन मानदण्डो के आधार पर अनेक राज्यों को केन्द्रीय धनराशि के बटवारे का निर्धारण किया जायेगा वह नितान्त निम्न है और उन्हें किसी प्रकार आदिवासियों के कल्याण के प्रश्न के साथ सम्बद्ध नहीं करना चाहिए। यह एक विशिष्ट विषय है जिस पर विशेष ध्यान देना होगा और पांचवीं योजना में इस तथ्य पर गौर किया जायेगा और हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि केन्द्र अथवा राज्य-योजना के अन्तर्गत जो भी धन-राशि निर्धारित की जाय वह वस्तुत में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यय की जाय।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मत्री महोदय को इस बात का ज्ञान है या नहीं कि कुछ निहित स्वार्थ वनों को नष्ट करने के लिए इन आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो वे इस प्रकार गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले से ही इस बात का भय था। प्रश्न प्रासंगिक होना चाहिए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, यह एक प्रासंगिक प्रश्न है। इस पहलू को अभी किसी ने नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन गतिविधियों को वे किस प्रकार नियंत्रित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि मुख्य प्रश्न क्या है। आप कृपया मुख्य प्रश्न को पढ़ें। मैं आपकी बात पर बाद में विचार करूंगा।

श्री परिपूर्णानन्द पेनुली : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि देश में 484 जनजाति प्रखंड हैं। यह सत्य है या नहीं कि प्रत्येक प्रखंड में दो प्रखंड विकास अधिकारी हैं और इन प्रखंडों पर दुगना व्यय किया जा रहा है और यदि ऐसा है तो क्या मंत्री महोदय इन जनजाति प्रखंडों के ढ़ाचे का पुनर्गठन करेंगे ताकि आदिवासी लोगों के संगठित विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके ?

श्री डी० पी० धर : मैं इस दोष का अनुभव करता हूं कि मेरे पास प्रत्येक प्रखंड के प्रशासनिक ढांचे के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। स्पष्टत: हमें प्रशासनिक ढांचे पर अधिक धन व्यय नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत विकास कार्यों के व्यय पर अधिक बल देना चाहिए। यह एक अपवादहीन सिद्धान्त है जिसे हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : आदिवासियों के हितों की रक्षा अथवा अभी तक उनके सुनिश्चित सन्तोषजनक विकास की असफलता की पृष्ठभूमि में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जोकि देश का एक विशाल संस्पर्शी एवं सघन आदिवासी-जनसंख्या का क्षेत्र है के सीमावद्ध संगठित संगठित अथवा विकास के लिए किसी प्रकार के निकाय अथवा अधिकरण के गठन पर विचार किया है ताकि उनके आर्थिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक हितों और विकास को भी सुनिश्चित किया जा सके।

बिहार के आदिवासी क्षेत्र छोटा नागपुर और संथूल परगना के विकास बोर्डों के प्रति परामर्श अथवा सुझावों के रूप में केन्द्र का प्रत्यक्षत: क्या योगदान रहा है ?

श्री डी० पी० धर : हमने एक प्रश्न के उत्तर में पहले ही निवेदन किया है कि आदिवासी और जनजाति लोगों के विकास के प्रति सामुहिक दृष्टिकोण अपनाना ही अधिक प्रभावशाली कदम होगा। इसलिए उस सीमा तक, हम सदस्य महोदय के सुझाव से पूर्ण सहमत हैं। हमने बिहार सरकार को संथल परगना और छोटानागपुर के विकास के लिए विस्तृत निदेश दे दिये हैं। छोटा नागपुर के लिए एक बोर्ड कार्य कर रहा है और विस्तार से मैं यह कह सकता हूं कि आदिवासियों के पूर्ण विकास के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के जहां तक राजनीतिक पहलू का सम्बन्ध है मैं इसे सदस्य महोदय पर ही छोड़ता हूं।

योजना आयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए उसमें विशेषज्ञों और व्यवसायियों को शामिल किया जाना

1031. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को सुदृढ़ करने के लिये उसमें विशेषज्ञों और व्यवसायियों को शामिल करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे विशेषज्ञ सरकार के परामर्शदाता या सलाहकार होंगे; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) पांचवीं योजना के दृष्टिकोण दस्तावेज़ में ऐसे मुख्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है जिनमें योजना कार्यान्वयन में सुधार के लिए मुख्य प्रयास करने की आवश्यकता है। परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था की प्रगति का सतत प्रबोधन किया जाय; विशेषकर इस्पात, बिजली, तेल, उर्वरक, सिंचाई आदि मुख्य क्षेत्रों में। साथ ही इन क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आंकड़ों का गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण किया जाय तथा प्रगति में सुधार के लिए समुचित उपायों की सिफारिश की जाय। इन कार्यों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग एक उच्च स्तरीय प्रबोधन तथा मूल्यांकन एकक स्थापित करने का विचार कर रहा है तथा परियोजना मूल्यांकन तथा उद्योग और खनिज प्रभागों का पुनर्गठन करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने का विचार भी कर रहा है

ताकि परियोजना का अच्छा मूल्यांकन, अभिनिर्धारण तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। कुछ परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इससे सम्बन्धित प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

श्री एम० एस० संजीवीराव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि योजना आयोग में अधिकांश नौकरशाह हैं और विशेषज्ञ बहुत कम हैं और इसलिए वास्तव में योजना आयोग भी भारत सरकार के अन्य मंत्रालय या विभाग की तरह ही है जिसके फलस्वरूप देश को कमी की अर्थ व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है ? वस्तुतः योजना के 20 वर्षों के पश्चात् भी पीने के पानी, उर्वरकों, बिजली आदि की कमी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने योजना आयोग को केवल आयोजन के लिए ही नहीं अपितु उसके किसी एक भाग को कार्यान्वित करने हेतु ही, और सशक्त बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं।

श्री डी० पी० धर : योजना आयोग के अधिकारियों के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए कठिन हो गया है लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि योजना आयोग में केवल नौकरशाह ही नहीं है। इसमें विशेषज्ञ भी हैं। फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप में मैं नौकरशाह बिल्कुल नहीं हूं। दूसरा प्रश्न अपने स्वरूप में कही अधिक सामान्य है, जो देश में योजना की प्रक्रिया के कार्य संचालन के बारे में है। मैं यह निश्चय से कह सकता हूं कि इस देश में इतना अधिक विकास और लक्ष्य पूर्ति योजना के कारण ही हुई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु एक विशेष सैल की व्यवस्था

*1022. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों सम्बन्धी अध्ययन करने तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए योजना मंत्रालय में एक विशेष सैल खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के अध्ययन तथा कार्यान्वयन के लिए योजना मंत्रालय में एक विशेष सैल गठित करने के सम्बन्ध में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। योजना आयोग का विचार है कि मूलतः पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए स्थानीय क्षमताओं, समस्याओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर समेकित नीतियों के निर्धारण तथा संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता है। इस प्रयोजन से अपेक्षित विस्तृत आयोजन का कार्य केवल राज्य स्तर पर ही उठाया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व अनिवार्यतः राज्य सरकारों को सौंपा गया है। परन्तु योजना आयोग ने राज्यों में योजना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक स्कीम आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय/जिला आयोजन के लिए राज्य स्तर पर एक यूनिट की स्थापना की जायेगी। आशा है कि यह यूनिट आयोजन सम्बन्धी समस्याओं तथा पिछड़े क्षेत्रों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान देगा।

3—M 350 LSS/73

नागा विद्रोहियों से चीन में बने हथियारों का पकड़ा जाना

*1023. **श्री के० मालन्ना**
श्री मुहम्मद शरीफ } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "चायनीज आर्मस सीज्ड फ्राम नागा रिबेल्स" (नागा विद्रोहियों से चीन में बने हथियारों का पकड़ा जाना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) विद्रोहियों के भूमिगत निभृत स्थान की तलाशी और उनकी गिरफ्तारी के दौरान चीन में बने हथियार व गोलाबारूद बरामद किये गये थे । स्थानीय लोगों की जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है और भूमिगत विद्रोहियों की गतिविधियों पर पूर्णतः नियंत्रण रखा हुआ है ।

पटना में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

*1025. **श्री सी० टी० दण्डपाणी**
श्री पी० ए० सामिनाथन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1973 के प्रथम सप्ताह में पटना में दस पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए थे वे भारत के रास्ते बंगला देश से पाकिस्तान को भागने का प्रयास कर रहे थे, और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके पास कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) पटना में किसी ऐसी गिरफ्तारी की सरकार को कोई सूचना नहीं है । फिर भी, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 13 गैर बंगाली मुस्लमानों को भारत में अनधिकृत प्रवेश करने पर 11 अप्रेल, 1973 को जिला चम्पारन में रक्सौल चौकी पर गिरफ्तार किया गया था जब वे बंगला देश से नेपाल जा रहे थे । गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में ढाका कालेज का एक अध्यापक था । बीमा कम्पनी के एक अधिकारी के अतिरिक्त कोई उच्च अधिकारी गिरफ्तार नहीं किया गया था । उनसे बरामद किए गए पत्रों में सुरक्षा हित को कोई बात प्रकट नहीं होती है । इन व्यक्तियों के विरूद्ध विदेशियों के लिए अधिनियम के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल की जा रही है । बताया जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति हिरासत में हैं ।

Research on Making Tea Perfumed and Easily Soluble

*1028. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) whether any research has been made in Calcutta to make tea perfumed and easily soluble;

(*b*) whether an amount of Rs. 7,90,200 has been spent in this research upto the year 1971 and

(*c*) if so, the amount of success achieved so far ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technolongy (Shri C. Subramaniam) :

(*a*) Research on preparation of soluble tea (instant tea) with special semphasis on retention of natural tea flavour has been carried out by the Calcutta University at the instance of Tea Board.

(*b*) The total amount spent on this research at the Calcutta University upto the year 1970 is Rs. 3,25,500/-.

(*c*) As a result of the researches conducted at the Calcutta University it has been possible to develop methods for production of acceptable qualties of soluble tea using blak tea or green tea leaf as raw material.

पांचवीं योजनावधि के अन्त में देश में निकल धातु की मांग को पूरा करने के लिए कार्यवाही

*1032. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के अन्त में देश में निकल धातु की अनुमानित वार्षिक मांग कितनी होगी और इस सामरिक महत्व की धातु को मांग की पूरी करने के लिए योजना आयोग का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) क्या योजना आयोग को इस बात का पता है कि उड़ीसा राज्य के सुकिन्दा क्षेत्र में निकल का उत्पादन करने के लिए कारखाने की स्थापना की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 और पांचवीं योजना अवधि में इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किन प्रावधानों का सुझाव दिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : **(क) तथा (ख)** योजना आयोग द्वारा गठित किए गए अभियान दल ने पांचवीं पंचवर्षीय तोजना के अंत में (1978-79 में) निकल की मांग का अनुमान 11457 मीट्रिक टन लगाया है। इस मांग का कुछ अंश देश में एक निकल कारखाना स्थापित करके पूरा किया जाएगा। यह कारखाना सुकिन्दा निकल भंडारों विकास पर आधारित होगा।

(ग) निकल परियोजना के विकास के लिए धनराशि हिन्दुस्तान तांबा निगम की बजट व्यवस्था में से दी जाएगी। 1973-74 में मार्गदर्शी संयंत्र परीक्षणों, भेदन (ड्रिलिंग) तथा आधार भूत अध्ययनों पर लगभग तीस लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। पांचवीं योजना में इस परियोजना के लिए किए जाने वाले आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस परियोजना के पांचवीं योजना के अंत तक पूरी तरह तैयार हो जाने की आशा है।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं

*1033. **श्री गदाधर साहा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने औद्योगिक कारखाने चल रहे हैं तथा उनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है

(ख) क्या उनके मंत्रालय का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि पिछड़े जिले के रूप में चुने गए पूरे जिलेम परियोजना क्षेत्र का विस्तार किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो उन जिलों के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है, जिन्हे इन परियोजनाओं के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना से कितने व्यक्तियों को लाभ होगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अधीन दिनांक 31 मार्च 1972 तक 33,600 औद्योगिक एककों को सहायता दी गई । इन एककों में लगभग 1,46,700 लोग रोजगार में लगे हुए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1971 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार 15,000 की आबादी वाले नगरों को छोड़कर ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम का कार्य 54 जिलों के समस्त क्षेत्र में चलाया गया । पांचवीं योजना के दौरान योजना आयोग ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने हेतु 57 पिछड़े नए जिलों को स्वीकृत प्रदान की है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 3.75 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है ।

दिल्ली में टेलीफोन के दोषपूर्ण तार

*1034. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में टेलिफोन के दोषपूर्ण तारों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं,

(ख) क्या सरकार ने दोषपूर्ण तारों की सप्लाई के बारे में जांच की है और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े औद्योगिक गृहों दवारा संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश

*1035. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक गृहों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है कि संयुक्त क्षेत्र योजना के अधीन नये उपक्रमों में वे पूंजी निवेश कर सकते हैं और सरकार प्रबन्ध व्यवस्था में सम्मिलित होने के बारे में कोई आग्रह नहीं करेगी और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के कारण बड़े औद्योगिक गृह संयुक्त एककों में पूंजी निवेश के प्रति कहां तक प्रोत्साहित हुये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि यह बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा संयुक्त क्षेत्र में नए कारखाने लगाने पर प्रबन्धकीय सहभागिता पर जोर नही देगी । इसके विपरीत दिनांक 2 फरवरी, 1973 के प्रेस नोट में जिसकी प्रतियाँ लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं० 281,

दिनाँक 21-2-73 के उत्तर के साथ संलग्न की गई थीं, के पैरा 11 में कहा गया है कि संयुक्त क्षेत्र के सभी विभिन्न एककों में, सरकार नीति निर्धारक नीतियों व्यवस्था में संचालन, प्रत्येक मामले के लिए निश्चित उपर्युक्त नमूने व तरीके अपनाने के सम्बन्ध में प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करेगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उन लिपिकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन जिनके मामले संघ लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिये थे

*1036. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन लिपिकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिये जिनके मामले संघ लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिये थे, भर्ती नियमों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रभावित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) चूंकि उन लिपिकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिये, जिनके मामले संघ लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिये थे, भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिये कोई ऐसा सामान्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, निर्वाचन आयोग ने उनके द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए 36 निम्न श्रेणी लिपिकों की सेवाओं को विनियमित करने के प्रश्न को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्दिष्ट किया है । इस मामले पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में विचार किया जा रहा है ।

Irregularities in Trunk Booking in Bihar

1037. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has recently been drawn to a large number of irregularities regarding trunk booking in Bihar ;

(b) whether complaints have been received to the effect that Patna-Dhanbad, Dhanbad-Ranchi, Ranchi-Patna-Patna Jamshedpur and several other trunk lines remain out of order for weeks together and ;

(c) if so, the action being taken by Government in this regard and the time by which the said lines are proposed to be covered under the direct dialling scheme ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Only a few complaints from individuals were received regarding irregularities in trunk booking in Bihar.

(b) No complaints were received regarding Patna-Dhanbad, Dhanbad-Ranchi, Ranchi-Patna, Patna-Jamshedpur and several other trunk lines remaining out of order for weeks together.

(c) Does not arise. Direct trunk dialling on the important trunk routes in Bihar already exists. Subscriber, Trunk dialling facility also exists on a few routes and schemes to provide this facility on a few more routes have been approved.

Administrative Set Up for Delhi

*1038. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether in his speech at a meeting of Members of ruling party of Delhi Metropolitan Council, it has been stated by him that it is being considered to provide a new administrative set-up for Delhi ;

(b) whether a decision is also proposed to be taken to reduce the number of administrative organisations in Delhi ; and

(c) if so, the time by which final decision would be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b) The Home Minister mentioned that the present arrangement involving a multiplicity of agencies like Delhi Administration, Delhi Development Authority, Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Committee was likely to cause both delay and difficulties of co-ordination. Therefore, the question of reducing the number of agencies and simplifying the arrangement was deserving of consideration.

(c) A decision will be taken as early as possible.

अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों की स्थापना करने हेतु प्रौद्योगिकी के आयातकों को प्रोत्साहन

*1039. **चौधरी राम प्रकाश : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी के आयातकों द्वारा अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों की स्थापना करने हेतु, उन्हें प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी नहीं । विदेशी सहयोग के सभी मामलों में जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो, यह अनुबन्ध बनाया गया है कि सहयोग समझौते की अवधि में आयातित प्रौद्योगिकी के अवशोषण के लिए एक अनुसंधान और विकास एकक खोला जाये । परन्तू हाल की आयात व्यापार नियन्त्रण नीति, अप्रैल, 1973 के अनुसार अनुसंधान और विकास कार्य में संलग्न संस्थानों/व्यक्तियों के लिए, चाहे वे राजकीय या निजी क्षेत्र के हों, आयात संबंधी कुछ रियायतों की घोषणा की गयी है । यह आवश्यक है कि ये संस्थान अनुसंधान और विकास कार्य के लिये 25,000 रुपये मूल्य की कच्छी सामग्री/उपस्करों के आयात संबंधी रियायतों का लाभ उठाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में पंजीकरण करवायें । इन संस्थाओं को निःशुल्क विदेशी मुद्रा के स्थान पर कच्ची सामग्री, उपकरण इत्यादि के लिए अनुज्ञप्तियाँ प्रदान की जायेंगी । इन सीमाओं के अतिरिक्त इन संस्थानों को अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिये पूंजीगत उपस्कर, प्रायोगिक संयंत्र इत्यादि के आयात की भी अनुमति दी जायेगी । यह प्रयोग की विशिष्टता तथा ऐसी सुविधाओं का देश में उपस्थित उपलब्ध न होने की दशा पर निर्भर होगा ।

बड़ौदा नगर में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता

*1040. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़ौदा नगर में एक पुराना टेलीफोन एक्सचेंज है,

(ख) क्या बड़ौदा में इस समय जितने टेलीफोन हैं वे बड़ौदा और उसके आप-पास तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक समूह की आवश्यकता की तूलना में बहुत अपर्याप्त हैं, और

(ग) स्थिति को तुरन्त सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बड़ौदा टेलीफोन प्रणाली में 4 टेलीफोन एक्सचेंज हैं । उन एक्सचेंजों में कुल 5200 लाइनों की क्षमता है । इनमें से बड़ौदा मुख्य एक्सचेंज की सिर्फ 1200 लाइनें ही इतनी पुरानी हैं कि उनके बदलने का औचित्य सिद्ध होता है ।

(ख) देश की सभी बड़ी टेलीफोन प्रणालियों की तरह बड़ौदा टेलीफोन प्रणाली में भी टेलीफोन कनेक्शनों की माँग टेलीफोन कनेक्शन देने की क्षमता से ज्यादा है ।

(ग) (i) बड़ौदा एक्सचेंज के पुराने उपस्कर की जगह नया उपस्कर लगाने की योजना पहले ही बनाई जा चुकी है । यह काम वर्ष 1974 के अन्त तक पूरा हो जाएगा ।

(ii) सरकार ने बड़ौदा एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने की योजनाएं पहले से बना रखी हैं । 3000 लाइनों के एक नय आटोमैटिक एक्सचेंज की स्थापना की जा रही है । इस एक्सचेंज के वर्ष 1974 में चालू होने की संभावना है । ऐसा प्रस्ताव है कि इस एक्सचेंज का उत्तरोत्तर और विस्तार किया जाय और वर्ष 1978 तक इसकी क्षमता बढ़ाकर 7000 लाइनें कर दी जायें । उस समय तक विस्तार करने या नये एक्सचेंज खोलने की अन्य योजनाएं भी पूरी हो जायेंगी और तब बड़ौदा टेलीफोन प्रणाली की कुल क्षमता बढ़कर 13,800 लाइनें हो जावेंगी जबकि तारीख 31-3-1973 को बड़ौदा में कुल 9870 टेलीफोन कनेक्शनों की माँग थी ।

आकाशवाणी द्वारा भारतीय संगीत की अपेक्षा विदेशी संगीत को प्राथमिकता देना

9657. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या सरकार को पता है कि कुमारी लता मंगेशकर जैसे अन्य विख्यात गायक आकाशवाणी के लिए गाने के क्षेत्र को छोड़ देने की सोच रहे हैं, क्योंकि संगीत और नाटक सम्बन्धी आकाशवाणी के प्राधिकारी विदेशी संगीत और विदेशियों द्वारा कार्यक्रम देने को भारतीय संगीत तथा नाटक के कार्यक्रमों पर तरजीह देते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी नहीं । सरकार को ऐसी किसी खबर की जानकारी नहीं है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन

9658. **श्री हीरालाल डोडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नें रुपये 1300-55-1850 और रुपये 700-40-1100 के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के लिय समाचारपत्रों में विज्ञापन दिए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन भिन्न-भिन्न वेतनमानों में अगल-अलग नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हेतू कितने व्यक्तियों को बुलाया गया था; और

(ग) इस साक्षात्कार का क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसरी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) वेतनमान	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये व्यक्तियों की संख्या
1300-55-1850 रु०	13
700-40-1100 रु०	2

(ग) कोई भी अभ्यार्थी उपयुक्त नहीं पाया गया । इन पदों को भरने के लिये प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के दल द्वारा तैयार की गई योजना

9659. **श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मूल वैज्ञानिक अनुसंधान का काफी भाग विश्वविद्यालययों और इसी प्रकार के संस्थानों में हो रहा है और अनुसंधान के लिये इन संस्थानों में बहुत ही कम उपकरण हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में मूल अनुसंधान का पता लगाने के लिय व्यवस्था की स्थापना करना और मानदंड निर्धारित करने का है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति के दल द्वारा कोई योजना तैयार की गई है और यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति का शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विश्वविद्यालययों तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों में मूल अनुसंधान के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं है । अतएव इस दल ने यह सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालयों, भारत के प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई० आई० टी०) तथा ऐसे अन्य संस्थानों के मूल अनूसंधान संबंधी क्रिया कलापों को समुचित रूप से निधि प्रदान करने के लिए एक योग्य प्रणाली बनाई जाय । यह सिफारिश विचाराधीन है ।

Upliftment of the Silk Industry in M. P.

9660. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Goverment have requested the Central Government to give financial assistance to the State for the upliftment of the silk industry ; and

(b) if so, the amount of assistance asked for and the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) : The Madhya Pradesh Government provided a sum of Rs. 24·50 lakhs for develop-

ment of sericulture in its proposals for the annual plan outlay for 1973-74. The total plan outlay which was proposed by the Madhya Pradesh Government at Rs. 208·24 lakhs for village and small industries was finally approved at Rs. 180 lakhs. The provision for sericulture has also been reduced to that extent pro-rata.

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा गुजरात में अम्बर चरखों के लिए प्रायोगिक योजना

9661. श्री वरके जार्ज : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अपने वर्ष के विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में गुजरात के विद्युतचालित अम्बर चरखों के लिये कोई प्रायोगिक योजना आरम्भ करने पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में रह रहे विदेशी व्यक्ति

9662. श्री भागीरथ भंवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग, प्रत्येक देश के कितने-कितने विदेशी रह रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजधानी के पुलिस दल का आधुनिकीकरण

9663. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के पुलिस दल को आधुनिक बनाने के लिए कोई नए कदम सरकार ने उठाए है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उठाये गये नये कदमों की मुख्य बातें तथा हुई प्रगति इस प्रकार है :—

(i) दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की संख्या के त्रैवार्षिक पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है । इस पुनरीक्षण के आधार पर कर्मचारियों की संख्या में और वृद्धि करने पर विचार किया जायगा ।

(ii) दिल्ली पुलिस के परिवहन और वायरलैस उपकरण की संख्या में और वृद्धि की गई है और अगले प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(iii) जमुना-पार कालोनियों में पुलिस थानों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है और पुलिस जिलों के पुनर्गठन की परीक्षा की जा रही है ।

(iv) जटिल मामलों के विशेषज्ञ छान-बीन के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष शाखा स्थापित की गई है ।

(v) नियन्त्रण-कक्ष और वायरलैस कार्य का आधुनिकीकरण किया गया है ।

(vi) पुलिस बल के सदस्यों को सेवा में शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(vii) कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए आवश्यक सुविज्ञता से सुजज्जित करने और एक प्रजातांत्रिक समाज की अवश्यकताओं को पूरा करने के उनके दृष्टिकोण को पुनः निश्चित करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, महरौली में चलाये जा रहे प्रशिक्षण के स्वरूप को निरन्तर बदला जा रहा है ।

Upliftment of Nomadic Tribes

9664. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether there are some nomad communities in the country and their standard of living will continue to remain such as long as Government do not formulate a concrete scheme for them ; and

(b) whether Government have made any effort to find out the number of such people in the country and if so, the steps taken by Government for their uplift ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) With the schemes being implemented for the welfare and uplift of the nomadic and semi nomadic tribes it is expected that their standard of living will improve. The total population of the Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes is not known as it is not enumerated separately in the Census. Their present population is, however, broadly estimated at 60 lakhs. Schemes for the uplift of these tribes were introduced in the IInd plan and have been continued ever since both in the Central and State sectors. [Placed in Library See No. L. T. 5019/73]

The following schemes have been undertaken for the benefit of these communities :—

Educatian	*Others*
1. Scholarships and stipends.	1. Agriculture including minor irrigation.
2. Grant of tuition and examination fees.	2. Animal husbandry.
3. Mid-day meals.	3. Poultry farms.
4. Ashram Schools, residential schools and hostels etc.	4. Cottage indstries.
	5. Cooperative.
	6. Rehabilitation/Colonisation/Housing.
	7. Community welfare centres, Balwadis, Sanskar Kendras.
	8. Drinking water wells.
	9. Mid-wifery training etc.

उप-सचिवों की चयन सूची बनाने के लिये चयन समिति या बोर्ड में सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति के एक अधिकारी का शामिल किया जाना

9665. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के आदेशों के अनुसार प्रत्येक चयन समिति अथवा बोर्ड में अनुसूचित जाति के एक अधिकारी को इसके सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उप-सचिवों के लिये चयन सूची बनाने हेतु गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में किन परिस्थितियों में शामिल नहीं किया गया था; और

(ग) क्या सरकार वर्ष 1973 के लिये चयन सूची बनाने के लिए गठित की जाने वाली चयन सूची में एक सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति के एक अधिकारी को शामिल करेगी चाहे इस प्रयोजन के लिये संयुक्त सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव के पद का ही एक अधिकारी उपलब्ध हो ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण से सबन्धित संसदीय समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की थीः

सिफारिश संख्या 14:

सभी चयन बोर्डों या नियुक्ति प्राधिकारियों को अपने बीच में अनुसूचित जाति/जनजाति के कम से कम एक सदस्य को शामिल करना चाहिए ।

सिफारिश संख्या 36

समिति यह महसूस करती है कि इन विभागीय समितियों (पदोन्नति, चयन आदि) में अधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा गठित की गई इन प्रत्येक समितियों में अनुसूचित/जाति/जनजाति के अधिकारी को भी शामिल किया जाना चाहिए ।

सामान्यतः विभागीय पदोन्नति समितियों तथा चयन बोर्डों के गठन में उपयुक्त पद तथा पृष्ठभूमि के विभागीय अधिकारियों को शामिल किया जाता है, जिसमें उप पद/पदों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाता है, जिनमें भर्ती/पदोन्नति की जानी है । यह हमेशा संभव नहीं हो सकता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों को उनमें शामिल किया जा सके । तथापि, कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27(4) (iii)/70-स्थापना (अन० जा०), दिनांक 2-9-1970 के अनुसार मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे विभागीय पदोन्नति समितियों आदि के लिए अधिकारियों का नामांकन करते समय यथा संभव संसदीय समिति की उक्त सिफारिशों को ध्यान में रखें ।

(ख) सांविधिक केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I तथा सलैक्शन ग्रेड में पदोन्नति) विनियम, 1964 के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलैक्शन ग्रेड के लिए चयन सूची तैयार करने हेतु चयन समिति में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव, भारत सरकार के तीन अन्य सचिव तथा संस्थापन अधिकारी शामिल होने आवश्यक हैं । चूंकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का कोई भी अधिकारी सचिव के पद का उपलब्ध नहीं था, अतः उस चयन समिति में, जिसने वर्ष 1972 के लिए चयन सूची तैयार की थी, किसी भी अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारी को सम्मिलित करना संभव नहीं था।

(ग) उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में चयन समिति के गठन के बारे में कहा गया है । समिति के गठन के समय अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार, वर्ष 1973 के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए अनुसूचित जाति के अधिकारी को शामिल करने के विषय में विचार किया जाएगा ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिलैक्शन ग्रेड के लिए चयन सूची

9666. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या प्रधान मंत्री सलैक्शन ग्रेड के लिए चयन सूची के बारे में 21 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4054 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलैक्शन ग्रेड (उप सचिव) के लिए चयन सूचियों के जारी करने में काफी विलम्ब होता है, सरकार ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं अथवा जारी करने का विचार है कि वर्ष 1973 के लिए चयन सूची अधिक से अधिक अक्तूबर, 1973 के अन्त तक जारी कर दी जानी चाहिये

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य शुरू कर दिया गया है, और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलैक्शन ग्रेड के लिए वर्ष 1973 की चयन सूची को यथाशीघ्र जारी करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं । चयन-सूची की संख्या पहले ही निर्धारित की जा चुकी है और प्रवरण समिति को गठन किया जा रहा है ।

मैसूर में लघु उद्योग के लिये इस्पात का कोटा

9667. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य का इस्पात को वह कोटा जो लघु उद्योग की गढ़ाई (फैब्रिकेशन) और निर्माण कार्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिये दिया गया है, बहुत ही कम है;

(ख) क्या राज्य की आवश्यकता प्रति तिमाही लगभग 15,000 टन है जबकि स्टील प्रायरिटी कमेटी केवल 2.5 प्रतिशत अर्थात् 1500 टन प्रति तिमाही ही आवंटित कर रहा है ;

(ग) क्या यह प्रतिशतता 1966-67 के दौरान किये गये कोटे के आधार पर निर्धारित की गई थी और बाद में राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ गई थी और उनको आवश्यकता पूरी करना संभव नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) मैसूर राज्य सहित पूरे देश में इस्पात के कच्चे माल की कमी है ।

(ख) मैसूर राज्य की इस्पात की वास्तविक आवश्यकता ज्ञात नहीं है । पिछली कुछ तिमाहियों में मैसूर राज्य को किया गया आवंटन निम्नलिखित है :—

स्टील प्रायरटी कमेटी "क" सूची इस्पात का प्राथमिकता के आधार पर किया गया आवंटन लाख टनों में

अवधि	लघु उद्योगों को किया गया कुल आवंटन	मैसूर राज्य को किया गया आवंटन			
		लघु उद्योग निगम	उद्योग निदेशक		कुल आवंटन में मैसूर राज्य का हिस्सा प्रतिशत
			लघु उद्योग एककों के लिए	योग	
जुलाई-सितम्बर '71	44,238	1221	—	1221	2.8
अक्तूबर-दिसम्बर '71	32,277	883	—	883	2.8
जनवरी-मार्च '72	45,959	1492	50	1542	3.4
अप्रैल-जून '72	66,579	1350	275	1625	2.5
जुलाई-सितम्बर '72	79,977	1741	257	1998	2.5
अक्तूबर-दिसम्बर '72	75,428	1509	320	1829	2.5
जनवरी-मार्च '73	77,869	1512	232	1744	2.3

(ग) और (घ) : राज्यवार आवंटन का निश्चय सयुक्त संयंत्र समिति/लोहा और इस्पात नियन्त्रक द्वारा विभिन्न प्रकार के इस्पात के विभिन्न राज्यों के लघु उद्योग निगमों द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकता के आधार पर उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

उपलब्धता के आधार पर लघु उद्योग एककों को कच्चे माल का अधिक आवंटन करने की दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ।

Hostels run by Christian Missianaries

9668. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of hostels being run by Christian Missionaries in the backward areas in Madhya Pradesh;

(b) whether the said hostels are located in the premises of Churches; and

(c) whether they are getting any grant from the Government and, if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministery of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (*a*) to (*c*) Information is being collected and will be laid on the Tabe of the House.

Setting Up Of Radio Stations In Tribal Areas Of Madhya Pranesh

9669. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh have requested the Centre to set up radio stations in the tribal areas like Bastar; and

(b) if so, the reaction of Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (*a*) & (*b*) : No, Sir. But radio stations are already being set up in the current Plan at various centres including a radio station at Jagdalpur in Bastar District to cover the tribal areas of Madhya Pradesh.

Application For Telephone Connections In Hoshangabad And East Nimad Districts Of Madhya Pradesh.

9670. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total nuber of applications received for providing telephone connections in Hoshangabad and East Nimad Districts to Madhya Pradesh during 1970-71 and 1972;

(b) the total number of applications disposed of; and

(c) the number of applications for telephone connections which are still under consideration and the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Number of applications received for providing telephone connections are as under :

	1970-71	1971-72
Hoshangabad	75	94
East Nimad	120	100

(b) All 389 applications have been disposed of.
(c) NIL.

योजना मंत्रालय के कार्यकरण सम्बन्धी मोनोग्राफ

9671. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के कार्यकरण के विषय में मंत्रालय ने गत तीन वर्षों में ऐसे कौन-कौन से मोनोग्राफ प्रकाशित किए जिनमें आम जनता दिलचस्पी रखती है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :

1970-71

(1) वार्षिक रिपोर्ट 1969-70 ।
(इसमें योजना आयोग द्वारा 1969-70 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्य-कलापों तथा अध्ययनों का हवाला दिया गया है)

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 ।

(3) वार्षिक योजना प्रगति रिपोर्ट 1968-69 ।

(4) वार्षिक योजना 1970-71 ।

(5) चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 ।
परिशोधित परिव्यय ।

(6) कोयला खान की आग से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट ।

(7) बेरोजगारी के अनुमानों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ।

(8) महानगरीय परिवहन सेवाओं सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट ।

(9) तकनीकी परामर्श दात्री सेवाओं सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट ।

1971-72

(10) वार्षिक रिपोर्ट 1970-71।
(11) वार्षिक योजना 1971-72।
(12) चौथी योजना मध्यावधि मूल्याँकन।
(13) चौथी योजना मध्यावधि मूल्याँकन--एक साराँश ।

1972-73

(14) वार्षिक रिपोर्ट 1971-72।
(15) वार्षिक रिपोर्ट 1972-73।
(16) पाँचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण ।
(17) रोजगार सुविधाएं ।
(18) पाँचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के कार्यकरण सम्बन्धी मोनोग्राफ

9672. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के कार्यकरण के विषय में मंत्रालय ने गत तीन वर्षों में ऐसे कौन-कौन से मोनोग्राफ प्रकाशित किये जिनमें जनता दिलचस्पी रखती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमनिण्यम) : इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई मोनोग्राफ नहीं प्रकाशित किया गया है ।

गत तीन वर्ष में संचार मत्रालय द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ

9673. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के कार्यकरण के विषय में मंत्रालय ने गत तीन वर्षों में ऐसे कौन-कौन से मोनोग्राफ प्रकाशित किये जिनमें आम जनता दिलचस्पी रखती है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : संचार मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई मोनोग्राफ प्रकाशित नहीं किया है ।

आंध्र प्रदेश के तहसीलदार

9674. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तहसीलदार की 1 नवम्बर, 1956 की सामान्य ग्रेडेशन सूची 14 वर्ष पश्चात् वर्ष 1970 में प्रकाशित की गई थी और उसे अभी भी क्रियान्वित किया जाना है ;

(ख) क्या इस ग्रेडेशन सूची के आन्ध्र क्षेत्र के कई व्यक्ति स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर बन गये हैं, जबकि सूची में उनसे वरिष्ठ तेलंगाना के व्यक्ति अभी भी अस्थायी डिप्टी कलक्टरों के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी सभी पदोन्नतियों की समीक्षा करने और उन्हें प्रकाशित अन्तिम ग्रेडेशन सूची के अनुरूप लाने का अनुदेश दिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश के तहसीलदारों की 1 नवम्बर, 1956 की अन्तिम सामान्य ग्रेडेशन सूची को वर्ष 1970 में प्रकाशित किया गया था । अन्तिम सूची के प्रकाशित होने तक, राज्य सरकार द्वारा पहले प्रकाशित की गई अन्तिम सूची के आधार पर पदोन्नतियाँ की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए कुछ अधिकारी जो अन्तिम सामान्य ग्रेडेशन सूची में कनिष्ठ हो गये, वे स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, जबकि उनसे वरिष्ठ अधिकारी अस्थायी डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे । श्री मोहम्मद वसी अहमद तथा अन्यों द्वारा दायर की गई 1970 की रिट याचिका संख्या 394 में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अनन्तिम सामान्य ग्रेडेशन सूची के आधार पर की गई अस्थायी पदोन्नतियों की समीक्षा न की जा सकी । उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गयी रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल, 1973 को यह निदेश देते हुए निपटान कर लिया गया है कि वर्ष 1970 में प्रकाशित की गई तहसीलदारों की अन्तिम ग्रेडेशन सूची के अनुसार 6 माह की अवधि के दौरान, पदोन्नतियों की समीक्षा की जाए । अन्तिम सामान्य ग्रेडेशन सूची के अनुसार ही पहले की पदोन्नतियों की समीक्षा करने के आवयश्क अनुदेश राज्य सरकारों को जारी किए जा चुके हैं ।

आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में डिप्टी कलेक्टर के पद का सिलैक्शन पद के रूप में घोषित किया जाना

9675. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में डिप्टी कलेक्टर का पद नान-सलेक्शन पद है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय में इस आशय का हलफनामा दाखिल करने के क्या कारण है कि यह पद सिलेक्शन पद है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अपने इस रवैये को सुधारने का निदेश दिया है और यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने इस निदेश का पालन किया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने 1967 की रिट अपील संख्या 167 में यह निर्णय दिया था कि आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में तहसीलदार के पद से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति वरीयता एवं दक्षता के आधार पर की जानी चाहिएर। तथापि, 1970 की रिट याचिका संख्या 394 द्वारा दायर किए गए हलफनामे में दिए गए निर्णय के राज्य सरकार के सामने आने से पूर्व राज्य सरकार ने बताया है कि डिप्टी कलेक्टर का पद लोक सेवा आयोग के परामर्श से भरा जाना था । स्थिति की जाँच करने के बाद, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को, जबकि 1970 की रिट याचिका संख्या 394 में दिए गए निर्णय के विरुद्ध रिट अपील की सुनवाई होती है, स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया है । यह मालूम हुआ है कि 18 अप्रैल, 1973 को उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को 1970 में प्रकाशित तहसीलदारों की अन्तिम ग्रेडेशन सूची के आधार पर छः महीने के अन्दर पदोन्नतियों की समीक्षा करने का निदेश दिया है । इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । निर्णय की एक प्रति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक पेश करने में विलम्ब

9676. श्री जी० वाई० कृष्णन
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक की पेश करने में विलम्ब से इस समय चल रहा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का काम पीछे पड़ जायगा, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे वर्तमान सत्र में पेश करेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्, क्योंकि पुनर्निर्धारण राष्ट्रपति के वर्तमान आदेशों, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है, के अनुसार होगा।

(ख) विधेयक को पुनः पेश करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। तथापि बहुत से विवादास्पद प्रश्न हैं, जिनको अभी सुलझाया जाना है।

Infiltration of Pakistanies into Indian borders near Ferozepur

9677. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether on the 1st March, 1973, some Pakistanis infiltrated into Indian borders near Ferozepur and stole away some cattle; and

(b) if so, whether similar incidents have also taken place at other places after the Indo-Pakistan war and if so, the measures adopted by Government to deal with this sort of activities in border areas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

भारत-नेपाल सीमा की रक्सौल चौकी पर पाकिस्तानियों का गिरफ्तार किया जाना

9678. श्री शिव कुमार शास्त्री
श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अप्रैल, 1973 को भारत, नेपाल सीमा की रक्सौल चौकी पर 13 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें एक उच्च अधिकारी और एक कालिज अध्यापक भी शामिल है,

(ख) क्या उनसे कुछ गोपनीय कागजात भी बरामद हुए हैं, और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

4—M350Lss/73

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 13 गैर-बंगाली मुसलमानों को भारत में अनधिकृत प्रवेश करने पर 11 अप्रैल, 1973 को जिला चम्पारन में रक्सौल चौकी पर गिरफ्तार किया गया था जब वे बंगला देश से नेपाल जा रहे थे। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में ढाका कालेज का एक अध्यापक था। बीमा कम्पनी के एक अधिकारी के अतिरिक्त कोई उच्च आधिकारी गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनसे बरामद पत्रों में सुरक्षा हित की कोई बात प्रकट नहीं होती। इन व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशियों के लिए अधिनियम के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल हो रही है। बताया जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति हिरासत में है।

Employment for Educated Unemployed who have crossed age limit for Government Service

9679. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the number of educated unemployed persons in the country who have crossed the maxmum age limit for entry into Government Service while seeking employment on account of the pesent grave unemployment situation in the country ;

(b) whether Government propose to provide employment to such educated unemployed persons under the scheme for providing employment to five lakh educated young persons till March, 1974 ; and

(c) if not, the scheme being formulated by Government in regard to the future of such unemployed youths ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Information is not available.

(b) and (c) The employment programmes formulated under the Half a Million Jobs scheme include a number of schemes for self employment and subsidised employment by private and cooperative sectors. These schemes will also benefit persons who have crossed the maximum age limit for Government service.

फालतू घोषित किये गये और बाद में अन्य कार्यालयों में नियुक्ति किये गये कमचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये पिछली सेवा का लाभ देना

9680. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1959 से पूर्व सरकारी सेवा में आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता 22 जुलाई, 1972 के कार्मिक विभाग के उस कार्यालय ज्ञापन सं० 9-3-72 इस्टब्लिशमेंट (डी) के अनुसार नये विभागों/कार्यालयों में अपनी नियक्ति के बाद सेवा की कुल अवधि (सेवा में आने की मूल तारीख) के अनुसार निर्धारित की जायेगी, जो 1968 की सिविल अपील सं० 1845, 1846 और 1969 की सिविल अपील सं० 50 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न कार्यालयों/मंत्रालयों में फालतू घोषित किये गये और कार्मिक विभाग के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल के माध्यम से जिन कर्मचारियों को बैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया गया था, उन्हें भी सामान सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों जिन्होंने दिसम्बर, 1959 के पहले अपनी सरकारी सेवा आरम्भ की थी, उनके नये विभागों/ कार्यालयों में प्रवेश करने पर गृह मंत्रालय (अब कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 30/44/48-अपाईन्टमैन्ट्स, में दिनांक 22 जून, 1949 के अनुसार नये विभागों/कार्यालयों में उनकी वरिष्ठता सम्बोन्धित ग्रेड में उनकी सेवा की कुल अवधि के अनुसार गिनी जाएगी, वशर्ते कि उन्होंने ऐसे नए विभागों/कार्यालयों में 22 दिसम्बर, 1959 से पहले प्रवेश भी किया हो । फरवरी, 1966 में अर्थात 22-12-1959 के बाद फालतू कर्मचारियों की पुनः तैनाती की योजना प्रारम्भ की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों //कार्यालयों म पुनः तैनात फालतू कर्मचारियों को नये प्रवेशकर्ताओं के रूप में समझा जाता है और इसलिए आवश्यक रूप से उन पर गृह मंत्रालय (अब कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55-आर० पी० एस० दिनांक 22-12-1959 में निहित वरिष्ठता सम्बन्धी सिद्धान्त लागू होते हैं । इन आदेशों के अन्तर्गत वे अपनी सेवा की कुल अवधि के आधार पर नये विभागों/कार्यालयों में वरिष्ठता गिने जाने के हकदार नहीं है ।

Proposal of M. P. Government for setting UP Tribal Development Blocks

9681. **Shri Hukam Chand Kachwai**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sent proposals to the Government of India for setting up 65 new Tribal Development Blocks ;

(b) if so, the action taken thereon so far ; and

(c) the time which the aforesaid proposal is likely to be approved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes, Sir.

(b) It was not possible to sanction these Blocks during the Fourth Five Year Plan in view of financial stringency.

(c) The development programmes for the Fifth Plan for concentrations of scheduled tribes are still in the formulative stage.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अरुणांचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना और टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

9682. श्री सी० सी० गोहेन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में अरुणालचल प्रदेश के जिला मुख्यालयों और प्रस्तावित राजधानी में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : अरुणाचल प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी ईटानगर में एक 200 लाइन का टेलीफोन एक्सचज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है । अरुणाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में टलीफोन एक्सचेंज मौजूद हैं ।

संचार तथा दूर संचार सेवाओं की व्यवस्था संबंधी राष्ट्रीय नीति

9683. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में संचार तथा दूर संचार सेवाओं की व्यवस्था करने संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नीति में पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों को दी गई प्राथमिकता दी गई है, और

(ग) उक्त नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) डाक-तार दूर संचार सुविधाएं देने के मामले में विभाग की मौजूदा नीति के अंतगत देश के पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के लिए कुछ रियायतों की व्यवस्था है ।

(ग) डाक सुविधाएं :—पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में डाकघर खोलने में सुविधा हो इस दृष्टि से निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :—

(i) सामान्य देहाती इलाकों में प्रति डाकघर सालाना 500 रुपये या 750 रुपये की स्वीकृति सीमा तक घाटा उठा कर डाकघर खोले जाते हैं और डाकघर का खोला जाना इस बात पर भी निर्भर करता है कि उससे कितनी जनसंख्या की डाक सेवा प्रदान की जाती है और नजदीक के डाकघर से प्रस्तावित डाकघर की दूरी कितनी है । पहाड़ी और दूसरे बहुत पिछड़े इलाकों के लिये घाटे की यह स्वीकृति सीमा बढ़ाकर प्रति डाकघर प्रति वर्ष 1000 रुपये रखी गई है और कुछ अपवाद के मामलों में घाटे की यह सीमा आगे और भी बढ़ा कर 2500 रु० सालाना रखी गई है और इसमें डाकसेवा प्राप्त करने वाली जनसंख्या की कोई शर्त नहीं रखी गई है ।

(ii) सामान्य देहाती इलाकों में डाकघर का खोला जाना इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्तावित डाकघर पर जो अनुमानित खर्च आए उसकी कम से कम 25 प्रतिशत तक आमदनी उससे जरूर होने का अनुमान हो । लेकिन पहाड़ी इलाकों में उस स्थिति में भी डाकघर खोले जा सकते हैं जबकि उनसे उन पर होने वाले अनुमानित खर्च की केवल 10 प्रतिशत रकम आय के तौर पर प्राप्त हो जाए और दूसरे बहुत पिछड़े इलाकों में प्रस्तावित डाकघरों से उस पर होने वाली अनुमानित खर्च की 15 प्रतिशत रकम आय के तौर पर प्राप्त होने पर डाकघर खोले जाते हैं ।

दूर-संचार सुविधाएं :

आमतौर पर तार और टेलीफोन की सुविधाएं उसी जगह पर दी जाती हैं जहां यह योजना लाभकर हो । घाटे की स्थिति में, ये सुविधाएं किराये और गारन्टी के आधार पर तभी दी जाती हैं जबकि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाला अनुमानित घाटा पूरा करने के लिये तैयार हो । तथापि, अविकसित इलाकों में इन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से विभाग में कुछ वर्गीकृत स्थानों में घाटा उठाकर भी ये सुविधाएं देने के लिए एक नीति बनाई है । इन स्थानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) **संयुक्त तार-घर** :—नीचे क्रम संख्या 1, 2 और 3 पर दिये वर्गीकृत स्थानों पर प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष घाटे की बिना किसी सीमा और क्रम संख्या 4 और 5 पर दिये वर्गीकृत स्थानों पर 2000 रुपये तक का घाटा उठाकर संयुक्त डाक-तार घर खोले जा सकते हैं । ऐसे हर एक मामले में संयुक्त डाक-तार घर खोलने में जो वार्षिक आवर्ती खर्च आएगा, उसकी कम से कम 25 प्रतिशत आमदनी अवश्य होनी चाहिए ।

1. सब-डिवीजनल, तहसील और उप-तहसील मुख्यालय और इनसे सम्बद्ध स्थान ।
2. पुलिस स्टेशन वाले ऐसे टाउन या गांव जो सब इंसपैक्टर पुलिस के दर्जे से कम दर्जे के अधिकारी के चार्ज में न हो ।
3. ब्लाक मुख्यालय ।
4. दूर-दराज स्थान अर्थात् ऐसा स्थान जिनसे 20 किलोमीटर के भीतर कोई तार घर न हों ।
5. (क) वे स्थान जहां 5000 से अधिक आबादी हो । आबादी के आंकड़े पर विचार करते समय खास उसी गांव या टाउन की ही आबादी की गणना करनी चाहिए । गांवों या टाउनों के समूह का आबादी का हिसाब में नहीं लेना चाहिए ।

   (ख) पर्यटन केन्द्र जिनमें तीर्थ स्थल भी शामिल हैं ।

   (ग) कृषि और सिंचाई के प्रोजेक्ट स्थल और टाउन शिप ।

   (घ) घाटे के आधार पर ऐसा कोई तार घर नहीं खोला जाना चाहिए यदि प्रस्तावित तारघर से 81 किलोमीटर की सीधी दूरी के भीतर कोई दूसरा तारघर मौजूद हो ।

(ii) **सार्वजनिक टेलीफोन घर :**

निम्नलिखित वर्गों के स्थानों पर घाटा उठाकर भी सार्वजनिक टेलीफोन घर इस शर्त पर खोले जा सकते हैं कि उस पर होने वाले आवर्ती खर्च की कमी से कम 25 प्रतिशत रकम आय के रूप में होने की संभावना हो और नीचे दी गई दूसरी शर्तें भी पूरी होती हों ;

1. उप मंडल मुख्यालय नगर ।
2. तहसील और सम्बद्ध मुख्यालय नगर ।
3. उप तहसील मुख्यालय नगर ।
4. 2000 से ज्यादा आबादी वाले स्थान या शहरी इलाकों के वे स्थान जिनकी आबादी 10,000 या इससे ज्यादा हो ।
5. 5000 या इससे ज्यादा आबादी वाले वे स्थान जो मौजूदा एक्सचेंज से 12.5 किलोमीटर के अंदर स्थित हों । आबादी के आंकड़ों पर विचार करते समय खास गांव या शहर की आबादी की ही गणना करनी चाहिए न कि गांवों या शहरों के एक समूह की आबादी की ।

6. दूरवर्ती बस्तियां:—दूरवर्ती बस्तियों में वे स्थान आते हैं, जहां से 40 कि० मी० के अन्दर कोई भी एक्सचेंज न हो ।

7. (क) पर्यटन केन्द्र जिनमें तीर्थस्थान भी शामिल हैं और

(ख) कृषि और सिंचाई परियोजना के स्थल और टाउनशिप ।

पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के स्थानों की कुछ श्रेणियों के मामलों में इस नीति में ढील दे दी गई है । नीति में ढील देने के ब्यौरे नीचे दिये जा रहे हैं :—

मौजूदा शर्तें	पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के लिए संशोधित शर्तें
1	2
1. **तारघर :**	
(1) दूरवर्ती स्थानों में (जहां 20 कि० मी० की दूरी के भीतर कोई तारघर न हो) तारघर इस शर्त पर खोला जा सकता है कि घाटा 2000 रुपये से अधिक न हो और अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय के 25 प्रतिशत से कम न हो ।	दूरवर्ती स्थानों में (वे स्थान जहां से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई तारघर न हो) तारघर इस शर्त पर खोला जा सकता है कि इससे सालाना घाटा 5000 रुपये से अधिक न हो और पहाड़ी इलाकों के मामले में आमदनी उसके वार्षिक आवर्ती व्यय के 10 प्रतिशत से और पिछड़े इलाकों के मामले में वार्षिक आवर्ती व्यय की 15 प्रतिशत से कम न हो ।
(ii) 5000 तक की आबादी वाले स्थानों में इस शर्त पर कि घाटा 2000 रुपये से अधिक न हो और अनुमानित आय उसके वार्षिक आवर्ती व्यय के 25 प्रतिशत से कम न हो ।	2500 से अधिक आबादी वाले स्थानों में इस शर्त पर कि घाटा 5000 रुपये से अधिक न हो और उससे अनुमानित आमदनी पहाड़ी इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय की 10 प्रतिशत से कम न हो और पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत से कम न हो ।
(iii) (क) पर्यटन केन्द्र तीर्थ स्थानों सहित । (ख) कृषि और सिंचाई प्रयोजनाओं के स्थलों और टाउनशिपों में इस शर्त पर कि घाटा 2000 रुपये से अधिक न हो और प्रस्तावित तारघर से आय उसके वार्षिक आवर्ती व्यय के 25 प्रतिशत से कम न हो ।	(iii) (क) पर्यटन केन्द्र-तीर्थ स्थानों सहित (ख) कृषि और सिंचाई परियोजनाओं के स्थलों और टाउनशिपों में इस शर्त पर कि घाटा 5000 रुपये से अधिक न हो और उससे आय पहाड़ी इलाके में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय के 10 प्रतिशत से और पिछड़े इलाकों में वार्षिक आवर्ती

1	2
	व्यय के 10 प्रतिशत से और पिछड़े इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय के 15 प्रतिशत से कम न हो ।
सार्वजनिक टेलीफोन घर :	
1. (क) देहाती इलाकों में 20,000 या उससे अधिक और शहरी इलाकों में 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले स्थान ।	1. (क) देहाती इलाकों में 10,000 या उससे अधिक और शहरी इलाकों में 5,000 या उससे अधिक आबादी वाले स्थान ।
(ख) 5,000 या उससे अधिक की आबादी वाले वे स्थान जो मौजूदा एक्सचेंज से 12.5 किलोमीटर के अन्दर स्थित हों ।	(ख) 25.00 या उससे अधिक आबादी वाले वे स्थान जो मौजूदा एक्सचेंज से 12.5 किलोमीटर के अन्दर हों ।
ऊपर (क) और (ख) के मामले में अनुमानित आय उसके वार्षिक आवर्ती व्यय के 25 प्रतिशत से कम न हो ।	ऊपर (क) और (ख) के मामले में अनुमानित आय पहाड़ी इलाकों में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय के 10 प्रतिशत से और पिछले इलाकों में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय के 15 प्रतिशत से कम न हो ।

जयसिंहपुर, हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

9684. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पालमपुर तहसील में जयसिंहपुर नामक स्थान पर एक टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव है और

(ख) यदि हां, तो यह एक्सचेंज कब तक बना लिया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) आशा है कि यह एक्सचेंज अगले वर्ष में स्थापित हो जाएगा ।

क्षेत्रीय भाषाओं में तार प्राप्त किये जाने की सुविधा

9685. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में किन-किन क्षेत्रीय भाषाओं में तार भेजे जाने तथा तार ग्रहण किये जाने की सुविधाएं हैं;

(ख) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिये किन-किन क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सभी तारघरों में किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा में तार बुक करने और प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं बशर्ते कि वे तार रोमन लिपि में लिखे गए हों। देवनागरी लिपि में लिखे गये किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा के तार ऐसे तारघरों में बुक किये जा सकते हैं और प्राप्त किये जा सकते हैं जहां तार बुक करने के स्थान पर और गंतव्य तारघर में देवनागरी तार सेवा उपलब्ध हो। देवनागरी तार-सेवा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की ऐसी राजधानियों में उपलब्ध हैं जहां विभागीय तारघर हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

भद्रावती रिले स्टेशन पर दिन में प्रसारण

9686. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रावती (मैसूर राज्य) रिले स्टेशन से दिन में कोई प्रसारण नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब शुरू होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : **(क) तथा (ख)** : जी, नहीं। परन्तु अतिरिक्त ट्रान्समिशन इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व जब अपेक्षित कर्मचारी नियुक्त हो चुके होंगे, चालू हो जायेगा।

जोरहाट प्रयोगशाला द्वारा सीमेंट का उत्पादन

9687. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट प्रयोगशाला द्वारा उत्पादित सीमेंट पोर्टलैण्ड किस्म का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमेंट की कमी को दूर करने के लिए इस का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का सरकार का कोई प्रभाव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रवण कुमार मुखर्जी) : (क) जोरहाट की प्रयोगशाला अनुसंधान प्रयोगशाला है और वाणिज्यक स्तर पर सीमेंट का उत्पादन नहीं करती है। जोरहाट स्थित प्रयोगशाला द्वारा वर्टीकल शाफ्ट टिन का परीक्षण करते समय जो सीमेंट का उत्पादन किया गया था वह मानक विशिष्टीकरण के अनुरुप है।

(ख) नेशनल रिसर्च डेवलपमेन्ट कारपोरेशन सीमेंट उद्योग के सहयोग से 150 से 200 मी० टन का वर्टीकल शाफ्ट सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का संशोधन का पता लगा रहा है।

Kosa Industry in Madhya Pradesh

9688. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether condition of Kosa industry in various parts of Chhatisgarh (M. P.) is very bad ;

(b) the extent of adverse affect on the production of Kosa as a result thereof ;

(c) whether any action is being taken to improve variety of Kosa seed : and

(d) whether re-reeling machines are being installed in Chhatisgarh with a view to improve marketing for Kosa thread ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) Kosa industry was affected due to opressive heat during the last summer which resulted in shortage of seed cocoons. However, adcquate steps have since been taken to ensure sufficient supplies during the next season.

(c) Efforts are being made to improve breeding techniques in the state farms and regional research station in consultation with the Central Tasar Research Station, Ranchi.

(d) Re-reeling machines are already installed in Koni (Bilaspur) factory and further installations are being undertaken. The prospect in international market is bright and tasar exports have incrcased by 13% over 1971-72 performance.

हंगरी के व्यापार दल का भारत दौरा

9689. श्री बसन्त साठे
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा } क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के व्यापार दल ने पारस्परिक हितों के आर्थिक मामलों पर विचार करने के लिए अप्रैल, 1973 के प्रथम सप्ताह में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो हंगरी के व्यापार दल और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हंगरी और भारत के बीच व्यापार प्रणाली, विशेष रूप से निर्यात/आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा और किस्म के बारे में व्यापार प्रणाली क्या रही ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) महा महीम श्री जोजसफ ड्रेंसिन, उपाध्यक्ष, हंगेरियन नेशनल प्लेनिंग ब्यूरो के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल पहली अप्रैल से 7 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर आया था तथा उसने दोनों देशों के मध्य आपसी लाभदायक दीर्घावधि सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मन्त्रालयों तथा योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया था। इस विचार विमर्श का स्वरूप अन्वेषणात्मक वार्तालाप का था। धातु विज्ञान, कोयला खानों, रासायनों, बिजली उद्योग, और ऊर्जा, भारी इंजीनियरी, कृषि तथा खाद्य उद्योग तथा दीर्घावधि व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचार विमर्श किया गया था और इस बात पर सहमति दी गई थी कि दोनों ओर के विशेषज्ञों के दल दोनों शिष्ट मण्डलों के निष्कर्शों तथा सिफारिशों पर सक्रिय रूप से अमल करेंगे ।

(ग) गत तीन वर्षों में भारत से हंगरी को किए गए निर्यात में लगभग 75 से 80 प्रतिशत पारस्परिक वस्तुएं शामिल थीं, जिनमें अधिकांश भाग कच्चे माल तथा अर्ध-निर्मित वस्तुओं का था। हंगरी से किए गए आयात में बड़ी वस्तुयें इस्पात, रसायनें, मशीनरी तथा उपकरण शामिल थें। भारत द्वारा हंगरी को किए गए निर्यात तथा वहां से किए गए आयात दर्शाने वाले दो विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत हैं। [ग्रंथालय में रखें गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 5020/73]।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के निदेशकों के विरुद्ध जांच

9690. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के निदेशकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उन में से कुछ के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही थी और कुछ समय पूर्व उनकी वर्तमान पदों से मुक्त करने का निर्णय किया गया था; और

(ग) इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के निदेशक बोर्ड का गठन निम्नप्रकार था :—

(1) श्री के० पी० त्रिपाठी: अध्यक्ष
(2) श्री के० के० धर, प्रबन्ध निदेशक
(3) श्री एम० जी० मीरचन्दानी; निदेशक (तकनीकी)
(4) श्री एफ० सी० धौन, निदेशक (वित्त)
(5) श्री के० किशोर, निदेशक

(ख) और (ग) वर्ष 1963 में देखी गई पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा की कमी के लिए निदेशकों में से एक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

एक अन्य निदेशक से सम्बन्धित मामले की अभी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) जांच कर रहा है। ये मामले राष्ट्रीय कपड़ा निगम में निदेशक के पद पर काम करते समय के नहीं हैं अपितु उससे बहुत समय पहले के हैं। निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करने के लिए योजना

9691. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए और क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) क्या कोई विस्तार-योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत परियोजनाओं का विस्तार एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। चौथी योजना दस्तावेज में योजना अवधि के दौरान प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इनमें नए एककों की स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम दोनों शामिल हैं। पांचवीं योजना के लिए गठित किए गए विभिन्न अभियान दलों ने आवश्यकता पूरी करने के लिए वर्तमान एककों का विस्तार करके तथा नए एककों का गठन करके अथवा विविधता द्वारा अतिरिक्त उत्पादन पाने के लाभप्रद तरीके सुझाये हैं। ऐसा करते समय विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में हुए प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सुधारों को ध्यान में रखा गया है। इन सुझावों की परीक्षा की जा रही है।

नई दिल्ली में एक एशिया एसेम्बली की बैठक

9692. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में हुए "एक एशिया ऐसेम्बली" के सम्मेलन का आयोजन "इण्डियन प्रेस इन्स्टीच्यूट" जो "अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस इन्स्टीच्यूट" से सम्बद्ध है, ने किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस इन्स्टीच्यूट सी० आई० ए० की एक संस्था है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी भी है कि भारतीय समाचार पत्रों का एशियाईकरण करने के लिए हाल में "एशियनन्यूज सर्विस" नामक एक नई न्यूज ऐजेन्सी की स्थापना की गई है और यह कि इस नई संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस इन्स्टीच्यूट का संरक्षण प्राप्त है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) "एक एशिया ऐसेम्बली" का आयोजन प्रेस फाउन्डेशन आफ एशिया ने किया था। प्रेस इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस इन्स्टीट्यूट से सम्बद्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एशियन न्यूज सर्विस ने हांगकांग में मुख्य कार्यालय के साथ अपना काम अप्रैल, 1971 से चालू किया था। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रैस इन्स्टीट्यूट, एशियन न्यूज सर्विस को संरक्षण दे रहा है अथवा नहीं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में औद्योगिक प्रबन्ध पूल के अधिकारी

9693. **श्री प्रबोध चन्द :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रबन्ध पूल के उन विभिन्न अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के मुख्यालय में विभिन्न श्रेणियों में काम कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में वे कितने समय से काम कर रहे हैं और प्रत्येक पद के लिए क्या वेतन निर्धारित हुआ है;

(ग) उनमें से कितने अधिकारियों की बीत चुकी तारीख से पदोन्नति दी गई जिससे उनका मुख्यालय से किसी अन्य कार्यालय या शाखा में स्थानान्तरण न होने पाये; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है कि कोई अधिकारी सरकार की नीति का उल्लंघन करके किसी विशेष कार्यालय म अत्यधिक लम्बी अवधि तक न रहने पायें ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय मउप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) 1. श्री पी० डी० मलगावकर — निदेशक

2. श्री एस० के० चटर्जी — अतिरिक्त प्रबन्धक (प्रशासन)

3. श्री वी० चन्द्रशेखर — अतिरिक्त प्रबन्धक (एच० पी०)

4. श्री सी० के० करुणाकरन — डिवीजनल प्रबन्धक (प्रशासन)

(ख) 1. श्री पी० डी० मालगावकर — रा०ली० उ० नि० में रहने की **अवधि :**

	से	तक
(1) प्रबन्धक (किराया खरीद) मुख्यालय, नई दिल्ली	7-12-59	30-8-65
	7-12-59	6-12-60

1300-60-1600 रुपए के वेतनमान में 1540/- रुपए प्रतिमास वेतन ले रहें हैं।

(2) महाप्रबन्धक (किराया खरीद) मुख्यालय, नई दिल्ली।	7-12-60	13-2-62

1600-100-1800 रुपए के वेतनमान में 1600/- रुपए प्रतिमास वेतन निर्धारित किया गया।

(3) निदेशक (मुख्यालय) नई दिल्ली	14-2-62	30-8-65

1600-100-2000 रुपए के वेतनमान में 1700/- पए प्रतिमास वेतन निर्धारित किया गया।

2. श्री एस० के० चटर्जी :

(1) उप-प्रबन्धक (एच० पी०) मुख्यालय, नई दिल्ली	3-10-60	28-2-62

700-40-1100-50/2-1250 रुपए के वेतनमान में 1100/- रुपए प्रतिमास वेतन ले रहें हैं।

(2) अतिरिक्त प्रबन्धक (प्रशासन) मुख्यालय, नई दिल्ली।	1-3-62	5-2-65

1100-50-1400 रुपए के वेतनमान में 1150/- रुपए प्रतिमास वेतन निर्धारित किया गया।

3. श्री वी० चन्द्रशेखरन्

(1) उप-प्रबन्धक (एच० पी०) मुख्यालय, नई दिल्ली	2-1-60	4-3-63

700-40-1100-50/2-1250 रुपए के वेतनमान में 700/- रुपए प्रतिमास वेतन ले रहें हैं।

(2) अतिरिक्त प्रबन्धक (एच० पी०)
मुख्यालय, नई दिल्ली 5-3-63 27-5-64
1100-50-1400 रुपए के वेतनमान में 1100/- रुपए प्रतिमास वेतन निर्धारित किया गया।

4. श्री सी० के० करुणाकरन : 31-7-59 से आज तक

(1) उप-प्रबन्धक,
क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास 31-7-59 से 30-3-60 तक
700-40-1100-50/2-1250 रुपए के वेतनमान में 780/- रुपए प्रतिमास वेतन ले रहें हैं।

(2) उप-प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता 31-3-60 28-3-63

(3) अतिरिक्त प्रबन्धक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता 1-3-63 29-2-68
1100-50-1400 रुपए के वेतनमान में 1360/- रुपए प्रति मास वेतन निर्धारित किया गया।

(4) डिवीजनल प्रबन्धक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता 1-3-68 16-7-68
1300-60-1600 रुपए के वेतनमान में 1360/- रुपए प्रतिमास वेतन निर्धारित किया गया।

(5) डिवीजनल प्रबन्धक, (प्रशासन)
मुख्यालय, नई दिल्ली 17-7-68 से आज तक

ऊपर दिए गए वेतनमान आई० एम० पी० संवर्ग के विभिन्न ग्रेडों के वेतनमान हैं। संयोगवश निगम अधिकारियों के भी यह ही वेतनमान हैं।

(ग) मुख्यालय से किसी अन्य कार्यालय अथवा शाखा में स्थानान्तरण को बचाने के लिए किसी को भी पूर्वावधि से तरक्की नहीं दी गई है।

(घ) औद्योगिक प्रबन्ध पूल के अधिकारियों के लिए किसी विशेष उद्यम में प्रतिनियुक्ति की कोई निर्धारित अवधि नहीं है। सामान्य रूप से इन्हें संगठन के अन्दर ही, जिसके लिए उनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है तरक्की प्राप्त करते हैं और यदि ऐसे अवसर उपलब्ध न हों तो सरकार अन्य उद्यमों के पदों के लिए उनके नामों पर विचार करती है।

Protest by Nagas Against Film Entitled "Aeh Gulistan Hamara"

9694. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether about 300 Nagas attacked a cinema house while protesting against the exhibition of Hindi movie "Yeh Gulistan Hamara" ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) (a) : Yes, Sir. It has been reported that exhibition of the film has been stopped with effect from 30th March, 1973 in Nagaland.

(b) The matter is under the active investigation of Government.

म्युनिसिपल टाउनों में हरिजनों और भंगियों के लिए मकानों का निर्माण

9695. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्युनिसिपल टाउनों में काम कर रहे हरिजनों, सफाई कर्मचारियों के लिए मकान निर्माण करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का क्या ब्यौरा है और क्या ऐसी योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे प्रारम्भ की जा सकती हैं अथवा हरिजन और सफाई कर्मचारी ऐसी वित्तीय सहायता के लिए स्वयं केन्द्रीय सरकार से सीधे ही अनुरोध कर सकते हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) मकानों के स्थलों के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते धन दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों के मकानों के लिए सहायता तथा अस्वच्छ धन्धों में लगे अनुसूचित जातियों के लिए मकान स्थलों की व्यवस्था की योजनायें केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अनुसूचित जातियों की दूसरी श्रेणियों के लिए राज्य क्षेत्र में व्यवस्था की जाती है। पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन मकान बनाने का व्यय आमतौर पर 1,200 रुपए प्रति मकान निश्चित किया जाता है। काली मिट्टी के क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा सुदूर स्थानों में यह 1,600 रुपए निश्चित किया जाता है। हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है यह 2,000 रुपए निश्चित किया जाता है। मकान के निर्माण की कीमत का 75 प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है और शेष का योगदान लाभ उठाने वाले व्यक्ति द्वारा नकद, श्रम, भवन, निर्माण सामग्री के रूप में दिया जाता है।

केन्द्र द्वारा मकान बनाने की योजनाओं के लिए सहाय अनुदान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिया जाता है। केन्द्र द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को कोई सीधा अनुदान नहीं दिया जाता है।

Assault on a Harijan Bridegroom by Cast Hindus in Konyakala Village, Guna District (M. P.)

9696. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Harijan bridegroom has been assaulted by Caste Hindus in Konyakala village of Chachoda region of Guna District (Madhya Pradesh) and a complaint thereof has been made to the collector ; and

(b) if so, the action taken so far and proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) Facts are being ascertained from the State Government.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को सूची में शामिल करने की कसौटी

9697. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों को सूची में शामिल करने के लिए जन्म से जनजाति अथवा जाति ही कसौटी है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसरण में जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है । क्या एक विशिष्ट व्यक्ति एक विशिष्ट अनुसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्धित है; यह तथ्य से सम्बन्धित प्रश्न है तथा प्रत्येक मामला उसके गुणदोष के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

जोधपुर डिवीजन में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता

9698. श्री मती कृ०णा कुमारी जोधपुर : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में पर्याप्त औद्योगिक क्षमता है और क्या वहां पर उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिया उर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : लघु औद्योगिक विकास संगठन ने जोधपुर डिवीजन के नागौर, बाड़मेर और सिरोही जिलों का सर्वेक्षण किया है और यह सुझाव दिया है कि इनमें जूते, कपड़े धोने का साबुन, संसाधित खाद्य और स्ट्रा बोर्ड बनाने के लिए उद्योग स्थापित करने तथा चमड़ा कमाने एवं हड्डियों को पीसने के एककों की स्थापना करने के लिए गुंजाइश मौजूद है।

जोधपुर डिवीजन के बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर और सिरोही नामक छः जिले नए औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त पाने के हकदार हैं। इसके साथ-साथ जोधपुर और नागौर जिलों में नए एककों की स्थापना करने के लिए 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष उपदान के भी हकदार हैं। आशा है कि राज्य सरकार उक्त प्रोत्साहनदायक योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठायेगी और राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करेगी।

राजनीतिक साहित्य के आयात और वितरण को नियमित करने सबंन्धी प्रस्ताव

9699. श्री समर गुह : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत (i) डा० ऐलेस्यर लैम्ब की "चाइना इंडिया बोर्डर" (ii) मिस्टर रसल की "अनआर्म्ड विक्टरी" और मिस्टर रोबर्ट जे० डेनवान की "इजराइल फाइट फौर सर्वाइवल" नाम पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाये बिना ही उनका यहां लाया जाना निषिद्ध कर दिया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या रूस और अन्य साम्यवादी देशों तथा अमरीका और ब्रिटेन में प्रकाशित राजनीतिक साहित्य को बिना किसी रोकटोक के भारत में आने देने की अनुमति दी गई है, और यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी पुस्तकों का आयात किया गया है,

(ग) भारत में इस प्रकार के काम कौन-कौन सी ऐजेन्सियां करती हैं, और

(घ) क्या सरकार ऐसे राजनीतिक साहित्य के आयात वितरण को नियमित करना चाहती है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) "अनआर्म्ड विक्टरी" और "इजराइल फाइटस फोर सर्वाइवल" नामक पुस्तकों के भारत में लाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं किन्तु डा० ऐलैस्यर लैम्ब की "चाइना इंडिया बोर्डर" नामक पुस्तक को भारत में लाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है क्योंकि इसमें भारत की प्रादेशिक अखण्डता के सम्बन्ध में सन्देहातमक सामग्री थी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। आयातित प्रकाशनों की कस्टम अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है तथा जहां आवश्यक होता है सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उचित कार्यवाही की जाती है।

सामान्यतया आयात व्यापारिक ऐजेन्सियों द्वारा बिक्री के लिए किया जाता है।

(घ) ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वनस्पति तेल के नए कारखाने लगाने के लिए लाइसेंसों के लिए आवेदन

9700. श्री रामभगत पासवान
श्री के० मालन्ना } क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति तेल के लिए नये कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) केवल बिनौलों का तेल बनाने में इच्छुक उद्यमियों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं।

(ख) अब तक 17 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

Practice of Untouchability with Harijan Employees

9701. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Central Government will conduct any enquiry through their sources or through State Government the Malaria Inspectors and Senior Malaria Inspectors of Ambikapur in sarguja District of Madhya Pradesh practicing untouchability with the Harijan employees working on daily wages in taking eatables etc. at their hands ; and

(b) Government's future policy and scheme in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The Madhya Pradesh Government have been asked to make an enquiry.

जीवन बीमा निगम आदि द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए मकानों के निर्माण-कार्य में हुई प्रगति

9702. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम तथा अन्य एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित विशेष गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मकानों के निर्माण तथा उनके आवन्टन और कब्जे के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है,

(ख) क्या सरकार को उक्त निर्माण के असन्तोषजनक स्वरूप तथा भवनों के डिजाइनों की अनुपयुक्तता की जानकारी है, और

(ग) क्या मकान में रहने वाले से ऋण की वसूली सम्बन्धी शर्तें बड़ी कठिन हैं जिसके परिणामस्वरूप बहुत से मकान खाली पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्कूल में प्रविष्ट अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या

9703. श्री गिरधर गोमांगो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 6—11 और 11—14 आयु वर्गों के बच्चों के स्कूल में प्रवेश के सम्बन्ध में सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की क्या स्थिति है,

(ख) बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, जिनमें 10 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं प्राथमिक, माध्यमिक स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए, विशेष सहायता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस आयु वर्ग में प्रविष्ट कुल छात्रों की तुलना में प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आयु वर्गवार सूचना उपलब्ध नहीं है । 1965-66 के वर्ष में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के स्कूलों में कुल प्रवेश में अनुसूचित जन जातियों के प्रवेश के प्रतिशत के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

(i) प्राथमिक स्कूल	6.7
(ii) माध्यमिक स्कूल	3.7

(ख) और (ग) मैट्रिक पूर्व रतर तक अनुसूचित जन जाति की शैक्षिक उन्नति के लिए छात्रवृत्तियों/वजीफों, ट्यूशन फीस तथा परीक्षा, होस्टलों, आश्रम/रिहायसी स्कूलों के शुल्कों के भुगतान में छूट, पुस्तक अनुदान इत्यादि जैसी विशेष योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं । प्रत्येक राज्य की योजनाओं की एक सूची परिशिष्ट में दी गई है । [ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिए** संख्या एल० टी० 5021/73] । इन योजनाओं में अनुसूचित जन जातियों के प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी आ जाते हैं ।

Pep cipata incame of each district in states

9704. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the data regarding per capita income in each district of each State during the last three years ; and

(b) if Government do not have district-wise data with them, the criteria adopted by Government for removing backwardness of those districts ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) District-wise per capita income data for the last three years are not available.

(b) The Planning Commission have suggested to the State Governments to identify backward districts and to prepare programmes for their accelerated development. In order to assist the States in the identification of backward areas the Planning Commission have suggested to them an indicative set of criteria, a copy of which is attached.

STATEMENT

Indicators of development

(*i*) Total poulation and density of poulation.

(*ii*) Number of workers engaged in agriculture including agricultural labourers as percentage of total workers.

(*iii*) Cultivable area* per agricultural worker.

(*iv*) Net area sown per agricultural worker.

(*v*) Percentage of gross irrigated area to net sown areas.

(*vi*) Percentage of area sown more than once to net sown area.

(*vii*) Per capita (Rural population) gross value of agricultural output.

(*viii*) Establishments (manufacturing and repair) using electricity—

(a) Total

(b) Household

(c) Non-household

(*ix*) Number of workers per lakh of population employed in registered factories.

(*x*) Mileage of surfaced roads—

(a) per 1000 sq. miles.

(b) per lakh of population.

(*xi*) Number of commercial vehicles registered in a district.

(*xii*) Percentage of literate population—

(a) Men

(b) Women

(*xiii*) Percentage of school-going children—

(a) Boys

(b) Girls

In age-group of (a) 6—11 years, and (b) 11—14 years.

(*xiv*) Number of seats per million population for technical training—

(a) Craftsmen

(b) Diploma level

(*xv*) Hospital beds per lakh of population.

*Includes net area sown, current fallows, fallow land other than current fallows, culturable waste and miscellaneous tree crops and groves not included in not area sown.

श्री राम इंस्टीच्यूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली

9705. **श्री शशि भूषण :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री राम इंस्टीच्यूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च, 19, यूनिवर्सिटी, रोड, दिल्ली-7 का प्रबन्धकीय और वित्तीय नियन्त्रण किस व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के हाथ में है; और

(ख) क्या उक्त इंस्टीच्यूट के शासी निकाय में सरकार का कोई नामनिदेशन है और

(ग) यदि हां, तो वे उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रत्युत्तरदायिता सरकार के समक्ष किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) श्री राम इंस्टीच्यूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च (जिसका श्री राम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान प्रतिष्ठान के रूप में पुनः नामकरण हुआ है) के प्रबन्धकीय और वित्तीय नियन्त्रण निदेशक और अधिनियन्त्रक––मण्डल में निहित हैं।

(ख) श्री राम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान प्रतिष्ठान के नियम-विनिमय के अनुसार उनके अधिनियन्त्रक––मण्डल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक मण्डल के एक मनोनीत के अतिरिक्त भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालय से दो मनोनीत हैं।

(ग) चूंकि सरकार का उपरोक्त उपबन्ध के अन्तर्गत अब सुविधा का लाभ उठाने का विचार नहीं है अतः इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के थाना क्षेत्र में बेगाम एण्ड कम्पनी का कार्यकरण

9706. **श्री समर गुह :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में थाना स्थित बेगाभ एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता की जे० स्टोन एण्ड कम्पनी की एक शाखा मात्र है; और क्या बेगाम एण्ड कम्पनी को कच्चा माल, कर्मचारी तथा वित्तीय सहायता कलकत्ता की जे० स्टोन एण्ड कम्पनी द्वारा दिए जाते हैं?

(ख) क्या इसे कच्चा माल कलकत्ता से भेजा जाता है तथा मालभाड़े का भुगतान कलकत्ता कार्यालय द्वारा किया जाता है;

(ग) बेमाग एण्ड कम्पनी में कार्य कर रहे बहुत से तकनीशियन और कर्मचारियों के नाम कलकत्ता की जे० स्टोन एण्ड कम्पनी की वेतन पूंजी में लिए हुए हैं;

(घ) क्या बेमाग एण्ड कम्पनी के निदेशक जे० स्टोन के प्रबन्ध में उच्च अधिकारी भी हैं; और

(ङ) क्या कलकत्ता स्थित जे० स्टोन एण्ड कम्पनी से डायनामों के उत्पादन का कार्य गोपनीय ढंग से थाना स्थित बेगाम एण्ड कम्पनी को सौंपा जा रहा है और यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में थाना स्थित बेमाग एण्ड कम्पनी के नाम से कलकत्ता की जे० होटल एण्ड कम्पनी के बेनामी कार्य की सरकार जांच कराएगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जे० स्टोन एण्ड कम्पनी कलकत्ता द्वारा बनाई जानेवाली वस्तुओं को बेमाग एण्ड कम्पनी को दे देना और उसका कर्मचारियों पर प्रभाव

9707. **श्री समर गुह :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जे० स्टोन एण्ड कम्पनी कलकत्ता ने अपनी बिक्री को 1967 में 2.65 रु० करोड़ से बढ़ाकर 1971 में 3.70 करोड़ रुपए करके काफी वृद्धि की है और इसके बाद भी इसकी बिक्री में वृद्धि होती रही है;

(ख) क्या अच्छे लाभ तथा बिक्री के बाद भी 1968 में कम्पनी के प्रबन्धकों ने चार महीने तक तालाबन्दी रखी ताकि डर उत्पन्न करके वे महाराष्ट्र में थाना स्थित नए नाम के अन्तर्गत अपने यूनिट बेमाग इंजीनियरिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को उक्त कम्पनी में मुख्य भाग हस्तान्तरित कर सके;

(ग) क्या तालाबन्दी के बाद कम्पनी ने पंखे, केन्ट कपलिन्गस, जंगशन बोल्ट, बापी पुश बटन स्विच, लैम्प रेजिस्टैन्स, बैटरी फ्यूज बाक्स, मीटर साकेट, लाइट फिटिंग, एम्बारकेशन लाईट फिटिन्गस, 5 ए० एम० पी० फ्यूज, बेबिन टाइप रेजिस्टैन्स तथा अन्य रेगुलेटर्स आदि का निर्माण बन्द कर दिया था।

(घ) क्या इन वस्तुओं का निर्माण अब बेमाग एण्ड कम्पनी द्वारा किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है कि जे० स्टोन कम्पनी, कलकत्ता, कृत्रिम ढंग से अपनी रोजगार क्षमता को कम न करे जिसे कलकत्ता में उसके कर्मचारियों के भविष्य को खतरा हो?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा दो पदों का भार संभालना

9708. **श्री समर गुह :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक पूर्णकालिक सदस्य, एक पूर्ण रूपेण सरकारी कम्पनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दो बहुत ही ऊंचे महत्वपूर्ण सरकारी संगठनों में वह पूर्णकालिक क्षमता में एक साथ कैसे काम कर सकते हैं;

(ग) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक के रूप में उनके हितों का योजना आयोग के नीति सम्बन्धी निर्णयों में व्यक्तिगत प्रभाव पड़ सकता है;

(घ) क्या इंजीनियर्स, इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने योजना आयोग पर, पांच उर्वरक मन्त्रों की स्थापना के लिए एक जापानी फर्म के साथ सहयोग करार करने में प्रभाव डाला है, में उनके हितों के बारे में विभिन्न स्रोतों से पहले ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) क्या उन्हें दोहरी जिम्मेदारी सौंपने की पुरानी प्रणाली पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एस० पाठक इस समय साथ-साथ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक भी हैं।

(ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति ढूंढ़ने के लिए प्रयत्न किए गए थे परन्तु ये प्रयत्न सफल नहीं हुए और वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा रही है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति की ढूंढ़ जारी है।

(ग) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है अतः योजना आयोग में नीति विषय निर्णय लेने में उनकी हितों का व्यक्तिगत प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार की इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। परन्तु यह आरोप नितान्त झूंठा, ओछा और तथ्यहीन है। इस सम्बन्ध में पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय से पूरी तरह विचार-विमर्श करने के बाद ही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने पांच उर्वरक सन्यन्त्रों के लिए क्रमिक वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निश्चय किया। यह देशी प्रौद्योगिकी, उपकरण और संसाधनों के भरपूर उपयोग पर आधारित है और इसमें तीन कम्पनियों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है जिनमें से एक जापान और दूसरी यू० के० की है। प्रस्तावों के प्रस्तुत किए जाने के बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के प्रस्तावों पर निर्णय लेना पूर्णतः सरकार का काम है। अन्य मामलों की तरह विशुद्ध गुणावगुण/प्रतिस्पर्द्धात्मकता के आधार पर तथा देश में अपेक्षित अतिरिक्त उर्वरक सन्यन्त्र क्षमता की स्थापना करने के लिए विभिन्न विकल्पों का कारगर मूल्यांकन करने के बाद सरकार इन प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।

(ङ) वर्तमान व्यवस्था की फिर से जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

Expression of resentment by akashvani employees on non-fulfilment of their damends

9709. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether about 4500 'mourning' cards with black borders were sent as greeting cards to him on the occasion of New Year from all Akashvani stations by the Akashvani employees to express their resentment arising out of non-fulfilment of their demands ;

(b) whether the employees have listed their demands on these cards also ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to meet the demand of the employees in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) (a) and (b) A large number of cards with black borders conveying New Year greetings and embodying certain demands were received from Akashvani employees from a number of stations/offices of All India Radio.

(c) An Office Council under JCM scheme, covering the AIR as a whole, has already been set up at the level of the Director General, AIR, to deal with the problems/demands of the staff. In addition, the various service associations of Staff take up their demand with the competent authorities from time to time and they are considered on merits.

स्टाफ आर्टिस्टों की टेलीविजन केन्द्रों में निर्माताओं के रूप में पदोन्नति

9710. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कुछ स्टाफ आर्टिस्टों की टेलीविजन केन्द्रों में निर्माताओं के रूप में पदोन्नति कर दी गई है ;

(ख) क्या उक्त पदोन्नति के लिए उनके साथ अतिरिक्त रियायत बर्ती गई है और उनकी अर्हताओं को कम किया गया है; और

(ग) क्या प्रोग्राम स्टाफ एशोसियेशन ने इन पदोन्नतियों के विरुद्ध आभ्यावेदन किया है और यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) टेलीविजन केन्द्र में कार्य करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों में से कुछ स्टाफ आर्टिस्टों को सीमित चयन के द्वारा प्रोड्यूसर नियुक्त किया जाता है।

(ख) अनुभवी विभागीय उम्मीदवारों में से सीमित चयन के द्वारा नियुक्तियों के मामले में, सीधी भर्ती रखे जाने वाले संगठन के बाहर के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं पर जोर नहीं दिया जाता ।

(ग) जी, हां। सरकार ने अभ्यावेदन पर सावधानीपूर्वक विचार किया है, परन्तु वह किए गए चयन में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखती।

आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में साम्यवादियों की घुसपैठ

9711. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित दिनांक 8 अप्रैल, 1973 के हिन्दी साप्ताहिक 'दिनमान' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में साम्यवादी घुसपैठ कर गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। परन्तु आरोप निराधार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाह्य एजेंसियों के लिए प्राइवेट कार्य कर रहे आकाशवाणी के कर्मचारी

9712. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के अनेक कर्मचारी, स्टाफ आर्टिस्ट, स्टेनोग्राफर आदि न्यूज

एजेंसियों, वाणिज्यिक समाचार तैयार करने वाली एजेन्सियों आदि जैसी बाह्य एजेन्सियों के लिए बिना सरकार की अनुमति के प्राइवेट कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इस अनधिकृत गतिविधि के लिए सरकारी मशीनरी तथा स्टूडियो का निर्बाध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है और उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस सम्बन्ध में अनेक मामले लाये गए हैं परन्तु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) आकाशवाणी के उन कर्मचारियों की जो इस प्रकार की गतिविधियों में लगे ह, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या पूर्वोपाय किए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी के नियमति कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के द्वारा विनियमित होते हैं जिनमें यह व्यवस्था है कि किसी भी प्राइवेट कार्य को करने से पूर्व उनको सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। जहां तक आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों, जो संविदा कर्मचारी हैं, का सम्बन्ध है, उनके ठेकों में यह व्यवस्था है कि वे कार्यालय प्रमुख की लिखित पूर्वानुमति के बिना बाहर के ऐसे लाभकारी या अन्य प्रकार के कार्य स्वीकार नहीं करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके काम से सम्बन्धित हों। आकाशवाणी के सभी कार्यालय प्रमुखों को भी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि यदि कोई स्टाफ आर्टिस्ट किसी व्यापारिक स्पाट या शिजन (जिंगल) में अपना स्वर देना चाहे तो उसको ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाए। उल्लंघन के कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना में पिछड़े जिलों के समेकित विकास के लिए जिला-योजनाएं

9713. श्री गिरिधर गोमिगो : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं योजना में देश में पिछड़े जिलों के समेकित विकास के लिए जिला-योजनायें बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनायें क्या है और इन योजनाओं के बारे में क्या नीति अपनाई जानी है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में क्षेत्रीय असमानता की रोकथाम के लिए सरकार क्या अन्य, कार्यवाही करेगी?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : सभा पटल पर पहले से प्रस्तुत 'पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण, दस्तावेज में पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित सामान्य दृष्टिकोण बताया गया है। दृष्टिकोण दस्तावेज में पिछड़े क्षेत्रों के लिए समेकित विकास कार्यक्रमों को तैयार करने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। राज्य

सरकारों पर इस बात के लिए बल दिया जा रहा है कि वे अपनी योजनायें तैयार करते समय जिलों को एककों के रूप में लें। इस सम्बन्ध में आगे ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Opening of telegraph offices in partapganj, ganpatgang, karjain bazar, daulatpur and Hariraha bazar in Bihar

9714. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether Government of Bihar have undertaken to make good the deficit of guarantee in respect of telegraph offices in Pratapganj, Ganpetganj, Karjain Bazar, Daultpur and Hariraha ;

(b) whether proper telegraphic arrangements could not be made at these places even after a oapse of 3-4 years ; and

(c) if so, the time by which proper telegraphic arrangements are likely to be made at all these places ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahnguna) (a) The Government of Bihar have under-taken to make good the deficit of guarantee in respect of Telegraph offices at Pratapganj, Ganpatganj and Karjain Bazar. These offices are already working. Telegraph offices Daulatpur and Hariraha are also working. These two offices were opened without any guarantee.

(*a*) and (*b*) Combined offices have been opened at Paratapganj, Ganpatganj and Karjain Bazar. Telegraph arrangements on phon oom basis have also been made at daulatpur and Hariraha.

श्री कानु सान्याल की बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिक

9715. **श्री मधु दंडवते : क्या गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विशाखापतनम जेल में नजरबन्द श्री कानु सान्याल ने एक बन्दी प्रत्याक्षीकरण याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजी थी जिसकी एक प्रति उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को भी भेजी गयी थी,

(ख) यदि हां, तो क्या बन्दी प्रत्यक्षीकरण की प्रतियां वाले लिफाफे श्री सान्याल को इन टिप्पणियों के साथ वापस लौटा दिए गए थे कि वह उचित ढंग से सम्बोधित नहीं किया गया (नाट प्रापर्ली एडरेसड) तथा पता ठीक नहीं है (एडरेस नाट नोन), और

(ग) यदि हां, तो क्या अधिकारियों का प्रयास यह है कि वन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक न पहुंचे और इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा अपना कर्त्तव्य निभाने में अड़चन डाली जाय ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान्। इस सम्बन्ध में संचार मन्त्री द्वारा सदन में 2 मई, 1973 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8830 के दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग अनुसंधान तथा विकास निगम तथा उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम में उद्योग लगाने के लिए करार

9716. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1972 में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग अनुसन्धान तथा विकास निगम और उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम में, जो बिड़ला की एक कम्पनी है, राज्य के पर्वतीय जिलों में चार उद्योग लगाने के लिए कोई सहयोग करार हुआ है।

(ख) यदि हां, तो उक्त सहयोग करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बिड़लाओं के साथ सहयोग करार करने से पूर्व उनके मन्त्रालय की अनुमति मांगी थी; और

(घ) क्या सरकार ने अनुमति दे दी थी; यदि हां, तो किन आधार पर?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) **और** (घ) मार्च, 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम की सलाह पर लघु उद्योग अनुसन्धान और विकास संगठन से टेलीविजन रिसीवरों के निर्माण हेतु, वैज्ञानिक अनुसन्धान से जो बिड़ला संस्थान का एक प्रभाग है; तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सलाह मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था कि लघु उद्योग अनुसन्धान और विकास संगठन से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं है, बशर्ते कि टेलीविजन निर्माण करने वाले प्रस्तावित एकक को चलाने में इस संगठन का कोई वित्तीय स्वार्थ न हो।

Next Round Of Discussion Between India And U.S.S.R. On Launching Of Satellite

9717. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Space** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 593 on 15th November, 1972 regarding launching of an Indian Satellite from Russia and state

(a) whether the next round of discussion on detailed technical matters will be held in Moscow in August next; and

(b) if so, the main points proposed to be discussed at that meeting ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indra Gandhi) : (a) Yes Sir.

(c) Further details regarding the various steps to be taken for the implementation of the Agreement signed in May, 1972 with the Academy of Sciences of USSR for launching an Indian satellite with the aid of a Soviet rocket carrier will be discussed at these meetings.

Employment Provided To Unemployed Engineers In Madhya Pradesh

9718. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total number of persons in Madhya Pradesh who have been provided jobs under the scheme for providing employment to the unemployed engineers during the last three years; and

(b) the funds provided to Madhya Pradesh for implementing the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) According to the State Government the figures of engineering personnel who have been found jobs are as follows :

1970-71	362
1971-72	609
1972-73	2323

(*b*) Out of the funds provided by the Government of India, the State Government have reported that they have utilised funds as follows :

1970-71	Rs. 46·81 lakhs
1971-72	Rs. 51·00 ,,
1972-73	Rs. 452·43 ,,

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा खोली गयीं कपड़े की उचित दर दुकानें

9719. श्री राजदेव सिंह : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य तथा संघराज्य क्षेत्र में नियन्त्रित मूल्य का कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कपड़े की उचित दर दुकान खोल सका है;

(ख) कुल कितनी दुकानें खोली गयीं हैं और उनका राज्यवार तथा संघराज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निम्न आय वर्ग के लोगों से इस योजना को अनुकूल समर्थन मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस व्यवस्था को स्थायी बनाने का है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : —टेक्सटाइल कमिश्नर के निदेशानुसार सरकारी नियन्त्रण की मिलों द्वारा बनाये और बेचे जाने वाले कन्ट्रोल वाले कपड़े का वितरण करने के लिए उचित दर की 434 दुकानें पहले ही खोली जा चुकी हैं। सम्बन्धित मिल की खुदरा दुकानों द्वारा 20 प्रतिशत कपड़े की बिक्री करने की अनुमति दी गई है। उचित मूल्य की दुकानों का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है :—

1. गुजरात	21
2. मध्य प्रदेश	189
3. महाराष्ट्र	117
4. मैसूर	45
5. राजस्थान	7
6. तमिलनाडु	4
7. उत्तर प्रदेश	16
8. पश्चिम बंगाल	24
9. दिल्ली	11
योग	434

(ग) जी, हां।

(घ) इस योजना पर सरकार निरन्तर ध्यान रख रही है तथा यह तब तक चलती रहेगी जब तक इसकी आवश्यकता बनी रहेगी।

आदिवासियों के जीवन पर औद्योगिकरण का प्रभाव

9720. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त तथा अन्य सक्षम प्रेक्षक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में बड़े उद्योग लगाने से आदिवासी जीवन अस्तव्यस्त तथा छिन्न-भिन्न होकर रह गया है;

(ख) उनके मन्त्रालय के आदिवासी क्षेत्रों में अब तक इस सम्बन्ध में क्या विशेष उपाय किए हैं।

(ग) उद्योगों में लगाये गए कुल धन की अपेक्षा प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर कुल कितना धन खर्च किया गया है; और

(घ) क्या अब तक किये गये प्रयास नगण्य यथा निरर्थक सिद्ध हुये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि जनजाति क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित करने से आदिवासी जीवन अस्तव्यस्त तथा छिन्न-भिन्न हुआ है। पांचवीं योजना में कुशल एवं अर्द्धकुशल जनजाति जनता के प्रशिक्षण का सुनिश्चय किया गया है ताकि वे रोजगार बाजार की परिवर्तित स्थिति में वे अपने आप को ढाल सके। इसके अलावा, सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने हेतु कतिपय राजसहायता एवं प्रोत्साहन की योजनाएं बनाई हैं। केवल जनजाति क्षेत्रों के निवेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Activities Of C.A.S.A. (Christian Agency For Social Action Relief And Development)

9721. **Shri Shiv Nath Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether C.A.S.A. (Christian Agency for Socil Action, Relief and Development) works in Rajasthan were postponed and no funds can be spent on these works other than through the Government;

(b) whether the activities of C.A.S.A. are going on in Sikar, Jhunjhunoo, Bikaner, Jaisalmer and Jodhpur Districts of Rajasthan in violation of the said orders; and

(c) whether a large number of complaints have been received in regard to earning of undue profit by selling in the market the wheat, Dalia, Cloth, oil, powder etc., supplied to these districts by C.A.S.A. in the form of assistance and if so, whether any enquiry has been conducted in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) to (c) Facts are being ascertained.

फरवरी, 1972 को हुए कैपीटल सेमिनार से रिपोर्ट

9722. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नई दिल्ली स्थित 'मराठा' के संवाददाता ने 12 फरवरी 1972 को प्रस सूचना ब्यूरो सम्मेलन हाल में हुए कैपिटल सेमिनार की रिपोर्ट देते हुए एक पर्चा परिचालित किया था जिसमें विद्यमान केन्द्रीयकृत प्रेस सम्बन्धों के प्रबन्धों के विरुद्ध तर्क दिए गए थे; और

(ख) क्या उस समय सरकार यथापूर्व स्थिति में परिवर्तन के विरुद्ध थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। तथापि, संगोष्ठी का आयोजन प्रेस एसोसियेशन तथा प्रेस इंस्टिइयूट आफ इंडिया ने संयुक्त रूप से किया था, न कि पत्र सूचना कार्यालय ने।

(ख) पत्र सूचना कार्यालय के उन अधिकारियों, जिन्होंने निमन्त्रण पर संगोष्ठी में भाग लिया था, ने विषय पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। प्रेस एसोसियेशन के अध्यक्ष के अनुसार, आम राय यह थी कि समाचारपत्र संवाददाता पत्र सूचना कार्यालय से ऐसे ही सम्बन्ध रखना चाहते थे, जो इस समय है।

Big Industries under Joint Sector in M. P.

9723. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether three big industries will be set up in Madhya Pradesh in the joint secror and whether the central Government have accorded their approval therefor; and

(b) if so, the total outlay involved therein, the names of the districts in Madhya Pradesh where these industries will be located and the various items of goods to be manufactured therein ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) :(a) and (b) : According to the information furnished by the Government of Madhya Pradesh, agreements to set up theree big industries in the joint sector have been finalised between the State Government undertakings and the concerned private parties. These projects relate to the manufacture of caustic soda, paper covered conductors and GLS lamps and flourescent tubes. The approval of Government has been conveyed in respect of the agreement for the manufacture of GLS lamps and flourescent tubes. No approval is necessary in case of the project for the manufacture of paper covered conductors. The proposal of the State Government in respect of the caustic soda project is under consideration of the Government. Details of these projects are given below :—

Item of Manufacture	Capacity	Location (District)	Total outlay
Caustic Soda Chlorine	27,000 tons 22,700 tons	Yet to be decided	Rs. 1,200 Lakhs
GLS Lamps .. Flourescent tubes	6 millon Nos. 1 millon Nos.	Vidisha	Rs. 250 lakhs
Paper Covered Conductors Enamelled Copper Conductors	12,000 Tons 850 Tons	Bhopal	Rs 250 lahhs

In addition to these projects, a letter of intent was issued in favour of a private party for setting up a new undertaken in the joint sector in Bastar district of Madhya Pradash for the manufacture of pulp writing and printing paper for an annual capacity of 1,20,000 tonnes of pulp, 60,000 tonnes of writing and printing paper and 60,000 tonnes of special writing paper. The total cost of the project is estimated at Rs 40 crores.

Per Capita Average Income In The Country And The Minimum Amount Required For A Common Man's Livelihood

9724. Shri M. C. Daga : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the per day per capita average income in the country at present and the minmum amount required for a common man for his livelihood ; and

(b) the per day per capita average income in rupee in 1951 and the minimum amount required by a common man for livelihood during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) according to the quick estimates of national income for 1970-71 released by the Central Statistical Organisation, the per day per capita income is 95 paisa at 1960-61 prices. The estimates of national as also of per capita income for 1972-73 are not yet finalised. However, as indicated in the Approach to the Fifth Plan, at present day prices about Rs. 40/- per capita per month (or around Rs 1·30 per day) is considered as a minimum desirable consumption standard.

(b) the per day per capita income in the year 1951-52 (at 1960-61 prices) worked out to 70 paise. No estimate of subsistence level of consumption for that year is available.

1970 से 1972 के बीच सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

9725. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970, 1971 और 1972 के वर्षों में कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

"बीयर बेन्डिग रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9726. श्री बसंत साठे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1973 के 'इकानामिक टाइम्स' में "बीयर बैन्डिग रैकेट" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, हां । बीयर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता तथा इसके मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं है ।

राष्ट्रीय आय में घटाव-बढ़ाव

9727. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय में घटाव-बढ़ाव के आयाम को कम करने की दृष्टि से देश के आर्थिक ढांचे के प्रगतिशील विधिकरण के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। नियोजित विकास का यह प्रयास रहा है कि अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आय में प्रचुर मात्रा में आने वाले उतार-चढ़ावों में कमी लाई जाए, ताकि अर्थ-व्यवस्था में उत्तरोत्तर विविधीकरण लाया जा सके।

(ख) अर्थव्यवस्था के विविधकरण के लिए किए गए उपायों में तीव्रगति से औद्योगिक विकास, जिसमें प्रमुख तथा आधार उद्योगों पर विशेष बल दिया जाएगा, आधारभूत सामग्री का सुदृढ़ीकरण तथा अपेक्षित निवेश के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, आधुनिकी तकनीकी का प्रयोग, फसल उगाने की उपयुक्त पद्धति का विकास तथा ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों का विकास और पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मत्स्य पालन तथा बन रोपण जैसे कार्य शामिल हैं।

1971-72 में आर्थिक विकास की दर

9728. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971–72 और 1972–73 में आकर्षक विकास की दर समग्र रूप में असंतोषजनक थी;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1971–72 में तथा 1972–73 में आर्थिक विकास की समग्र दर आशा से कम कर रही है।

(ख) 1971–72 में वृद्धि दर में जो कमी रही वह मुख्यत: देश के कुछ भागों में सूखा तथा बाढ़ के कारण कृषि पर आघात लगने तथा औद्योगिक उत्पादन में धीमी वृद्धि के कारण हुई। 1972–73 में वृद्धि दर में कमी मुख्यत: व्यापक रूप से फैली सूखे की दशाओं के कारण हुई।

(ग) कृषि के क्षेत्र में, वार्षिक योजना 1972–73 में शामिल किए गए उत्पादन कार्यक्रमों को तेज किया गया। इसके अतिरिक्त 1972–73 में रबी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपातकालीन कार्यक्रम चलाया गया। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जिसमें कि सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना भी शामिल है, और उपायों के रूपमें उर्वरकों, कीटनाशी, औषधियों, उन्नत बीजों, ऋण इत्यादि की आपूर्ति बड़े पैमाने पर की जा रही है तथा विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में उन्नत कृषि तकनीकों को प्रारम्भ किया जा रहा है।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, और अधिक सरकारी निवेशों के अलावा क्षमता के उपयोग को सुधारने तथा नई क्षमताओं के सृजन में तेजी लाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। एक इस्पात बैंक खोला गया है तथा इस्पात और अन्य प्रकार के आधारभूत कच्चे माल के आयात के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए गये हैं। योजना आयोग द्वारा गठित की गई एक समिति सरकारी प्रतिष्ठानों का कार्य करने संबंधी तथा अन्य समस्याओं का अवलोकन कर रही है ताकि उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सके। उद्योगों को लाइसेंस देने की नीति में भली प्रकार परिवर्तन किया गया है। बिजली तथा परिवहन की कठिनाइयों को दूर करने तथा औद्योगिक संबंधों को सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

1971-72 में राष्ट्रीय आय में कमी

9729. श्री आर० के सिन्हा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971–72 के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसको रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी,हां।

(ख) 1971–72 में राष्ट्रीय आय में कमी मुख्यत: देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने तथा बाढ़ों के कारण कृषि उत्पादन को आघात लगने तथा औद्योगिक उत्पादन में मंदगति से वृद्धि के कारण हुई।

इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का कितने ही कदम उठाने का विचार है। कृषि के क्षेत्र में, जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें और सुदृढ़ किया जा रहा है तथा इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जाये, और बड़े पैमाने पर उर्वरकों, कीटनाशक औषधियों, उन्नत बीजों, ऋण इत्यादि की आपूर्ति की जाय तथा और क्षेत्रों, विशेषकर शुल्क क्षेत्रों में उन्नत कृषि तकनीकों को शुरू किया जाय। जहां तक उद्योगों का संबंध है उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सरकारी निवेश के अलावा यह विचार है कि क्षमता के उपयोग में और सुधार लाया जाय तथा नई क्षमताओं के सृजन में तेजी लाई जाय। इस्पात तथा अन्य प्रकार के कच्चे माल की आपूर्ति को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी प्रतिष्ठानों की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। बिजली तथा परिवहन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने, क्रिया-विधि संबंधी देरी को समाप्त करने तथा औद्योगिक संबंधों के सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

Decrease in National Income during 1972-73

9730. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Planning** be pleased to state

(a) whether in 1970-71 the national income of the country registred an ncrease of 4·6 per cent but in 1972-73, it could increase only by 1.5 per cent ; and

(b) if so, the reasons for ths decrease in the national income

The Minister of the States in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a)According to the quick estimates of national income for 1970-71 at 1960-61 prices published by the Central Statistical Organisation, the national income registered an increase of 4·7 per cent over the previous year. The estimates for 1972-73 are not yet avaliable.

(b) Does not arise.

कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के विकास के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा तैयार की गई योजना

9731. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता : } **क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के एक दल ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हाल में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया है और कृषि भूमि (एग्रीकल्चर) लैंडस्केप) में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) परमाणु बिजली पर आधारित कृषि उद्योग सम्मिश्रों की परिकल्पना का मूल्यांकन करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी वर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस कार्यकारी वर्ग द्वारा जिन परियोजनाओं का अध्ययन किया गया है उनमें गंगा

के मैदान तथा कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में ऐसे सम्मिश्रों की स्थापना करना भी शामिल है। इन परियोजनाओं पर और आगे विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है।इस अध्ययन के पूरा होने पर सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा :

Murder Of A Harijan In Kanti Village U. P.

9732 Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Home Affairs** be plesed to state:

(a) Whether a Harijan was recently shot dead in Kanti Village about 60 Kilometre from Pratapgharh (Uttar Pradesh) ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) and (b) Facts are being ascertained from the State Government.

विदेशी छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के चयन की कसौटी

9733. **श्री वी० के० दास चौधरी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उनका चयन करने की क्या कसौटी है ?

(ख) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों में विभिन्न विषयों में छात्रवृत्तियों की संख्या अथवा छात्रवृत्तियों के लिए रिक्त स्थानों की घोषणा करती है, और

(ग) क्या ऐसी छात्रवृत्तियों के लिए कोई शर्त लगाई जाती है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) चयन के लिये निम्नलिखित कसौटी हैं :—

(i) उम्मीदवार को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होना चाहिये ।

(ii) इंजीनियरिंग डाक्टरी में स्नातकीय परीक्षा में अथवा अन्य विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा में एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ने प्रथम श्रेणी या 60 प्रतिशत और इससे अधिक अंक तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ने द्वितीय श्रेणी या 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।

(iii) उम्मीदवार छात्रवृत्ति प्रदान की जाने वाले वर्ष के 1 अक्तूबर को 35 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए और अधिक योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में चयन समिति के विवेक पर 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है ।

(iv) वैदेशिक छात्रवृत्तियों की सामान्य अवधि 3 वर्ष है जिसे प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं के अनुसार आपवादिक परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए उपलब्ध संख्या का उल्लेख करते हुए प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां विज्ञापित की जाती हैं । छात्रवृत्तियां विषयवार अथव मुल्कवार अधिसूचित नहीं की जाती हैं ।

(ग) चुने गए प्रत्येक उम्मीदवार को परिशिष्ट में दी गई छात्रवृत्ति की शर्तों तथा अन्य इकरारनामों का पालन करने के लिए निर्दिष्ट फार्म में एक बंध-पत्र देना पड़ता है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5022/73] ।

Post-matric Scholarship to Scheduled Caste and Scheduled Tribes Students

9734. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State :

(a) whether the Central Government awards scholarship to the post-matric students belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes ;

(b) if so, the number of students granted Scholarship during 1971-72, State-wise ;

(c) whether Government have a scheme to grant Scholarship to other backward classes also ; and

(d) if so, the main points thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) ; (a) Yes Sir.

(b) : A statement giving information in respect of all States/Union Territories, except the states of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Punjab and Rajasthan, is attached. Information in the respect of these States is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it becomes available.

(c) and (b) : The scholarships to other backward classes are awarded by the State Government from their own resources in accordance with the rules /regulations prescribed by them.

STATEMENT

Statement Showing the Number of Students Granted Scholarships under the Post-Matric Scholarships Scheme during 1971-72]

S. No.	Name of the State Union Territory	Number of awards
1.	Assam	10,021
2.	Gujarat	10,565
3.	Haryana	3,252
4.	Jammu and Kashmir	572
5.	Kerala	8,222
6.	Chandigarh	10
7.	Maharashtra	30,918
8.	Mysore	12,425
9.	Orissa	3,012
10.	Tamil Nadu	5,641
11.	Uttar Pradesh	49,948
12.	West Bengal	21,300
13.	Andman and Nicobar Islands	Not implemented
14.	Nagaland	1,228
15.	Dadra and Nagar Haveli	3
16.	Goa, Daman, and Diu	17
17.	Delhi	1,925
18.	Himachal Pradesh	1,372
19.	Laccadive Minicoy and Amindivi Islands	Not implemented.
20.	Manipur	1,589
21.	Pondicherry	55
22.	Tripura.	675
23.	Arunachal Pradesh.	12
24.	Meghalaya	1,470
25.	Mizoram	— The Union Territory was formed on 21-1-1972.

Construction of Houses at Cheap cost with the help of Central Building Research Institute Roorkee

9735. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Minister of **Science and Techonology** be pleased to state :

(a) whether Central Government have formulated any scheme with the help of Central Building Research Institute, Roorkee to build houses at minimum cost ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) (a) and (b) No, Sir. However on the basis of technique of low cost housing developed by the central Building Research Institute (CBRI) Roorkee 20 houses at Khanjarpur Village are under construction . It is also proposed to adopt this technique for the construction near Roorkee of 50 houses for Harijans at Karimnagar (Andhra Pradesh)

राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट में विदेशी सहयोग

9736. **श्री सतपाल कपूर**
श्री आर० के० सिन्हा } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या दूसरे यूनिट के लिए किसी विदेशी सहयोग की आशा है ; और

(ग) इंजीनियरिंग तथा उपकरणों के निर्माण में भारतीय भागीदारी किस हद तक होगी ?

परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट निर्माणाधीन है तथा उसके सन् 1975 में क्रान्तिकता प्राप्त कर लेने की आशा है ।

(ख) तथा (ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा कनाडियन परामर्शदाताओं की सहायता से किया जा रहा है । राजस्थान परमाणु बिजलीघर के न्यूक्लीय भाग के लिए मैसर्स एटामिक एनर्जी आफ कनाडा लिमिटेड तथा पारस्परिक भाग के लिए मैसर्स मान्ट्रियल इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं । राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट के सम्बन्ध में, कनाडा की फर्मों से परामर्श प्राप्त करने में काफी कमी कर दी गई है तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के इंजीनियरों ने अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायित्व सम्भाल लिया है । टर्बो-जनित्र एवं विशिष्ट किस्म के पंपों को छोड़कर, इस यूनिट के सभी संघटक, चाहे वे न्यूक्लीय भाग के लिये हों चाहे पारस्परिक भाग के लिए, भारत में ही तैयार किये जा रहे हैं । इस यूनिट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले देशी माल की मात्रा लगभग 60 प्रतिशत है ।

इंडियन नेशनल सीमेंट वर्कर्स फेडरेशन द्वारा हड़ताल की धमकी

9737. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन नेशनल सीमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने निकट भविष्य में सीमेंट श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उसकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(घ) इस हड़ताल को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) फेडरेशन ने हड़ताल का कोई नोटिस नहीं दिया है। श्रमिकों ने उद्योग के नये वेतन ढांचे को शीघ्रता से अन्तिम रूप देने की मांग की है। श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय ने सम्बन्धित पक्ष से बम्बई तथा दिल्ली में क्रमशः 2 अप्रैल, 1973 और 30 अप्रैल, 1973 को इस विषय पर बातचीत करने के लिये दो बैठकें की हैं।

कालीकट में ट्रक टायरों के वितरण में दोष

9738. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कालीकट लारी ओनर्स एसोसियेशन की ओर से टायरों की वितरण प्रणाली में दोष तथा उसके परिणामस्वरूप उनकी चोर बाजारी के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कदाचारों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख): कालीकट (कोजीकोड) लारी एसोसियेशन के सचिव का एक ज्ञापन संसद सदस्य श्री ए० के० गोपालन से 25 अप्रैल, 1973 को प्राप्त हुआ था। हड़तालों और राज्य सरकारों द्वारा चालू की गई विद्युत् कटौती के कारण टायर की कुछ श्रेणियों में कमी हुई है। स्थिति को संभालने हेतु आयात सहित सुधारात्मक अधुपाय लिए जा रहे हैं।

ग्रामीण कृषकों के लिए उनके परम्परागत कौशलों में रोजगार

9739. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण कृषकों को उनके परम्परागत कौशलों में आँशिक रोजगार प्रदान करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितनी राशि मंजूर, वितरित और वास्तव में खर्च की गई;

(ख) क्या वास्तविक निवेश और उत्पादन के बीच कोई अन्तर है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना की क्रियान्विति द्वारा राज्यवार कुल कितने रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) कदाचित् माननीय सदस्य का संकेत लघु कृषक विकास अभिकरण तथा सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण दस्तकारों को उनके पराम्परागत कौशलों में सुधार के लिए प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम की ओर है। एस० एफ० डी० ए० तथा एम० एफ० ए० एल० के अन्तर्गत जो 87 परियोजनाएं चालू हैं उनमें से 78 परियोजना अभिकरणों ने ग्रामीण दस्तकारों के सम्बन्ध में भारत सरकार को अपने प्रस्ताव पेश कर दिए हैं। इनमें से उनसठ प्रस्ताव मंजूर हो गए हैं। तीन को मंजूर किया जा रहा है जब कि शेष सोलह अभिकरणों को निर्धारित कसौटी के अनुसार अपनी स्कीमें, संशोधित करने को कहा गया है। चौथी योजना अवधि में प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत दस्तकारों से

सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए 5 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। परन्तु ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए दस्तकार स्कीमों पर अभिकरणों द्वारा किए गए व्यय के सम्बन्ध में अलग से आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अभिकरणों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि 28 फरवरी, 1973 तक प्रशिक्षण तथा अनुवर्ती कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नाँकित व्यक्तियों को लाभ हुआ :

राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र	लाभान्वितों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	339
असम	17
बिहार	—
गुजरात	986
हरियाणा	93
हिमाचल प्रदेश	33
जम्मू तथा कश्मीर	97
केरल	42
मध्य प्रदेश	59
महाराष्ट्र	155
मणिपुर	—
मेघालय	—
मैसूर	90
नागालैंड	—
उड़ीसा	53
पंजाब	—
राजस्थान	102
तमिलनाडु	19
त्रिपुरा	—
उत्तर प्रदेश	—
पश्चिम बंगाल	—
दिल्ली	—
गोआ	—
पाण्डिचेरी	14
जोड़ :	2099

अधिकाँश स्कीमें तकनीकी दृष्टि से मंजूर कर ली गई हैं और उन्हें केवल 1972-73 तक ही मंजूर किया गया है अत: 1973-74 में तथा 1974-75 में लाभानुभोगियों की संख्या में वृद्धि होने की आशा है।

इण्डस्ट्रियल स्टेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन पांडिचेरी की ओर से ज्ञापन

9740. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डस्ट्रियल ऐस्टेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, ए-2, इण्डस्ट्रियल ऐस्टेट, पाँडिचेरी, ने, लघु उद्योग सेवा संस्था, मद्रास के माध्यम से लघु उद्योग विकास आयुक्त, नई दिल्ली को 17 नवम्बर 1972 को एक ज्ञापन दिया था जिसमें छोटे स्तर के इस्पात उत्पादकों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त ज्ञापन में क्या बातें कहीं गई हैं; और

(ग) इस मामले पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिया उर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां

9741. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-प्राथमिकता, गैर-आवश्यक क्षेत्र में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) मूलत: वे किन देशों की कम्पनियां हैं तथा उन्होंने 1970 से 1972 तक कितनी धनराशि अपने-अपने देशों को भेजी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विदेशी कम्पिनियों की शाखायें भारत में उद्योगों के वृद्ध क्षेत्र में बहुत समय से काम कर रही हैं । यद्यपि पूंजीगत माल के आयात के सम्बन्ध में कतिपय उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है किन्तु विदेशी कम्पनियों का विभाजन प्राथमिकतावाली और गैर-प्राथमिकतावाली में नहीं किया जा सकता है । क्योंकि उनमें अनेक कम्पनियों एकाधिक वस्तुएं बनाती हैं । किसी एक उत्पाद के सम्बन्ध में भेजी गई धनराशि के प्राथमिकता प्राप्त और गैर-प्राथमिकता प्राप्त में वर्गीकृत करना कठिन है । विदेश में निगमित कम्पनियों की भारतीय शाखाओं द्वारा लाभ और मुख्यालय के व्यय के निमित्त 1968-69 से 1970–71 प्रेषित राशि को बताने वाला विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 5023/73] ।

भारतीय वृत्त चित्रों का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कार्यकरण

9742. **श्री रण बहादुर सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वृत्त चित्रों का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कार्य असन्तोषजनक रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) फिल्मों के स्तर में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । वास्तव में फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित बहुत सी डाकुमेंट्री फिल्मों ने विदेशों में हुए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं । एक विवरण संलग्न है जिसमें उन फिल्मों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरस्कार प्राप्त किए । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 5024/73] ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

फिरोजपुर, पंजाब में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

9743. श्री सी० टी० दंडपाणि
श्री पी० ए० स्वामिनाथन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अप्रैल, 1972 को फिरोजपुर में कुछ पाकिस्तानी गिरफ्तार किये गये थे, और

(ख) यदि हाँ, तो अशान्ति पैदा करने के लिये पाकिस्तान ने भारत में जासूस तथा एजेन्ट भेजना आरम्भ कर दिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु दो पाकिस्तानी नागरिक, जिन पर सन्देह था कि उन्होंने पाकिस्तान की ओर से जासूसी करने के लिये भारत में प्रवेश किया है 4 अप्रैल, 1972 को फिरोजपुर में पकड़े गये थे और राजकीय रहस्य अधिनियम, 1923 के अधीन उनके विरुद्ध दर्ज किये गये मामलों की जाँच पड़ताल की जा रही है ।

(ख) पाकिस्तान की ओर से जासूसी करने हेतु सीमा पार करके भारत में प्रवेश करने के कारण 1971 के भारत पाकिस्तानी युद्ध के बाद कुछ पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध कानून के दण्ड संबंधी तथा निरोधात्मक दोनों उपबन्धों के अधीन उचित कार्यवाही की जा रही है ।

Industries in the Core Sector

9744. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the decision had been taken in 1970 to formulate a detailed scheme in regard to the industries included in the core sector for the fourth plan ;

(b) whether the Planning Commission has not so far set up the requisite machinery for the purpose ; and

(c) if so, the reasons therefor and the time by which the aforesaid decision would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A detailed plan for an industry means not only the indentification of individual project but also working out their requirements of raw materials, finance, foreign exchange and also cover such factors as locations, sizes technology, to be used and other detalied parameters. This kind of detailed planning had been done in the Fourth-plan by the individual Ministries, under the over-all co-ordination of Planning commission who ensures that these plans are prepared keeping in view the overall national priorities and in conformity with the national policies.

So far as the Fifth Plan is concerned, a number of steering groups and task forces have been set up by the planning Commission for major industrial groups for making an assessment of demand and determination of capacity and production targets by the end of the Fifth Plan Period. Reports of these task forces will from the basis on which future detailed work would have to be undertaken by the various Ministries under the over all supervision and guidance of the Planning Commission.

Restriction on Issue of Lincences for Milk Food, Malted Food, Crushing of Oil Seeds

9745. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have imposed special restrictions in regard to issue of licences for industries such as milk food, malted food and crushing of oil seeds ;

(b) whether these restrictions have been continuously in existence since 1964 ;

(c) If so, whether Government propose to enquire into the matter and left these restrictions ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) Oil seed crushing industry had been subject to licensing regulation since the Industries (Development and Regulation) act came into force and milk food and malted food industries since 1st March, 1957.

In 1964, Oil seed crushing industry was made subject to such regulations irrespective of investment involved, if the number of workers employed were 50 or more in units working on power and 100 or more in units working without power.

Milk foods and malted foods were among the various industries which were covered under the provisions of the liberalised licensing policy announced on the 18th Fabruary, 1970, if the investment in fixed assets did not exceed Rupees one crore, subject to certain conditions. They again become subject to regulations similar to those applicable to oil seed crushing industry or withdrawal of exemption in April 1971.

(c) No, Sir

(d) Regulation of milk foods and malted foods is considered necessary in the interest of dairy units especially in public sector so that there is no uncontrolled diversion of liquid milk to milk product industries and in the case of oil seed crushing industry to safeguard the interest of units in village and cottage industries sectors.

Rejection of Applications for Industrial Licences of the Partners which could start Production in Small Sector

9746. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) Whether some applications for grant of industrial licences from such parties as could start production in the small sector have been rejected during 1971-72 ; and

(b) if so, the state-wise number thereof and the yardstick adopted by Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) : The language of the question is not clear. No industrial licence is ordinarily required for setting up a small scale unit. The question of rejecting any application for the grant of an industrial licence from such parties, therefore, does not arise. However, if the question seeks information regard number of applications rejected on the ground that the item is either reserved for the small scale sector or is capable of being easily manufactured in that sector, a statement giving state-wise number of applications rejected during 1971-72 on these grounds is attached.

STATEMENT

Application Rejected during 1971-72 due to Small Scale Angle.

State	No.
1. Maharashtra	7
2. Gujarat	9
3. Rajasthan	4
4. Bihar	1
5. West Bengal	5
6. Mysore	2
7. U.P.	4
8. Haryana	3
9. Tamil Nadu	2
10. Andhra Pradesh	4
11. Punjab	1
12. Delhi	1
13. M.P.	1
14. Orissa.	1
	45

भारतीय आर्थिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के पदोन्नति कोटे में विषमता

9747. **श्री बसंत साठे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा की रचना के समय कितने व्यक्ति इस सेवा में ग्रेड चार के समकक्ष पद धारण किए हुए थे और उन का कार्यालयवार/विभागवार/मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन में से कितने अधिकारियों को इस सेवा के ग्रेड चार में खपाया जा चुका है और कितने शेष हैं और क्यों ;

(ग) क्या भारतीय आर्थिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिए न निश्चित पदोन्नति कोटे में कोई विषमता है; और

(घ) यदि हाँ; तो भारतीय आर्थिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के पदोन्नति कोटे में विषमता दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे ताकि बढ़ते हुए पदोन्नति अवरोध को और अधिकारियों में क्षोभ को दूर किया जा सके ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5025/73]

(ग) तथा (घ) भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड चार में पदोन्नति के लिए निश्चित प्रतिशतता अर्थात् 25 प्रतिशत अन्य अधिकाँश केन्द्रीय सेवाओं के लिए निश्चित प्रतिशतता की तुलना में प्रतिकूल नहीं ठहरती। हर हालत में इस मामले में केन्द्रीय सेवाओं के बीच पूर्ण समानता लाना व्यवहार्य नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक सेवा की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं।

भोपाल में ड्राई सैल बनाने का कारखाना

9748. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में ड्राई सेल बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है; और

यदि हाँ, तो उस में कितनी लागत आयेगी और इसमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हाँ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 170 लाख रुपये है। परियोजना के 1974 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

देश में आन्तरिक खपत तथा निर्यात के लिए अयस्क की मांग

9749. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाँचवीं योजना की अवधि के अन्त में आन्तरिक आवश्यकता तथा निर्यात के लिये लौह अयस्क की क्षेत्रवार तथा पत्तनवार अनुमानित माँग कितनी होगी; और

(ख) पाँचवीं योजना की अवधि उड़ीसा के मलंग टोली लौह अयस्क निक्षेप का विकास देश में लौह अयस्क के सम्यक विकास कार्यक्रम के कहाँ तक अनरूप है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग द्वारा गठित एक अभियान दल ने अनुमान लगाया है कि पाँचवीं योजना के अन्त (1978-79) में आन्तरिक खपत तथा

निर्यात किए कुल अनुमानित माँग 660 लाख मीट्रिक टन अयस्क लोहे की आवश्यकता होगी। इस माँग. का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्षेत्र	माँग
	(दस लाख मीट्रिक टन)
बिहार-उड़ीसा क्षेत्र .	26
बैलाडिला क्षेत्र (मध्य प्रदेश)	19
बेलारी-होस्पेट क्षेत्र (मैसूर)	9
गोवा क्षेत्र . .	12
	66

विभिन्न पत्तनों से अयस्क लोहे के निर्यात के संकेत इस प्रकार हैं :—

निकासी पत्तन	निर्यात लक्ष्य
	(दस लाख मीट्रिक टन)
1. हल्दिया–परदीप . . .	9
2. विशाखापत्तनम .	12
3. मद्रास .	8
4. मारमुगाँव	12
5. छोटी पत्तनें	1
	42

निर्यात लक्ष्यों की माँग में कुन्द्रमुख परियोजना के उत्पादन शामिल नहीं हैं क्योंकि इन उत्पादनों की विपणता का अभी अनुमान लगाया जाना है।

(ख) मलनगटोलि अयस्क लौह निक्षेपों के विकास के बारे में ठोस योजना तैयार करने के लिए एक अध्ययन दल का 1971 में गठन किया गया था। अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि निक्षेप की आगे और खोज की जाए ताकि विस्तृत तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए और आँकड़े इक्ट्ठे किए जा सकें। आशा है कि यह रिपोर्ट अगस्त 1974 तक तैयार हो जायेगी। उत्पादन के भावी अनुमानों को बताते हुए अभियान दल ने इस सम्भावना को ध्यान में रखा है कि मलंगटोलि निक्षेप का शीघ्र विकास हो जायेगा।

पांचवीं योजना में पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों की स्थापना

9750. श्री गदाधर साहा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री पाँजवीं योजना में लघु उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित 28 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) पाँजवीं पंजवर्षीय योजना के दौरान अध्ययन दल समिति द्वारा पिछड़े जिलों के क्रम में चुने गये 225 जिलों में कुल कितने लघु उद्योगों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) पिछड़े जिलों में परियोजनाओं में कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की आशा है; और

(ख) इस प्रायोजना के लिये कुल कितने परिव्यय की आवश्यकता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिया उर्रहमान अंसारी) : (क) पिछड़े घोषित 227 जिलों में 80,000 एकक ।

(ख) 4,00,000 जिसमें अन्य विद्यमान एककों से आनेवाले कर्मचारी तथा अपूर्ण रोजगार प्राप्त कर्मचारी सम्मिलित हैं ।

(ग) लघु-उद्योगों के कतिक दल (अस्क फोर्स) ने पाँजवीं योजना के लिये कुल 26.42 करोड़ रुपये के परिव्यों का अनुमान लगाया है ।

पांचवीं योजना में पिछड़े जिलों में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

9751. श्री गदाधर साहा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के पिछड़े जिलों में परियोजनाओं की कुल कितनी संख्या है;

(ख) पाँजवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी परियोजनाएं सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत जिलेवार कितने औद्योगिक कारखाने स्थापित किए गए हैं, तथा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और उनसे कितने व्यक्तियों को लाभ होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) 91 हैं, जिसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में ली जाने वाली 57 परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं ।

(ग) 33,600 एककों को विद्यमान ग्रामोद्योग परियोजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई । राज्यवार-व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5026/73] लघु उद्योगों की टास्कर्मस ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 75,000 नये औद्योगिक एककों तथा 149 ग्रामोद्योग जिला परियोजनाओं में 3.75 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य की सिफारिश की है । जिलेवार व्यौरा अभी तैयार किया गया है ।

गया में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र

9752. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में बिहार राज्य के गया और नवादा जिलों में टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिये कितने आपदन पत्र दिये गये;

(ख) उनमें से मार्च, 1973 तक कितने आवेदन-पत्रों का निपटारा किया गया ; और

(ग) शेष आवेदन-पत्रों के निपटान में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बिहार राज्य में गया जिले के नवादा एक्सचेंज में 1970-71 और 1971-72 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या क्रमशः 8 और 10 है।

(ख) सभी आवेदनों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

9753. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1972-73 में राज्यवार प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) चौथी पंजवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) वर्ष 1972-73 के लिए प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों के बारे में जानकारी राज्य सरकारों से केन्द्रीय साँख्यिकीय संगठन में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

आकाशवाणी के पुनर्गठन के बारे में आकाशवाणी संघों द्वारा रोष प्रकट करना

9754. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
डा० रानेन सेन } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आकाशवाणी के पुनर्गठन की योजना पर आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्ट्स एसोसिएशन और आकाशवाणी के राजपत्रित तथा अराजपत्रित इंजीनियरिंग कर्मचारी संघों ने रोष प्रकट किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार योजना बनाने के कार्य में संघों के प्रतिनिधियों को लेने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। परन्तु ऐसे कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह प्रार्थना की गई है कि स्टाफ आर्टिस्टस यूनियन तथा आकाशवाणी की राजपत्रित तथा अराजपत्रित इन्जीनियरी कर्मचारी एसोसिएशनों को योजना के बनाने में सहयोजित किया जाए।

(क) और (ग) सरकार पुनर्गठन सम्बन्धी योजनाओं के बनाने में स्टाफ एसोसिएशनों को सहयोजित नहीं करती परन्तू यदि ये एसोसिएशनें कोई राय प्रस्तुत करेंगी तो योजना बनाते समय उसको ध्यान में रखा जायेगा।

टेलीग्राफ प्लेस के निवासियों को फ्लैट खाली करने के लिए नोटिस देना

9755. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० एरिया नई दिल्ली में टेलीग्राफ प्लेस के निवासियों को फ्लेट खाली करने के लिये नोटिस दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनको वैकल्पिक आवास प्रदान किया गया ;

(ग) क्या वहाँ के निवासियों ने इसका विरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) इस मामले पर संचार मंत्रालय और निर्माण और आवास मंत्रालय के बीच सर्वोच्च-स्तर पर विचार किया गया है और रिहायशी के लिए यथासंभव अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था मंडी हाउस, लोधी कालोनी और रामकृष्णपुरम में की है ।

बाल चलचित्र समिति, बम्बई के बारे में जांच रिपोर्ट

9756. **श्री समर मुखर्जी**
श्री रेणुपद दास } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हाल में बाल चलचित्र समिति, बम्बई के कार्यों की जाँच की गई थी ;

(ख) क्या यह रिपोर्ट इस बीच सरकार को पेश कर दी गई है ; और यह यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है; और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हाँ । रिपोर्ट से यह पता लगा कि बम्बई में स्थित समिति के कार्यालय में कुप्रबन्ध है । समिति के अध्यक्ष तथा कार्यकारी परिषद रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान दे रहे हैं और वे ऐसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं जिनसे समिति की स्थिति ठीक हो आए ।

चलचित्र वित्त निगम द्वारा चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी को अपने हाथ में लेना

9757. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या चलचित्र वित्त निगम का विचार चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी को अपने हाथ में लेने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) बाल फिल्मों के भावी ढांचे पर विचार किया जा रहा है ।

रोजगार योजनाओं के लिए राज्यों को दिया गया धन का नियतन

9758. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को उनकी रोजगार योजनाओं के लिए चालू वित्त वर्ष में कितना धन नियत किया गया है ;

(ख) क्या यह राशि राज्यों द्वारा ये योजनाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त होगी ; और

(ग) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की कोई विशेष योजना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5027/73]

Selection of Most Popular Film Actor, Actress, Singer and Director Every Year

9759. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to select the most popular film actor, actress, singer and director in the country every year ;

(b) if so, the names of the artistes in the aforesaid categories who were adjudged best for the year 1972-73 and the criterion for their selection; and

(c) whether Government give reward to such artistes in order to give incentives to the film world ; and if so the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) The Bharata and the Urvashi awards, the Best Singer's award and Best Direction award included in the National Award Scheme, are not awarded on the basis of popularity but in consideration of professional excellence in the respective fields as an incentive for higher achievements.

(b) Awards for 1972 performances will be given this year. The 1971 awards were given in July 1972 to Shri M. G. Ramachandran, to Kumari Waheeda Rehman for acting and to Shri Hemanta Kumar and Smt. P. Susheela for Play-back singing. Best Director award was given to B.V. Karanth and Girish Karnad. These awards are given on the recommendations of the Central Committee for National Awards which considers the views of the three Regional Committees on the basis of criteria of excellence determined by them.

(c) The best Actor and the best Actress get a figurine each and citation, and the best male and female Play-back singers each get a plaque. The best Director gets Rs. 5,000 and a plaque.

Statement of Minister on Handing over of Chandigarh to Punjab and Abohar to Haryana

9760. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether some preparations have been started now for the handing over of Chandigarh to Punjab and Abohar and Fazilka to Haryana by January, 1975 in pursuance of his statement made recently at Chandigarh to this effect; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) As the time limit set for the transfer of Chandigarh is still far off no preparations in that behalf have been taken in hand. No such time limit has been set in regard to the transfer of Abohar and Fazilka area.

डा० ओ० पी० बहल को वैज्ञानिक पूल में सम्मिलित करना

9761. श्री एच० एम० पटेल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान छः अप्रैल उन्नीस सौ तेहत्तर के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत सरकार के वैज्ञानिक पूल में सम्मलित किये जाने हेतु डा० ओ० पी० बहल के मामले का विवरण दिया गया है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इस समाचार का अध्ययन किया है, और यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हाँ ।

(ख) वर्ष 1962 के दिसम्बर मास में डा० ओ० पी० बहल का वैज्ञानिक पूल में चयन करने के लिये विचार किया गया था न कि वर्ष 1964 में जैसा कि समाचार पत्र में सूचित किया गया है । भर्ती करने वाले विशेष मण्डल ने और संघ लोक सेवा आयोग (यू०पी०एस०सी०) ने निश्चय किया था कि डा० बहल का अंतिम रूप से चयन करने से पूर्व साक्षातकार किया जा सकता है । अतः श्री बहल को सलाह दी गई थी कि उनके भारत वापिस आने के तुरन्त बाद वे अपने साक्षातकार की व्यवस्था कराने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के साथ सम्पर्क स्थापित करें । अप्रैल 1963 में उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनके साक्षातकार की व्यवस्था यू० एस० ए० में ही कर दी जाये । परन्तु यह संभव नहीं था । डा० बहल ने 1963 के बाद सी० एस० आई० आर० से संपर्क स्थापित नहीं किया ।

पांचवीं योजना में अहमदाबाद में टेलीविजन सेवा

9762. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) क्या अहमदाबाद को उन नगरों तथा केन्द्रों की सूची में सम्मिलित किया गया है जहाँ सातवें दशक के मध्य में (पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान) टेलीविजन सेवा आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में बनाये गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) टेलीविजन के विस्तार से सम्बन्धित पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Use of Hindi or English as Medium of Answering Questions in U.P.S.C. Examinations

9763. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether many offices of the Central Government and the Union Public Service Commission hold competitive examinations for filling in posts in lower grades apart from posts in the higher grades and that in many of those examinations Hindi has not been accepted as the optional medium ; if so, the reasons therefor ; and

(b) whether it is compulsory to attempt all the papers in English in the Indian Millitary Academy and the Railway Apprenticeship examinations conducted by the U.P.S.C. ; if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) (a) and (b) : 1. In the Resolution adopted by both Houses of Parliament in December, 1967 on the question of Official Language of the Union the following has, *inter alia* been provided :—

> "That all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English shall be permitted as alternative media for the all India and Higher Central Services Examinations after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the Examinations, the procedural aspects and the timing."

Accordingly, a beginning in the use of regional languages was made in 1969 when candidates appearing at the Combined Competitive Examination for recruitment to the I.A.S. etc. were given the option to write their answers in respect of two of the compulsory subjects—Essay and General knowledge in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, besides English. The question of extending such option to more subjects is under consideration of the Union Public Service Commission in the light of the experience gained so far.

2. Further, Hindi has been permitted as an alternative medium besides English for answeing Essay and General Knowledge papers at the Assistants' Grade Examination Conducted by the Union Public Service Commission since 1964. From 1971, candidates appearing in the Stenographers' Examination has also been permitted the option to write answers to the General Knowledge papers and to take shorthand tests either in Hindi or in English. It has also been agreed in principle to permit the use of Hindi as alternative mediun for the 'Arithmetic' papers in the Assistants' Grade Examination, Further the UPSC have agreed to introduce with effect from 1974 Hindi besides English as midium of examination in respect of certain subjects including in the scheme of the Section Officers Grade Limited Departmental Competitive Examination, the I.F.S. (B) Limited Departmental Competitive Examination, and Railway Board Secretariat Service Section Officers Grade Limited Departmental Examination.

3. The question of extending the option to use Hindi in other subjects and other examinations would have to be examined in the light of experience gained from the examinations mentioned above.

4. The entrance examination for the Indian Military Academy and the Special Class Railway Apprenticeship Examination are conducted in accordance with the rules framed in consultation with the Union Public Service Commission, under which all the papers are to be answered in English. It is understood from the Ministry of Defence who are administratively concerned with the entrance examination for the Indian Military Academy that a recent decision has been taken that it would not be possible to change over to Hindi or to the Regional Languages because the language in which instruction is imparted during the pre-commission training is English and because the training publications/journals supplied to these officer cadets at the Academy are also available at present only in English. Optional use of Hindi is permitted in the tests conducted by the Services Selection Board except for the written tests. The entire question of adopting Hindi or regional languages for the Indian Military Academy examination will, however, be reviewed in 1974. As regards the Special Class Railway Apprenticeship Examination it is understood from the Ministry of Railways who are administratively concerned that they have not introduced the Regional Languages as media for this examination pending review of the experience of introduction of use of regional languages in respect of the other examinations referred to in paragraphs 1 and 2. The question of giving option to the candidates to answer in regional languages some papers in the Special Class Railway Apprentices Examination is also being examined by the Ministry of Railways independently.

Reply in Hindi to Letters Received by Government in Hindi

9764. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether in accordance with the orders of Central Government, a letter received in Hindi should be replied to in Hindi, but these orders are not being carried out; and

(b) If so, whether Government propose to take any firm steps so that the orders in this regard are carried out ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) and (b) Orders exist that all letters received in Hindi should be replied to in Hindi. The quarterly progress reports which are obtained from all the Ministries/ Departments indicate that, by and large, these orders are being carried out.

Nationalisation of Cement Trade

9765. **Shri Onkar Lal Berwa**
Shri Ram Bhagat Paswan } : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to nationalise Cement trade ; and

(b) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Madhya Pradesh Government Employees on Deputation to the Ministry of Home Affairs

9766. **Shri Onkar Lal Barua**
Shri Dhan Shah Pradhan } : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the employees on deputation to the Central Government from Madhya Pradesh, in various departments of Ministry of Home Affairs are not being benefited with house rent alowance and CCA on part of the dearness pay declared by the Madhya Pradesh Government;

(b) whether the amount already given to the employees on part of the Dearness pay towards house rent allowance and CCA is being deducted from their pay;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action proposed to be taken by Government to check up this deduction from the pay of employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली के नया बाजार में दिन दहाड़े लूटपाट

9767. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1973 के "पैट्रियट" में "डे-लाइट राबरी", शापकीपर्स अलैज्जड पुलिस इनैक्शन" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उत्तरदायी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पुलिस में लिखाई गई शिकायत में केवल 18 रुपये लूटने का आरोप था। एक मामला दर्ज किया गया है तथा जांच-पड़ताल की जा रही है। कथित अपराधियों में से एक ने बताया है कि एक अनाज व्यापारी ने उस पर थूका था और जब उसने आपत्ति की तब उसे पीटा गया तथा बाद में लूट की झूठी शिकायत गढ़ दी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस भर्ती प्रणाली के नवीकरण के सम्बन्ध में गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य

9768. श्री भान सिंह भौरा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में कहा था कि सरकार पुलिस प्रशिक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार पुलिस भर्ती प्रणाली का वैज्ञानिक ढंग से नवीकरण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने पुलिस की भर्ती की पद्धति के संबंध में सिफारिश की है। सिफारिशें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

उड़ीसा भूमि विधेयक

9769. श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्री पी० गंगादेव } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास उड़ीसा भूमि विधेयक भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा विधेयक पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रूसी एकेडेमी आफ साइंसिज के बीच हुए करार की क्रियान्विति

9770. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर } : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष 10 मई को हुए करार की क्रियान्विति के लिए अनुसरण की जाने वाली विस्तृत प्रक्रियायों के बारे में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन और रूसी एकेडेमी आफ साइंसिज के बीच एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रूसी प्रतिनिधि-मण्डल ने 1973 के अप्रैल, मास में भारत का दौरा किया था ; और यदि हां, तो किए गए करार की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक लागू होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

7—M350LSS/73

(ख) रूसी विज्ञान अकादमी का एक दल मार्च-अप्रैल, 1973 में भारत आया था। एक भारतीय उपग्रह को रूसी राकेट की सहायता से एक रूसी अड्डे से छोड़ने के लिए भारतीय अंतरिक्षा अनुसंधान संगठन और रूसी विज्ञान अकादमी के मध्य हुए करार के कारगर ढंग से शीघ्र कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रक्रिया पर दोनों पक्ष सहमत हुए।

(ग) जो परियोजना वर्ष 1972 के मध्य में प्रारम्भ की गई थी उस पर कार्य जारी है।

Creation of a Cell for Plan Implementation

9771. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether any separate cell is being set up in the Planning Commission for plan implementation; and

(b) if so, the date from which it would start functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) Under its terms of reference, the Planning Commission is not directly responsible for the execution or implementation of Plan Projects and as such no separate cell for the purpose of Pan implementation is being set up in the Planning Commission. The Approach to the Fifth Plan spells out the main areas which call for major efforts to improve Plan implementation by the implementing agencies. In order to ensure effective implementation of projects, it is necessary to continuously monitor their implementation in a systematic way. With these tasks in view, the Planning Commission is proposing to set up a high-level Monitoring and Evaluation Unit and to reorganise and suitably strengthen the Industry & Minerals Division and the Project Appraisal Division to ensure better project appraisal, evaluation and implementation. The proposals in this regard are being processed.

Telegrams Booked in India in Devnagari during 1971-72 and 1972-73

9772. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number of telegrams booked at various Post Offices in India during the year 1971-72 and 1972-73 for being sent in Devanagri script ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : The total number of telegrams booked in Devnagari script in India during the years 1971-72 and 1972-73 was 9,38,777 and 11,13,349 respectively.

Reclamation of Chambal Valley in M.P.

9773. Shri Shrikrishna Agarwal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Planning Commission is formulating a new scheme for reclamation of the Chambal Valley in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the steps proposed to be taken in this regard during the year 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) The Committee of Joint Secretaries constituted by the Government in 1971 to suggest comprehensive development of the dacoit infested area of the Chambal Valley in the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan, set-up four Working Groups for preparing detailed schemes for development of this area. One of the Working Groups was on ravine reclamation. It has since submitted its report, copies of which have been placed in the Parliament Library. The report is under consideration of the Government in consultation with the concerned State Governments, the Ministry of Agriculture and the Planning Commission.

डाक विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति

9774. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का पूरा प्रतिनिधित्व है ; और

(ख) प्रत्येक जोन में गत दो वर्षों में कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं; तथा उन में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने उम्मीदवार नियुक्त किए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) डाकतार विभाग में श्रेणी **III** में क्लर्क/टेलीफोन आपरेटर/टेलीग्राफिस्ट काडरों में बहुतायत में भर्ती की जाती है। इन काडरों में सीधी भर्ती साल में दो बार की जाती है। पिछले वर्ष अनुसूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के निमित एक विशेष अभियान चलाया गया था ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित कोटे में आई गिरावट को पूरा किया जाए। इसके लिए विशेष भर्ती की गई थी। श्रेणी I में जब भी जरूरी होती है भर्ती की जाती है।

वर्ष 1971 और 1972 के दौरान श्रेणी **III** और **I** में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जितने उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं, उनकी संख्या संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया (देखिए संख्या एल० टी० 5028/73)]।

"इवेल्यूएशन सैल इन प्लानिंग बाडी" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

9775. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 15 अप्रैल, 1973 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "इवेल्यूएशन सैल इन प्लानिंग बाडी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) मूल्यांकन सैल को किस विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : एक उच्चस्तरीय प्रबोधन तथा मूल्यांकन एकक स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है। इस एकक के दुहरे उद्देश्य है :— (1) इस्पात, बिजली, तेल, उर्वरक, सिंचाई आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों में अर्थ-व्यवस्था की प्रगति का लगातार प्रबोधन करना तथा (2) इन क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वियन से सम्बन्धित आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करना।

मनीपुर में चावल मिलों के लिए लाईसेंस

9776. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान में चावल मनीपुर मिलों के लिए कई लाइसेन्स जारी किए गए थे ;

(ख) यदि हां तो कुल कितने लाइसेन्स जारी किए गए तथा विधान सभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उक्त अवधि में जिस ढंग से ये लाइसेन्स जारी किए गए थे, उसकी जनता ने गम्भीर आलोचना की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूरी जांच के बाद इस मामले पर पुनर्विचार करने का है ; और

(ङ) पुनर्विचार को कब तक क्रियान्वित करने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ) चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन अधिनियम, 1958) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा भारत सरकार चावल मिलिंग उद्योग का नियन्त्रण करती है। यह अधिनियम कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है उन्होंने चावल मिलों की अधिष्ठापना हेतु अनुमति और लाइसेंसों की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी है वे अधिनियम को लागू करती हैं। पूछी गई जानकारी औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

मनीपुर सरकार द्वारा उद्योगपतियों को दिया गया औद्योगिक ऋण तथा अनुदान

9777. **श्री एन० टोम्बी सिंह** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान मनीपुर सरकार ने कुल कितनी राशि के औद्योगिक ऋण अनुदान दिए तथा प्राप्त कर्ताओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन अनुदानों और ऋणों के लेन-देन में अपनाई गई प्रक्रिया के विरुद्ध लगाए गए गम्भीर आरोपों का पता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की पूरी जांच करने का है ;

(घ) क्या मनीपुर सरकार को वास्तविक उद्योगपत्तियों की ओर से यह शिकायत मिली हैं कि उनकी उपेक्षा की गई और संबंधित उद्योगपत्तियों को यह सुविधा दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर मनीपुर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रह मान अंसारी) : (क) से (ङ) : मणिपुर सरकार द्वारा जारी किए गए औद्योगिक ऋण और अनुदानों के बारे में सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है। फिर भी वर्ष 1972-73 के दौरान मणिपुर की राज्यस्तरीय समिति ने 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष अनुदान अथवा आर्थिक सहायता योजना के अधीन राज्य के 9 औद्योगिक एककों के लिए 23069 रु० की स्वीकृति की थी। उन एककों की एक सूची जिन्हें

आर्थिक सहायता मंजूर की गई संलग्न है। इस योजना के अधीन ऋण अथवा अनुदान मंजूर किए जाने के तरीके के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है :—

विवरण

	औद्योगिक एकक का नाम	स्वीकृति आर्थिक सहायता
1	मै० मणिपुर पोल्ट्री फीड प्रोडक्ट्स, चुराचांदपुर।	1,063 रु० भमि की सम्पूर्ण कीमत
2	मै० मणिपुर डीजल मनिपुखरी	2609 रु० भूमि और भवन का सम्पूर्ण मूल्य।
3	मै० स्वराज प्रिन्टिग प्रेस उरिपोक	3702 रु० भवन की सम्पूर्ण कीमत
4	मै० मणिपुर टायर वर्क्स एम० जी० ईवेन्यू इम्फाल	7979 रु० पुरानी भूमि की सम्पूर्ण कीमत तथा भवन की कीमत जिनके बारे में कोई भी रसीदें प्रस्तुत नहीं की गई हैं।
5	मै मणिपुर टेक्सटाइल्स नकीबाम लिकाई, इम्फाल	2555 रु० भूमि और भवन की सम्पूर्ण कीमत।
6	मै० इम्फाल साइकिल पार्ट मैन्यू एण्ड असेम्बलिंग सी० एम० लि० बांगलौर, इम्फाल	2153 रु० भूमि और भवन की सम्पूर्ण कीमत।
7	मै० जी० सी० प्रेस चुराचांदपुर	1156 रु० भूमि और भवन की सम्पूर्ण कीमत।
8	एल० मणिपुर जिला थान इम्फाल	150 रु०
9	मै० नारायण प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी इण्डस्ट्री वांहिंग बाम ढिलाई, इम्फाल	1702 रु० भवन की सम्पूर्ण कीमत
	कुल योग	23,069 रु०

मनीपुर में पुलिस कांस्टेबिलों और कार्यालय चपरासियों की नियुक्ति

9778. **श्री एन० टोम्बी सिह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनिपुर सरकार ने वर्ष 1972-73 में बहुत से पुलिस कांस्टेबलों और कार्यालय चपरासियों की नियुक्तियां की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन नियुक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है तथा क्या इन स्तरों पर किए गए कदाचारी की सम्भावना के बारे में वहां जनता ने आलोचना की थी ; और

(ग) क्या इस बारे में जनता द्वारा की गई व्यापक आलोचना को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने का विचार कर रहीं है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 347 कांस्टेबल और 114 कार्यालय चपरासियों की नियुक्ति की गई थी। प्रैस के एक भाग में इन नियुक्तियों के संबंध में कुछ जनता द्वारा आलोचना की गई थी।

(ग) अन्तिम मंत्रालय के भेग होने के परिणामस्वरूप कुछ कार्यालय चपरासी फ़ालतु हो गए थे और इस लिए उनकी नियुक्तियों का पुन:रीक्षण किया जा रहा है।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र पर मनीपुरी में बुलेटिन

9779. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से मनीपुरी भाषा में बुलैटिन आरम्भ किए जाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कब तक आरम्भ किया जाएगा तथा बुलैटिन की अवधि कितनी होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में कोकून के बीजों की आवश्यकता

9780. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा अरेंगे कि :

(क) क्या 20 करोड़ रुपयों के मूल्य के कोकून के बीजों की कुल आवश्यकता म से अकेले मैसूर राज्य को 13 करोड़ रुपयों के मूल्य के कोकून बीज की आवश्यकता है जबकि उस राज्य के रेशम उद्योगपतियों को पाँच करोड़ रुपयों के मूल्य में भी उक्त बीज नहीं दिए गए; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिया उर्रहमान अंसारी) : (क) मैसूर राज्य में रेशम कीट (कर्कन) बीज की वार्षिक आवश्यकता को, जो कि 13 करोड़ किसल्स पूर्ण रूप से सरकारी गोदामों तथा लाइसेन्स कृत बीज तैयार करने वालों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1973-74 के दौरान जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना तथा उनके लिए न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करने का आश्वासन

9781. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवचे पैदा करने और उनको शिक्षा, आवास तथा पेय जल जैसी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए सरकार ने वार्षिक योजना 1973–74 में व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार उसकी रूपरेखा क्या है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हाँ।

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशियां निम्न प्रकार हैं :—

(करोड़ रु०)

क—शिक्षा

(1) राज्य योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रावधान 67.00

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विस्तार तथा उसमें कोटि सुधार के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता— 30.00

(ख) रोजगार स्कीमें : (विशेष केन्द्रीय सहायता)

(1) 1971-72 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए आरम्भ की गई स्कीमें जो कि अभी चालू हैं। 33.00

(2) राज्य तथा संघशासित क्षेत्रों में विशेष रोजगार स्कीमें— 27.00 (आशा है कि राज्य सरकारें भी इतनी ही अंशदान करेंगी)

(3) शिक्षितों के लिए पांच लाख रोजगारों का कार्यक्रम— 100.00

(4) ग्राम रोजगार के लिए त्वरित स्कीमः— 50.00

(5) लघु कृषक अभिकरण तथा सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक 20.00

(6) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 22.00

(ग) ग्राम वास भूमि 5.00

(घ) गन्दी बस्तियों का सुधार 15.00

(ङ) ग्राम जलसंभरण से संबंधित त्वरित कार्यक्रम 15.00

इन कार्यक्रमों के लिए राज्यवार आवंटन योजना आयोग तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अभी अन्तिम रूप से निर्धारित किए जाने हैं।

श्रेणी तीन के कर्मचारियों द्वारा अपनी परिसम्पत्ति तथा दायित्वों की घोषणा

9782. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के श्रेणी तीन के सभी कर्मचारियों को भविष्य में अपनी परिसम्पत्तियां तथा दायित्वों की घोषणा करने को कहने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने का क्या औचित्य है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 के अनुसरण में, जिसके अधीन प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को, चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी को छोड़कर, अपनी परिसम्पत्तियां तथा दायित्वों की एक विवरणी प्रस्तुत करनी आवश्यक है, श्रेणी तीन के कर्मचारियों समेत सभी सवारी कर्मचारियों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियां तथा दायित्वों को निर्धारित फार्म में प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु इसमें चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हैं। तथापि, जहां तक श्रेणी तीन के सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, श्रेणी तीन के सरकारी कर्मचारियों की विशिष्ट श्रेणियों को अपनी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट प्रदान करने के बारे में नियमों के अधीन व्यवस्था है, जहां कहीं ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करनी आवश्यक न समझी जाएं।

(ख) भ्रष्टाचार निरोध समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिये अभिकल्पित एक उपाय के रूप में उपरोक्त निर्दिष्ट नियम 18 को बनाया गया था।

विदेशी शक्तियों द्वारा किए जाने वाले षडयन्त्र के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

9783. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने 24 मार्च 1973 को कलकत्ता में अपने एक सार्वजनिक भाषण में जनता को यह चेतावनी दी है कि देश तथा राज्य के राजनैतिक तथा आर्थिक स्थायित्व को बिगड़ाने के लिये कुछ विदेशी शक्तियों और एकाधिकारियों का एक वर्ग केन्द्र और पश्चिम बंगाल के विरुद्ध षड्यन्त्र रच रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े जिलों का विकास

9784. **श्री ए० के० इसहाक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े जिलों के विकास के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या अग्रेतर कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इन सरकारों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) चौथी योजना अवधि में राज्यों को केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार दी जा रही है। सहायता की राशि योजना के लिए समग्र रूप में एकमुश्त ऋणों तथा एकमुश्त अनुदानों के रूप में दी जा रही है न कि किसी विशेष विशेष क्षेत्र अथवा स्कीम के लिए।

(ख) 1973–74 में इन राज्यों में से (पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर-पूर्वी राज्य) निम्नांकित दो राज्य सरकारों के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता आवंटित करने का प्रस्ताव किया है:—

		(लाख रु०)
(1) पश्चिम बंगाल	दार्जिलिग पहाड़ी क्षेत्र	25.00
	उत्तरी बंगाल	6.85
	झारग्राम क्षेत्र (मिदनापुर)	10.00
	सुन्दरवन क्षेत्र	35.00
	हल्दिया	5.00
		81.85

(2) बिहार—1973–74 म छोटानागपुर तथा सन्थाल परगना क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार से 32.86 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रतास्व प्राप्त हुए हैं।

(ग) जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार ने राज्य के अभिन्न अंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 81.85 लाख रुपये की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। बिहार सरकार से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

सुन्दरवन, छोटा नागपुर और सन्थाल परगना के जिलों का औद्योगिक सर्वेक्षण

9785. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में सुन्दरवन, छोटानागपुर और संथाल परगना के जिलों की औद्योगिक क्षमताओं का पता लगाने के लिये इन क्षेत्रों औद्योगिक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) 16 सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य लघु उद्योग निदेशालय ने 1971 में पश्चिम बंगाल के सभी जिलों का औद्योगिक सर्वेक्षण किया था और राज्य सरकार ने उस पर अनुवर्ती कार्यवाही की थी। जहां तक संथाल परगना जिलों का संबंध है, बिहार राज्य का तकनीकी---आर्थिक सर्वेक्षण आई०डी०बी०आई० के संयुक्त संगठनात्मक अध्ययन दल ने किया था जिसमें सम्पूर्ण बिहार राज्य सम्मिलित है, जिस पर राज्य सरकार के परामर्श से निदेशक समिति द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों को सरकारी उपक्रमों में स्थानान्तरित करने पर लाभ

9786. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिन्हें या तो सरकारी उपक्रमों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है या वहां काम सौंपा जाता है स्वत: पेंशन, अंशदायी भविष्य निधि, अवकाश, अन्य लाभ और सुविधाओं के संबंध में अपनी पिछली सरकारी सेवाओं के सारे लाभों के लिये हकदार हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारी, जिन्हें या तो सरकारी स्वायत्त संगठन में स्थानान्तरित किया जाता है या काम सौंपा जाता है, ऐसे लाभों और सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा अपनी कर्मचारियों के साथ ऐसी भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सरकारी कर्मचारियों को लोक हित में सरकारी क्षेत्र उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त निकायों में, प्रतिनियुक्त किया जाता है और जिन्हें उन निकायों में स्थायी रूप से खपा लिया जाता है, वे अनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभों तथा अवकाश के अग्रनीत करने सम्बन्धी लाभों के भी पात्र हैं। अनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ सरकारी कर्मचारी को सरकारी क्षेत्र उपक्रम में खपा लिए जाने की तारीख से देय है, जबकि एक स्वायत्त निकाय में खपाये जाने वाली सरकारी कर्मचारी के मामले में आनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ उस पर लागू नियमों के अनुसार उस तारीख से जिससे वह सरकारी सेवा से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने के लिये पात्र होता अथवा खपा लिए जाने की तारीख से, जो भी बाद में आती हो, देय हैं।

(ग) चूंकि स्वायत्त निकायों में खपा लिया जाना सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में समावेशन किए जाने की अपेक्षा भिन्न आधार पर है, अत: इन दो श्रेणियों के मामलों में समानता लाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'फाइव पास्ट फाइव, कथा चित्र

9787. **श्री शंकर राव सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'फाइव पास्ट फाइव' कथा चित्र सेंसर बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था और वह कुछ स्थानों पर प्रदर्शित किया गया था;

(ख) क्या निर्माता को इस आशय का 'कारण बताओ' नोटिस जारी किय गया है कि उक्त फिल्म पर प्रतिबन्ध क्यों न लगाया जाय; और

(ग) यदि हां, तो यह 'कारण बताओ' नोटिस जारी करने के क्या कारण हैं और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) यह फिल्म 27-11-69 को संसद में प्रश्न का विषय थी । तदपश्चात् सरकार ने फिल्म को पुन: देखा और निर्माता से कहा है कि वह यह बताये कि फिल्म चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 (ख) (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाली फिल्म क्यों न मानी जाए । मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

राज्यों में योजना बोर्डों का सुदृढ़ बनाना

9788. **श्री रानेन सैन** :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आश्य की शिकायतें प्राप्त हुई है कि कुछ राज्य योजना बोर्ड अपने पर सौंपे गये दायित्वों को निभाने के लिए पर्याप्त रूप से लैस नहीं हैं;

(ख) क्या कुछ बोर्डों के पास तकनीकी कार्य करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र ऐसे योजना बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए कोई कार्यवाही कर रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) योजना आयोग इस तथ्य से अवगत है कि कई राज्यों में योजना तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य योजना विभागों को कार्यकारी एककों के रूप में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव किया गया है । इसके लिए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाय ताकि भावी योजना, परियोजना मूल्यांकन, प्रबोधन तथा मूल्यांकन क्षेत्र आयोजन तथा योजना समन्वय से संबंधित समस्याओं को हल किया जा सके । यह परिकल्पना की गई है कि पुनर्गठित तथा सुदृढ़ योजना विभाग राज्य योजना बोर्डों के तकनीकी तथा सचिवालय स्कंधों के कार्य निष्पादित सहमति हो चुकी है कि उपर्युक्त प्रस्तावों के अनुसार राज्य योजना तंत्र को सुदृढ़ करने से संबंधित अतिरिक्त व्यय के दो तिहाई भाग को केन्द्रीय सरकार राज्यों को वापस करेगी ।

केन्द्र में योजना व्यवस्था पर होने वाले व्यय में वृद्धि

9789. **श्री रानेन सैन** : : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र में योजना व्यवस्था पर होने वाले व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है ?

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में केन्द्रीय योजना व्यवस्था पर व्यय में कुल वृद्धि कितनी हुई है ?

(ग) चालू वर्ष में इसमें अनुमानित कितना व्यय होगा ? और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में इसमें कितनी वद्धि होने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) इस खर्चे में केवल थोड़ी वृद्धि हुई है ।

(ख) विगत तीन वर्षों में केन्द्रीय योजना व्यवस्था पर होने वाले खर्च में जो कुल वृद्धि हुई वह इस प्रकार है :–

1970–71	11.61 लाख (1969–70 की तुलना में)
1971–72	3.91 लाख (1970-71 की तुलना में)
1972–73	12.37 लाख (1971-72 की तुलना में)

(ग) 183.50 लाख रुपए ।

(घ) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में खर्च में कितनी वृद्धि हो जायेगी ।

जामनगर में टेलीफोनों का लगाया जाना

9790. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामनगर में कुल कितने टेलीफोन हैं,

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान नये कनैक्शन लगाने के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ग) वर्ष 1972-73 में कितने नये टेलीफोन लगाये गये, और

(घ) कितने आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 2849, (ख) 711, (ग) 614 (घ) 1147. एक्सचेंज केबुल क्षमता और लाइन स्टोर की कमी के कारण इन आवेदनों पर टलीफोन देना बाकी है ।

दिल्ली में पैनल काल्स फार इण्डस्ट्रीयल लैंड डेवेलपमेन्ट बाड़ी

9791. **श्री एस० ए० युरुगनन्तम** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1973 के इंडियन एक्सचेंज में "पैनल काल्स फार इंडस्ट्रीयल लैंड डेवेलपमेंट बाड़ी" शर्षिक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन ने संघ क्षेत्र में औद्योगिक विकास को तीव्र करने की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना की व्यवस्था करने और दिल्ली के उद्योगों की कठिनाइयों की जांच करने के लिए मुख्य कार्यकारी पार्षद की अध्यक्षता में एक औद्योगिक नामिका का गठन किया था । औद्योगिक नामिका की सिफारिशों में औद्योगिक भूमि विकास निगम की स्थापना करने की एक सिफारिश थी । औद्योगिक नामिका की रिपोर्ट अभी दिल्ली प्रशासन को पेश की जायेगी ।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के निवासियों से उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के बारे में अभ्यावेदन

9792. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय की अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के निवासियों से उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या लोक सभा की सीटें बढ़ाने के बारे में विचार करने से पूर्व उन व्यक्तियों की, विशेषकर प्रवासियों और नए बसने वालों को अनुसूचित जाति का समझा जायेगा अथवा उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने पर विचार किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह की जनसंख्या का कोई भी वर्ग अस्पृश्यता की प्रथा के फलस्वरूप वास्तविक बाधा से पीड़ित नहीं है। अत: वहां के निवासियों के वर्गों को अनुसूचित जाति मानने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आविष्कार संवर्धन बोर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को हस्तान्तरण

9793. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आविष्कार संवर्धन बोर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है ; और

(ख) औद्योगिक विकास विभाग से डी० जी० टी० डी० और आयात प्रतिस्थापन बोर्ड विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग को हस्तांतरित न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) तकनीकी विकास का महानिदेशालय औद्योगिक विकास मंत्रालय का एक तकनीकी स्कंध है। यह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम को कार्यान्वयन हेतु बहुत से विकास सम्बन्धी और विनियमनकारी कार्य करता है। आयात प्रतिस्थापन भी औद्योगिक विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तदनुसार तकनीकी विकास का महानिदेशालय तथा आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं।

कूच बिहार में खोले गये विभिन्न श्रेणियों के डाकघर

9794. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कूच बिहार जिले में विभिन्न श्रेणियों के कितने डाक घर खोले गए हैं ;

(ख) अभी कितने और मामले स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़े हैं ?

(ग) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में डाकघर, तार-घर तथा सार्वजनिक टेलिफोन बूथ खोलने के लिए उनके मंत्रालय को अब तक कितने अभ्यावेदन प्रात हुए हैं और

(घ) उन मामलों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(क)

वर्ष	खोले गए डाकघरों की संख्या	
	शाखा डाकघर	उपडाकघर
1970-71	2	कोई नहीं
1971-72	4	1
1972-73	4	कोई नहीं

(ख) 15

(ग) निम्नलिखित के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं :—

डाकघर खोलने के लिए	15
तारघर खोलने के लिए	3
पी० सी० ओ० खोलने के लिए	2

(घ) **डाकघर**

नए डाकघर खोलने लिए इन प्रस्तावों की जांच में मूल डाकघर और प्रस्तावित डाकघर दोनों की आय और खर्च, दूरी और जनसंख्या आदि प्रश्नों की जांच निहित है। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

तारघर

तारघर खोलने से संबंधित दो प्रस्तावों की जांच अभी चल रही है। एक तारघर की मंजूरी दी जा चुकी है और वह शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगा।

पी० सी० ओ०

दोनों प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गई है।

भारतीय सीमेंट निगम के कारखानों में उत्पादित सीमेंट का वितरण

9795. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जनवरी 1973 को भारतीय सीमेन्ट निगम को यह अनुदेश जारी किए है कि भारतीय सीमेंन्ट निगम के कारखानों में उत्पादित सीमेन्ट का वितरण-कार्य 1 अप्रैल, 1973 से भारतीय सीमेन्ट निगम को ले लेना चाहिए ;

(ख) क्या भारतीय सीमेन्ट निगम ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है और सीमेन्ट का वितरण अभी भी गैर-सरकारी पार्टियों के हाथ में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो (एक) मंत्रालय के आदेशों को क्रियांवित न करते तथा गैर-सरकारी पार्टियों को वितरण कार्य करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया अभी अपने कारखानों में बने सीमेंट के वितरण का कार्य हाथ में नहीं ले सका है क्योंकि क्षेत्रीय वितरकों से की गई वर्तमान व्यवस्था को खत्म करने हेतु नोटिस जारी करना, क्षेत्रीय कार्यालय खोलना, कर्मचारियों की भर्ती आदि की कतिपय प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताएं वस्तुतः हाथ में लिए जाने के पूर्व पूरी करना हैं । निगम इनकी जांच कर रहा है ।

पिछड़े क्षेत्रों में डाक तथा तार घर

9796. श्री मधु दंडवते
श्री बख्सी नायक } क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने, डाक तथा तार घर केन्द्रों की न्यूनतम आय की शर्तों के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों को नई रियायतें देने की सरकार की सामान्य–नीति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस उद्देश्य के लिए पिछड़े क्षेत्रों की सूची में रखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जिला रत्नगिरी महाराष्ट्र की इस उद्देश्य के लिए सूची में एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

अनुसंधान तथा विकास पर व्यय की गयी कुल राष्ट्रीय उत्पादन की प्रतिशतता

9797. श्री मधु दंडवते : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल राष्ट्रीय उत्पादन की कितनी प्रतिशतता प्रतिवर्ष अनुसंधान तथा विकास पर व्यय की जाती है;

(ख) ब्रिटेन और रूस की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाला व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार है ।

(क) गत कुछ वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास कार्य पर किया गया व्यय कुल राष्ट्रीय उत्पादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्न प्रकार है :

वर्ष	कुल राष्ट्रीय उत्पादन की प्रतिशतता रूप में अनुसंधान और विकास पर पर किया गया व्यय
1958–59	0.23
1965–66	0.39
1968–69	0.44
1969–70	0.44
1970–71	0.48
1971–72	0.54

(ख) भारत, ब्रिटेन तथा रूस के अनुसंधान और विकास कार्य पर व्यय की तुलनात्मक संख्याएं निम्न प्रकार है :

राष्ट्र	वर्ष	कुल राष्ट्रीय उत्पादन की प्रमिशतता के रूप में अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय	वर्ष	कुल राष्ट्रीय उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय
भारत	1965	0.34	1969	0.44
ब्रिटेन	1965	2.3	1966	2.4
रूस	1964	2.5	1969	3.8

(ग) जी नहीं। परन्तु सरकार अनुसंधान और विकास कार्य पर अधिकाधिक निधि का आवंटन कर रही है तथा उसने यह स्वीकार किया है कि पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान अनुसंधान और विकास कार्य पर राष्ट्रीय निवेश इस परिणाम में हो कि पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक यह संख्या अनुसंधान और विकास के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 1 प्रतिशत के निकटतम संभावित रूप से उलपलब्ध हो जाये।

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस द्वारा अपानीगाडा, आंध्र प्रदेश में महिला सत्याग्रहियों पर लाठी

9798. **श्री मधु दंडवते :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस ने अपानीगाडा, आंन्ध्र प्रदेश में एक गर्भवती महिला सहित शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही महिला सत्याग्रहियां पर लाठी चलाई थी ;

(ख) क्या इस मामले में न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, को इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है। फिर भी तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Grant of Pension to Freedom Fighters

9799 . **Shri Ramavatar Shastri**
Shri Mahadeepak Singh Shakya } Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of freedom fighters who applied for pension till the 30th April, last Statewise ;

(b) the State-wise number of freedom fighters who gave been sanctioned pension till the 30th April 1973;

(c) whether even after the sanction there is inordinate delay in the payment of pension to the freedom fighters; and

(d) if so, the reasons therefor and the action taken by Government to avoid the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b): Information is given in the attached statement .

(c) and (d) After a freedom fighter has been found eligible an order sanctioning pension is issued to the Audit authorties of the area/State concerned. Simultaneously the freedom fighter is advised to furnish the necessary documents to the concerned authorities. The issue of requisite authority to draw pension depends on the receipt of these documents from the freedom fighter. Generally it takes 4 to 5 weeks for the first payment of the pension to be made to the freedom fighters. The Audit authorities have, however, been requested to issue instructions for payment of pension as early as possible.

Statement

State	Received upto 30-4-73	Sanctioned
Andaman and Nicobar .	7	—
Andhra Pradash .	9139	2076
Arunachal Pradash	—	—
Assam . .	4420	847
Bihar . .	12756	3264
Chandigarh	135	37

State	Received upto 30-4-73	Sanctioned
Delhi	2127	901
Goa	1106	182
Gujarat	4117	1011
Haryana	3770	507
Himachal Pradash .	1351	58
Jammu & Kashmir	902	74
Karala . .	4751	649
Madhya Pradash	3973	791
Maharashtra .	12196	5394
Manipur	244	14
Meghalaya	96	30
Mizoram	2	2
Mysore .	9250	1749
Nagaland	2	—
Orissa .	3909	1507
Pondicherry	387	147
Punjab .	10934	1621
Rajasthan	1696	220
Tamil Nadu .	10085	1872
Tripura , .	900	83
Uttar Pradash . .	19292	5917
West Bangal . .	14631	3210
Total	132178	32163

गौरीपुर कैंटेनर एण्ड क्लोजर, नयाहाटी (पश्चिम बंगाल की) क्षमता का उपयोग

9800. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गौरीपुर कैंटेनर एण्ड क्लोजर (नयाहाटी, जिला 24 परगाना) का नियन्त्रण अपने हाथ में लेने के बाद उसकी पूर्ण उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मणयम) : मैसर्स कन्टेनरस् एण्ड क्लोज़रस् लिमिटेड के प्रबन्ध के लिए जाने के आदेश 29 नवम्बर, 1972 को जारी किए गये थे और वास्तव में प्रबन्ध 4 दिसम्बर, 1972 को हाथ में लिया गया था। इन्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया को उनका प्राधिकारी व्यक्ति नियुक्त किया गया था। 9 फरवरी, 1973 तक संयंत्र और मशीनें ठीक-ठाक करने की व्यवस्था की गई। कारखाने और कार्यालय को चलाने हेतु संगठन के प्रबन्धकीय पदों को भरा गया। वास्तविक उत्पादन 11 फरवरी, 1973 को प्रारंभ हुआ और क्रमशः बढ़ता रहा है। कच्चा माल प्राप्त करने

के प्रयास जारी हैं ताकि भिन्न-भिन्न कर्मशालाओं में उत्पादन शुरू हो और बढ़े। अधिक कयादेश प्राप्त करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

Discontentment Among Employees of Ranchi A.I.R.

9101. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether great discontentment is prevailing among the employees of Ranchi Station of A.I.R. over the working system there;

(b) whether memoranda have been sent to him in this regard, time and again;

(c) if so, the main contents thereof; and

(d) Government's reaction thereto ?

Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) (a) No, Sir.

(b) to (d) Complaints containing allegations of malpractices and misconduct against the Station Director were received. These are being enquired into.

Grant of Pension to Freedom Fighters amongst Members of Parliament and State Legislatures

9802 Shri Ramavtar Shastri: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4118 on 21st March, 1973 regarding grant of pension to freedom fighters amongst Members of Parliament and State Legislatures and state :

(a) the State wise names of such freedom fighters who have applied for pension; and

(b) the decision taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) So far 13 applications have been received. These are all from the Members of Parliament. A statement showing their names and States is attached.

(b) Pension will be sanctioned in all these and similar cases received hereafter immediately on receipt of declaration that their annual income has fallen below Rs. 5,000. This is subject to other conditions of eligibility being fulfilled.

Statement

Statement showing the names of freedom fighters amongst Members of Parliament and State Legislatures from whom applications for the grant of pension from the Central Government have been received

Sl. No.	Name	State
1.	Shri S. B. Giri, M. P. (Lok Sabha)	Andhra Pradesh
2.	Shri Bhola Prashad, M. P. (Rajya Sabha)	Bihar
3.	Shri Ramavtar Shastri, M. P. (Lok Shaba)	Bihar
4.	Shri Balachandra Menon, M. P. (Lok Sabha)	Kerala
5.	Shri Gangacharan Dixit, M. P. (Lok Sabha)	Madhya Pradesh
6.	Shri Jagannath Rao Joshi, M. P. (Lok Sabha)	Madhya Pradesh
7.	Shri T. D. Kamble, M. P. (Lok Sabha)	Maharashtra

Sl. No.	Name	State
8.	Shri K. Baladhandayutham, M. P. (Lok Sabha)	Tamil Nadu
9.	Shri M. Kalyanasuudaram, M. P. (Lok Sabha)	Tamil Nadu
10.	Shri N. K. Krishnan, M. P. (Rajya Sabha)	Tamil Nadu
11.	Shri Anant Prasad Dhusia, M. P. (Lok Sabha)	Uttar Pradesh
12.	Shri Bhupesh Gupta, M. P. (Rajya Sabha)	West Bangal
13.	Dr. Ranen Sen, M. P. (Lok Sabha)	West Bangal

Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in B.S.F. and C.R.P.

9803. **Shri Dhan Shah Pradhan**
Shri D. B. Chandra Gowda } Will the Minister of **Home Affairs be pleased to** state :

(a) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes holding gazetted and other posts in Border Security Force and Central Reserve Police under his Ministry at present; and

(b) the selection procedure for recruitment in such type of forces particularly with a view to appointing maximum number of persons belonging to these castes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) and (b) : The information is not readily available which is being collected and will be placed on the Table of the House.

मालवीय नगर में अनधिकृत रूप से बनी झुग्गियों को गिराना

9804. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उपराज्यपाल को मालवीय नगर, नई दिल्ली में 'एफ०' ब्लाक के निकट सरकारी भूमि पर अनधिकृत झुग्गियों के निर्माण के बारे में श्री गिरराज प्रसाद गर्ग तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या मालवीय नगर के थाना इंचार्ज दक्षिण दिल्ली के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को उपरोक्त शिकायत मिली थी परन्तु उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो अनधिकृत रूप से बनी झुग्गियों को गिराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मालवीय नगर के थाना इंचार्ज, दक्षिण दिल्ली के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को शिकायत मिली थी तथा पूछताछ की गई थी।

(ग) मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है।

फिरोजाबाद और वाराणसी के दंगों के बारे में प्रतिवेदन

9805. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री 28 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 934 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से इस बीच जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जांच प्रतिवेदन अभी उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है और अभी तक केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है।

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार

9806. **श्री अम्बेश** : क्या **गृह** मंत्री 7 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2306 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार से इस बीच तथ्य सुनिश्चित कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका संक्षिप्त विवरण क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ये सभा-पटल पर कब तक रखे जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार तथा मध्य प्रदेश से आदिवासी लोग, महिलाएं, युवतियों को जिला गौंडा स्थित ईंट-भट्टों में मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिये ठेकेदारों द्वारा लाया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान न तो किसी आदिवासी युवती के कथित बलात्कार की कोई रिपोर्ट जिला पुलिस को लिखाई गई है और न ही इस आशय की कोई शिकायत ही हुई है कि आदिवासी युवतियां कपटपूर्ण तरीकों के द्वारा लाई गईं थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र को कागज और सीमेंट परियोजनाओं के लिए लाइसेंस जारी करना

9807. **सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र को कागज और सीमेन्ट परियोजनाओं के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टियों को कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) क्या उसमें से कुछ का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(घ) क्या बनाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टियों को कागज और सीमेन्ट परियोजनाओं के लिये 1971-72 में क्रमशः 24 तथा 12 लाइसेंस जारी किए गये। इनमें से कुछ लाइसेंसों को क्रियान्वित किया जा चुका है तथा कुछ अन्य को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : कागज और सीमेन्ट उद्योगों के पनपने की अवधि समान्यतया 4 से 5 वर्ष तक होती है।

(घ) और (ङ) : कोई नई नीति निर्धारित नहीं की गई है। किन्तु लाइसेन्सों के क्रियान्वयन पर सावधिक संवीक्षा द्वारा बराबर नजर रखी जाती है।

DEVELOPMENT OF ADIVASI AREAS

9808. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister has asked the Planning Commission to prepare a special plan for the development of Adivasi areas ; and

(b) if so, whether the Adivasi areas of Bihar, Bengal and Assam are being included therein ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) ; (a) and (b). Integrated Area development approach is being considered for the development of Adivasi Areas including those in Bihar, West Bangal and Assam. It is proposed to reorganise the development of tribal areas to have larger, viable administrative units, so that inputs for minor irrigation, agriculture, marketing higher education and other development programmes could be effectively utilised. Fund would be flown to these areas for various sectoral programmes. Education, medical health care, nutrition, drinking water supply and other social services in these areas would receive priority under minimum programme.

Security Arrangements for Central Ministers Visiting States

9809. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether the two Central Ministers, Shri Bahuguna and Shri Sidheshwar Prashad went to Allahabad on 9th April, 1973 to participate in a meeting held in a college;

(*b*) whether somebody fired on them;

(*c*) if so, whether Central Government make security arrangements for the Central Ministers while they are on tour; and

(*d*) if so, how and if not the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (*a*) and (*b*) : Yes Sir. In the annual function of the students union of the CMP College, Allahabad held on 9th April 1973, a student fired in the air in order to disturb the meeting.

(*c*) and (*d*) : Security arrangements for Minister of the Central Government while on tour are made by the State Government/Administration in whose jurisdiction they happened to be.

बिड़ला, टाटा और गोयन्का के एकाधिकार गृहों को लाइसेंस जारी करना

9810. श्री शशिभूषण
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 के दौरान और मार्च, 1973 तक बिड़ला, टाटा और गोयन्का फर्मों के एकाधिकार गृहों को अपने एककों का विस्तार करने और नई परियोजनायें आरम्भ करने के लिये कितने नये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) उन लाइसेंसों का कुल मूल्य क्या है ;

(ग) क्या इन ग्रुपों की फर्मों के विस्तार करने हेतु लाइसेंसों के लिये कुछ आवेदन-पत्र निपटाने के लिये अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके प्रत्येक ग्रुप के कितने आवेदन-पत्र हैं और उनका मुल्य क्या है और क्या विस्तार की अनुमति देने से पूर्व इन आवेदन-पत्रों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1 जनवरी 1972 से 31 मार्च 1973 की अवधि के दौरान टाटा, बिरला और गोयन्का ग्रुप के अथवा उनके द्वारा नियंत्रित फर्मों में नई वस्तुएं बनाने, विद्यमान उपक्रमों में पर्याप्त विस्तार करने, तथा नये उपक्रम स्थापित करने हेतु दिये गये लाइसेंसों की संख्या इस प्रकार है :—

(जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या)

	नये उपक्रमों के लिए	पर्याप्त विस्तार के लिए	नई वस्तुओं के लिए
बिरला	—	3	3
टाटा	—	4	—
गोइन्का	—	—	—

(ख) लाइसेंसों की क्षमता उत्पादन के मूल्य पर नहीं बल्कि वास्तविक उत्पादन के आधार पर नियत की गई थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) बिरला, टाटा और गोयन्का से सम्बन्धित लाइसेंसों के विस्तार के अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या नीचे दी जाती है :—

बिरला	18
टाटा	6
गोयनका	6

आमतौर से औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनपत्र मूल्य पर नहीं अपितु वास्तविक उत्पादन क्षमता के लिए दिए जाते हैं और तदनुसार उनपर विचार किया जाता है । इसके पहले कि उन पर अन्तिम निर्णय लिया जाये इन आवेदन-पत्रों की अच्छी तरह छान बीन की जाती है ।

दिल्ली प्रशासन में स्वतन्त्रता सेनानियों को लाभ

9811. **श्री शशि भूषण**
श्री यमुना प्रसदा मंडल } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में कितने स्वतन्त्रता सेनानी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) वे वहां कबसे कार्य कर रहे हैं; और

(ग) उनके लिये किन विशेष लाभों और पदोन्नति सम्बन्धी किन तरजीही अवसरों की व्यवस्था है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पांच।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनमें से दो 1952 से कार्य कर रहे हैं तीसरा 1957 में तथा चौथा और पांचवा क्रमश: 1961 तथा 1962 में सेवा में आये थे।

(ग) इन कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ अथवा पदोन्नति संबंधी तरजीही के अवसर नहीं दिये गये हैं।

Village Unit Level as Basis of Planning During Fifth Plan

9812. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state whether the basis of Fifth Five Year Plan is planning at the village unit level and if so, the broad outlines of the proposals in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : Planning from below has long been accepted as an effective basis of development. The Centre has, time and again, reiterated that development is not something that comes from outside or above, but what each State, District, locality and community does to develop its own resources and potentialities. The concomitants of this approach are wide diffusion of initiative, decision-making and participation as also a parallel shouldering of responsibilities.

States have been requested to augment their planning capabilities and evolve procedures for involving the people in the total process of plan formulation. They have also been requested to take up the formulation of district plan in connection with which, it has been proposed that panels of agriculturists, Cooperatives, entrepreneurs and other knowledgeable persons drawn for the filed should be consulted at various stages of the plan formulation.

Amount Spent on Welfare of Backward Classses

9813. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Government have any scheme under which a particular, backward class could become self-sufficient by spending a particulr amount on it;

(*b*) whether Government have any overall plan for different backward areas under which the backwardness of different areas could be removed by spending particular amounts on particular works in these areas; and

(*c*) if so, the total amount required and the amounts required for each State as well as the broad outlines of the works for which this amount is required ?

The Deputy Minster in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H Mohsin) : (*a*) Programmes under the backward classes plan are intended for the welfare of three categories, namely, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Denotified Nomadic and Semi-nomadic Tribes. These are treated as one category and there are no Separate schemes for any particular caste or tribe.

(*b*) and (*c*) The State Governments are implementing schemes for the development of backward areas in their States. Central assistance is given by way of block grants and loans, but no mount is specifically earmarked for any particular backward area.

Criteria to Issue Commemorative Postal Stamps

9814. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether the Department of Communications issues postal stamps on special occassions in the country in th memory of distinguished leaders and if so, the criteria adopted therefor;

(*b*) the expenditure incurred during the last year on the commemorative stamps; and

(*c*) the names of the distinguished personalities in whose memory special postal stamps were issued in 1972 ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (*a*) Yes Sir. Guidelines for the issue of special/commemorative postage stamps are given in Annexure 'A'.

(*b*) The information is being collected and will be placed on the table of the House.

(*c*) A list is enclosed at Annexure 'B'. [Placed in Library Sec. No. L.T. 5029/73].

Employment for All Educated Unemployed

9815. **Shri M.C. Daga**
Shri Shiv Kumar Shastri } : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) whether attention of Government has been drawn to the news-item in the 'Hindustan' dated the 17th April, 1973 under the caption 'Is varsh ke ant tak koi shikshit bekar nahin rahega—Shri Dharia' (No educated person will remain unemployed by the end of this year); and

(*b*) if so, the schemes formulated by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) It is obvious that the Minister's remarks have been misreported. The schemes which have been formulated or are under formulation by various State Governments and in connection with which the statement was made, aim at creating additional job opportunities for half a million educated persons in 1973-74 out of nearly 33 lakhs of educated unemployed on the live registers of Employment Exchanges as on 31-12-1972. These schemes can be classified as under :

(*i*) self-employment programmes;

(*ii*) training programmes to prepare persons for regular employment in new jobs which would arise in the first year of the Fifth Plan;

(*iii*) subsidised employment of engineering degree/diploma holders, architects and other specially qualified persons by private sector and cooperatives.

A copy of the guidelines issued by the Government is attached.

Statement

HALF MILLIONS JOBS PROGRAMME(1973-74) FOR EDUCATED UNEMPLOYED.

Guidelines

1. Employment programmes should be such as could be dovetailed with the existing development programmes or with the programmes to be taken up in the Fifth Five Year Plan. Schemes should be such as do not need recurring assistance but enable the persons employed to get absorbed in the normal stream of the economy. While providing jobs opportunities, emphasis should be laid on self-generating employment. The schemes should be such as can generate more and more employment and have multiplier effect. They should be productive and labour intensive.
2. All out efforts should be made so that at least 20% of the educated unemployed are absorbed during the year 1973-74 in such State (as far as possible, District-wise).
3. Engineers and highly qualified technicians who are yet unemployed should be given first priority and all efforts should be made to provide gainful employment opportunties to all such engineers and highly qualified technologists during the year 1973-74.
4. Educated unemployed persons from a family having no source of income should get priority over others.
5. Special attention should be given in providing employment to the graudates grom scheduled castes and scheduled tribes and minorities. Similarly, war widows, unemployed educated from scavengers' community, disabled educated youngsters and such other deserving cases should get special treatment.

6. Training programmes may be undertaken to improve the employment and absorptive potential of the educated unemployed. Requirements of the Fifth Plan programmes with special reference to the Annual Plan for next year may be the basis for such training programmes. While formulating the Training Schemes it may be kept in view that the funds under the Half-a-Million Jobs Programmes for Educated Employed will be available to finance only the stipends for the trainees, marginal increases in training personnel and marginal increases in training equipment. The other expenditure on buildings, vehicles, etc would have to be met by the State Government from its own resources.

7. Establishment of functional ancilliary industrial and special industrial estates like electronics estates or plastics estates may be encouraged. However, investments for the creation of such estates should be mobilised from institutional finance or State finance. Margin money contribution from this fund could be considered on merits.

8. Small-scale industries and cottage industries requiring lesser capital but which are production and labour-oriented should be given due importance and adequate protection.

9. Consumers cooperatives, credit cooperatives, service cooperatives, industrial cooperatives etc., belonging to educated unemployed may be sponsored and encouraged by providing marging money or share-capital contribution.

10. For proper implementation of these schemes, a special cell should be created at the State level with a Minister in charge and one officer of the rank of Secretary. Such cells should also include representatives from banks, Public Finance Institutions, Industries, Corporations etc. Similar cells should be prepared at District level as well. These cells should often meet and monitor the implementation of these schemes.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का विकेन्द्रीकरण करने की दृष्टि से इसका पुनर्गठन

9816. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने हाल ही में घोषणा की है कि इसका विकेन्द्रीकरण करनेकी दृष्टि से इसका पुनर्गठन किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ये प्रस्ताव सरकार समिति की सिफारिशों के कहां तक अनुरूप है और कहां तक इससे भिन्न है ?

औद्योअिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) सी० एस० आई० आर० के स्वरूप में किये जाने वाले कुछ प्रस्तावित परिवर्तन इस प्रकार है :—

(1) प्रधानमन्त्री और कार्यभारी मंत्री महोदय, जिनके अधिकार क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद शामिल है, वे शासी निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों से अपने आपको मुक्त कर देंगे। फिर भी, वे संस्था (सोसाइटी) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में अपना सम्बन्ध कायम रखेंगे।

(2) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य से महानिदेशक शासी निकाय के पदेन चेयरमैन होंगे। उनके साथ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के पांच निदेशक, वित्तीय सदस्य जो भारत सरकार का सचिव होगा (सी० एस० आई० आर० से संबंधित वित्तिम

मामलों के लिये) और अन्य तीन सदस्य सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किये जायेंगे जो सी० एस०आई० आर० के बाहर से होंगे। ये सदस्य विशेषज्ञों के रूप में होंगे।

(3) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भी इसी प्रकार वर्तमान कार्यकारी परिषदों के स्थान पर कार्यकारी समितियां नियुक्त की जायेंगी। उनमें कार्यकारी समिति के चेयरमैन निदेशक होंगे और सदस्य रूप में तीन परियोजना अध्यक्ष, तीन विशेषज्ञ बाहर से सरकारी/निजी क्षेत्रों के उद्योगों सहित लेखा अधिकारी, वित्त अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी प्रयोगशाला/संस्थान के होंगे।

(4) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान का मण्डल (बी० एस० आई० आर०) समाप्त कर दिया गया है।

(5) सी० एस० आई० आर० प्रधान कार्यालय में अन्तः वित्तिय सलाहकार होगा। जो सी० एस० आई० आर० का पूर्ण कालिक कर्मचारी होगा। वह सोसाइटी के वित्त/बजट संबंधी नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगा। वह महानिदेशक को समस्त वित्तिय मामलों पर सलाह देगा।

(6) अन्तःकार्यों को अधिकाधिक आश्वासित बनाने के लिये सम्मान हितों एवं समान क्षेत्रों की गतिविधियों से संबंधित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों और अनुसंधान संस्थाओं को छैः श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रत्येक समूह के लिये समन्वय परिषदें गठित की गई हैं। इसमें प्रयोगशाला अनुसंधान संस्था के निदेशक चेयरमैन के रूप में रहेंगे।

(7) प्रधान कार्यालय में सचिवालय का स्वरूप प्रधानतः तकनीकी होगा और उसका गठन और कर्मचारियों का चयन उसी के अनुसार होगा।

(ग) उपरोक्त परिवर्तनों को सरकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है।

कार्यक्रम पुनर्विलोकन नीति सम्बन्धी बैठकों में प्रतिनिधित्व के लिए आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांग

9817. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने मांग की है कि कार्यक्रम पुनर्विलोचन नीति सम्बन्धी बैठकों में उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए;

(ख) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि वर्तमान पदोन्नति स्रोतों में सुधार करने के लिए रेडियो और टेलीविजन के समस्त कर्मचारियों को व्यवसायिक संवर्ग, इंजीनियरिंग संवर्ग, तथा प्रशासनिक संवर्ग में विभाजित किए जाएं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। मुख्य प्रोड्यूसर तथा उप मुख्य प्रोड्यूसर आकाशवाणी महानिदेशालय के कार्यक्रम पुनर्विलोकन एवं योजना सम्बन्धी बैठकों में पहले ही आमन्त्रित किये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के मुख्यालय को कलकत्ता से नई दिल्ली ले जाना

9818. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन समाचारों में कोई तथ्य है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के मुख्यालय को कलकत्ता से नई दिल्ली ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के क्या आधार हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ में पुलिस द्वारा कथित अश्लील पस्तकों का जब्त किया जाना

9819. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षत्र चण्डीगढ़ के पुलिस अधिकारियों ने हाल ही में पुस्तक विक्रेताओं से बहुत अधिक संख्या में पुस्तकें इस आधार पर पकड़ीं और जब्त की हैं कि वे अश्लील हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन अश्लील पुस्तकों को पकड़ने से पूर्व किसी सक्षम अधिकारी ने उन "अश्लील" पुस्तकों की कोई सूची तैयार की थी; और

(ग) क्या पकड़ी गई पुस्तकों में अनेक पुस्तकें साहित्य के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखित हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292/293 के अधीन दर्ज किये गये अपराधिक मामले के सम्बन्ध में 7 अप्रैल, 1973 को चण्डीगढ़ में पुस्तकों की दो दुकानों पर छापे मारे गये और 30 पुस्तकें पकड़ी गई । पकड़ी गई कुछ पुस्तकों पर जाली होने का संदेह था हालांकि उनमें सुपरिचित लेखकों के नाम थे । उनको जब्त करने के अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं और मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

नए उपभोक्ताओं को दिल्ली के टेलीफोनों की डायरेक्टरी सपलाई न किया जाना

9820. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों दिल्ली के टैलीफोन की पुरानी डायरेक्टरी भी भंडार में नहीं है; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और;

(ख) क्या टैलीफोन डायरेक्टरी उन नए टेलीफोन उपभोक्ताओं को जिन्हें अप्रैल, 1973 के दौरान कनाट प्लेस के एक्सचेंज से टेलीफोनों के कनेक्शन दिए गए हैं टेलीफोन डायरेक्टरियां नहीं दी गई हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दिल्ली की टैलीफ़ोन डायरेक्टरी अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है । डायरेक्टरी का हिन्दी संस्करण जारी करने के लिए उपलब्ध है, जबकि, अंग्रेज़ी संस्करण मार्च, 1973 से स्टाक में नहीं है । अंग्रेज़ी डायरेक्टरी के समाप्त होने का कारण यह है कि पिछले दो वर्षों के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शन खुलने की वजह से उनकी मांग बहुत ज्यादा रही है ।

(ख) सभी नए टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन डायरेक्टरी का हिन्दी संस्करण देने का प्रस्ताव किया जाता है, लेकिन हिन्दी डायरेक्टरी उन्हें तभी दी जाती है जब वे इसे लेना स्वीकार करें।

नए उपभोक्ताओं को नए टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई

9821. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये टेलीफोन उपभोक्ताओं को सामान्यत: नये टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई की जाती है,

(ख) यदि हां, तो क्या उन नये टेलीफोन उपभोक्ताओं को, जिन्हें कनाट प्लेस, एक्सचेंज से अप्रैल 1973 में नये कनेक्शन दिये गये हैं, नये टेलीफोन उपकरण दिये गये हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या पुराने मरम्मत किये गये टेलीफोन उपकरणों के स्थान पर नये टेलीफोन उपकरण देने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह बात नये टेलीफोन यंत्रों के उपलब्ध होने पर निर्भर करती है।

(ख) सभी मामलों में नए टेलीफोन यंत्र नहीं दिए गए हैं, क्योंकि आजकल काले यंत्रों की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

(ग) नए टेलीफोन यंत्र उसी हालत में लगाए जाते हैं जबकि पुराने यंत्रों के ठीक ढंग से काम न करने की वजह से यह आवश्यक हो।

बिरला समूह की कम्पनियों पर मुकदमा चलाया जाना

9822. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला समूह की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम, कैपीटल इश्यूज सैटल एक्ट और कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने पर या तो मुकदमा चलाने का विचार किया है या वास्तव में मुकदमा चलाया; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनमें से किसी या सब मामलों की जांच के लिये सरकार आयोग को सौंपने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आकाशवाणी को स्वायतशासी निकाय बनाने की घोषणा

9823. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा**
श्रीमती सावित्री श्याम } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी को स्वायत्तशासी निकाय बनाने की घोषणा करने के लिये सरकार को अभ्यावेदन दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). जैसा कि सरकार ने आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी निगम में बदलने के सुझाव को स्वीकार न करने का निर्णय किया है ।

गुजरात के स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन देना

9824. **श्री बैकारिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने हेतु गुजरात राज्य से जिलावार मार्च, 1973 तक कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं; और

(ख) कितने आवेदन-पत्र मंजूर किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

गुजरात के स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या तथा उन मामलों की जिलावार संख्या जिनमें मार्च 1973 तक पेंशन स्वीकृत की गई है ।

क्रम संख्या (1)	जिले का नाम (2)	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या (3)	स्वीकृत आवेदन की संख्या (4)
1.	अहमदाबाद	826	169
2.	अम्रेली	78	23
3.	बनस्कंठा	13	3
4.	बड़ौदा	272	77
5.	भावनगर	137	48
6.	ब्रौच	360	46
7.	बुलसर	314	63
8.	डेगस	2	—
9.	गांधीनगर	12	4
10.	जामनगर	35	7
11.	जूनागढ़	13	10
12.	कैरा	553	150
13.	कच्छ	41	19
14.	मेहसाना	99	16
15.	पंचमहल	212	38

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	राजकोट	301	33
17.	सबरकंठा	17	14
18.	सूरत	759	128
19.	सुरेंद्रनगर	28	6
	जोड़	4072	854

दिल्ली केंन्द्र के टेलीविजन कार्यक्रमों में सुधार करने हेतु कार्यवाही

9825. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीविजन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये केवल उन्हीं व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है जिनकी इस निष्ठान में पहुंच होती है;

(ख) क्या टेलीविजन से उस सन्देश का संचार नहीं हो रहा है जिसके लिये इसे आरम्भ किया गया है ;

(ग) क्या कार्यक्रमों का सृजन करने के लिये उत्तरदायी अधिकारी, उन पदों के लिये आवश्यक योग्यताप्राप्त नहीं है और टेलीविजन माध्यम से पूरी तरह अवगत नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सुधार करने लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) कार्यक्रमों में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। टेलीविजन के कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

स्वतन्त्र तामिलनाडु राज्य की मांग

9826. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान द्रविड़कडघम द्वारा हाल ही में अर्काट (तमिल नाडु) में किये गये एक सम्मेलन बैठक में "स्वतंत्र तमिलनाडु राज्य" के लिये की गई मांग की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). राज्य सरकार से रिपोर्ट आनी है ।

दरियागंज, दिल्ली के घरेलू कर्मचारियों द्वारा हिन्दी पार्क के एक व्यापारी के निवास के बाहर प्रदर्शन

9827. **श्रीमति सावित्री श्याम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र के घरेलू कर्मचारियों ने एक घरेलू कर्मचारी, श्री बाबू लाल की हत्या के कथित प्रयास के विरोध में हिन्दी पार्क के एक व्यापारी के निवास के बाहर, 14 अप्रैल, 1973 को एक प्रदर्शन किया था ;

(क) क्या पुलिस ने नियोजक और क्षेत्र के कुछ घरेलू कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ मुकद्दमे दायर किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान्, एक मुकदमा नियोजक व अन्य के विरुद्ध दर्ज किया गया है और इस मुकदमा क्षेत्र के घरेलू कर्मचारियों के विरुद्ध ।

(ग) घरेलू कर्मचारी की इस शिकायत पर कि काम करने से मना करने पर नियोजक और उसके ड्राइवर द्वारा उसे पहली मंजिल से नीचे फैंक दिया गया, हत्या करने का प्रयास करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया ।

नियोजन का आरोप था कि घरेलू कर्मचारी बिना बताये घर छोड़कर चला गया था और उससे नियोजक का ट्रांजिस्टर इत्यादि वापस लौटाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया । जब उसे बताया गया कि पुलिस को सूचित किया जायगा तो उसने पहली मंजिल से बालकौनी पर और बालकौनी से जमीन पर छलांग लगाई और भाग गया । उसके बाद घरेलू कर्मचारी के उकसाने पर घरेलू कर्मचारियों ने नियोजक के मकान के बाहर प्रदर्शन किया और मकान पर पत्थर फैंके । इस शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/427 के अधीन बलवा करने इत्यादि का एक मामला दर्ज किया गया था । नियोजक के विरुद्ध मामला झूठा पाया गया और खारिज कर दिया गया । घरेलू कर्मचारियों के विरुद्ध मामला बिना पता लगे मामले के रूप में भेज दिया गया है

नियोजक और घरेलू कर्मचारियों ने अब अपने मतभेद तय कर लिए हैं ।

गाँधी नगर, दिल्ली में डेयरी के मालिक की हत्या

9828. **श्री नरेन्द्र सिंह बिस्ट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1973 के "टाइम्स आफ इण्डिया" (दिल्ली संस्करण) में डेयरी ओनर मर्डर ओवर ट्राइफल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह घटना किस समय हुई थी और गांधी नगर पुलिस घटनास्थल पर किस समय पहुंची थी ।

(ग) क्या गांधी नगर पुलिस ने दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया था और इसके बजाय उनसे डाक्टरी परीक्षा के लिये इर्विन अस्पताल जाने का आग्रह किया गया था जहां से दरयागंज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था; और यदि हां, तो गांधी नगर पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई गलती के लिये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने में और भविष्य में पुलिस द्वारा ऐसी गलती पुनः न होने देने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, हां श्रीमान् ।

(ख) घटना 6-4-73 को प्रातः 9 बजकर 30 मिनट पर हुई थी और पुलिस घटनास्थल पर बजकर 50 मिनट पर पहुंच गई थी ।

(ग) तथाकथित अपराधी गांधी नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे न कि दरियागंज पुलिस द्वारा । चूंकि तथाकथित अपराधी भी जख्मी थे अतः वे एक टैक्सी में अस्पताल गये जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ।

(घ) दोनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गये हैं और अब न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है । पुलिस की कोई गलती नहीं थी ।

जनकपुरी में टेलीफोन/तार सुविधाओं का उपलब्ध न होना

9829. **श्री के० मालना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की सबसे बड़ी रिहायशी बस्ती जनकपुरी (पंखा रोड आवास योजना) में टेलीफोन अथवा तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं,

(ख) क्या इस विशाल रिहायशी बस्ती में केवल एक छोटा सा शाखा डाकघर है,

(ग) क्या क्षेत्र के निवासियों की विभिन्न एसोसिएशनों ने पर्याप्त डाक, तार तथा टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है, और

(घ) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं । जनकपुरी में चार पी० सी० ओ० काम कर रहे हैं । इनमें जनकपुरी डाकघर का एक पी० सी० ओ० भी शामिल है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । पी० सी० ओ० लगाने के लिए 25 से ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । इन आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है और अधिक डाक सेवाए उपलब्ध कराने के लिए भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(घ) जनकपुरी के 'बी' ब्लाक में तारीख 17-9-1971 से एक विभागीय उप डाकघर खोला गया है जिसका दर्जा विभागतर शाखा से ऊंचा है । विभाग ने क्रमशः 'ए' और और 'सी' ब्लाकों के लिए दो और डाकघर खोलने की मंजूरी पहले ही दे दी है । तथापि ये अतिरिक्त डाकघर इसलिए नहीं खोले जा सके क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण रिहायशी जगहों में डाकघरों के काम करने को अनुमति नहीं देता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण से यह निवेदन किया गया है कि वे इन सभी डाकघरों के लिए जमीन अलाट करें । और जब तक कि जमीन अलाट नहीं कर दी जाती और उस पर विभागीय इमारतें बन कर तैयार नहीं हो जाती तब तक के लिए इन डाकघरों के रिहायशी जगहों में काम करने की छूट दे दें ।

तथापि डाक-तार विभाग ने ऐसे कदम उठाए हैं कि इस कालोनी में डाक की डिलीवरी की आवृत्ति बढ़ा कर दिन में तीन बार कर दी जाए । यह डाक तिलक नगर डाकघर से वितरित की जाती है । इस

कालोनी के विभिन्न ब्लाकों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त लेटर बाक्स भी स्थापित किए गए हैं ।

इस इलाके में "39" एक्सचेंज से कनेक्शन दिए जाते हैं । इस समय और पी० सी० ओ० लगाने के लिए कोई फालतू सी० सी० बी० क्षमता उपलब्ध नहीं है ।

केरल में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

9830. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पिछड़े क्षेत्रों की विकास योजना के लिये गत तीन वर्षों में कितनी राशि मंजूर की गई;

(ख) उसमें से कितनी राशि का व्यय हुआ और अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत राशि पूरी तरह उपयोग में नहीं लाई गई है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केरल सरकार ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग से कोई विकास योजनायें नहीं भेजी हैं । जहां तक धनराशि के आवंटन का संबंध है, वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों तथा एकमुश्त अनुदानों के रूप में दी जाती है, जोकि उन राज्यों की विशेष स्कीमों/परियोजनाओं/क्षेत्रों से संबंध नहीं रखती ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1973-74 में केरल और तमिलनाडु में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार

9831. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 में केरल और तमिलनाडु में, अलग-अलग, कितने-कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : केरल तथा तमिलनाडु सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1973-74 में प्रत्येक राज्य में लगभग 45,000 शिक्षित व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये स्कीमें तैयार करें । इन राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कुछ स्कीमों पर प्रारम्भिक विचार विनिमय पूरा किया जा चुका है तथा उन्हें यह परामर्श दिया गया है कि वे ऐसी स्कीमों को क्रियान्वित करें जो योजना आयोग द्वारा सुझाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप हैं ।

केरल में उप-डाकघर और शाखा डाकघर

9832. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में, जिलावार कुल कितने उप-डाकघर और शाखा डाकघर हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : केरल राज्य में जिलेवार 1-4-1973 को जितने उप और शाखा डाकघर काम कर रहे थे, उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

जिले का नाम	उप डाकघरों की संख्या	शाखा डाकघरों की संख्या
कन्नानोर	111	365
कालीकट	99	323
अलेप्पो	141	222
एर्नाकुलम	116	204
इद्रिक्की	48	125
कोट्टायम	121	250
मालाप्पुरम	77	253
पालघाट	140	253
क्विलोन	113	265
त्रिचूर	126	314
त्रिवेन्द्रम	113	198
योग	1205	2772

केरल में पुनालार स्थित कागज का कारखाना

9833. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पुनालार स्थित कागज के कारखाने द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ख) इस कारखाने में अब तक सभी वर्गों में कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) कम्पनी को नवम्बर 1971 में उनके विद्यामान उपक्रम की 12,500 मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता को 33,000 मी० टन तक बढ़ाने के पर्याप्त विस्तार का औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था । विस्तार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ख) कम्पनी में 31-1-73 को कर्मचारियों की वर्गवार संख्या निम्न प्रकार थी :—

अधीक्षण	34
लिपिकीय	72
कुशल	102
अर्धकुशल	198
अकुशल	278
अन्य जिनकी कम्पनी अधिनियम में गणना नहीं की गई है	57

केरल के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

9834. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के स्वतन्त्रता सेनानियों से पेंशन के लिए, जिलावार, कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) अब तक कितने आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया है और कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) विचार किये गये 1528 आवेदन-पत्रों में से 649 मामले पेंशन के लिये स्वीकार किये गये हैं ।

विवरण

पेंशन की स्वीकृति के लिये केरल के स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या का विवरण जिलेवार

क्रम सं०	जिले का नाम	प्राप्त संख्या
1.	एल्लेपी	794
2.	कन्नानौर	596
3.	एर्नाकुलम	97
4.	एदिक्की	21
5.	कोट्टायाम	119
6.	कोझीकोड़े	606
7.	मालापुरम	1125
8.	पालघाट	258
9.	क्युलोन	468
10.	त्रिचूर	244
11.	त्रिवेन्द्रम	423
	जोड़	4751

4751 में से 1528 आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया है तथा 649 को पेंशन की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है ।

"ट्रविन बम्बई प्रोजेक्ट" के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता

9835. **श्री मधु दंडवते :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग ने 'ट्रिवन बम्बई प्रोजेक्ट" को स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई केन्द्रीय सहायता मंजूर की है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) प्रस्तावित बम्बई सह-नगर परियोजना को महाराष्ट्र सरकार की राज्य योजना में शामिल कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में न तो किसी विशिष्ट स्वीकृति की अपेक्षा थी और न ही केन्द्रीय सरकार योजना आयोग द्वारा दी गई है । किन्तु महाराष्ट्र सरकार को परामर्श दिया गया है कि वह नए नगर तथा बम्बई द्वीप के मध्य भावी अंतर-यातायात के प्रभाव इस प्रकार के संयोजकों की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित दीर्घावधि निवेशों तथा संतुलित शहरीकरण से सम्बन्धित अपनी नीतियों की एक सर्वांगीण समीक्षा करें । राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार, भविष्य में इस नगर का आकार क्या होगा और आर्थिक कार्य क्या होंगे, विशेष रूप से प्रस्तावित नगर में उद्योग कहां स्थापित किये जायेंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी और किस प्रकार के होंगे, इस सम्बन्ध में अभी निर्णय किया जाना है, तथा ऐसा मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ने इस उद्देश्य से एक अध्ययन भी आरम्भ किया है ।

भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई विशेष सहायता मंजूर नहीं की है।

सहकारी समाचार-पत्रों के प्रकाशन पर समाचर-पत्रों में सुधार के लिये भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा रखी गई मांगें

9836. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 26 से 29 मार्च, 1973 की पटना में इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नेलिस्ट्स के 16 वें वार्षिक सम्मेलन में पारित किये गये उस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रेस सुधार के लिए शीघ्र कानून बनाने, प्रूफ रीडरों तथा गैर-सरकारी संवाददाताओं के साथ न्यायोचित व्यवहार करने तथा सहकारी समाचार ('पीपल्ज') पत्रों के लिए सरकारी सहायता की मांग की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की विभिन्न मांगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। समाचार-पत्रों के स्वामित्व और प्रबन्ध के ढांचे में परिवर्तन करने के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के 1972-73 के लिए अखबारी कागज सम्बन्धी नीति पर निर्णय तथा संवैधानिक संशोधनों पर उसके हाल ही के निर्णय की रोशनी में विचार किया जा रहा है ।

"श्रमजीवी पत्रकारों" जिनमें प्रूफ रीडर भी सम्मिलित हैं, की सेवा शर्तों सम्बन्धी कानून से श्रम एवं रोजगार विभाग सम्बन्धित हैं। श्रमजीवी पत्रकारों के लिए एक नया वेतन बोर्ड

गठित करने से सम्बन्धित समूचा मामला उनके विचाराधीन है । यह भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का काम है कि वह मुफस्सिल सम्वाददाताओं का मामला श्रम तथा रोजगार विभाग और नये वेतन बोर्ड यदि वह गठित होता है, के साथ उठाएं ।

वर्तमान समाचारपत्रों को ऋण देने के प्रयोजनार्थ एक समाचार पत्र वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि वे अपनी प्रचार संख्या बढ़ा सक या अखबारी कागज, मुद्रण यंत्र या अन्य ऐसे उपकरण खरीद सकें जो मुद्रण या प्रकाशन के लिए आवश्यक हों । इस योजना में किसी समाचार पत्र को पहली बार चालू करने के लिए निगम द्वारा ऋण दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

आयुध कारखानों में जासूसी करने के आरोप पर श्री राजेश बसु की गिरफ्तारी

9837. **श्री आर० के० सिन्हा**
श्री शशि भूषण } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जासूस "राजेश बसु" को जिस पर नागपुर, जबलपुर और भंडारा के आयुध कारखानों तथा भिलाई इस्पात संयंत्र में जासूसी करने का आरोप है, नागपुर में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) उसके विरुद्ध की जा रही जांच इस समय किस अवस्था पर है;

(ग) क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों अथवा अन्य व्यक्तियों का भी इसमें हाथ पाया गया; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मामले की जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है; और यदि पूरी हुई है, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत सुरक्षा नियम, 1971 के नियम, 56 व 57 के अधीन राजेश बसु नामक एक व्यक्ति को छद्म व्यक्तिता और धोखे के आरोपों में 4 अप्रैल, 1973 को नागपुर में गिरफ्तार किया गया था । अब तक की गई जांच पड़ताल से जासूसी करने अथवा उक्त व्यक्ति की गतिविधियों में किसी दूसरे अधिकारी के अन्तग्रस्त होने की कोई बात प्रकट नहीं हुई है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जांच पड़ताल के अगले एक महीने के भीतर पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

कुंओं के निर्माण के लिए गुजरात को सीमेंट का आवंटन

9838. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि कुओं के निर्माण के लिए राज्य की सीमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमेंट का अतिरिक्त आवंटन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात को कितनी मात्रा का आवंटन किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 1973 की पहली तिमाही-जनवरी से मार्च 1973 में गुजरात सरकार ने कैरा जिले में पीने के पानी के कुओं को और गहरा करने के लिये 10000 मी० टन के आवंटन के लिये निवेदन किया था तथा इसके लिये पूरी अतिरिक्त मात्रा भी दे दी गई थी । 1973 में द्वितीय तिमाही अर्थात् अप्रैल, से जून, 1973 में यद्यपि गुजरात सरकार से कोई अलग मांग नहीं प्राप्त हुई थी तो भी जिलाधीशों और विकास अधिकारियों से अतिरिक्त परिमाण के लिए प्राप्त आवश्यकता पूरी कर दी गयी थी । गुजरात राज्य को वर्ष 1973-74 के लिये 12.65 लाख मी० टन का आवंटन कर दिया गया है ।

गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्नातकों, शिक्षित सफाई कर्मचारियों और विकलांग स्नातकों को रोजगार

9839. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या योजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योजना मंत्री ने गुजरात सरकार को यह आश्वासन दिया है कि गुजरात से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के सभी स्नातकों, सभी शिक्षित सफाई कर्मचारियों तथा सभी विक्लांग स्नातकों को इस वर्ष के अन्त तक रोजगार दे दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं और क्या केन्द्र ने योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार को सहायता देने का निर्णय किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच लाख रोजगार के अवसर सुलभ करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 1973-74 में गुजरात सरकार ने योजना आयोग द्वारा सुलभ किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर (प्रतिलिपि संलग्न है) अनेक स्कीमें तैयार की हैं । स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों के सामाजिक पहलू पर भी ध्यान दिया जाय । अतः मार्गदर्शक सिद्धान्त यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं कि वर्ष के अन्त तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, के स्नातकों, सफाई का काम करने वाले लोगों में से शिक्षित लोगों और विक्लांग शिक्षित युवकों को वर्ष के दौरान रोजगार मिल जाए । राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे स्कीमों का ब्यौरा तैयार करें । सभी प्रकार की रोजगार स्कीमों के लिए 1973-74 के दौरान राज्य को लगभग 9.5 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी ।

विवरण

शिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच लाख रोजगार अवसरों का कार्यक्रम (1973-74)

मार्ग-दर्शक सिद्धान्त

1. रोजगार कार्यक्रम ऐसे होने चाहिऐ कि उनका वर्तमान विकास कार्यक्रमों अथवा पांचवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रमों से सामंजस्य स्थापित हो सके । स्कीमें ऐसी होनी चाहिऐ कि उनके लिए आवर्ती सहायता की आवश्यकता न हो अपितु ऐसी भी हों कि जो व्यक्ति काम पर लगे हों वे अर्थ-व्यवस्था की सामान्य धारा में आ जाएं । रोजगार अवसरों की व्यवस्था करते समय रोजगार के स्वतः सृजन की बात पर बल दिया जाना चाहिए । स्कीमें ऐसी भी होनी चाहिऐ कि उनसे अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध हों और उनका प्रभाव भी अधिकाधिक हो । ये उत्पादनशील एवं श्रम-सघन भी होनी चाहिएं ।

2. इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिएं ताकि प्रत्येक राज्य (जहां तक सम्भव हो, जिलावार) में 1973-74 में कम से कम बीस प्रतिशत शिक्षित बेरोज़गार काम पर लगाए जा सकें।

3. ऐसे इंजीनियरों तथा उच्च शिक्षा प्राप्त तकनीशनों जो कि अभी तक बेरोज़गार हैं को प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वर्ष 1973-74 में ऐसे सभी इंजीनियरों तथा उच्च शिक्षाप्राप्त तकनीशनों को लाभप्रद रोज़गार अवसर प्रदान करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिएं।

4. जिस परिवार का कोई आय का साधन न हो उसके शिक्षित बेरोज़गार व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अल्पसंख्यकों के स्नातकों पर रोज़गार देते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई विधवाओं, सफाई करने वाले वर्ग के बेरोज़गार शिक्षितों, अपाहिज शिक्षित युवकों तथा इसी प्रकार के अन्य उपयुक्त मामलों में विशेष सुविधा दी जानी चाहिए।

6. शिक्षित बेरोज़गारों की रोज़गार तथा किसी काम में खपने की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पांचवीं योजना के कार्यक्रमों को आधार माना जाना चाहिए। विशेष कर अगले वर्ष की वार्षिक योजना को दृष्टि में रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण स्कीमें तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि शिक्षित बेरोज़गारों के लिए पांच लाख रोज़गार अवसर उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत धन केवल प्रशिणार्थियों के लिए छात्रवृत्ति देने, प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्मिकों व प्रशिक्षण उपकरणों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए ही दिया जायेगा। भवनों, वाहनों आदि पर होने वाला अन्य व्यय राज्य सरकार को स्वयं अपने साधनों से पूरा करना होगा।

7. इलैक्ट्रानिक बस्तियों अथवा प्लास्टिक बस्तियों जैसी मूल सहायक औद्योगिक बस्तियों तथा विशेष औद्योगिक बस्तियों को बसाने के कार्य को बढ़ाया जाना चाहिए। परन्तु इस प्रकार की बस्तियों को बसाने के उद्देश्य से अपेक्षित निवेश के लिए, संस्थागत अथवा राज्य संसाधनों से धन जुटाया जाना चाहिए।

8. ऐसे लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों, जिनके लिए कम पूंजी की आवश्यकता हो परन्तु उत्पादन तथा श्रमपरक हों, को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें पर्याप्त संरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

9. शिक्षित बेरोज़गारों की उपभोक्ता सहकारी समितियों, ऋण सहकारी समितियों, सेवा सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों आदि को मार्जिन धन राशि देकर अथवा शेयर पूंजी में अंशदान कर आरम्भ किया जाय तथा प्रोत्साहित किया जाय।

10. इन स्कीमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष सेल की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें प्रमुख कोई मंत्री होना चाहिए तथा सचिव स्तर का कोई अधिकारी भी इसमें हों। इस प्रकार के सेलों में बैंकों, सरकारी वित्त संस्थाओं, उद्योगों, निगमों आदि के के भी प्रतिनिधि होने चाहिएं। इन सेलों को अक्सर अपनी बैठकें करनी चाहिएं उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन में प्रबोधन का काम करना चाहिए।

भारत में हिप्पियों कि संख्या

9840. श्री अरविन्द एस० पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) वर्ष 1972-73 के दौरान भारत में कुल कितने हिप्पी आए थे ।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में कुल कितने हिप्पियों को गिरफ्तार किया; गया ? और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जुलाई 1972 से मार्च 1973 की अवधि के दौरान भारत में ध्यान में आये इस प्रकार के विदेशियों की संख्या 127 थी ।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्रिक की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

बेरोजगारी को समस्या को हल करने संबंधी योजनाओं के लिए राज्यों को राज सहायता की अदायगी

9841. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए 20 योजनाएं तैयार की हैं ; यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं को कार्यान्वित करने पर राज्यों के आधे व्यय की पूर्ती के लिए राज सहायता देने का भी निर्णय किया है ? और

(ग) रोजगार के कुल कितने अवसर बनाए जाने हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल ० टी ० 5030/73]

सरकारी कर्मचारियों के मामले में हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रवृतन

9843 स्वामीब्रह्मा नन्द : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या हिन्दू 'विवाह अधिनियम' तथा सरकारी सेवा शर्त नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरी पत्नी अथवा दो पत्नियां नहीं रख सकता. यदि हां, तो उक्त अधिनियम और नियमों की किस धारा के अधीन;

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों ने गत तीन वर्षों में उक्त विधि और नियमों का उल्लंघन किया है और उनके मामलों में क्या कारवाई की गई ; और

(ग) क्या सरकार को कुछ ऐसी लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली के बिलिंगडन अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने दूसरी बार शादी कर ली है जब कि उनकी पहली पत्नी जिन्दा है ; यदि हां, तो तत्तसंबंधी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कारवाई की गई ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी हां, श्रीमान हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) में यह व्यवस्था है कि किन्हीं दो हिन्दुओं के बीच विवाह संस्कार संपादित हो सकता है, जिसका आशय इस अधिनियम के निमित बुद्ध धर्म जैन धर्म तथा सिख्ख धर्म के किसी भी अनुयायी को शामिल करना

है, अगर उक्त अधिनियम की धारा (i) तथा 3 के साथ पठित धारा 5 (i) के अनुसार विवाह के समय किसी भी पक्ष के पति या पत्नि जीवित हों । यह अधिनियम 18-5-1955 को प्रवृत्त हुआ और उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन इस अधिनियम के प्रवृत होने के बाद, अगर कोई विवाह संस्कार सम्पादित होता है तो वह अमान्य होगा, अगर ऐसे विवाह की तारीख को किसी भी पक्ष का पति या पत्नि जीवित हों। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के नियम, 21 में निम्न प्रकार की व्यवस्था की गई है :—

(1) कोई भी सरकारी सेवक, उस व्यक्ति से विवाह या विवाह के लिए संविदा नहीं करेगा जिसका पति या पत्नी जीवित हो ? और

(2) कोई भी सरकारी सेवक जिसका पति या पत्नि जीवित हो, किसी भी व्यक्ति से विवाह या विवाह के लिए संविदा नहीं करेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी सरकारी सेवक को खण्ड (i) या खण्ड (ii) में यथानिर्दिष्ट ऐसा कोई विवाह करने के या विवाह के लिए संविदा करने के लिए अनुसात कर सकेगी ? यदि उसका समाधान हो जाय कि —

(क) ऐसा विवाह ऐसे सरकारी सेवक और विवाह के अन्य पक्ष की स्वीयविधि के अधीन अनुज्ञेय है; और

(ख). ऐसा विवाह करने के लिए अन्य कारण हैं ; और

(ग) सूचना एकत्रित करके यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिलिंगडन अस्पताल के दो कर्मचारियों की पहली पत्नी जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस मामले पर जांच पड़ताल चल रहीं है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियरों को केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिवों के रूप में नियुक्त करना

9844. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं के अधिकारियों की संयुक्त सचिवों के रूप में नियुक्ति के बारे में 3 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4833 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगें कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने चीफ इंजीनियरों की वास्तविक रूप स केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिवों के रूप में नियुक्त किया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में किसी भी चीफ इंजीनियर को अभी तक संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य की योजनाओं के किए धन दिया जाना

9845. **श्री बी० एन० रेड्डी**
श्री एम सत्यनारायण राव } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश की कितनी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने धन दिया है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश की कितनी योजनाओं के लिए अब धन देने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में आंध्र प्रदेश को उसकी वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित धनराशि का आवंटन किया गया था :—

वर्ष	केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित धनराशि (करोड़ रुपए)
1969-70	42.90
1970-71	43.56
1971-72	48.00
1972-73	50.33
1973-74	55.21
जोड़ :	240.00

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में केन्द्रीय सहायता के आवंटन से संबंधित प्रश्न पर योजना आयोग अभी विचार कर रहा है ।

बेरोजगारी की समस्या को हल करने का अवधि

9846. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष पाँच लाख नौकरियां देने से बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार को कितने वर्ष लगने का अनुमान है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : योजना कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में हो रहे निवेशों से जो आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि हो रही है उसके परिणाम स्वरूप रोजगार चाहने वालों, शिक्षितों तथा अन्य वर्गों, दोनों ही के लिए, रोजगार में पर्याप्त बृद्धि होगी । अभी इसकी संख्या का अनुमान लगा पाना संभव नही हो सका है । रोजगार चाहने वाले शिक्षितों की वर्तमान भारी संख्या को देखते हुए इस वर्ष पाँच लाख शिक्षित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिये एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है । काफी मात्रा में भिन्न भिन्न पूरक प्रयत्नों के द्वारा तथा आर्थिक विकास पर बल देने से आगामी कुछ वर्षों में ही बेरोजगारी की समस्या काफी सरल हो जायेगी ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की मेगनेटो-हाईड्रोडाईनेमिक्स परियोजना

9847. **श्री बी० एन० रेड्डी :**
श्री हरि प्रसाद शर्मा : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की मेगनेटो-हाइड्रो-डाइनेमिक्स परियोजना को पूरी तरह सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के अनुरोध पर मेगनेटो-हाइड्रो-डाइनोमिक्स पावर जनरेशन के लिये अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है । वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं, इसमें भारत हवी इलेक्ट्रिकल एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र भाग लेंगें । जिस कार्यक्रम का कार्यान्वयन

शीघ्र ही शुरू किया जायगा, उसके अन्तर्गत अपेक्षित तकनीकी क्षमता का विकास करने हेतु प्रयोगशाला में दो मैगावाट शक्ति के स्तर पर परीक्षण करना शामिल है। 2 मैगावाट शक्ति का यूनिट लग जाने के बाद इस कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया जायगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में कार्य कर रहे डाकघर

9848. श्री बी० एन० रेड्डी
श्री एम० सत्यनारायण राव } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में, राज्यवार, इस समय कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे डाकघरों की संख्या नीचे दी जाती है :—

क्रम संख्या	राज्यों का नाम	डाकघरों की संख्या
(1)	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	44
2.	आँध्र प्रदेश	13960
3.	अरुणाचल प्रदेश	81
4.	असम	2416
5.	बिहार	9144
6.	चंडीगढ़	36
7.	दादर और नगर हवेली	11
8.	दिल्ली	373
9.	गोआ, दमन और दियु	167
10.	गुजरात	7104
11.	हरियाणा	2103
12.	हिमाचल प्रदेश	1752
13.	जम्मू और कश्मीर	1035
14.	केरल	4000
15.	लकादीव, मिनिक्वाय और अमिनदिवि द्वीप समूह	10
16.	मध्य प्रदेश	6142
17.	महाराष्ट्र	9366

(1)	(2)	(3)
18.	मणिपुर	320
19.	मेघालय	236
20.	मैसूर	8528
21.	मिजोराम	129
22.	नागालैंड	98
23.	उड़ीसा	5795
24.	पंजाब	3292
25.	पाँडिचेरी	86
26.	राजस्थान	7485
27.	तामिलनाडु	10848
28.	त्रिपुरा	366
29.	उत्तर प्रदेश	14397
30.	पश्चिमी बंगाल	6327
	योग	115651

"इंटरपोल" को दी गई वित्तीय सहायता

9849. श्री शशि भूषण
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "इन्टरपोल" को भारत सरकार द्वारा विभिन्न की प्रकार कुल कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) इस संगठन से भारत को यदि कोई लाभ हुआ है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा आई० सी० पी० ओ० इन्टरपोल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल इसकी वार्षिक अंशदान हैं। 1971-73 की अवधि के लिए दिए गए वार्षिक अंशदान के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	वर्ष	स्विस फ्रैंक	रुपए
1.	1971	70,000	1,20,690/-
2.	1972	70,000	1,32,985/-
3.	1973 . . .	97,000	1,80,000/-

पुलिस उप-अधीक्षक के समान किसी पदाधिकारी को नवम्बर, 1971 से पेरिस में आई० सी० पी० ओ० इन्टरपोल के सामान्य सचिवालय में तदर्थ आधार पर प्रतिनियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा दूसरे सदस्य देशों से प्रतिनियुक्ति पर अन्य अधिकारियों की भांति उनको मासिक वेतन और देय विदेश भत्ता (1625/- रुपए मासिक) अदा किये जाते हैं। आई० सी० पी० ओ० इन्टरपोल भी उनको भत्ते के रूप में 200 डालर मासिक अदा करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन इन्टरपोल विभिन्न देशों में विद्यमान कानून की सीमाओं के भीतर और "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" की भावना में अपराध नियंत्रण के लिये उत्तरदायी सभी पुलिस प्राधिकारियों, में सबसे अधिक संभव आपसी सहयोग को सुनिश्चित करता और उसे बढ़ावा देता है । चूंकि इसमें ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनके विकास की व्यवस्था है जिन में संबंधित देशों को कानून की सीमा में साधारण कानून अपराधों को रोकने तथा उनको दबाने के लिये कारगर रूप से योगदान करने की संभावना है । अतः इसकी सदस्यता में स्थायी वृद्धि हुई है । इस समय 114 देश इन्टरपोल के सदस्य हैं । अतः भारत का भाग लेना बहुत अधिक लाभदायक है और ऐसे सभी देशों से सीधा सहयोग प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त संगठन के सामान्य सचिवालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का हमारी पुलिस लाभ उठाती है । मोटेतौर पर भारत को प्राप्त लाभ इस प्रकार हैं :—

(i) भारत में कानून प्रवर्तन ऐजेंसियों के लिये सामान्य सचिवालय के सदस्य देशों से उन व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त करना अधिक सरल हो गया है जिनकी आवश्यकता, जो गुम हैं व फरार हैं अथवा जिनकी देश में कोई जांच की जानी है । अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली के संबंध में और चुराई गई सम्पत्ति के विवरण के बारे में व्यापक सूचना एकत्रित करना भी काफी सरल हो गया है ।

(ii) अनेकों मामलों में, मामलों की छानबीन और अभियोजन में सहायता के लिये विदेशी पुलिस विभागों की सहायता से मूल्यवान सूचना प्राप्त की गई है । इस कार्य विधि से यात्रा खर्च, जो अन्यथा खर्च किये जा सकते थे कम करने की भी सहायता मिली है ।

(iii) सदस्यता ने अपराध खोज, अपराध विज्ञान, अपराध औषधि, अपराध रोक, सूचना के आधुनिकीकरण, संचार व्यवस्थाओं इत्यादि के क्षेत्र में हो रहे नये परिवर्तनों, तकनीकियों, और वृद्धि के बारे में बेहतर ज्ञान तथा सूचना प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान किया है ।

(iv) संगठन प्रशिक्षण सुविधायें तथा यात्रा अनुदान प्रदान कर रहा है और देश के भीतर कानून प्रवर्तन अधिकारियों की शिक्षा के लिये कुछ भव्य-दृश्य सामग्री भी उपलब्ध करा रहा है ।

(v) विलम्ब, जो राजनैयिक स्रोतों के माध्यम से पत्र भेजने में होता है, में काफी कमी हुई है । उन अपराधियों को गिरफ्तार कराने में, जिनकी आवश्यकता है और वापसी कार्यवाहियाँ शीघ्र कराने में पुलिस विभाग के लिये सीधा पत्राचार करना अधिक सरल हो गया है ।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में संगठन के भाग लेने से हमारी पुलिस के लिये प्रतिनिधित्व करना और उनसे प्राप्त लाभों में हिस्सा लेना संभव हो गया है । उदाहरण के लिये संगठन स्वापक दवाईयों संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग में अपने सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनों व सभाओं द्वारा भी आमंत्रित किया जाता है । किये गये निर्णय, इत्यादि संबंधित देशों में, उनको सूचित रखने के लिये परिचालित किये जाते हैं ।

(vii) आपसी सहयोग से विभिन्न देशों में अपनाई गई कानून व कार्यविधि से संबंधित मामलों में सही तथा लाभदायक सलाह प्राप्त करना संभव हुआ है । इसने अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति के मामलों की प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया है और विलम्ब तथा अनिश्चितताएं कम हो गई हैं ।

(viii) वार्षिक महा सभा के सत्रों में भारत का भाग लेना भी बहुत अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है । देश के हित के अनेकों विषयों में विचारा-विमर्श हुआ है । इससे अन्य सदस्य देशों द्वारा हमारी समस्याओं और कठिनाईयों को अच्छी तरह समझने में सहायता मिली है । इन सम्मेलनों ने भारतीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों को विदेश में अपने प्रतिपक्षियों के साथ निजी संपर्क बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण मामलों में बेहतर सहयोग प्राप्त करने के लिये जानकारी का प्रयोग करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है ।

Reopening of Sick Factories in Bihar

9850. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) the number of sick factories in Bihar and the names of the Districts where they are located;

(*b*) whether Government have formulated any scheme to get them reopened; and

(*c*) if so, the broad outlines thereofs ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (*a*) to (*c*) A statement is attached. (Placed in Library. *See* No. L.T. 5031/73)

राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया प्रति व्यक्ति धन

9851. **श्री आर० के० सिन्हा**
श्री सतपाल कपूर } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति कितना धन दिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : चौथी योजना के दौरान केंद्रीय सहायता का प्रति व्यक्ति आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत

विवरण

क्रम सं०	राज्य	चौथी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता (1969–74)
1.	आंध्र प्रदेश .	55
2.	बिहार .	60
3.	गुजरात .	59

4. हरियाणा	78
5. केरल	82
6. मध्य प्रदेश	63
7. महाराष्ट्र	49
8. मैसूर	59
9. उड़ीसा	73
10. पंजाब	75
11. राजस्थान	85
12. तमिलनाडु	49
13. उत्तर प्रदेश	60
14. पश्चिमी बंगाल	50
औसत 1	**60**
15. असम†	123
16. जम्मू व कश्मीर	314
17. मेघालय	368
18. नागालैंड .	678
19. हिमाचल प्रदेश	293
20. मनिपुर	282
21. त्रिपुरा†	223
औसत 2	**208**
सभी राज्यों का औसत : . . .	**68**

†मिज़ोरम शामिल है ।

टिप्पणी :— प्रति व्यक्ति धनराशियों का ब्यौरा भारतीय जनगणना 1971 द्वारा बतायी गई 1971 की जनसंख्या के आधार पर तैयार किया गया है ।

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए धन का आवंटन

9852. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पांचवीं योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हालत में सुधार करने के लिये आवंटित की गई धनराशि प्रतिशतता के हिसाब से पिछली योजनाओं में आवंटित की गई राशि से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : सभा पटल पर प्रस्तुत पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण दस्तावेज में विकास के विभिन्न क्षेत्रों का अस्थायी आवंटन दर्शाया गया है । विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और उसे पांचवीं योजना के प्रारूप में दर्शाया जायेगा । प्रारूप के सितम्बर, 1973 तक तैयार हो जाने की आशा है । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि खास कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये कितने धन का आवंटन किया जायगा और पिछली योजनाओं में इस क्षेत्र के लिये आवंटित धनराशि के अनुपात में इसकी स्थिति क्या है । पिछड़े वर्गों, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं के विकास के लिये अपनाई जाने वाली कार्यनीति दृष्टिकोण दस्तावेज के अध्याय 11 में बताई गई है । जैसा कि उसमें बताया गया है पिछड़े क्षेत्रों के लिये योजना कार्यक्रमों की, पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रगति की गति में तेजी लाने के लिये किये जाने वाले कुछ प्रयत्नों के अंग के रूप में परिकल्पना की गई है । सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में भी पिछड़े वर्गों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जायगी । सार्वजनिक उपभोग कार्यक्रम खासकर निम्नतम आवश्यकताओं से संबंधित कार्यक्रम भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा यायावार जातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे । विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये जो कुल आवंटन किया गया है वह पूर्व योजना आवंटनों की अपेक्षा काफी अनुकूल है ।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

9853. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उड़ीसा सरकार द्वारा विकास योजनाओं के सीधे क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा के प्रत्येक पिछड़े क्षेत्र को सीधे ही धन की मंजूरी देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : चौथी पंचवर्षीय योजना में योजना कार्यक्रमों के लिए धनराशि केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार दी जा रही है । इस सूत्र के अनुसार योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय सहायता राज्य योजना के लिए समग्र रूप से एक मुश्त ऋणों तथा एक मुश्त अनुदानों के रूप में दी जाती है न कि किसी विशेष परियोजना/कार्यक्रम/क्षेत्र के लिए ।

पांचवीं योजना में पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में सामान्य नीति "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक दस्तावेज में दी गई है । यह दस्तावेज पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है । वित्तीय आवंटनों का आधार अभी तैयार किया जा रहा है ।

श्री कल्याण बसु द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन किये जाने की जांच

9854. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री कल्याण बसु के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के कथित उल्लंघन की जांच इस बीच पूरी हो गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी नहीं, श्रीमान् । अतः निष्कर्षों को प्रकट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने सम्बन्धी शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य

9855. **श्री भालजी भाई परमार**
श्री हुकमचन्द कछवाय } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अप्रैल, 1973 के हिन्दुस्तान में शेख की स्वतन्त्र काश्मीर का स्वप्न जारी--भारत को शक्ति दिखाने की धमकी "शीर्षक" से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार शेख अब्दुल्ला के प्रकाशित भाषण को अवास्तविक और गलत समझती है ।

ब्रिटेन में श्री मूंधड़ा द्वारा किये गये पूंजीनिवेशों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

9856. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री एच० एन० मुकर्जी } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में श्री एच डी० मूंधड़ा के सन्देहास्पद पूंजी निवेश के सम्बन्ध में कम्पनी विधि बोर्ड के श्री डी० एस० डांग तथा एन्फोर्समेंट ब्रांच के उपनिदेशक श्री ए० जे० राणा ने वर्ष 1965 में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था,

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस प्रतिवेदन के आधार पर श्री एच० डी० मूंधड़ा तथा उनकी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दो अधिकारियों ने ब्रिटेन का भ्रमण किया और वापसी में कम्पनी विधि बोर्ड के अधिकारी ने एक टिप्पणी के रूप में सितम्बर, 1965 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

(ख) चूंकि इस मामले में अभी जांच चल रही है, अत: रिपोर्ट की विषयवस्तु को प्रकट करना वांछनीय नहीं है ।

(ग) एक फर्म अर्थात् मैसर्स डंकन स्टेटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई तथा इसके तीन निदेशकों (श्री हरिदास मूंधड़ा समेत) के विरुद्ध बम्बई की एक अदालत में अभियोजन चलाया गया। अब उन्हें अदालत द्वारा अभिशंसित किया जा चुका है । इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर आगे जांच चल रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बंगालियों की गिरफ्तारी का समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

इस्लामाबाद में हजारों बंगालियों को स्वदेश-प्रत्यावर्तन की तैयारी के नाम पर पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किये जाने का समाचार ।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस्लामाबाद से आने वाले इन समाचारों को सुनकर हमें बड़ी चिन्ता हुई है कि 6 मई को बहुत सवेरे कई हजार बंगालियों को उनके इस्लामाबाद स्थित घरों से अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की ट्रकों और बसों द्वारा उन्हें अज्ञात स्थानों को ले जाया गया है । समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि इन बंगालियों को कुछ गुप्त स्थानों पर नजरबन्दी कैम्पों में ले जाया गया है । पाकिस्तान सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने यह समझाने की कोशिश की है कि "राजधानी में सरकारी आवास में संकुलता और दबाव के कारण" इन बंगालियों को उनके घरों से हटाया गया है । उसने यह भी संकेत दिया है कि इन बंगालियों के अंततः बंगलादेश प्रत्यावर्तन को तैयारी के रूप में ऐसा किया गया है ।

बंगलादेश के राष्ट्रपति न्यायाधीश श्री अबू सईद चौधुरी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया है कि इस्लामाबाद में बंगालियों को गिरफ्तार करने की पाकिस्तान की इस कार्रवाई की निन्दा की जाए और इस घटना क्रम पर बंगलादेश सरकार की "गम्भीर चिन्ता और परेशानी" व्यक्त की है । पाकिस्तान सरकार की इस निरंकुश कार्रवाई से प्रभावित निर्दोष बंगालियों के भाग्य पर बंगलादेश सरकार की चिन्ता से हम भी चिन्तित हैं । पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि इस प्रकार की कार्रवाई, मानवीय समस्यायें हल करने और लाखों लोगों के दुख : समाप्त करने के बजाय और कटुता ही उत्पन्न करेगी और उप महाद्वीप में सामान्यीकरण की प्रक्रिया को ठेस पहुंचाएगी ।

मानवता और न्याय के नियमों के अनुसार विदेशों में अपनी इच्छा के विरुद्ध फंसे हुए लोगों को अपने घर लौटने का अधिकार है । 17 अप्रैल, 1973 की संयुक्त घोषणा में भारत सरकार और बंगलादेश ने दिसम्बर, 1971 के संघर्ष से उत्पन्न सभी मानवीय समस्याओं के तुरन्त और एक साथ हल के लिए पहले ही उचित और व्यावहारिक उपाय का संकेत दिया है ।

यह खेद जनक है कि पाकिस्तान सरकार ने मानवीय समस्याओं के उचित और सौहार्दपूर्ण हल के लिए प्राप्त अवसर का उपयोग करने के बजाय बंगालियों को जबर्दस्ती उनके घरों से उजाड़ने और दूर नजरबंदी कैम्पों में भेजने की कार्रवाई की है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें आशा है कि हमारी सरकार कूटनीतिक स्रोतों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास के माध्यम से पाकिस्तान में बन्दी बनाकर अज्ञात स्थानों को ले जाये गये बंगलादेश के नागरिकों के विषय में पूरी जानकारी दे सकेगी । परन्तु सरकार के पास तो केवल वही जानकारी

दिखाई देती है जिसकी पाकिस्तान स्वयं घोषणा कर चुका है । पाकिस्तान कभी तो यह कहता है कि उनके प्रत्यावर्तन की तैयारी की जा रही है तो कभी कहता है कि वहां की राजधानी में आवास की कमी के कारण इन बंदियों को दूसरे स्थानों पर रखा जा रहा है ।

दिसम्बर, 1972 में अन्तर्राष्ट्रीय बचाव समिति ने कहा था कि पाकिस्तान में बंगलादेश के लोगों की दशा युद्ध बन्दियों से भी बुरी है तथा उन्हें जेल में सामान्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं । पाकिस्तानी कैद से भागे कुछ बंगाली अधिकारियों ने उनकी दर्दनाक दशा का विवरण दिया है । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है और यदि हां तो क्या इस प्रकार पाकिस्तान अपने 195 युद्धबन्दियों के विरुद्ध मुकदमों को रोकने के लिए धमकी और दबाव डाल रहा है जोकि एक निर्लज्जतापूर्ण तथा निन्दनीय कृत्य है ।

यह तो सर्वमान्य सत्य है कि विदेशों में फंस गये लोगों को अपने देश लौटने का अधिकार है । परन्तु पाकिस्तान तो निहत्थे तथा असैनिक व्यक्तियों को भी युद्धबन्दियों के बराबर ही समझता है । राष्ट्रपति भुट्टो यह धमकी देते रहे हैं कि यदि पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर मुकदमा चलाया गया तो वह भी वहां पर बंदी बनाये गये बंगाली नागरिकों पर विद्रोह करने के आरोप में मुकदमे चलायेंगे । इससे क्या भारत तथा बंगलादेश की सरकारों द्वारा 13 अप्रैल को की गई संयुक्त घोषणा जिसमें समूचे तौर से सभी मानवीय समस्याओं को हल करने हेतु, तीनों देशों द्वारा एक साथ कार्यवाही करने का आह्वान किया गया था उसमें अवरोध पैदा नहीं होगा ? इस संयुक्त घोषणा में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों की तथा बंगलादेश सरकार द्वारा विशिष्ट आरोपों के अधीन मुकदमे चलाने हेतु आवश्यक व्यक्तियों को छोड़कर शेष असैनिक बंदियों की वापसी, पाकिस्तान द्वारा जबरन रोके गये बंगालियों की वापसी तथा बंगलादेश में रह रहे तथा पाकिस्तान जाने के इच्छुक पाकिस्तानियों की वापसी की व्यवस्था करना है । यह एक एक मुश्त आधार वाला हल है तथा इसका विश्व भर में स्वागत हुआ है । बंगलादेश सरकार ऐसे प्रस्ताव के लिए बधाई की पात्र है । क्योंकि इसके लिए उसने अपने निश्चय में कई रियायतें दी हैं । मुकदमों के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या उसने घटाकर केवल 195 या 200 तक कर दी है ।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान को इस कार्रवाही का अर्थ उक्त घोषणा को अस्वीकार कर देना है । स्पष्टीकरण मांगने के बहाने और इस बीच समय पाकर पाकिस्तान हजारों बंगालियों को सामूहिक रूप में बंदी बनाकर इधर-उधर भेजना चाहता है।

इससे अनेक बार हमारे मन में यह भी सन्देह पैदा होता कि क्या पाकिस्तान वास्तव में अपने युद्ध-बन्दियों के बारे में चिन्तित है । इस घोषणा के अन्तर्गत तो उसे अपने युद्ध-बंदी वापस प्राप्त करने का स्वर्ण-अवसर प्राप्त हो रहा है । परन्तु पाकिस्तान सरकार की हाल ही की कार्यवाही से तो यह लगता है कि उन्हें अपने युद्ध बन्दियों की बिल्कुल परवाह नहीं है ।

समूचे विश्व द्वारा प्रशंसित इस संयुक्त घोषणा को न मानकर श्री भुट्टो स्वयं को विश्व भर में अकेला कर रहे हैं तथा स्वयं को स्वयं ही कठिनाइयों में डाल रहे हैं । इस संघर्ष में भारत सरकार के क्या पूर्वानुमान तथा विचार हैं ।

कुछ महीनों के दौरान अमरीका तथा चीन की सरकारों द्वारा दिये गये सक्रिय प्रोत्साहन के फलस्वरूप श्री भुट्टो का रवैया अब वह नहीं रहा है जोकि उन्होंने शिमला-सम्मेलन के समय प्रदर्शित किया था। इस अवधि में अमरीका द्वारा पाकिस्तान को पुनः शस्त्र सप्लाई करने की घटना घटी है। दूसरे अमरीकी राष्ट्रपति श्री निक्सन के दूतों ने यह कहने से इन्कार कर दिया हैं कि पाकिस्तान को भविष्य में शस्त्र सप्लाई नहीं किये जायेंगे। तीसरे अपनी विदेश नीति पर बोलते हुए श्री निक्सन ने यह साफ-साफ कहा है कि अमरीका स्वयं को भारतीय उप महाद्वीप के मामले से अलग नहीं रखेगा। अब अमरीकी तथा चीनी सहायता के बल पर ही तो पाकिस्तान डींग मार रहा है कि उसकी शक्ति अब 1971 की तुलना में कहीं अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका यह अभिप्राय नहीं है कि पाकिस्तान अपने पुराने मित्रों के बल पर एक बार पुनः अपने बाजू आजमाना चाहता है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पाकिस्तानी कैद में पड़े बंगालियों की दशा के बारे में और आगे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तथा क्या उन्हें कैद करने का अर्थ इस संयुक्त घोषणा को अस्वीकार करना है और तीसरे, क्या इस कार्यवादी का अर्थ शिमला संधि के उद्देश्य को एक ओर फेंक देना है और इस संयुक्त घोषणा का क्या होगा जिसमें तीनों देशों का संबंधित मानवीय समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से रचनात्मक ढंग से बात चीत करके कोई सर्वमान्य रस्ता ढूंढना है।

इस समय तो यह आशा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। इस लिए क्या सरकार ने इस संदर्भ में समूची स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। क्या उस नवीनतम स्थिति पर विचार करते हुए इस संदर्भ में भी सोचा है कि यदि बंगलादेश के विरुद्ध एक तरफ़ा कार्यवाही की गई तो पाकिस्तान के युद्ध बन्दियों का मामला जो रूप धारण करेगा उनके लिए केवल पाकिस्तान ही उत्तरदायी होगा?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने स्वयं ही सारी स्थिति का अन्वेषण कर दिया है। यह सत्य ही है कि उक्त संयुक्त घोषणा के फल स्वरूप श्री भुट्टो कुछ अकेले से पड़ गए हैं क्योंकि शेष विश्व ने तो इस संयुक्त घोषणा का स्वागत किया है जबकि पाकिस्तान केवल यही रट लगाता है कि जनेवा सम्मेलन के निर्णयानुसार पाकिस्तानी युद्ध बन्दी वापस किये जाने चाहिए जबकि वह अपने देश में जबरन रोके गये बंगालियों, सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों की वापसी को तैयार नहीं दिखते, जनेवा सम्मेलन के निर्णयानुसार युद्ध-बन्दी युद्ध के पश्चात शान्ति स्थापित होने पर वापस किये जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा मानवता के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुसार पाकिस्तान बंगालियों को भी एक दिन की भी उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने देश में नहीं रोक सकता और इसके लिए शान्ति स्थापित होनी भी जरूरी नहीं जोकि युद्धबंदियों के विषय में ही लागू होती है। इस संयुक्त घोषणा द्वारा हमने संसार का ध्यान बंगालियों की दशा की ओर आकर्षित किया है जिसे पाकिस्तान ने अपने प्रचार द्वारा दबाये रखा है। अब बंगालियों को जिसमें असैनिक कर्मचारी भी हैं, बंदी बनाकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति और अधिक स्वयं को अकेला कर रहे हैं और विश्व समुदाय अवश्य ही उनकी इस कार्यवाही की आलोचना करेगा। यदि इस कार्यवाही का अर्थ भारत या बंगलादेश पर किसी प्रकार का दबाव डालना है तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि हम किसी भी दबाव के सामने झुकने वाले नहीं हैं।

पाकिस्तान की इस कार्यवाही के उद्देश्य के बारे में कई कल्पनायें की गई हैं, परन्तु हर न्यायोचित दृष्टिकोण के आधार पर मुझे तो इस कार्यवाही पर कोई अभिप्राय समझ में नहीं आता और मेरे विचार से इससे पाकिस्तान को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं ही सकता है। उल्टे भारतीय उप महाद्वीप में इसके फलस्वरूप पारस्परिक संबंधों में कुछ कटुता ही पैदा होगी।

बंगला देश द्वारा कुछ लोगों पर मुकदमे चलाये जाने के बारे में मैं पहले ही विस्तारपूर्वक बता चुका हूं । अब तो केवल इतना और कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान बदले की भावना से निर्दोष बंगालियों पर अत्याचार करता है तथा भारत और बंगला देश को ब्लैक मेल करना चाहता है तो हम तथा बंगला देश दोनों इसका मुकाबला करेंगे ।

यह सत्य है कि अमरीका तथा चीनी सरकारें पाकिस्तान को समर्थन दे रहीं हैं तथा उन्होंने उसे गत वर्ष 1971 के संघर्ष के पश्चात् सैनिक शस्त्रास्त्र भी दिये हैं । परन्तु तीन प्रकार के लोगों की रिहाई से संबंधित हमारे संयुक्त संकल्प में निर्देशित मानवीय समस्या के हल के बारे में अमरीका तथा चीन का रवैया एक समान नहीं है । वस्तुतः अमरीकी प्रवक्ता ने इस संयुक्त घोषणा का समर्थन किया है तथा सरकारी तौर से भी अमरीका चाहता है कि भारतीय उप महाद्वीप के ये तीनों देश अपनी-अपनी मानवीय समस्याओं को बातचीत द्वारा हल करें । अमरीका ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान वास्तविकता को स्वीकार करे अर्थात बंगलादेश को मान्यता दे ताकि भारतीय उप महाद्वीप में स्थिति सामान्य हो जाये । अतः इस सम्बन्ध में तो अमरीका और चीन को एक स्तर पर रखना सही नहीं होगा ।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण): बंगलादेश में पिछले दिनों हुए चुनावों के बाद इस उप महाद्वीप में कुछ न कुछ घटनायें होती हम देखते आ रहे हैं । हमने सोचा था कि क्या अब भी आशा करते हैं कि शिमला संधि के पश्चात इस उप महाद्वीप में भारत पाकिस्तान तथा बंगला देश के मध्य धीरे-धीरे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हो जायेंगे । परन्तु पहले तो यह प्रयास किया गया कि बंगला देश के चुनाव न हो सकें तथा वहां की लोकतान्त्रिक शक्तियां संविधान को अपना न सकें परन्तु जब यह हो गया तो अमरीका ने पाकिस्तान को शस्त्र देना शुरू कर दिया तथा राष्ट्रपति भुट्टो ने ऐसे वक्तव्य देने शुरू कर दिये जिनसे स्थिति को सामान्य बनाने में सहायता नहीं मिलती ।

कुछ दिन पूर्व भारत ने रजाकारों को बंगलादेश के हवाले कर दिया था और फिर इसके तुरन्त बाद दोनो देशों ने एक संयुक्त घोषणा की जिसके अन्तर्गत युद्धबन्दियों तथा अन्य असैनिक व्यक्तियों की वापसी की व्यवस्था का प्रस्ताव है । यह घोषणा तो 17 अप्रैल को की गई परन्तु पाकिस्तान ने 6 मई को बंगाली असैनिकों की गिरफ्तारी शुरू कर दी । अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति ने पाकिस्तान में बंगालियों की संख्या 1.57 लाख बताई थी जोकि अधिकाँशतः कराची के दक्षिणी भाग में है । भारत ने पहले तो शेख मुजीबुर्रहमान की मुक्ति के लिये विश्वमत तैयार किया था और अब क्या मंत्री महोदय बंगला देश के साथ मिलकर पाकिस्तान में बंदी बनाये गये बंगालियों की रिहाई और वापसी के लिए विश्व भर में प्रचार करेंगे ? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति भुट्टो की यह कार्यवाई अमरीकी अधिकारियों के दबाव का परिणाम है ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय अपराधी पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर मकदमे चलाने तथा इस्लामाबाद में निर्दोष बंगालियों को कैद करने को परस्पर अलग कर रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी सरकार के पंजों में अबोध बंगालियों को सम्मानपूर्वक शीघ्र ही रिहा कराने के लिये हमारी सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं । जहां तक पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाये गये बंगालियों की रिहाई की बात है सो हम इस संयुक्त घोषणा के माध्यम से कार्यवाही करना चाहते हैं जोकि हमने तथा बंगला देश ने की है । इस तथ्य से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराया गया है कि हमारे मिशनों ने इस संयुक्त घोषणा के सभी पहलू स्पष्ट कर दिये ह । यदि यह प्रयास सफल हुआ तो बंगला देश के बंगाली बंगलादेश तथा पाकिस्तान के पाकिस्तानी तथा युद्धबंदी पाकिस्तान चले जायेंगे ।

जहां तक बंगला देश द्वारा कुछ पाकिस्तानी युद्ध बंदियों पर मुकदमे चलाने का प्रश्न है, उस संबंध में यह भी देखा जाना है कि किस ने बंगला देश में किस प्रकार का अपराध किया है। पहले तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत थी परन्तु अब बंगला देश सरकार ने पुन: विचार करके उनकी संख्या 195 बताई है जिन पर मूलत: मामले बनते हैं। अब बदले की भावना अपना कर पाकिस्तान ने जो बंगालियों को गिरफ्तार करके और उन्हें बंदी कैम्पों में इधर-उधर भेजने की जो कार्यवाही की है उसका बंगला देश ने उचित ही विरोध किया है और हम इससे सहमत हैं। हमें इस संयुक्त घोषणा में दिये गये सुझावों की क्रियान्विति के लिए प्रयास करते रहना है क्योंकि यही एक न्यायोचित हल है। यदि यह क्रियान्विति हो जाता है तो तीनों देशों की मानवीय समस्याऐं हल हो सकेंगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या बंगला देश के तथा पश्चिम बंगाल के लोगों में परस्पर भेद रखने के लिए बंगला देश वासियों को बंगला देशी नहीं कहा जा सकता ?

श्री स्वर्ण सिंह : बंगला देश वासियों को बंगाली ही कहा जा रहा है और मैंने भी बंगाली राष्ट्र बंगलादेश वासियों के लिए ही प्रयुक्त किया है। हमें राष्ट्र के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिये। हम उन्हें चाहें तो नाम दे सकते हैं।

डा० रानेन सेन (सारसाट) **:** पाकिस्तान में हुई हाल ही की घटनाओं से भारतीय उप महाद्वीप में निश्चय ही तनाव पैदा होगा तथा भारत और बंगला देश क्षुब्ध होंगे। निश्चय ही पाकिस्तान इस कार्य-वाही के द्वारा युद्धबंदियों के बारे में भारत और बंगला देश को ब्लैकमेल करना चाहता है।

परन्तु मैं मंत्री महोदय के इस कथन तथा उनके द्वारा अमरीका की प्रशंसा से सहमत नहीं कि वह देश भारत तथा बंगला देश की संयुक्त घोषणा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है। दैनिक "पेट्रियेट" के समाचार के अनुसार, अमरीकी सूचना विभाग पाकिस्तानी पुस्तिका "माज़ियूमोम की पुकार" का कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के मध्य वितरण कर रहा है। इस पुस्तिका की भूमिका श्रीमती भुट्टो तथा अनेक पाकिस्तानी महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा लिखी गई है। इसमें भारत द्वारा मुक्त किये कुछ पाक युद्धबंदियों के द्वारा दिया गया विवरण भी है कि किस प्रकार भारत द्वारा पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर अत्याचार किया जा रहा है। इस पुस्तिका का प्रचार अत्यन्त गोपनीय तरीकों से किया जा रहा है और इससे स्पष्ट है कि अमरीका भारत के विरुद्ध क्या-क्या षड़यन्त्र कर रहा है। यही कारण है कि मैं मंत्री महोदय द्वारा की गई अमरीका की प्रशंसा से सहमत नहीं। मंत्री महोदय मुझे मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दें।

पहले तो यह कि क्या सरकार ने दिल्ली में प्रकाशित इस समाचार की सत्यता की कोई जांच की ? दूसरे क्या भारत ने पाकिस्तान द्वारा हजारों बंगालियों की गिरफ्तारी आम के बारे में विश्व को सचेत किया ? तीसरे, क्या भारत सरकार ने इन तीन-चार दिनों में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति की सहायता से वहां बंगालियों की सही दशा का पता लगाने का प्रयत्न किया ? और क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि अमरीका और राष्ट्रपति भुट्टो दोनों ही भारत तथा बंगला देश को पराजित करने तथा ब्लेकमेल करने को कटिबद्ध हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : जिस पत्रिका का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वह पाक युद्धबन्दियों के संबंधियों ने प्रकाशित की है। यह पत्रिका विदेशों भाषाओं में विश्व के अन्य भागों में भी वितरित की गई है। माननीय सदस्य ने पहली ही बार इसका जिक्र किया है। अत: मैं बिना इसकी जांच किये सरकारी तौर पर कुछ नहीं कह सकता।

अमरीका के बारे में मैंने वही कुछ कहा है जो कि इसकी सरकार ने कहा है। फिर बेशक अमरीका के साथ हमारे कुछ मतभेद हैं परन्तु उनकी जो बात हमारे सिद्धान्तों से मेल खाती है उसे हमें केवल इसीलिए नहीं उपेक्षित कर देना चाहिए कि अन्य मामलों में हमारे उनके साथ मतभेद हैं। हमें हर समय आलोचना ही करने का रवैया न अपनाकर कहीं स्थिति को समझना भी चाहिये।

उनका पहला प्रश्न यह था कि क्या बंगालियों को बंदी बनाने तथा उन्हें नज़रबन्दी कैम्पों में भेजे जाने का समाचार सही है। सो, इसका तो पाकिस्तानी प्रवक्ता ने ही सत्यापन कर दिया है। पाकिस्तानी रेडियो ने उस वक्तव्य की घोषणा की है और बंदियों की संख्या 5000 से 6000 बताई है।

इस संबंध में जहां तक विश्व मत की बात है सो बंगलादेश के राष्ट्रपति की तीव्र प्रतिक्रिया वादी के प्रवक्ताओं के स्पष्ट वक्तव्य तथा और इसकी सर्वत्र चर्चा का विश्वमत पर भारी प्रभाव पड़ना निश्चित है? यह केवल तीन या चार दिन पहले ही की तो बात है। सारे विश्व को पता लग गया है और इस सम्बन्ध में सामान्य दृष्टिकोण पाकिस्तान के विरोध में है ---(**व्यवधान**)। हम अपने देश के या विदेशियों के प्रेस पर नियन्त्रण नहीं रखते। प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना प्रेम का काम है।

रेडक्रास द्वारा बंगालियों की दशा की जानकारी प्राप्त करना एक उत्तम सुझाव है। हम यह कार्यवाही कर रहेहैं और हमें आशा है कि हमें इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास से अपेक्षित जानकारी मिलेगी।

जहां तक युद्ध-बंदियों के मामले के माध्यम से परस्पर दबाव डालने की बात है सो अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। संयुक्त घोषणा के पश्चात् इस बारे म परस्पर समझ-बूझ पैदा हो गई है। संभव है कि कुछ लोग ऐसा समझें कि पाकिस्तान अपने युद्धबंदियों की वापसी में रुचि नहीं रखता। परन्तु हमारी यह संयुक्त घोषणा एक साफ और न्यायोचित पेशकश है और हम ऐसी आशा नहीं रखते कि इसकी उपेक्षा की जायेगी या इसकी क्रियान्विति में कोई व्यवधान डालने का प्रयत्न किया जायेगा।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : Pakistan has repeatedly proved her sense of cruelty and tyranny. History will always bear testimony to the gruesome cruelties perpetrated by Pakistan on the Bengalis while Bangla Desh was fighting for her struggle for freedom. Now again the Pakistan authorities are rounding up innocent Bengalis and deporting them to internment camps.

India and Bangla Desh have come out with a joint Declaration proposing mutual talk and also other suggestions for solving the problems of repatriation of POWs., civilians and others. But may I know whether Pakistan, by adopting such repressive measures, is creating complications in this respect ? Is that country trying to prove, by propagating wrong notions and also by putting forth baseless arguments. But India is not following the decisions taken in the Geneva Convention and is forcibly detaining their POWs ? Does it not amount to an effort to violate the very spirit of Simla Agreement ? Bangls Desh is of the opinion that the people who dishonoured and raped their women, killed and burnt alive their innocent children, should be tried in the Court of law. But if Pakistan reacts in this way, does it not amount to a shameless black mail and putting undue pressure on Bangla Desh ?

The statement made by the hon. Minister that America has welcomed the joint Declaration is not correct. He has not made strong statement on the atrocities caused to the civilians of Bangla Desh by the Pakistan Government.

May I know whether Government have sent any protest note to Pakistan in this matter ? Secondly, have Government asked our missions in various countries to inform them of the atrocities ?

May I also know the names of the countries which are inciting Pakistan to take such drastic steps ? Is it America or some one else ?

in view of the fact that creation of Bangla Desh has taken place with the able leadership of the Prime Minister, shrimati Indira Gandhi, is it not proper that she should make a statement stating the actual position in this regard ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान को अभी कोई विरोध पत्र नहीं भेजा गया है क्योंकि उनके पास हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं ।

हमने विदेशों में स्थित अपने दूतावासों को इस बारे में सूचना देदी हैं । इसके अतिरिक्त बंगला देश के राजदूत तथा प्रतिनिधि भी विश्व के विभिन्न देशों को इस स्थिति से अवगत करा रहे हैं ।

जहाँ तक पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने वाले देश का सम्बन्ध है यह नहीं कहा जा सकता कि वह देश कौन है । तथापि इतना निश्चित है कि यदि पाकिस्तान किसी के प्रोत्साहन पर यह कार्य कर रहा है तो इसका परिणाम पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने की माँग पर स्वयं प्रधान मंत्री ही विचार करेंगी । यह मामला विभिन्न देशों के समस्त है तथा उन्होंने पाकिस्तान के रवैये को नितांत अनुचित माना है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं संविधान के अनुच्छद 318 के अधीन जारी किये गये संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) दूसरा संशोधन विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 12 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 200 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5011/73]

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफी (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनाँक 7 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 369 में प्रकाशित हुए थे । सभा-पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5012/73] ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5013/73] ।

(एक) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत भारतीय प्रेस परिषद् के वर्ष 1972 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेज़ी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5014/73] ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5015/73]** ।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5016/]73** ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं भारतीय मानक संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5017/73]** ।

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

27वां प्रतिवेदन

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 27वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक
TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर, अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में एक सदस्य के प्रति डाक्टरों की उपेक्षा जिसके परिणामस्वरूप उसकी एक आंख की ज्योति चली गई, के बारे में

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गम्भीर घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डाकटरों की लापरवाही के कारण हमारे सहयोगी श्री के० गोपाल की दायीं आँख खराब हो गई तथा उन्हें उससे दिखाई देना बंद हो गया है।

श्री के० गोपाल गत मास की 4 तारीख को मैडिकल इंस्टीट्यूट में गये थे तथा वे डा० अग्रवाल से मिले किन्तु उक्त डाक्टर ने तुरन्त इलाज करने की बजाये उनसे कई कागजी खानापूरी करने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्हें जूनियर डाक्टरों के पास भेज दिया जिन्हें सही ढंग से चिकित्सा उपकरणों का अध्ययन करना भी नहीं आता । श्री के० गोपाल 4-5 घंटे तक उसी प्रकार इंस्टीट्यूट में भटकते रहे। विवश होकर वह मद्रास चले गये तथा वहाँ उनके डाक्टर ने बताया कि उनकी रेटीना अलग होती जा रही है तथा यह रोग गम्भीर है। डाक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वे तुरन्त दिल्ली चले जायें। उन्हें यह भी वताया गया कि इस स्थिति में उन्हें पूर्ण विश्राम करना चाहिए था। श्री गोपाल दिल्ली आकर इर्विन अस्पताल में भर्ती हुए वहाँ उनका अच्छी तरह इलाज किया गया किन्तु इलाज देर से आरम्भ होने के कारण कोई लाभ नहीं हो सका। महोदय ! अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डाक्टरों का यह रवैया नितांत निंदनीय है। उनकी लापरवाही के कारण आज श्री गोपाल सभा में एक आँख के होकर बैठे हैं।

सरकार ने इस चिकित्सा संस्थान पर लगभग 5 करोड़ रुपयों की राशि खर्च की है किन्तु इनका क्या उपयोग है जब रोगियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मेरा सुझाव है कि सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। श्री गोपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं यह शिकायत संसद् सदस्य के विशेषाधिकारों के संदर्भ में नहीं कर रहा हूं वरन् एक सामान्य नागरिक की हैसियत से कर रहा हूं। मेरी माँग है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें तथा यह आश्वासन दें कि इस मामले की संतोषजनक जाँच कराई जाएगी।

श्री वयालार रवि (चिर्रिंचकील) : कुछ मित्रों से बात चीत करने पर मुझे इसी प्रकार की अन्य घटनाओं का भी पता चला है। डाक्टर आपस में झगड़ते रहते हैं तथा रोगियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते। अतः इस मामले में एक व्यापक जाँच की जानी चाहिये।

श्री के० गोपाल (करूर) : महोदय यह मामला मुझसे ही सम्बन्धित है तथा इस पर बोलते हुए मुझे संकोच होता है। तथापि मैं इसे अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सभा का ध्यान इस दुर्घटना की ओर दिलाया जाए जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो सके।

मैं ए०आई०आई०एम०एस० में लगभग 9-10 बजे पहुंचा था तथा वहाँ 1-40 तक रहा। मेरे अनुरोध पर डा० अग्रवाल मुझे देखने आए तथा बताया कि मैं रेटीनल डिटैचमेंट से ग्रस्त था। उन्होंने यह भी बताया कि मुझे सी०जी०एच०एस० से पत्र लेना पड़ेगा तभी मुझे भर्ती किया जा सकता था। अतः मुझे वह सभी कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ी। किन्तु विवश होकर मुझे मद्रास जाना पड़ा तथा

वहीं मुझे इस रोग की गम्भीरता का पता चला और मैं तुरन्त दिल्ली लौट आया । मैं संसद्-सदस्य होने के नाते नहीं वरन् सामान्य नागरिक की हैसियत से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की पूरी जाँच होनी चाहिये ।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैं अपने सहयोगियों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंत्री महोदय को यह निदेश दें कि डा० अग्रवाल को तुरन्त मुअत्तिल किया जाए तथा इस मामले की पूरी जाँच कराई जाए तथा जाँच समिति में संसद-सदस्यों को भी रखा जाए ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री गोपाल की आँख को ठीक कराने की व्यवस्था की जाए । वियाना आदि देशों में ऐसे विशेषज्ञ मिल सकते हैं जो इसका उपचार कर सकें । मंत्री महोदय को इस बारे में आश्वासन दिलाना चाहिए ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर): महोदय । मुझे भी ऐसी ही घटना का अनुभव हुआ था और मुझे श्री गोपाल के साथ घटी घटना का अत्यंत दुःख है । लगभग 6 सप्ताह पहले डाक्टरों की लापरवाही के कारण मेरे भतीजे की विलिंगडन अस्पताल में मृत्यु हो गई । अतः यह समस्या बड़ी गम्भीर है ।

श्री एम० एम० बनर्जी (किरनपुर) : महोदय ! डाक्टर अग्रवाल ने श्री गोपाल को रोग की गम्भीरता न बताकर तथा उनका समुचित उपचार न करके बड़ा गम्भीर अपराध किया है ।

श्री तेजा सिंह स्वतंत्र की मृत्यु के बारे में मैंने सदन में कोई मामला नहीं उठाया । किन्तु यह सच है कि उनको एमीनोफिल इंजेक्शन दिया गया था जो हृदय रोग के रोगी को अत्यंत हानिकारक है । उनकी मृत्यु मेरी गोदी में हुई थी । डा० लोहिया और श्री उमाचरन पटनायक की भी अस्पताल में मृत्यु हुई । अतः जो भी संसद-सदस्य अस्पताल जाता है उसके साथ कोई न कोई दुर्घटना होती है । इसी कारण मैं कभी अस्पताल नहीं जाता । अतः मेरा अनुरोध है कि इस विषय में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत दिये गये इस नोटिस को पढ़कर मुझे अत्यंत दुःख हुआ । मैं श्री के० आर० गोपाल की इस भावना की सराहना करता हूं कि उन्होंने एक सामान्य नागरिक के रूप में यह मामला उठाया है । मेरा विचार है कि डाक्टरों की इस लापरवाही से केवल श्री गोपाल को ही हानि नहीं पहुंची है वरन् उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता को भी क्षति हुई है क्योंकि अब वह उनकी उतनी सेवा नहीं कर सकते जितनी पूर्ण स्वास्थ्य होकर कर सकते थे ।

अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बताई गई घटनाओं पर भी मुझे दुःख है । यदि संसद्-सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो सामान्य जनता का भगवान ही रक्षक है । स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है कि संसद-सदस्य अस्पतालों में जाने से घबराते हैं । मैं इस मत से सहमत हूं कि श्री गोपाल की आंख को ठीक कराये जाने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहियें जिससे वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की पूरी सेवा कर सकें ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : महोदय ! इस घटना का समाचार मुझे आधे घंटे पूर्व ही मिला है । मुझे इस मामले पर अत्यंत खेद है तथा मुझे श्री गोपाल से पूरी सहानुभूति है ।

श्री खांडिलकर आज यहां नहीं हैं । वह डब्ल्यू० एच० ओ० सम्मेलन में गये हैं । मैं उन्हें सदन में व्यक्त की गई सभी भावनाओं से अवगत करा दूंगा । मैंने सभी बातों को ध्यान से सुना है तथा इस मामले में कठोर कार्यवाही की जाएगी । (**व्यवधान**) मैं यथाशीघ्र वक्तव्य दूंगा ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री खाडिलकर यहां उपस्थित नहीं हैं तो इसका आशय यह नहीं है कि सरकार ही उपस्थित नहीं है। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला संसद-सदस्यों से ही सम्बन्धित नहीं वरन् समस्त नागरिकों से सम्बन्धित है। अतः मैं स्वयं प्रधान मंत्री से इस बारे में बातचीत करूंगा। इस मामले पर सामान्य कार्य समिति में भी विचार विमर्श किया जाएगा।

(दो) भारत सरकार, सिक्किम के चोगयाल और सिक्किम के राजनीतिक दलों के बीच हुए समझौता के बारे में।

श्री समर गुह (कंटाई) : महोदय ! आज एक सुखद समाचार मिला है कि सिक्किम नेशनल पार्टी, सिक्किम नेशनल कांग्रेस, जनता कांग्रेस के प्रतिनिधियों तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव के बीच एक करार हुआ जिसके अन्तर्गत सिक्किम में प्रजातंत्र प्रणाली स्थापित की जाएगी। भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिये प्रशासनिक अधिकारी देने का वायदा किया है जिससे वहां आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके। मेरा अनुरोध है कि इस विषय में सदन में चर्चा होनी चाहिये तथा मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को यह सूचना भेज दूंगा तथा वह उपयुक्त समय पर वक्तव्य देंगे।

(तीन) कपाड़िया के नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड को अपने नियन्त्रण में लेने के प्रयास के बारे में

Shri Madhu Limaye (Banka) : Towards the end of 1968 I submitted a memorandum to the Minister of Industry regarding the Contraventions Committed by the Kapadias to get possession of Killick Nixon Group of companies. At one instance Government took action under section 408 of the Companies Act and as a result of which the interests of the shareholders could be saved. If the Government do not take follow up action under section-408 and do not increase the period of Government directors, then in annual general meeting of shareholders on the 11th May, the National Rayon will go into the hands of Kapadias and thus will be ruined. Since Kapadia is one of the directors of the Maruti Ltd. people have a suspicion in regard to Governments' attitude. Government should come forward to remove this suspicion.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : महोदय यह मामला कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष है। मैं जानकारी एकत्र करके इस बारे में कल वक्तव्य दूंगा।

पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय विधेयक—(जारी)

NORTH-EASTERN HILL UNIVERSITY BILL—(*Contd.*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को ध्यान से सुना है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय आदि के बारे में कोर्ट के सदस्यों के बारे में श्रेणियों का उल्लेख किया गया है किन्तु इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा नहीं किया गया। सरकार का तर्क है कि चूंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में भी इन श्रेणियों का उल्लेख नहीं किया गया था अतः इस विश्वविद्यालय के बारे में भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है। मेरे विचार से यदि एक बार गलती हो जाए तो इसका आशय यह नहीं कि उसको दोहराना ही चाहिए। आशा है सरकार संसद में विचार

किये जाने के लिये सभा-पटल पर शीघ्र कानून रखेगी तथा इस विश्वविद्यालय के लिये वही प्रक्रिया अपनाएगी जो अन्यों के लिये अपनाई गई है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि विधेयक पर आगे चर्चा ही न की जाए।

Shri Madhu Limaye : Will the hon. Minister give an assurance that he will himself initiate a discussion on the Statutes in the house ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय भी यदि मंत्री महोदय इसे अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सम्मुख रखकर 16 तारीख को लाने को तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु समय थोड़ा है।

प्रो० एस० नूरूलहसन : मैं आपके निदेशानुसार यह आश्वासन दोहराता हूं कि सरकार ही इन नियमों पर चर्चा का प्रस्ताव सभा में लाएगी ताकि सभा को इनमें सभी वांछित परिवर्तन करने का पूरा अवसर प्राप्त हो।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि कुछ समय-सीमा रख दी जाए और तीस दिनों में ही इस पर चर्चा करके सभा अपना निर्णय दे दे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस निर्णय के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह विधेयक इस समय पास कर दिया जाये और जैसा कि मंत्री महोदय ने माना है, हम बाद में इसमें सुधार कर सकते हैं

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*

इसीलिए मैंने कल श्री डांगा से अनुरोध किया था कि वह अपना संशोधन वापस ले लें। मैं श्री समर गुह से भी अनुरोध करता हूं कि असम में चल रहे वर्तमान हालात को देखते हुए वह अपना संशोधन वापस ले लें क्योंकि मेघालय और असम दोनों ही इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार असम में नहीं चाहते।

मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वहां शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न आदिवासी संस्कृतियों का पृथक अस्तित्व बनाए रखे और इन चार क्षेत्रों के लोग इसे अपना समझें। यद्यपि शुरू में बाहर से प्राध्यापक रखना अनिवार्य होगा परन्तु प्रयास यही होना चाहिये कि शीघ्रातिशीघ्र स्थानीय लोग ही रखे जाएं तथा इनमें अपनत्व की भावना जागेगी। यद्यपि इस समय इन चारों क्षेत्रों में स्कूली बच्चों की संख्या शेष भारत से कहीं अधिक है फिर भी भविष्य में कितने छात्र इस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाएंगे और देश की शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में कितना योगदान करेंगे—यही इसकी सफलता की कसौटी होगी। मुझे विश्वास है कि इसे वहां के लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा और इस क्षेत्र की युवा पीढ़ी के लिए नया अध्याय आरंभ होगा।

Shri Sudhakar Pandy (Chandauli) : I welcome this Bill although we had to wait for it for a full decade. People in border areas must be educated even from Defence point of view. Now that all the procedural hurdles have been removed, I hope Shri Daga would withdraw his amendment.

I feel that Central Universities remain so cut off from the areas where they are located that they become isolated and the local people cannot derive any benefits therefrom.

Let us hope that the immortal local culture and music would not only be kept alive but merge in the mainstream of national life and that local talent would be attached.

Autonomy in Educational Institution is a much abused word and some people use it for their personal and political gains. I therefore want autonomy to be put to proper use and nobody should be allowed dereliction of his duty under its Shield. I am afraid that at present autonomy in Universities is giving way to indiscipline and lawlessness and the nation has to suffer.

The Central Government should accord priority to backward areas in the field of education also and the establishment of this University should be considered a first step in that direction.

I welcome its establishment and I am confident that it will start functioning in July next and people with a spirit of dedication rather than personal ambition would be taken therein because, today due to infiltration of opportunists inthe field of education, we may have a vast number of literates, but really educated and enlightened citizens are hard to find.

With these words I support the Bill and hope that I would prove a great revolutionary step.

Shri G.P. Yadav (Katihar) : I am happy that the long-cherished desire of the people of this region is being fulfilled through this measure. I would at the same time request the hon. Minister to see that the anti-national feelings being aroused in the region are curbed and the culture and tradition of the region are maintainedt hrough the proposed University and that sons of the soil should be given priority in this University so as to avoid the confusion prevailing in some of the Central Universities. Government should also ensure that where autonomy is concerned the University should be kept free from politics and Government influence.

I hope that there consideration would weight with Government to ensure that this University proves really effective in helping the people of the region to preserve their culture and traditions as also to achieve speedy development of the region.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : इस विश्वविद्यालय की स्थापना की काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और मुझे खुशी है कि इसके लिए अब यह विधेयक लाया गया है जिसका हम स्वागत करते हैं। जिन कारणों से हमने पहले इस विधेयक का विरोध किया था अब मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता परन्तु मैं श्री डागा के साथ सहमत हूं कि इस विधेयक में काफी त्रुटियां हैं फिर भी मैं चाहता हूं कि यह विधेयक पास किया जाए परन्तु मंत्री महोदय को उन त्रुटियों पर अवश्य विचार करना चाहिए।

पता नहीं क्यों इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार का कालिजों का सम्बद्ध होना ऐच्छिक क्यों बनाया गया है ? शायद इसलिए कि जवाहरलाल विश्वविद्यालय में ऐसा किया गया है परन्तु दोनों की स्थिति में बहुत अन्तर है। अत: मैं चाहता हूं कि इसे तुरन्त अनिवार्य बनाया जाए।

खण्ड (12) के उपखण्ड 3 के अधीन उपकुलपति द्वारा की गई किसी कार्यवाही के विरुद्ध संबंधित प्राधिकारी और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उक्त कार्यवाही की गई है क्रमश : आचार्य और कार्यकारिणी समिति को अपील कर सकते हैं परन्तु यदि दोनों के निर्णय भिन्न हुए तो यह अप्रिय ही होगा। साथ ही क्योंकि आचार्य स्वयं राष्ट्रपति हैं, अत : उन्हें इन मामलों में घसीटना उचित नहीं है।

दूसरे खण्ड 31 (2) के अधीन किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पर पंच-निर्णय कराने की व्यस्था है। इससे लगता है कि यह कार्यवाही भी जैसे औद्योगिक विवाद हो। यह बहुत ही अस्वस्थ परम्परा होगी। अत : मैं चाहता हूं कि इस उपबन्ध का लोप कर दिया जाए।

मुझे विधेयक के खण्ड 7 (1) पर भी बहुत आपत्ति है जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी प्राधिकार का सदस्य चुने जाने के लिए उन्हें करार दिया गया है जिसे कम से कम 6 मास का दण्ड़ नैतिक अनाचार के अपराध के लिए दिया गया हो।

यदि किसी व्यक्ति को नैतिक-पतन के अभियोग में दोषी पाया जाए तो उसे किसी प्रकार की शक्ति या प्राधिकार न दिया जाना चाहिए । यदि किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा नैतिक पतन के अपराध में 5 या 6 महीने के कारावास का दण्ड दिया जाए तो उसे किसी प्राधिकार में किसी भी पद पर नहीं बने रहना दिया जाना चाहिए ।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्य मनीपुर) : इस विधेयक को पेश करने में ऐसा निर्णय लेने के लिए मैं सरकार और मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । इस विश्वविद्यालय की स्थापना से इस देश के आदिवासी क्षेत्र के जीवन के इतिहास में प्रथम बार विकास के अन्य पहलुओं में जीवन शक्ति विद्यमान हो जाएगी । इस पिछड़े क्षेत्र में अब लोगों की इच्छा पूरी हो रही है । मनीपुर राज्य में ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की अत्यंत आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र में विकास की लोगों की मांगें पूरी हो सकें ।

गत वर्ष इस विधेयक को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक के नाम से प्रस्तुत किया गया था । यह नाम उस क्षेत्र के निवासियों ने चुना था । किन्तु अब हमें पता लगा है कि इस विधेयक का नाम परिवर्तित कर दिया गया है । यदि पहला नाम स्वीकार कर लिया जाता है लोग अत्यन्त प्रसन्न होते । गत वर्ष इस विधेयक पारित करने में यह बाधा आई थी कि आसाम में अशान्ति उत्पन्न हो गई थी । संविधान के अनुसार यह संकल्प दो राज्यों के विधान मंडलों द्वारा ही पारित किया जाना चाहिए था । किन्तु आसाम में गड़बड़ होने से इस संकल्प को वापस लेना पड़ा । इसके बाद किसी अन्य राज्य से यह अनुरोध करना पड़ता था कि वह इस विधेयक को पेश करा कर इसे पारित कराए और मनीपुर ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था क्योंकि वह एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता था जिससे अधिकाधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना से देश के इस भाग की शिक्षा सम्बन्धी समस्या हल हो सके । आरम्भ से ही मनीपुर इस सम्बन्ध में बहुत रूचि ले रहा है । इसलिए मनीपुर के लोग आगे नहीं आए ।

इस विधेयक का नाम पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय विधेयक रखा गया है और यह अपेक्षा की जाती है कि पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोंगो की आवश्यकताएं पूरी होंगी । अच्छा होता यदि इन उपबन्धों में आदिवासी लोगों का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया होता । इस विधेयक में मनीपुर, त्रिपुरा जैसे अन्य भागों में रहने वाले आदिवासियों के पहाड़ी क्षेत्रों का उल्लेख किया जाना चाहिए । यदि विश्वविद्यालय का उद्देश्य आदिवासी लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना और इन लोगों का समुचित विकास करना है तो यह बहुत अच्छी बात होती यदि इन आदिवासी लोगों के क्षेत्रों का इस विधेयक के उपबन्धों में उल्लेख किया गया होता किन्तु ऐसा न किया गया है ।

अत: इस विधेयक में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए । मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस विधेयक का मूल नाम इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक था । प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री ने इस विश्वविद्यालय के साथ अपना नाम जोड़ने से मना कर एक अत्यन्त गरिमामय और लोकतन्त्रीय कदम का परिचय दिया है । यह धारणा गलत है कि इस विधेयक का उद्देश्य हमारे देश के आन्तरिक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की जनता को मुख्य भूमि की जनता के साथ संघटित करना है । ये प्रदेश अभी भारत के अंग नहीं बने हैं अपितु प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक दृष्टि से देश का यह भाग भारत के साथ जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र का इतिहास समस्त भारत की विरासत है । अत : पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को शेष भारत के लोगों के साथ मिलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी सरकार की उदासीनता के कारण विदेशी धर्मप्रचारकों को इन क्षेत्रों में आने का अवसर मिल गया और इन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को शेष भारत

से अलग-थलग करने का प्रयास किया। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इन लोगों को अपनी सन्तान को अपनी संस्कृति के अनुरूप शिक्षा दिलानी चाहिए। हांलांकि मैं इस विधेयक के उद्देश्य से पूरी तरह से सहमत हूं और इसे शीघ्रता से पारित भी किया जाना चाहिए तथापि मैं इसमें निहित धारणा उद्देश्य के बिल्कुल अनुरूप नहीं हूं। इसका ढांचा, कार्यकरण तथा संगठन अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अपेक्षा बहुत खराब है।

इस विधेयक का नाम पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय रखा गया है जिसका अभिप्राय है कि इसका उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी जनता के हितों की देखभाल करना, और उनकी सन्तान को शिक्षित करना है। किन्तु इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस विधेयक में अन्य विश्वविद्यालयों की भांति ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। विधेयक में कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे इस तथ्य का पता लगे कि इसका उद्देश्य पहाड़ी लोगों की परम्परागत संस्कृति और कुल परम्परा के अनुसार उनकी प्रतिभा का विकास हो।

इस विधेयक में एक और आश्चर्यजनक बात है। यद्यपि इस विधेयक का मूल क्षेत्राधिकार आसाम और मेघालय राज्य तथा अरूणाचल और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र है तथा यह अपने क्षेत्राधिकार का विस्तार नागालैण्ड, मनीपुर, त्रिपुरा तक करना चाहता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आदिवासी बहुत अधिक संख्या में रहते हैं, तथापि इस बात का कोई पता नहीं है कि इस विधेयक से आसाम और मनीपुर को क्यों निकाल दिया गया है। मेघालय, अरूणाचल और मिजोरम में कुल 22.9 लाख आदिवासी लोग रहते हैं। यदि आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया तो 31.7 लाख आदिवासी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया माना जायेगा। इसके अतिरिक्त आप अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और अन्य पहाड़ी लोगों को भी इस विधेयक में शामिल नहीं कर रहे हैं अर्थात् आप 42.7 लाख लोगों को शामिल नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस विधेयक का पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय नाम रखना उचित नहीं है। अतः सरकार को 43 लाख लोगों को इस विधेयक में शामिल न करने का क्या अधिकार है? नागालैण्ड के सीमावर्त्ती क्षेत्रों के लोगों, आसाम के अन्य लोगों और उत्तर कच्छार के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों, मनीपुर और त्रिपुरा के पहाड़ी लोगों के लिए इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है। इस विधेयक से आसाम को निकाल कर आप मिकिर के सीमावर्त्ती और आसाम के पहाड़ी लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं।

यह विधेयक असंगतियों से भरा पड़ा है। यद्यपि इसका उद्देश्य अत्यन्त प्रशंसनीय है तथापि इसकी संकल्पना को मूर्तरूप देने में, विश्वविद्यालय के ढांचे में और अन्य बातों में त्रुटियां की गई हैं। शिलांग में रहने वाले आसाम के निवासियों को अपने पुत्रों और पुत्रियों को इस पहाड़ी विश्वविद्यालय में प्रवेश कराने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अतः आसाम के निवासियों को इसकी सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

ऐसा लगता है कि इस विश्वविद्यालय में पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा किन्तु यह कार्य सर्वसत्तावादी होगा। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम में यह 'विजिटर ही सर्वोपरि होगा। उसी को सारे अधिकार और दायित्व सौंपे जाएगें। वह किसी छात्र या किसी कर्मचारी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है और किसी भी कारणवश किसी प्रमाण-पत्र को वापस ले सकता है। छात्रों को एक

करार पर हस्ताक्षर करने पड़ेगें और वे उसी के अनुसार अनुशासन में रहेंगे । किन्तु छात्रों को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में शामिल नहीं किया गया है । क्या छात्रों को शिक्षा का अध्ययन किसी सुरक्षा की पृष्टभूमि में करना पड़ेगा ? प्रत्येक विश्वविद्यालय विधयक में संसद के प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ प्रावधान होते हैं । किन्तु इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

जहां तक इस विश्वविद्यालय के उद्देश्य, क्षेत्राधिकार, संगठन और कार्य संचालन का सम्बन्ध है, यह विधेयक इस प्रकार से बनाया गया है कि इसका समर्थन करना मेरे लिए कठिन हो गया है । मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस विधेयक को राज्य सरकारों के पास भेजें और इस पर कुछ और अधिक समय लगाए । संसद की संयुक्त समिति की राय और विचार जानने के लिए इस विधेयक को इस समिति के पास भेजा जाए ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : जिस दिन हम इस विधेयक को पास करेंगे वह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि प्रथम बार हम भारत के आदिवासी लोगों के लिए शिक्षा की सम पद्धति लागू करने जा रहे हैं ।

भारत के आदिवासी लोग बिल्कुल अलग लोग हैं उनकी मनोवत्ति, इतिहास तथा परम्पराए भी अलग हैं और भारत की कुल आबादी में उनकी संख्या काफी अधिक है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में या कुछ कालेज, इसी उद्देश्य से जिस उद्देश्य में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, सम्भव है अब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा बिहार आदि राज्यों के लोग भी यह मांग करेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की भांति उनके लिए उनके राज्यों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जायें ।

स्वतंत्रता के पश्चात् आदिवासी क्षेत्रों में 'बेसिक' स्कूल खोले गए हैं । इन स्कूलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है यदि इन क्षेत्रों में कुछ इंगलिश स्कूल खोले गए होते और उनमें वैसी ही शिक्षा दी गई होती जैसी हम अपने बच्चों को देते हैं तो आज इन क्षेत्रों की तस्वीर कुछ और ही होती । हम उनको उचित शिक्षा नहीं दे सके हैं । यही कारण है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा में उनकी संख्या नगण्य है । अत: हमें इस बात पर विचार करना चाहिये को क्या इस उद्देश्य को समक्ष रख कुछ कालेज खोलना सम्भव है । 'नेफा' में कुल 44 माध्यमिक स्कूल हैं और नागालैंड में 196 स्कूल हैं । इसी प्रकार खासी-जयन्तो हिल्स में 55,मिजो हिल्स में 31, गारो हिल्स में 13,मिकिर हिल्स में 5 और नार्थ कन्धार हिल्स में कुल 3 स्कूल हैं । मेरा निवेदन है कि हमें बच्चों के मां-बाप को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें । इसके लिए बच्चों को निःशुल्क खाना तथा कपड़े दिए जा सकते हैं । आदिवासी लोगों की संस्कृति को उभारने के लिए कुछ पाठ्यपुस्तकें लिखी जानी चाहिएं । हमें उन लोगों को यह सोचने का अवसर नहीं देना चाहिए कि वे हम से अलग हैं ।

श्री पी० जी० मालंकर (अहमदाबाद) : इस विधेयक के पीछे जो उद्देश्य है मैं उसका स्वागत तथा समर्थन करता हूं । गत साल में जब इस विधेयक को पुर: स्थापित किया गया था तो इसे प्रधान मंत्री के नाम में संलग्न किया गया था तो हमने इस पर आपत्ति थी । हमारी बात मान ली गई है और अब प्रधान मंत्री का नाम हटा दिया गया है । किसी जीवित नेता का नाम किसी संस्था में सलंग्न करना बुद्धिमता नहीं है ।

गत मास मैं उस क्षेत्र में गया था और मैंने देखा कि वे लोग महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है कि और कि उनको भारत का अंग नहीं समझा जा रहा है । इस शक को दूर करने के लिये हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जिसमें वे क्षेत्रीय जीवन के ढंग तथा संस्कृति का विकास

कर सकें तथा देश के शेष भाग के साथ वे खुद को मिला सकें। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना से इन दो उद्देश्यों को प्राप्त करना सम्भव होगा। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी यह आवश्यक है कि हम उनको इस सम्बन्ध में सहायता दें ताकि वह अपनी संस्थाओं का विकास कर सकें और फिर वे स्वयं को राष्ट्रीय राजनीति तथा संस्कृति में मिला सकें।

मेरे विचार में यह विश्वविद्यालय केन्द्र द्वारा स्थापित किया गया कोई आदर्श विश्वविद्यालय सिद्ध नहीं होगा। यह विधेयक बहु असंतोषजनक है। इस नए विधेयक के क्षेत्राधिकार से मनीपुर और त्रिपुरा राज्य को बाहर रखने की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे विचार में इनको भी शामिल किया जाना चाहिए था। इस विधेयक के उपबन्ध बहुत आपत्तिजनक हैं। इन उपबन्धों में स्वतंत्रतापूर्व विश्व-विद्यालयों की परम्परा की याद आती है। इसको समाप्त किया जाना चाहिए था। इसमें आधुनिक समय के विचारों को शामिल किया जाना चाहिए था। विधेयक में अधिकतर जोर प्रशासनिक व्यवस्था की ओर दिया गया है और विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता तथा शैक्षिक मामलों में विद्यार्थियों को भागीदार बनाने की ओर जोर नहीं दिया गया है। पिछली बार इस विधेयक को अ-स्वीकार कर दिया था। तब से अब तक काफी समय सरकार के पास था और सरकार इसमें सुधार कर सकती थी। विधेयक की जो आलोचना की गई है माननीय मंत्री उस पर ध्यान दें। इन सब बातों के बावजूद मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करेंगे तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता तथा स्वतन्त्रता के विचारों को विधेयक में स्थान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृत मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है,इस संबंध में जो आलोचनाएं की गई हैं, उनमें से कई का मैं समर्थन भी करता हूं। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम विश्वविद्यालय के लिए स्थायी व्यवस्था न करके अंतरिम व्यवस्था क्यों कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय स्थापित करने में इस समय कठिनाइयाँ उपस्थित हो रही हैं। जब तक यह विधेयक पारित नहीं हो जाता है तब तक विश्वविद्यालय के स्वरूप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहां कहीं भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, वहां प्रथम बार नियुक्त किए जाने वाले पदधारियों को बोर्ड ने नामांकित किया है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसा करना स्थायी व्यवस्था है।

विधेयक को तैयार करने में मेघालय और नागालैंड सरकार से परामर्श किया गया है, मैं इस बात से सहमत हूं कि विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। विधेयक के खंड 5, उपखंड (9) में स्पष्ट उल्लिखित है कि बाहर के व्यक्तियों को विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति एक विशेष समय तक के लिए की जाएगी, उद्देश्य यह है कि ऐसी व्यवस्था तब तक के लिए है जब तक स्थानीय लोग इन पदों के लिए अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त नहीं कर लेते हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य भारतीयों के लिए यहां के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि सामाजिक तथा आर्थिक विकास का कार्य सरकार का है और विश्वविद्यालय इसको कैसे कर सकता है, हम शिक्षा को एक नया रूप दे रहें हैं जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अलग और अकेले में कार्य नहीं करेंगे अपितु विकास के क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। वे पाठ्येतर कार्य करेंगे तथा विस्तार सेवाओं को अपने पाठ्यक्रम का अंग बनाएगें।

यह भी कहा गया है कि विज़ीटर को काफी अधिकार दिए गए हैं। विज़ीटर को जो अधिकार दिए गए हैं, उनका उपयोग वह शिक्षा मंत्री के परामर्श से करेगा इसलिए किसी भी त्रुटि के लिए माननीय सदस्य शिक्षा मंत्री की आलोचना कर सकते हैं।

कुलपति को अधिक अधिकार देने से वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस अवधि में होने वाले विचार-विमर्श में स्थानीय लोगों को शामिल किया जा सके और वे यह समझें कि उनके विचारों को ध्यान में रखा जा रहा है।

यह विश्वविद्यालय अपना कैम्पस स्थापित करेगा अतएव इसका अपना अध्यापन विभाग होगा। जब तक इसके संकाय के बारे में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता तब तक इसके संविधान के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, यदि तीन वर्ष की अवधि के अन्दर संसद विधेयक को अनुमति दे देती है तो संकाय को संयुक्त करना तथा विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के कार्य में शामिल करना संभव हो सकेगा।

आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा को इससे अलग करने का कारण यह है कि वहां के लोग अपने-अपने राज्य को [illegible] के क्षेत्रा[illegible] नहीं लाना चाहते हैं, मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ दाखिला देते समय भेदभाव नहीं बरता जायेगा, हां दाखिला देते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के साथ नरमी बरती जाएगी।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का इस विधयक के ऐतिहासिक पृष्टभूमि और इसको लाने में विलम्ब होने के कारण बताने के लिए आभारी हूं। वे इस बारे में मुझ से अधिक जानते हैं, यदि वहां की राजनैतिक तथा शैक्षिक स्थिति स्पष्ट होती तो मैं विधेयक को इस रूप में लाना पसन्द नहीं करता। इस प्रस्ताव को रखने के बाद से 30 दिन तक सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा ने मेरे यह कहने पर आपत्ति उठाई है कि सलाहकार समिति को इस बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। परामर्शदात्री समिति को कोई अधिकार नहीं हो सकता है परन्तु इस सभा को यह अधिकार प्राप्त है। ज्योंही यह सभा किसी व्यक्ति अथवा समिति का प्रतिवेदन स्वीकार कर लेती है तब निर्णय करने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। परन्तु फिर भी हम पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों की इच्छा का आदर करेंगे जो यथासंभव इस विधेयक को उस रूप में प्राप्ति कराना चाहते हैं जिसमें उन्होंने इसका अनुमोदन किया था। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि कार्यकारी परिषद को विज़ीटर के अधिकारों को कम करने का अधिकार दिया गया है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि विजीटर की अनुमति के बिना कार्यकारी परिषद के किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि विज़ीटर यह समझता है कि उसको दिये गए अधिकार का अब कोई उपयोग नहीं है तब कोई कारण नहीं है कि वह अधिनियम में संशोधन करने की अपनी स्वीकृति न दे।

यह आरोप उठाया गया है कि 'न्यायाधिकरण' की परिभाषा नहीं दी गई है और समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य न्यायाधिकरण के उपबन्धों को देखें। न्यायालय में जाने तथा भारी धन व्यय करने के स्थान पर न्यायाधिकरण बेहतर है। शिक्षा आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि विद्यार्थियों में मुकदमेंबाजी कम करने के लिये न्यायाधिकरण स्थापित करना सही होगा। यदि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में न्यायाधिकरण की व्यवस्था होती तो विद्यार्थियों को दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने से पूर्व न्यायालय द्वारा अपनी शिकायतें दूर करने का अवसर मिलता।

हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह विश्वविद्यालय इस प्रकार कार्य करे जिससे देश के विभिन्न वर्गों के लोग अपने अस्तित्व को बनाये रखते हुए एक दूसरे के निकट आयें, स्थानीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नौकरियों में अवसर दिया जायेगा। जब तक वे योग्य नहीं हो जाते तब तक उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि विश्वविद्यालय को राजनीतिक रूप दिय जाये, यदि इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थगित हो जाने के उपरान्त मेघालय या नागालैंड अपने विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं। यह विश्वविद्यालय उन के मार्ग में रुकावट नहीं बनेगा।

देश के अन्य भागों में आदिमजाति क्षेत्रों के संबंध में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उपबन्ध स्पष्ट हैं कि राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय की अनुमति से, जिसके क्षेत्राधिकार में आदिमजाति क्षेत्र पड़ता है, वहां का कालेज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जा सकता है अथवा यह विश्वविद्यालय वहां कालेज खोल सकता है। यदि कार्यकारी परिषद अधिनियम में संशोधन लाना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है, जहां तक सरकार का संबंध है वह विजीटर को इस कार्य में बाधा उपस्थित न करने का परामर्श देगी।

सभापति महोदय: अब मैं श्री मूलचन्द्र डागा का संशोधन मतदान के लिए रखता हूं प्रश्न यह है :—

कि "पूर्वोत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षत्रों के शैक्षणिक और संबद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करने और निगमन करने वाला विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा से 20, अर्थात :—

1. श्री भागवत झा आजाद
2. श्री गिरिधर गोमांगो
3. श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
4. श्री समर गुह
5. श्री इन्द्रजीत गुप्त
6. श्री डी० पी० जदेजा
7. डा० कैलाश
8. श्री पुरुषोतम काकोडकर
9. श्री सतपाल कपूर
10. श्री विक्रम महाजन
11. श्री जगन्नाथ मिश्र
12. श्री श्रीकृष्ण मोदी
13. श्री प्रबोध चन्द्र
14. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
15. श्री अर्जुन सेठी
16. श्री एस० एन० सिंह
17. श्री अटल बिहारी बाजपेयी

18. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा

19. श्री डी० पी० यादव

20. श्री मूलचन्द डागा

और राज्य सभा से 10,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समति इस सभा को आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: "कि विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : खण्ड 2 से 12 तक के लिए कोई संशोधन नहीं है : अत: मैं उन्हें मतदान के लिए रख रहा हूं । प्रश्न यह है:

" कि खण्ड 2 से 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गय ।

Clauses 2 to 12 were added to the Bill.

खण्ड 13

सभापति महोदय : इसके लिए श्री ई० वी० विखे पाटिल अनुपस्थित ह इसलिए उनका संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत नहीं की जा रहा है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 13 was added to the Bill.

खण्ड 14

सभापति महोदय : खण्ड 14 के लिए कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15

सभापति महोदय : क्योंकि श्री ई० वी० खिखे पाटिल उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनका संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15 was added to the Bill.

खण्ड 16 से 18

सभापति महोदय : खण्ड 16 से 18 के लिए कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 से 18 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 16 से 18 विधेयक में जोड़ दिय गये ।

Clauses 16 to 18 were added to the Bill.

खण्ड 19

सभापति महोदय : क्योंकि श्री ई० वी० खिखे पाटिल उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनका संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 19 was added to the Bill.

खण्ड 20 से 24

सभापति महोदय : खण्ड 20 से 24 के लिए कोई संशोधन नहीं है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं खण्ड 23 के विरोध में कुछ कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं । प्रश्न यह है :

"खण्ड 20 से 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 20 से 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 20 to 24 were added to the Bill.

खण्ड 25

सभापति महोदय : क्योंकि श्री ई० वी० खिे पाटिल अनुपस्थित हैं इसलिए उनका संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion wad adopted.

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25 was added to the Bill.

खण्ड 26 से 40

सभापति महोदय : खण्ड 26 से 40 के लिए कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 से 40 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion wad adopted.

खण्ड 26 से 40 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 26 to 40 were added to the Bill.

खण्ड 4

Amendment made :

"Page 14,—

For lines 3 to 5, *substitute*—

"during the said period of six months, the powers of the Academic Council shall be performed by the Planning Board constituted under section 23;

(*e*) the first Academic Council shall consist of not more than twenty-one members, who shall be nominated by the Visitors and shall hold office for a term of three years."

(Prof. S. Nurul Hasan)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 3 से 5 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये —

"छः महीनों की उक्त अवधि के दौरान शिक्षा परिषद् की शक्तियों का निष्पादन धारा 23 के अन्तर्गत गठित आयोजना बोर्ड द्वारा किया जायेगा;

(ङ) प्रथम शिक्षा परिषद् में 21 से अधिक सदस्य नहीं होंगे तथा जिनको विजीटर द्वारा मनोनीत किया जायेगा तथा वे तीन वर्ष तक उस पद पर कार्य करेंगे"

(प्रो० एस० नूरूल हसन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 41 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 41 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 41, as amended , was added to the Bill.

खण्ड 42

सभापति महोदय : खण्ड 42 के लिए कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 42 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion wad adopted.

खण्ड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 42 was added to the Bill.

अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22;

"पंक्ति 14 से 16 निकाल दी जाये"

(प्रो० एस० नूरूल हसन)

(Omit lines 14 to 16)

(Prof. S. Nurul Hasan)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"अनुसूची, संशोधित रूप में" विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।

The schedule, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

इसका नाम पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार आसाम आदि के 42 लाख आदिवासी लोगों को छोड़ दिया गया है । इन लोगों को इस सुविधा से महरूम क्यों रखा जाये ।

आसाम के लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने भेद-भाव भूल कर आसाम को इसमें शामिल कराए । उन्हें पता नहीं कि ऐसा न करके वे अपना कितना अहित कर रहे हैं ।

केवल 22 लाख लोगों को लाभ पहुंचा कर और 4.2 लाख लोगों को उससे वंचित रख कर अनेकों अल्प भाषायी लोगों के साथ अन्याय किया गया है और इस प्रकार उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा से बरी रखा जा रहा है । अत: मैं चाहता हूं कि इसमें आसाम को अवश्य मिलाया जाये ।

श्री डी० बसुमनारी (कोकराझार) : मैं आसाम को शामिल किए जाने के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । आसाम के लोग आसाम का नाम इसमें इसलिए शामिल नहीं करना चाहते कि वहां पहले ही तीन विश्वविद्यालय हैं फिर वे अपने बच्चों को इस विश्वविद्यालय में भेजने को स्वतंत्र हैं । अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं यहां हूं श्री गुह को उनकी ओर से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रो० नुरुल हसन : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 4 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "खण्ड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Exacting Formula, the Preamble and Title were added to the Bill

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाये"।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाये" :

श्री सांगलीयाना (मीजोराम) : मै इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विश्वविद्यालय इस पहाड़ी प्रदेश की 10 वर्षीय आशाओं की पूर्ती है। इसकी स्थापना से हमें कितनी प्रसन्नता हुई है। इसका अनुमान माननीय सदस्य नहीं लगा सकते। इससे पहले आसाम का गोहाटी विश्वविद्यालय हमारे बच्चों को शिक्षा देने का भार उसका था। उन्होंने हमारी बहुत सहायता की। पर उनकी भी कुछ कठिनाइयां थीं। अपनी भाषा को उन्नत करना चाहते थे। और यह ठीक भी है। अत: अंग्रजी अच्छी पाठ्य-पुस्तकों के अभाव में हमारे बच्चे सरल विषयों में फेल हो जाते थे।

इस संबंध मै यह और कहना चाहता हूं कि इसका नाम यदि पहली बार सुझाया गया ही रखा जाता तो हमारी इच्छाओं की पूर्ती हो जाती। पर हमें इस बात की खुशी है कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है।

अन्त में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मनिपुर कुछ आदिवासी क्षेत्र इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं। उन्हें शिक्षा संबंधी आवश्यकता है।

यदि माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दें कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के किसी वर्ग को इस विश्वविद्यालय से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जायगा तो हमें अतियन्त प्रसन्नता होगी।

Shri Madhu Lamaye : (Banka) I am glad to see that a separate University for the hilly people is being established. I do not see another good thing in this Bill. I introduced a Bill for giving autonomy to Universities and allowing the students to participate in the administration. On that the University Grants Commission constituted a Committee. I put forward several suggestions for students participation in the administration and for granting autonomy to the University. The hon. Minister at that time showed sympathy for my suggestions. But now his attiude is quite different. The present Bill suffers from many shortcomings. May I know whether we do not have the right to know as to what will be the structure of the Court? Will the representatives of the students and teachers be nominated to it or it will consist of Government representatives only? How the office bearers of the Universtity will be selected and appointed. All these things have not been mentioned in the Bill. I will request the hon. Minister to do away with the practice of making President or Governor as the Visitor or Vice-Chancellor of a University.

If the present University is going to be set up on the lines of Aligarh University where the Student Union has been dismissed than I have every doubt about the future of this University.

I will request the hon. Minister to assure the House that while framing the statutes it will be provided that members of Court, executive council and academic council will be elected from amongst the students and teachers. Autonomy should also be provided for University. Visiter or Governor will not be allowed to interfere in the affairs of the University. Will the hon. Minister assure the House that Student Union will be accorded recognition and their election will be held in a democratic way.

I have read the report of the Committee of which Shri Nurul Hasan was also a member. I am surprised to see that the said Committee has recommended that students should not be given any representation on the Executive Council. I know that almost all members of this House have said that students should be represented in all the bodies of the University. I want to know the member to whom this committee has contacted in this matter ? If the hon. Minister bring forward statutes based the democratic principles then we will be definitely support them, otherwise not.

Shri K. M. Madhukar (kesaria) : A separatie University being established for the people of hilly areas. It is a welcome step. That should be a model University. It should develop the culture of the hilly people. On education system should be based on national integeration and secularism. Students and teachers and non-teaching staff should have an important place in the affairs of the University. One educatiion system should also be in Consonance with socialism. With those words, I support the Bill.

प्रो० एस० नूरुलहसन : इस विधेयक का समर्थन करने के लिये मै माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैने उत्तर देते समय अनेक आश्वासन दिये हैं। उनको दोहराने का कोई लाभ नहीं। सरकार विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्वायत्तता तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों को प्राशासन में भागीदार बनाने की बात का सम्मान करेगी परन्तु मैं यह नहीं भूलना है कि शिक्षा कुछ अधिक आय वालों के लिये ही सीमित न हो बल्कि कि समाज के कमजोर वर्ग भी इससे लाभ उठा सकें और विश्वविद्यालयों को समान की चुनौती का सामना करना चाहिए। हम विश्वविद्यालय में समाजवाद तथा धर्मनिर्पेक्ष की शक्तियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मै अनुरोध करता हूं कि सभा इस विधेयक को पास करे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

सभापति महोदय : अब दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर चर्चा होगी। सामान्य चर्चा तथा खन्डों पर चर्चा के समय को बांट दिया जाना चाहिये कुल दस घन्टे का समय है।

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : इस पर बहुत कम संशोधन आये हैं। अत: सात घंटे सामान्य चर्चा के लिए दो घंटे का समय खन्डों पर चर्चा के लिये तथा एक घंटे का समय तीसरी रीडिंग के लिए रखा जाना चाहिए।

Mr. Chairman : I am allotting seven hours for general discussion two hours for clause by clause consideration and one hour for third reading.

श्री दिनेश जोरदार : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया जा रहा है और वास्तव में राज्य सभा ने इस संशोधन करने वाले विधेयक को संयुक्त समिति को सौप दिया है। वह विधेयक अगली सभा अथवा अगले कुछ महीनों में सभा के समक्ष रखा जायेगा। ऐसा हो सकता कि भारतीय दंड संहिता के अनेक उपबन्धों में संयुक्त समिति द्वारा अथवा बाद में सभा द्वारा संशोधन को दिया जाये। ऐसे मामले में हमें दंड प्रक्रिया संहिता में पुन: संशोधन करना पड़ेगा। अत: मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को तब तक के लिये स्थगित कर दिया जाय जब तक कि भारतीय दंड सहिता पर विचार नहीं कर लिया जाता।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : यह ठीक है कि भारतीय दंड सहिता में संशोधन करने वाला विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को सौपा गया है। परन्तु इस कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर चर्चा न करना अथवा इसे पास करना उचित नहीं है। इस बात का ध्यान

रखा जायगा कि दोनो में कोई परस्पर विरोधी बात न हो। भविष्य में यदि कोई संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो वह संशोधन बहुत मामूली होगा। अत: मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर चर्चा आरंम्भ की जाये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order. May I know whether this Bill is different than the one which was introduced in the Fourth Lok Sabha ? May I also know whether the clauses of this Bill are different than those of the existing criminal procedure Code. If so whether he will prepare a table of them so that it may be convenient for the members to speak on them ? Was this Bill referred to any Committee ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It was referrd to Joint Select Committee. It is not possible for us to supply comparative table to-day.

Shri Madhu Limaye : They can supply it tomorrow.

Shri Ram Niwas Mirdha : Even that is not possible.

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुये]

Shri N.K.P. Salve *in the chair.*

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

इस विधेयक को दिसम्बर, 1970 में दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया था। समिति ने अप्रैल 1971 को अपना कार्य आरम्भ किया था। इस ने 4 दिसम्बर, 1972 को राज्य सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था, मैं समिति को वधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी कम अवधि में इस विधेयक पर विचार किया है।

यह विधेयक बहुत लम्बा है और यह 75 वर्ष पुरानी संहिता का स्थान ले लेगा। वर्तमान कानून में पर्याप्त संशोधन किया गया है ताकि मुकदमों को शीघ्र निपटाया जा सके तथा नये विचारों को इसमें स्थान दिया जा सके। समिति ने विभिन्न केन्द्रों पर 72 ग्वाहियाँ ली थी और 154 ज्ञापनों पर विचार किया था। समिति ने विधेयक पर बड़ी सावधानी से विचार किया है। समिति के सदस्यों ने इस मामले में बहुत सक्रिय रूपसे रुचि ली है और सुधार के लिए जो परिवर्तन किये हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सिफारिशों को करते समय समिति ने अपराधी के हितों के संरक्षण के लिए बहुत सावधानी बरती है। पुलिस द्वारा शक्ति के गलत प्रयोग को करने का यथासम्भव प्रयास किया गया है। यह एक सराहनीय विधेयक है।

यह आम शिकायत थी कि पुलिस द्वारा मामलों की जांच में बहुत विलम्ब किया जाता है। यह विलम्ब बहुत हानिकारक है, विशेषकर जबकि अपराधी पुलिस की अभिरक्षा में हों। इस का उपाय प्रशासनिक कार्यवाही तथा बेहतर पर्यवेक्षण है। खण्ड 167 में नये उपबन्ध के अन्तर्गत अपराधी यदि 90 दिन से अधिक समय तक पुलिस की अभिरक्षा में हैं और जाँच पूरी नहीं हुई तो वह जमानत पर रिहा हो सकता है, यदि किसी ऐसे मामले में जिस में दो वर्ष का कारावास हो सकता है, यदि जाँच कार्य छ: महीने में पूरा नहीं होता तो मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में आगे जाँच रोक सकता है। दूसरा परिवर्तन यह किया गया है कि रिमांड के दौरान अपराधी जितने समय तक कारावास में रहेगा वह समय कुल दण्ड से निकाल दिया जायेगा। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है :

जहाँ तक सुरक्षा संबंधी कार्यवाही का सम्बन्ध है, धारा 109 के अन्तिम भाग को काट दिया गया है। सुरक्षा कार्यवाही के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। जो समय सीमा समाप्त होने पर खत्म हुई समझी जायगी। विधेयक में पुराने चोर बाजारी करने वालों, भविष्य निधि का भुगतान न करने वालों तथा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने वालों से जमानत माँगने का उपबन्ध भी किया गया है। मजिस्ट्रेटों के सम्मानार्थ बैंचों को खत्म करने, तलाक प्राप्त पत्नि को खर्चा देने सम्बन्धी उपबन्ध भी किये गये हैं। सैशन जजों को पुनरीक्षण की शक्ति भी दी गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जोकि विधेयक में शामिल किये गये हैं। इस विधेयक के पास होने से सदन को शीघ्रता से न्याय मिल सकेगा। अतः मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दण्ड प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि का समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर, **राज्य सभा** द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री दिनेश जोरदार (मालदा) : 1898 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता बनाई गई थी। उस समय उनका तात्पर्य लोगों को तंग करने का था और इस लिए पुलिस और नौकरशाही के अधिकारियों को बहुत अधिक शक्तियाँ दी गई थीं, उस समय हमारे पास लोकतंत्रात्मक अधिकार नहीं थे। इस में परिवर्तन के लिए चारों ओर से माँग होने पर गृह मंत्रालय द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है परन्तु इसमें पुरानी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस विधेयक के अनेक प्रस्तावित उपबन्धों में नागरिकों के अधिकारों में और कटौती कर दी गई है। इसी दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत स्वतंत्रता आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। अभी भी इस संहिता के विभिन्न उपबन्धों का जिस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है वह निन्दनीय है। लोगों की माँगें को दबाने के लिए इन उपबन्धों का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जाता है। गत दो अथवा तीन वर्षों में पुलिस ने इन उपबन्धों का शान्ति तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए खतरनाक ढंग से प्रयोग किया है और लोगों में दहशत फैलायी है, विरोधी दलों का खात्मा करने के लिए पुलिस का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार प्रोत्साहन प्राप्त कर पुलिस ने जोतदारों, भूस्वामियों तथा मिल मालिकों की सहायता से किसानों तथा सामान्य ग्रामवासियों के विरुद्ध अनेक झूठे मुकदमें बनाये हैं। लगभग एक लाख व्यक्तियों के विरुद्ध वारंट जारी किये गये हैं और इनमें अनेक व्यक्तियों को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया है। पुलिस थानों के अन्दर तक औरतों से बलात्कार तक किया गया है। सत्तारूढ़ दल ने पुलिस, सेना तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का एक सशस्त्र गिरोह बनाया है जिसने कलकत्ता के आसपास लोगों की मूल्यवान वस्तुओं को लूटा है तथा औरतों से बलात्कार किया है, अनेक लोगों को झूठ ही कत्ल के मुकदमों में सम्बन्धित किया गया है। पुलिस वास्तव में काँग्रेस के स्वयंसेवकों का कार्य कर रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही हमें दण्ड प्रक्रिया संहिता के इस नये विधेयक पर विचार करना है।

इस विधेयक के अनेक उपबन्ध पुराने उपबन्धों से मिलते जुलते हैं और कुछ मामलों में तो ये उपबन्ध पुराने उपबन्धों से भी खराब हैं, पुलिस को शक्ति देने सम्बन्धी जाँच सम्बन्धी, तलाशी तथा माल जब्त करने सम्बन्धी न्यायालयों को शक्ति देने सम्बन्धी अनेक उपबन्धों पर विस्तृत रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

संगठित मजदूरों, कार्मिक संघों आदि के विरुद्ध प्रशासन द्वारा धारा 144, 107, 145 का प्रयोग अब प्राप्त होने लगा है।

संशोधित अधिनियम की धारा 108 एक नई धारा है और इस में नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता पर और रोक लगा दी गई है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124क एक काली धारा है। इसके अन्तर्गत माननीय तिलक को दण्ड दिया गया था।

नयी दण्ड संहिता की धारा 108 को समाप्त किया जाये अथवा उसमें समुचित संशोधन किया जाना चाहिये क्योंकि इसके रहते हुए कोई भी व्यक्ति सरकार या उसकी नीतियों के विरुद्ध न बोल सकेगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो वह इंडियन पेनल कोड के खंड 124क के अन्तर्गत आयोग और उस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया जायेगा। वर्तमान संहिता की धारा 107 और 117 (3) का प्रयोग अधिकारियों ने लोकतांत्रिक आन्दोलनों को कुचलने और किसान तथा श्रमिक संघों के नेताओं को पकड़ने के लिए खूब किया है। संशोधन संहिता में 116 और 117 धाराओं को तो रखा ही गया है साथ ही धारा 132 भी रखी गई है जो नागरिक स्वतंत्रता का हनन होता है। धारा 132 में यह उपबन्ध है कि यदि कोई अधिकारी या पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र से परे भी काम करता है, और जनता या नागरिक को चोट पहुंचाता है, तो उस पर बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। इस उपबन्ध वाली धारा और 196 और 197 धाराएं हटा दी जानी चाहिए थी क्योंकि इससे नागरिक उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर सकेंगे, जो उनके साथ अत्याचार करते हैं। धारा 144 और 145 में भी उचित संशोधन किया जाना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाना चाहिये। धारा 41 के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारों को और बढ़ा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार पूर्ववत ही है। विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिए निवारिक उपायों के रूप में पुलिस नियंत्रणहीन शक्ति दे दी गई है। पुरानी संहिता के अनुसार एक मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में 15 दिन तक रखने का आदेश दे सकता था किन्तु नयी संहिता में मजिस्ट्रेट को दोषी व्यक्ति को 90 दिन या इससे भी अधिक दिन तक का आदेश करने की शक्ति दे दी गई है। जहाँ तक जमानत का सम्बन्ध है, मजिस्ट्रेट ठोस आधार होने पर महीनों तक जमानत अस्वीकार कर सकता है। यह भी व्यवस्था की गई है कि पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को नजरबंद कर सकता है यदि पुलिस की रिपोर्ट में यह लिखा है कि अमुक व्यक्ति किसी कत्ल या लूटमार के मामले से सम्बद्ध है। पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के इन उपबन्धों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में हुए दोष में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 15 व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया। वे तीन वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं और उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है।

कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 22 से मेल नहीं खाती हैं। अनुच्छेद 22(1) में यह उपबन्ध है कि किसी भी व्यक्ति का अपनी इच्छा के वकील से परामर्श करने या अपनी कानूनी रक्षा कराने का अधिकार नहीं छीना जायेगा यदि गिरफ्तारी के बाद किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो वह किसी वकील से परामर्श आदि कैसे कर सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में अभियुक्त नहीं है और निर्दोष है उसे नजरबंद रखने पर उसकी संवैधानिक स्वतंत्रता का हनन होता है।

नयी संहिता की धाराओं 129, 130 और 131 को समाप्त किया जाये क्योंकि इनसे प्रशासनिक मजिस्ट्रेट या अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी को बहुत अधिक शक्तियाँ मिल गई हैं। इनके द्वारा श्रमिक आन्दोलनों को आसानी से दबाया जायेगा। किसी भी श्रमिक संघ की वैध हड़ताल

या शान्तिपूर्ण प्रदर्शन को पुलिस इन धाराओं के अन्तर्गत समाप्त करने का आदेश दे सकती है और लोगों को तितर-बितर होने के आदेश दे सकती है । कोई भी मालिक अपने मजदूरों के उचित आन्दोलनों को पुलिस की सहायता से दबा सकता है । धारा 397(2) और (3) भी खतरनाक हैं । पुरानी संहिता की धारा 491 नयी संहिता में बनी रहनी चाहिए । नयी संहिता में यह उपबन्ध भी होना चाहिए कि निर्धन व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध राज्य की ओर से मुकदमा चलाया गया है, राज्य ही कानूनी बचाव सम्बन्धी अर्थात वकील की सहायता देगा राज्य द्वारा चलाये गये मामलों में राज्य की ओर से पुलिस अधिकारी न होकर वकील होना चाहिए ।

पुलिस को अधिक शक्तियाँ देने, अधिक निरोधक उपायों की व्यवस्था करने और दण्ड अधिक कठोर करने के बावजूद अपराधों की संख्या कत्ल के मामले और डकैती, लूटमार तथा अपहरण की घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है । अन्त में, यह निवेदन है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने मात्र से लोगों को लाभ नहीं होगा इसके लिए तो पुलिस की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना होगा क्योंकि पुलिस आजकल भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाली है । न्यायपालिका की मजिस्ट्रेटी की पुरानी पद्धति से और दण्ड प्रक्रिया की संहिता जैसे अलोकतांत्रिक कानून से जनता को बहुत लाभ नहीं होगा ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में कई बार संशोधन किये जा चुके हैं । वर्ष 1923 में इस में आधारभूत परिवर्तन किये गये थे । बाद में भी समय-समय पर इसमें संशोधन किये जाते रहे हैं । किन्तु इस विधेयक द्वारा कई ऐसे उपबन्धों को उदार बना दिया गया है, जिनसे अभियुक्त को बहुत अधिक परेशानी होती थी जो उनके लिए कष्टप्रद होते थे । मैं इस विधेयक के लिए नियुक्त की गई समिति को बधाई देता हूं जिसने साक्ष्य आदि लेकर उचित निर्णय लिए हैं । मैं सरकार को भी बधाई देता हूं जिसने समिति की सिफारिशों को मान लिया है । इस संशोधनकारी विधेयक की एक मुख्य बात यह है कि इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग-अलग कर दिया है । जिन अपराधों का सम्बन्ध विधि और व्यवस्था से नहीं है, उनका निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जायेगा । यह भी उपबन्ध किया गया है कि प्रशासनिक मजिस्ट्रेटों द्वारा किये गये निर्णयों की अपील सैशन न्यायालय में की जा सकती है । इस विधेयक की दूसरी विशेषता यह है कि इस संहिता में वे धाराएं उसी क्रमाँक पर रखी गई हैं, जिनसे जनसाधारण भलीभांति परिचित हैं । जैसे धारा 144, 145 और 107 आदि ।

समनों और वारन्ट के मामलों में मुकद्दमे की प्रक्रिया संक्षिप्त कर दी गई है । पुरानी धारा 342 जो अभियुक्त की जांच के बारे में है, को ज्यों का त्यों रखा गया है । यह एक अच्छा उपबन्ध है । जो मामले सैशन न्यायालय में चलने के लिए होते हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ सैशन न्यायालय में स्वयं भेज देगा और जेल भेजने सम्बन्धी कार्यवाही (कमिटल प्रोसीडिंग्स) में लगने वाला समय बच जाता है । अत: अपराध स्वीकार करने सम्बन्धी कार्यवाही का समाप्त किया जाना भी अच्छा है । इससे अभियुक्त को अधिक परेशानी होती थी । संहिता की नयी धारा 304 का मैं स्वागत करता हूं । इसमें निर्धन व्यक्ति को कानून सम्बन्धी सहायता देने की व्यवस्था की गई है । पहले तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत आने वाले मामलों में ही दोषी व्यक्ति को कानून सम्बन्धी सहायता दी जाती थी किन्तु नयी संहिता में ऐसे निर्धन व्यक्ति को सरकार के खर्च पर वकील की सहायता दी जायेगी जो स्वयं वकील करने की स्थिति में नहीं होगा और जिसका मामला सैशन न्यायालय के समक्ष होगा । मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं । इसमें कई और भी उपबन्ध हैं जो अपेक्षाकृत उदार हैं और अच्छे हैं । नयी संहिता के अनुसार पुनर्विचार याचिका को केवल यह कह कर रद्द नहीं किया जा सकता कि तकनीकी आधार पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार मुकद्दमें में अन्तर्ग्रस्त

कैदी के कारावास की अवधि को उसे सजा मिल जाने पर गिनने का उपबन्ध भी अच्छा है। मौखिक बहस और लिखित बहस के लिए अलग से नयी धारा रखना भी उचित है । कुछ मामलों में मुकद्दमा डालने के लिए समयावधि निश्चित करना भी उचित है। नयी संहिता में धारा 407 भी रखी गई है जिसके अन्तर्गत एक अभियुक्त लिखकर न्यायालय से यह प्रार्थना कर सकता है कि उसका मामला एक न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित कर दिया जाय । धारा 438 भी जनसाधारण के लिए लाभप्रद है जिसके अन्तर्गत प्रत्याशित जमानत की व्यवस्था की गई है।

एक माननीय सदस्य ने पुलिस को व्यापक शक्तियां देने का विरोध किया है। किन्तु विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उनके पास ऐसी शक्तियां अवश्य होनी चाहिएं। अवैध सभाओं और दंगों को रोकने के लिए धारा 144 का होना भी अनिवार्य है। जहां 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' से सम्बन्धित धारा को समाप्त करने की आलोचना का सम्बन्ध है, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बारे में एक विशेष उपबन्ध संविधान में है। अनुच्छेद 226 और 32 के अन्तर्गत क्रमशः उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से इस बारे में अनुरोध किया जा सकता है। वकील की हैसियत से मैं इस विधेयक के उपबन्धों की प्रशंसा करता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह सम्भव नहीं है कि इन दोनों विधेयकों को हम पढ़ें और फिर बहस करें। हमें तो इन दोनों में कोई अन्तर नजर नहीं आता। पुराने और नये उपबन्धों के तुलनात्मक अध्ययन बिना इस विधेयक पर लाभदायक चर्चा नहीं हो सकती।

सभापति महोदय : विधेयक पर चर्चा आरम्भ करते समय मंत्री महोदय ने आरम्भ में ही यह बताया था कि दोनों की तुलनात्मक सारणी देना सम्भव नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Under rule 109 I move for adjournment of the debate: In the report of the joint committees it is stated this—clause 13, original clause 15 ; clause 20, Original Clause 22. If Government can supply comparative statement to the joint committee the same could have been supplied to the Members of this House too. I will not allow the proceedings to go on unless such a comparative table is supplied to me.

Mr. Chairman : I am not allowing your motion. Hon. Minister has explained his difficulty ni supplying such a comparative table.

Shri Madhu Limaye : I hope you will be reasonable in this matter.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या हम इसे पास करने में इतनी जल्दी कर रहे हैं कि बाद में छताना पड़ेगा। सभा को इस स्थिति में लाया जाये कि इस पर लाभदायक और सार्थक चर्चा हो सके ।

श्री पीलू मोदी : जिस रूप में यह विधेयक लाया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि लोक सभा एक रबड़ की मोहर है जो राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पर लगा दी जायेगी। इस मामले में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है मेरी समझ में यह नहीं आया।

सभापति महोदय : श्री मधु लिमये और श्री पीलू मोदी ने जो कठिनाई व्यक्त की है, मैं उससे सहमत हूं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सभा अपने अधिकार में सर्वोपरि है और वह किसी की रबड़ की मोहर नहीं है। मंत्री महोदय ने यह कहा था कि समानान्तर सारणी देना सम्भव नहीं है । मेरा मंत्री से अनुरोध है कि श्री मधु लिमये और अन्य सदस्य को, जो चाहे वह जानकारी उपलब्ध करायें जो संयुक्त समिति को उपलब्ध की गई थी। साथ ही इस पर चर्चा जारी रहेगी।

मैंने इस पर अपना विनिर्णय दे दिया है तथा मंत्री महोदय से वे कागजात उपलब्ध करने को कहा है जो संयुक्त समिति को दिये गए थे।

श्री पी० एम० मेहता : इन कागजातों को सभी सदस्यों को दिया जाना चाहिए। आप कैसे कहते हैं कि केवल श्री मधु लिमये को ही ये कागजात उपलब्ध किये जायेंगे ? (**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : श्री मधु लिमये को ये कागजात इसलिए दिए गए हैं कि वह विधेयक को समझ सकें और उस पर बोल सकें। यदि कोई माननीय सदस्य इसे चाहते हैं तो उनको ये कागजात उपलब्ध किये जा सकते हैं।

संसदीय कार्य-मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरे विचार में माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह वाद-विवाद चलता रहे और कल तक हम इसे साइक्लोस्टाईल्ड कराके परिचालित कर देंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरे विचार में माननीय सदस्यों को यह कहने का अधिकार है कि जब तक कागजात वितरित नहीं किए जाते हैं तब तक के लिए वाद-विवाद स्थगित किया जाये।

सभापति महोदय : वादविवाद को स्थगित करना संभव नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : We can table amendments only after the motion for Consideration has been moved. As we will be able to give amendments only after circulation of papers, therefore the time for it will have to be extended.

Mr. Chairman : Yes, the time for giving reports of amendments will have to by extended.

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों की जांच होती है और अपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उन पर मुकद्दमा चलाया जाता है परन्तु यहां.....

सभापति महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री के० एस० चावडा : मैं कल से व्यवस्था का प्रश्न नियमों के अनुसार उठाऊंगा क्योंकि हर बार इस सभा में नियम का उल्लंघन होता है और आप मुझे नियम के अनुसार प्रश्न उठाने को कहते हो। मैं कल इस प्रश्न को उठाऊंगा।

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा

Sh. Bhogendra Jha (Jainagar) : This Bill is mportant or any member who has escaped the brutality of this code.

We had high hopes when we were going to reshape the crimina ccde. The old ccde was meant for British imperialists who used it to suppress the people. So after independence, it is necessitated to bring radical changes in it so as to make it compatible with our developing democracy.

The joint select Committee has made some changes in the Bill after considering it. So far the Government is concerned it is giving consideration to the recommendations of the law Commission only. The Government was not ready to accept those suggestions which can bring changes.

In this Bill section 107, under which anyone can be arrested for furnishing unsatisfactory reply, has been deleted. Section 107 is a very dangerous provision. A number of warrants have been issued under it.

In the whole country under the law moneylenders are not supposed to take interest more than 12 percent. But this law is flouted everywhere. There is not a single cure in which the Police have apprehended any culprits on this change. This shows that law breakers are running the administration. The same case is with bribery. Can any member cite the example where section 107,144 and 151 have been applied to arrest offenders.

In many parts of the country like Bengal, Assam, Orissa etc, a farmer who tills land under agricultural laws cannot be evicted. But big landlords do not care of these laws and are evicting tillers. The authorities have not taken action against them.

The capitalists are flouting the laws which are meant for the welfare of working class. But the panel code probles infructuous before them. Inspite of all these things the ruling party claims to be establishing socialism.

I want that the hon. Member should take into consideration my versions while discussing on these section of the Penal code. I know certain important persons who do not want changes in this respect. But the question is whether we want changes through law or otherwise. I hope the Government. Will not take rigid stand in effecting changes in the code.

In the name of attachment people are harassed and their goods expropriated. Under section 82, before declaring any person as absconder, he is given 30 days time to surrender himself. But under section 83, the magistrate can order for attachment soon after issuing of notification. This is a very draconian section which give no time to person concerned to surrender himself. Besides this cattle of the absconder are sold at a very low price. This is a very harsh thing. The Government have not been able to eradicate black-marketing, bribery etc. but are maintaining this draconian section.

Regarding secton 107 I would like to say that the ruling party won the election in the name of revolution and appealing the democratic sentiments 106 the people. As such it should not maintain the centuary old imperialist-tradition. By removing the section 107 nothing will happen to the code. Under section 110, the Judicial Magistrate will dealwith the culprits but under seciton 107, the power has been given to the executive Magistrate. This is totally improper. The provision of bond and surety side by side cause great hardships to the poor people.

It is not proper to put people in jail for six months in the name of breach of the peace. Any sensible advocate will advise to go to the jail after committing crimes under 323 because in that case he will be awarded imprisonment for two or three months. But in the event of breach of the peace, he will be awarded imprisonment upto six months. My suggestion is that bond may be taken for the person concerned or a period of one month is sufficient for his imprisonment.

There are many such instances where section 151 has been misused by the police and the ruling party as well. So you want that the suppressed people reep their months shut against the tyranny of the exploiters like moneylenders, landlords etc. My submission is that this section should be abrogated. We have given certain amendments to the select Committee. The Govt. should not adopt strict attitude in this respect.

Today one has to incur large expenditure in getting justice. Big people can go to the Supreme Court but it is very difficult for the commission to file a suit. Can not the state take over the financial burden of the poor people for defence ? Without this provision it is no use talking Justice. Because on the one hand poor people cannot go to the courts for justice while rich people are able to purchase justice for them selues. It is my submission that the Government should help the poor financially in getting justice.

In the same way a dangerous section 438 has been added to the code. Under this section an offender can be released on anticipatory bail. Our Judges are not free from dishonesty. The poor are not in a position stand surety for others. Only big people can avail of the provision of anticipatory bail. The House can think over it whether this section is to be abolished or not.

I want to say about Police Diary also. It is written after a lot of time has lapsed and copy thereof is not given. I submitted in the Select Committee that statement should be recorded within 43 hours or 72 hours and copy thereof given on cash. This will increase the revenue of the Government and the poor man will be able to take copy of his statement.

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं भारत सरकार, सिक्किम के चोग्याल और सिक्किम के राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच 8 मई, 1973 को हुए करार की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

भूमि सुधार की क्रियान्विति*

IMPLEMENTATION OF LAND REFORMS

सभापति महोदय : श्री समर गुह ने बोलने के लिए 15 मिनट का समय मांगा है, चूंकि इस विषय पर चार और सदस्यों ने बोलना है इसलिए वे कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें।

*आधे घन्टे की चर्चा

Half-An-Hour Discussion

श्री समर गुह (कन्टाई) : एक वर्ष पूर्व इस सभा में भूमि सुधारों के बारे में जोरदार बहस हुई थी, मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में यह आश्वासन दिया गया था कि दिसम्बर 1973 तक भूमि सुधारों का कार्य पूरा कर लिया जायेगा तथा फालतू भूमि भूमिहीन श्रमिकों में बांट दी जाएगी परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वस्तुत: यह सब एक छल साबित हुआ है। योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन इसका सदस्य है। मंत्री महोदय ने भी भूमि सुधारों की क्रियान्विति में असफलता के लिए कार्यकारी दल द्वारा बताए गए कारणों को दोहराया है जैसे सही रिकार्डों का उपलब्ध न होना, कानूनों में त्रुटियां तथा राजनीतिक इच्छा का अभाव। वर्तमान सत्तारूढ़ दल का केन्द्र और राज्यों के प्रशासन में पूर्ण अधिकार है, इसलिए भूमि सुधारों की क्रियान्विति में असफलता के लिए वे पूर्णत: उत्तरदायी हैं।

दुर्भाग्यवश योजना आयोग ने भूमि सुधारों की समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लिया है। 81 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में रहती है और उनमें से 51 प्रतिशत निर्वाह के लिए न्यूनतम साधनों के अभाव में रह रही है।

पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी भूमि सुधारों को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी गई है, स्वयं योजना आयोग भी इस विषय में गम्भीर नहीं लगता है, इसमें सन्देह नहीं है कि भूमि सुधारों से 2 लाख काश्तकार सरकार के सीधे सम्पर्क में आये हैं परन्तु इसके बावजूद 2 करोड़ 70 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिक और लाखों बटाईदार इससे अछूते हैं, भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून एक बड़ा छल सिद्ध हुआ है क्योंकि अधिकांश जमीनों को धार्मिक न्यास, बाग-बगीचे, फार्म आदि को स्थानान्तरित कर दिया गया है, यही कारण है कि मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान में एक भी एकड़ जमीन फालतू नहीं पाई गई है, बिहार में केवल 700 एकड़ भूमि फालतू मिली है, यदि अब तक प्राप्त फालतू भूमि का हिसाब लगाया जाये तो यह 101 प्रतिशत होगा, इसका तात्पर्य यह है कि 99.3 प्रतिशत भूमि बेनामी भूमि के रूप में बड़े जमीनदारों के हाथ में है, क्या यह सिद्ध नहीं करता है कि भूमि अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम एक छल है?

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय "सिंचाई साधन सम्पन्न भूमि" और "गैर सिंचाई साधन सम्पन्न भूमि" के बीच भेदभाव बरता गया है, कई राज्यों में पांच सदस्यों का परिवार 54 एकड़ तक गैर सिंचाई साधन सम्पन्न भूमि रख सकता है, छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान, जो 86.5 प्रतिशत है, 48 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर खेती करते हैं जबकि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले 13.5 प्रतिशत बड़े जमीदारों के पास 51 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, इसका अर्थ यह हुआ कि तीसरी और चौथी योजना में इन 13.5 प्रतिशत बड़े विभागों पर सिंचाई के लिए निर्धारित धन राशि का एक बड़ा भाग व्यय हुआ है, इसलिए वर्तमान अधिकतम सीमा कानून से इनको ही अधिक लाभ होगा।

जब तक खुशहाली कृषि कर नहीं लगाया जाता है तब तक कृषि सम्पत्ति का समान बटवारा नहीं हो सकता है और न निर्धनता मिट सकती है, कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भूमि संबंधी रिकार्डों के न होने से बटाईदारों को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा है।

अन्त में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज समिति और कार्यकारी दल की सिफारिशों को इन उपायों को अपनाकर क्रियान्वित करेगी जैसे पांचवीं योजना में रिकार्डों को ठीक-ठीक करने के लिए धन आवंटित करना, अधिकतम सीमा संबंधी कानून और काश्तकारी अधिनियम कठोरता से लागू करना, फालतू भमि पाने वाले किसानों को खाद, बीज आदि मुहैया करना, संविधान की नवीं अनुसूची को संशोधित करना जिससे अधिकतम सीमा वाली भूमि को साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाय, आदि।

सभापित महोदय : श्री पी० जी० मालंकर।

श्री पी० जी० मालंकर (अहमदाबाद) : पहले मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार भूमि सुधार की समस्या के प्रति गम्भीर है। दूसरे, क्या केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों के लिए कोई युक्तिसंगत नीति बनाई है, तीसरे कया सरकार ने भूमि वितरण के आर्थिक पहलू की ओर भी ध्यान दिया है? भूमि की अधिकतम सीमा कानून के बारे में मेरा यह कहना है कि छोटे तथा बड़े जमीदार भमि सुधार कार्यक्रमों को असफल करने की चेष्टा कर रहे हैं, अत: सरकार का विचार किस प्रकार इस समस्या को सुलझाने का है।

28 मार्च 1973 को दिए गए उत्तर में मंत्री महोदय ने एक कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव बताया है। इससे सिद्ध होता है कि सरकार यह मानती है कि उसने जनता को इन सुधारों को अपनाने के लिए शिक्षित नहीं किया है। प्रधान मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने इसके लिए विदेशी दलों को दोषी ठहराया है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जनता को इस संबंध में शिक्षित करने के लिए क्या किया है?

Shri M. C. Daga (Pali) : May I know whether the hon. Minister has ever attended the meeting of the Allottmetn Committee ? Was land allotted to farmers ? Please let me know when and where you attended the meetings, leaving aside Maharashtra. I want to know how much land has been allotted where farmers for irrigation are constructed ? How many offices have been dismissed from service who did not co-operate with the work of allotment of land. There have been cases where even after allotment, land was not given to the beneficiaries why it is so ? I want to know how much surplus land the Government got after enforcing the cieling on land.

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : भूमि सुधार का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, अपने पिछले उत्तर में मैंने बताया था कि इसके असफल होने का कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव भी है। यह राज्य का विषय है फिर भी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को इस मामले में सहमत किया गया और उनसे कहा गया कि वह अपने-अपने राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून बनायें तथा दिसम्बर 1973 तक फालतू भूमि का वितरण कर दें।

इस समय तक 11 राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून पारित कर दिया है तथा शेष राज्य इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आशा है कि दिसम्बर 1973 तक काफी कार्य हो जाएगा।

माननीय सदस्य जानते हैं कि भूमि संबंधी रिकार्डों के न होने, काश्तकारों और बटाईदारों को उचित संरक्षण न मिलने आदि जैसी कई कठिनाइयां हैं। जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है जिससे 2 करोड़ काश्तकारों को लाभ पहुंचा है, फिर कैसे कहा जा रहा है कि यह सब एक दल है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। यह कहना भी सही नहीं है कि फालतू भूमि का वितरण नहीं हुआ है। मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता हूं कि राज्य सरकारें भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून और भूमि सुधारों को भली-भांति क्रियान्वित नहीं कर रही हैं। परन्तु यह कहना सही नहीं है कि इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। माननीय सदस्य ने योजना आयोग के विभिन्न प्रतिवेदनों का हवाला दिया है, योजना प्रतिवेदना में स्वयं उल्लेख है कि किस प्रकार सरकार भूमि सुधारों के प्रति गंभीर है। हमने मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों को बनाकर राज्य सरकारों के पास भेजा है। राज्य सरकारों को निदेश दिया गया है कि वे उन काश्तकारों को धन दें फालतू भूमि दी गई है। सभी भूमि संबंधी कानूनों की क्रियान्विति के लिए एक विशेष व्यवस्था की जा रही है जिसके अंतर्गत पृथक आयुक्तों को नियुक्त किया जायेगा। भूमि संबंधी विवादों के हल के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भूमि-हीन श्रमिकों को मकान उपलब्ध करने के लिए धन की व्यवस्था की गई है।

राज समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। कई राजनीतिक दल कुछ कठिनाइयों के कारण सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं कर सके थे। हम राज्य सरकारों से अनुरोध करेंगे कि वे यथाशीघ्र क्रियान्वयन प्रक्रिया में तेजी लायें, मैं श्री मालंकर को बता देना चाहता हूं कि सरकार भूमि सुधारों के मामले में गम्भीर है। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वह भूमि चकबन्दी कार्यक्रम बनाए तथा जोत को लाभदायक बनाए, फालतू भूमि के वितरण में यथासंभव अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं श्री डागा को बता देना चाहता हूं कि मैं बिना निमंत्रण के किसी भी बैठक में नहीं जाता हूं, उन्होंने यह ठीक प्रश्न पूछा है कि भूमि सुधारों के संबंध में कितने अधिकारियों को सेवा मुक्त किया गया है। हमें वस्तुतः इस संबंध में कठोर होना पड़ेगा।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि भूमि पाने वालों की एसोसिएशन होनी चाहिए ताकि वे भूमि सुधार कार्यक्रम में अपना योगदान दे सकें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने राजनीतिक दलों का विचार किये बिना भूमि सुधार कार्यक्रमों में अपना सहयोग दें। यदि किसी की कोई शिकायत है तो मैं उसे व्यक्तिगत रूप से सुनूंगा।

मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि वे इसे एक राष्ट्रीय समस्या समझें। इस समस्या के समाधान से समूची भारतीय अर्थ-व्यवस्था बदल सकती है।

इसके पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 10 मई, 1973/20 बैसाख, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjoined till Eleven of the Clock on Thursday, May 10, 1973/*Vaisakha* 20, 1895 (*Saka*).

350LSS/73—GIPF